सप्तम माला खंड 1 अंक 1

बुधवार 31 मार्च 1982

10 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र



[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

बुधवार, 31 मार्च, 1982/10 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ (1), ऊपर से पंक्ति 3 में 529 के बाद "से" के स्थान पर "," पढ़िये

पृष्ठ, (1) ऊपर से पंक्ति 5 में "59" के स्थान पर "559" पढ़िये ।

पृष्ठ (1), ऊपर से पंक्ति 10 में "अधिकार के" शब्दों का लोप कीजिये ।

पृष्ठ 90, नीचे से पंक्ति 9 में "श्री डी0एस0पुत्ते गौडा" से पहले "6152" पढ़िये ।

पृष्ठ 96, ऊपर से पंक्ति 8 में "प्रयोगशालाओं से पहले "6163" पढ़िये ।

पृष्ठ 136, ऊपर से पंक्ति 2 में "628" के स्थान पर "6218" पढ़िये ।

पृष्ठ 137, नीचे से पंक्ति 12 में "620" के स्थान पर "6220" पढ़िये ।

पृष्ठ 173, ऊपर से पंक्ति 3 में "राष्ट्रीय" शब्द से पहले "6279" पढ़िये

पृष्ठ 186, ऊपर से पंक्ति 7 में "युनाईटेड" शब्द से पहले "को" पढ़िये

पृष्ठ 226, ऊपर से पंक्ति 11 में "बाडागरा" शब्द के स्थान पर "बडागरा" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 30, बुधवार, 31 मार्च, 1982/10 चैत्र, 1904 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 539 से 542, 544, और 545	...	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 543, और 546 से 559	...	19-32
अतारांकित, प्रश्न संख्या 6055 से 6093, 6095 से 6106, 6108 से 6116, 6118 से 6144, 6146 से 6150, 6152 से 6260 और 6262 से 6294	...	32-181
विशेषाधिकार के अधिकार के प्रश्न के बारे में	...	182
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	182-185
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
34वाँ प्रतिवेदन	...	186
प्रधान मन्त्री की यूनाईटेड किंगडम की हाल की यात्रा के दौरान जिन कतिपय आर्थिक विषयों पर विचार-विनिमय हुआ उनके बारे में वक्तव्य		
श्री प्रणव मुखर्जी	...	186-187
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में 26 मार्च, 1982 को चर्चा के दौरान दी गई कतिपय जानकारी को सही करने के लिए एक वक्तव्य		
श्री बी. शंकरानन्द	...	187

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में सदस्य ने पूछा था।

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति ... 188

(दो) लोक लेखा समिति ... 188

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ... 189

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ... 189-190

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में बिजली की कथित कमी के कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का समाचार

श्री राम सिंह यादव ... 190-196

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी ... 190-208

श्री हरीश रावत ... 198-199

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 200-201

श्री हरिकेश बहादुर ... 202-206

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 206-208

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) एक्स-रे फिल्मों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री ... 208-209

(दो) चित्तौड़गढ़ किले का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत ... 209

(तीन) जोधपुर नगर की श्रेणी बढ़ाकर उसे ख-2 श्रेणी का नगर मानने की आवश्तकता

श्री अशोक कुमार गहलोत ... 209-210

(चार) बिहार के पूर्णिया जिले में लघु तथा अन्य उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह ... 210

(पांच) डाकतार विभाग के कर्मचारियों की समस्याएं

श्री रामलाल राही ... 211

(छः) मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरस लि., कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 211-212

(सात) संथाल परगना, बिहार के बीड़ी कर्मचारियों की दयनीय दशा

श्री राम विलास पासवान ... 212

अनुदानों की मांगें, 1982-83

विदेश मन्त्रालय

श्री चन्द्र जीत यादव ... 213-220

श्री चन्द्र शेखर सिंह ... 2.0-126

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् ... 226-231

श्री जेवियर अराकल ... 231-233

श्री राम विलास पासवान ... 233-238

श्री पी. के. कोडियन ... 238-240

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी ... 240-241

श्री रतनसिंह राजदा ... 241-246

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर ... 246-248

श्री अजित कुमार महता ... 248-251

श्री मनीराम बागड़ी ... 251

श्री पी. वी. नरसिंह राव ... 252-272

लोक सभा

बुधवार, 31 मार्च, 1982/10 चैत्र, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उपग्रह तथा हवाई सुदूर सवेदन का उपयोग

*539. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष विभाग हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर सवेदन एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के उपग्रह तथा हवाई सुदूर संवेदन का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे प्राकृति संसाधनों के बेहतर प्रबन्ध में कहाँ तकमद द मिलेगी और कौन-कौन से राज्य इसका लाभ उठा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मत्री (श्री सी.पी. एन. सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी राज्य सरकारों अथवा अन्य एजेंसियों के अनुरोध पर लागत प्रतिपूर्ति के आधार पर हवाई सर्वेक्षणों को करती है ये राज्य/एजेंसियां इनके उपयोग संबन्धी पहलुओं की स्वयं देख भाल करती हैं। विविध एजेंसियों को आंकड़े प्रदान करने के लिए भी यह एजेंसी अमरीकी लैंडसैट उपग्रहों से आँकड़ों का अभिग्रहण करती है। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों से आंकड़े प्राप्त करने के लिए भी इसे तैयार किया जा रहा है।

(ग) सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी भू-संसाधनों के कई रूपों के सर्वेक्षण के और मानीटरन की

द्रुत तथा सही विधि प्रदान करती है । बृहत क्षेत्रों को आवृत्त करते हुए आवधिक अन्तरालों पर शीघ्रता से सुदूर संवेदन आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है । लगभग सभी भारतीय राज्यों ने विविध उपयोगों के लिए इस नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शुरु कर दिया है ।

डा. कृपा सिन्धु भोई : अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं अपने महान वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं जिन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्रों में भारत का नाम भी जोड़ दिया है तथा कई अन्य वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त की है । उपग्रह छोड़कर उन्होंने हमें उन विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है, जिनके पास अध्ययन उपकरण हैं । रेडियों तथा दूर दर्शन को इससे लाभ पहुंचा है । इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है ।

हमारे देश के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा देश के कुल भूगोलीय क्षेत्र के केवल 47 प्रतिशत को ही सर्वेक्षण किया गया है । सुदूर संवेदन उपग्रह से हमें देश भर के खनिज संसाधनों जिनमें हाइड्रो-कार्बन तथा अन्य खनिज भी सम्मिलित हैं पता चल सकता है । इससे भारतीय भू-विज्ञान मानचित्र में प्राचीन भू-खण्डों एवं अन्य भूखंड के बारे में पता चल सकता है । इस बारे में मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि कौन से राज्यों ने सुदूर संवेदन एजेंसियों का कर लाभ लेना शुरू कर दिया है । तथा कौन से राज्य हैं जो इस बारे में पीछे रह गये हैं । दूसरे सुदूर संवेदन उपग्रह से हमें पहले ही पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध हो रहे हैं । क्या भविष्य में अपने देश में सुदूर संवेदन उपग्रह से भूविज्ञान के शैल समूहों की अच्छी जानकारी मिल सकती है ?

श्री सी. पी. एन सिंह : माननीय सदस्य ने हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की सफलता की चर्चा की है । मुझे विश्वास है कि हमारी सभा उस वक्तव्य से सहमत होगी ।

देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुदूर संवेदनों के बारे में इस समय बड़ी खोजी प्रक्रिया है तथा उन्होंने ठीक बताया है कि भारत के सभी क्षेत्रों का मानचित्रण नहीं हुआ है । मानचित्रण का कार्य एन. आर. एस. ए. द्वारा किया जाता है तथा यदि कोई राज्य किसी शैल-समूह, कृषि, जंगल भूमि, जल-प्रबन्ध अथवा हिमालय के मानचित्रण करने के लिए एन. आर. एस. ए. की सुविधाएं लेना चाहते हैं तो उन्हें उसका खर्च देना पड़ेगा ।

जहाँ तक विभिन्न राज्यों का सम्बन्ध है मैं जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे पहलु का देश में प्रचार करने में मदद मिलेगी यह देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि, भू-विज्ञान, मौसम-विज्ञान मत्स्य पालन के लिए इस ज्ञान से लाभ मिल सकता है । मैं समझता हूं कि एन. आर. एस. ए. का इस पहलु की जानकारी सभी को नहीं है । आंध्र प्रदेश ने इस सुविधा के भूमि के उपयोग मृदा और जल विज्ञान के लिए किया है. कर्नाटक ने वनों तथा सूखा ग्रस्त होने वाले क्षेत्रों के अध्ययन के लिए तथा तमिलनाडु ने जल विज्ञान, भूमि के उपयोग भू-विज्ञान के लिए, त्रिपुरा और मिजोरम ने जल-विज्ञान भूमि, वन-विज्ञान तथा भू-विज्ञान, भू-रूप विज्ञान के अध्ययन के लिए किया है ।

अरुणा चल ने भूमि के उपयोग, वनों एवं जल विज्ञान के लिए इसका उपयोग किया है । मध्य प्रदेश, हरयाणा तथा उत्तर प्रदेश ने नमक से प्रभावी भूमि के सर्वेक्षण के लिये इसका उपयोग किया है । मध्य प्रदेश, हरयाणा तथा उत्तर प्रदेश ने नमक से प्रभावी भूमि के सर्वेक्षण के लिए इसका उपयोग किया है ।

उत्तर प्रदेश के संबन्ध में मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूं। आठवे दशक के सूखे के दौरान एन. आर. एस. ए. की सुविधाओं से पता चल सका कि बुन्देलखंड में कहां पर कुंए खोदे जा सकते हैं। इसमें गलती का प्रतिशत अत्यन्त नगण्य था तथा इससे बुन्देलखण्ड के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को राहत मिली।

उड़ीसा—भू–विज्ञान

राजस्थान—पानी से भरे तथा क्षार-क्षेत्र का सर्वेक्षण

पंजाब—नदी वेसिनों का जल विज्ञानी सर्वेक्षण

नागालैंड—मृदा भू-उपयोग नाली प्रणाली वन तथा भू-जल विज्ञान

असम—लोवर बैरेक नदी वाटर शैड सर्वेक्षण

उत्तर पूर्व प्रदेश–नाली प्रणाली, भूमि, भू-विज्ञान एवं भू-जल विज्ञान के लिए ऊपर बैरेक नहीं वाटर शैड भूसर्वेक्षण श्रीमान कुछ विभागों ने भी इन सुविधाओं का लाभ उठाया है।

प्रो. एन जी रंगा : आप इसे सभा पटल पर रखें। (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : आप इसे सभा पटल पर रखें

श्री सी. पी. एन सिंह : मैं ऐसा ही करुंगा।

डा. कृपासिन्धु भोई : मन्त्री महोदय के उत्तर से यह भली प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न राज्यों ने एन. आर. एस. ए. का उपयोग कृषि, मत्स्य पालन, वनों के लिए किया है परन्तु अब तक कठिनाई यह थी कि एन. आर. एस. ए. आधुनिक शिल्पविधि तथा उपकरणों से लैस नहीं था जैसे कि एयरोमैगनेटिक सर्वेक्षण तथा एयरों-इफ्रारेड सर्वेक्षण जो कि भूमि के तल में गहरा जा सके। अत: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान एन. आर. एस. ए. के सुदूर संवेदन उपग्रह को छोड़ने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : नो लंचिंग।

प्रो. मधु दडवते : लंच रद्द कर दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लंच के बारे में क्या बुराई है।

डा. कृपासिंधु भोई : श्रीमान, सभी सदस्य उपहास कर रहें हैं। मैं कोई और बात कह रहा हूं और वह कुछ और समझ रहे हैं।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : वह उड़ीसा के हैं इन बातों की अनुमति है।

डा. कृपासिंधु भोई : परन्तु उड़ीसा की प्रतिभा आपकी प्रतिभा से श्रेष्ठ है। आप अर्थ-शास्त्री हैं परन्तु मैं एक चिकित्सक हूं। अत: एक और एक दो होते है, पांच नहीं हो सकते जैसा कि आप सोचते हैं।

मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या वह भू विज्ञान सर्वेक्षण की समस्या का समाधान करेंगे ताकि आधुनिक एवं अध्ययन उपकरणों से सही आंकड़े एकत्र हो सकें।

प्रो. एन.जी. रंगा : आप उपकरणों को वहां पर छोड़ दें ।

डा. कृपा सिन्धु भोई : विशेषकर भू-विज्ञानिक मानचित्रण के लिये विस्तृत जांच के लिये एयरो-मैगनेटिक सर्वेक्षण तथा इनफ्रा-रेड सर्वेक्षण की व्यवस्था करेंगे ।

श्री पी. सी. एन. सिंह : महोदय, माननीय सदस्य ने धन के और अधिक आवंटन के लिए कहा है । भारत सरकार के पास जो धन उपलब्ध था, उसका आवंटन किया जा चुका है, लेकिन मैं यहां यह बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक उपकरणों का सम्बन्ध है, हमारे पास एन. आर. एस. ए. में इसकी काफी सुविधाएं हैं, यहां तक कि हमने कुछ आधुनिकी उपकरणों, जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल एडिटिव कलर ब्युअर, डयुफय डेनसिटोमीटर, सिम्पल लाइट टेबल्स समकक्ष मापन प्रणाली से युक्त लाईट टेबल्स, तथा इल्यूमिनेटिंग मैगनिफायरज ।

उपग्रह को छोड़े जाने के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि सदस्य इस बात का ठीक ही उल्लेख कर रहे थे कि हम उपग्रह छोड़ने की दिशा में क्या कुछ कर रहे हैं । हमने भास्कर 1 तथा भास्कर 2 छोड़े है जिनमें टेलिविजन कैमरे तथा विकिरणमापी यंत्र लगे हुए हैं । अब हम 1985-86 तक भारतीय सुदूर संभेदन उपग्रह की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि हम 8 अप्रैल को केप केनावेरेल से एक उपग्रह छोड़ने वाले हैं तथा वह उपग्रह छोड़ने का क्या उद्देश्य है तथा क्या यह भी सच है कि हमने इसे 2000 लाख डालर में खरीदा है । यदि यह उपग्रह छोड़ा जाए तो यह हमारे देश के किन क्षेत्रों के लिए कार्य करेगा ।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सी. पी. एन. सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रश्न के विषय से परे चले गए हैं । लेकिन मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि हमने अन्तरिक्ष में प्रयोग करने के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र से ही नहीं बल्कि रुस से भी सहायता ली है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने यह नहीं पूछा कि इसे कहां से छोड़ा गया । कृपया प्रश्न का समझने का प्रयत्न कीजिए । आप इसे कहीं से भी तथा किसी की भी सहायता से छोड़ सकते हैं चाहे वह अमेरिका हो या रुस । मेरा विशेष प्रश्न यह है कि क्या आप इसे खरीद रहे है तथा इसे किस उद्देश्य के लिए छोड़ा जाएगा । इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होगा । मैंने यह नहीं पूछा है कि आप इसे क्यों छोड़ेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो अन्य प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए । इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है ।

श्री पी. नामग्याल : उन्होंने जम्मू-कश्मीर में किए गए एरियल सुदूर संवेदन के बारे में उत्तर नहीं दिया । मैं मन्त्री महोदय से यह बात विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि लद्दाख क्षेत्र में उपलब्ध तांबे तथा यूरेनियम के भारी भडारों को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत सरकार इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगी ।

श्री सी. पी. एन. सिंह : जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हम राज्य सरकारों के कहने पर सर्वेक्षण करते हैं। चूंकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है, तो विभाग निश्चित रूप से इस पहलू की जांच करेगा। हमने आंध्र प्रदेश तथा ब्रह्मपुत्र नदी में 15 ऐरियल फोटोग्राफिक तथा मल्टी-स्पेक्ट्रल कलर सर्वेण किये हैं तथा भारतीय सर्वेण के लिए भी ऐरियल फोटोग्राफी भी की है।

नैमित्तिक श्रमिकों को मुआवजा

*542. **स्वामी इन्द्रवेश :** क्या **श्रम मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि दैनिक मजूरी पर नैमित्तिक श्रमिक दो वर्ष से अधिक सेवा करने के पश्चात ड्यूटी/सेवा करते हुए मर जाते हैं उनके लिए कितना मुआवजा दिया जा सकता है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर आजाद) : अर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले नैमित्तिक श्रमिक रोजगार के दौरान होने वाली नि:शक्तता या मृत्यु के मामले में मुआवजे के हकदार हैं। इन दोनों अधिनियमों के अधीन मुआवजे की पात्रता के लिए सेवा की कोई अर्हक अवधि निर्धारित नहीं की गई है। मृत्यु के मामले में, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में 7200 रुपये से 30,000 रुपये तक एकमुश्त मुआवजे की अदायगी की व्यवस्था की गई है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में बीमाशुदा व्यक्तियों की औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 70 प्रतिशत की दर से आवधिक पेंशन के भुगतान की व्यवस्था की गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आने वाले नैमित्तिक श्रमिकों के परिवार मृत्यु (सेवा के दौरान) के मामले में निम्नलिखित लाभ पाने के हकदार हैं, बशर्ते कि श्रमिक ने दो वर्ष की सदस्यता पूरी कर ली हो :—

(i) 60 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति मास की दर पर परिवार पेंशन।

(ii) बीमा जीवन लाभ, जो अधिकतम 2,000 रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत भविष्य निधि लेखे में औसत शेष के समान बीमे का लाभ देने की भी व्यवस्था है, बशर्ते कि यह राशि 10 000 रुपये से अधिक न हो।

स्वामी इन्द्रवेश : स्पीकर महोदय, अभी जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है यह दैनिक नैमित्तिक मजदूरों के लिये हैं। ये मजदूर वे मजदूर हैं जो समाज में सबसे गरीब और सबसे पिछड़े हुए हैं। सारे देश में निर्माण कार्य इन्हीं के कन्धों से होता है। बड़ी-बड़ी इमारतों को बनाने के बाद ये बेचारे वहां से गायब कर दिये जाते हैं। होटल बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई साझा इन बनी हुई चीजों में नहीं होता। एक समय की रोटी और एक टाइम का आटा भी इन बेचारों के पास नहीं होता। माननीय मन्त्री जी ने जो सुविधाएं बतलाई हैं कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 या कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अनुसार जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं, वे सब इस सीमा में नहीं आते। वैसे तो होना यह चाहिए कि देश में जो बेरोजगार हैं, हर एक बेरोजगार को भत्ता मिले लेकिन जो मजदूर काम पर आता है, उसे क्या सरकार वे सब सुविधाएं देने के लिए सोच

रही है, जो स्थायी श्रमिकों को दी जा रही हैं। एक समस्या इनके सामने यह भी है कि इनके परिवार के लिए जो सुविधाएं अधिनियम में रखी हैं, वे दो साल के बाद दी जा सकती हैं लेकिन इन बेचारों को दो साल तक एक साथ कोई काम नहीं करने देता। दो साल होने से पहले ही इन को हटा दिया जाता है और हटाने के बाद फिर इन्हीं लोगों को रख लिया जाता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी, जिस से इनको दो साल तक लगातार काम करने का मौका मिल सके।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो 60 रुपये से 150 रुपये पेंशन देने की बात अधिनियम में रखी है, यह 1952 में रखी गई थी और आज महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या सरकार इस बारे में सोच रही है कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए और इन को और सुविधाएं दी जाएं।

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को एक बात में गलतफहमी है और वह यह है कि इन्हें हटा दिया जाता है और वह यह है कि दो वर्ष के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। इन्होंने इसको प्रोवीडैंट फंड में जो नियम है, उस से मिला दिया है। जो कंजुअल लेबर है, जो नैमित्तिक श्रमिक है, जो माडल स्टेन्डर्ड आर्डर हमने बनाया है, उसके अन्तर्गत 6 महीने कार्य करने के बाद उसको स्थायी कार्य मिलने का हक उन्हें देना चाहिए, यह हमने सबको निर्देश दिया है। तीन महीने के बाद अगर वह फिर उसी काम पर आता है, तो पहले उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इसलिए प्रथम नियम के अनुसार तीन महीने बाद प्राथमिकता और छः महीने के बाद स्थायी, यह हमने किया है। यह जो दो वर्ष की बात आपने कही है, वह गलत है। दो वर्ष की बात तब आती है जब कोई नैमित्तिक श्रमिक तीन महीने कार्य कर चुका हो और दो वर्ष कार्य करने के बाद उसको प्रोविडैंट फंड के अन्तर्गत सुविधा मिलती है लेकिन कर्मकार अधिनियम जो है, वह तो मुआवजे का अधिनियम है और उसके अन्तर्गत यह सीमा नहीं है।

स्वामी इन्द्रवेश : आदरणीय मंत्री महोदय ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने सुना है और लिखा है।

स्वामी इन्द्रवेश : मैंने दो साल की बात जो कही थी वह कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आती है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो डेली वैजेज पर मजदूर काम कर रहे हैं और जैसी अभी तीन महीने की बात मंत्री जी कह रहे हैं, तो इन्हें तीन महीने तक भी स्थायी नहीं रहने देते और तीन महीने से दो दिन पहले इन्हें काम पर से हटा दिया जाता है और फिर उसी काम पर लगा दिया जाता है। सुविधाओं में जो आपने लम्प सम देने की बात कही है और यह कहा है कि 7200 रुपये से ले कर 30 हजार रुपये तक वह दी जाती है, तो इसे आप एक निश्चित बात नहीं कर सकते और जो अवधि पेंशन की बताई है, उसको क्या आप आजीवन करने की नहीं सोच रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, जो नैमित्तिक कर्मकार हैं और जो स्थायी हैं, दोनों में फर्क तो है ही। जो मजदूर काम कर रहे हैं और जो उनसे काम लेने वाले हैं, अगर तीन महीने के बाद काम नहीं है, तो उनको वे हटा तो सकते ही हैं। हमने जो माडल स्टैंडिंग

आर्डर में नियम बनाया है वह यह है कि 6 महीने काम करने के बाद वे नैमित्तिक नहीं रहेंगे और उन्हें स्थायी बना दिया जाएगा और जहां तक उनको ये सुविधाएं देने का प्रश्न है, मैंने बताया है कि क्योंकि ये डेली वैजेज पर हैं, इसलिए उन्हें उनके दैनिक भत्ते के आधार पर जो सुविधाएं मिलती हैं मृत्यु पर उन्हें 7200 से 30,000 रुपये तक दिया जाता है और जो पर्मानेंट डिसर्वित हैं, उनके लिए 10,080 से 42,000 रुपये तक दिया जाता है। और वे टेम्प्रेरी डिसएबलमेंट हैं उसके लिए एक खास मन्थली वेजिज के अनुसार उन्हें दिया जाता है। इससे अधिक की सुविधा की बात होना संभव नहीं है।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं अपने निजी अनुभव से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक कारखाना है, जिसे डी. सी एम. कैमिकल्स कहा जाता है. जिसमें 6000 से अधिक कर्मचारी हैं लेकिन उनके अभिलेखों में यह दिखाया गया है कि वहां केवल 900 लोग हैं : बाकी मजदूर पिछले 15 वर्षों से या तो नैमित्तिक हैं अथवा ठेके पर लगाए गए हैं। इसका अर्थ है कि सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा है तथा साथ ही लोगों को भविष्य निधि का लाभ नहीं मिल रहा। मैं इसका अध्ययन करता रहा हूं. वहां ऐसे लोग भी थे जो मर चुके हैं तथा बच्चे बीमार हैं। उन्हें सरकार द्वारा दिया गया लाभ नहीं मिला है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यदि मेरा वक्तव्य ठीक है तो उसकी जांच करें, और यदि यह सच है तो देखें कि वे नैमित्तिक मजदूर तथा वे मजदूर जो ठेके पर पिछले 15 वर्षों से उस कारखाने में काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा जारी की गई भविष्य-निधि का लाभ दिया जाए तथा जो लोग सेवा के दौरान मर गए हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री भगवत झा आजाद—यदि माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखें तो मैं तथ्यों की जांच करूंगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई श्रमिक, जो पिछले 6 महीनों से काम कर रहा है, वह उस कारखाने में स्थायी श्रमिक होने का अधिकारी है। यदि कोई इस कानून को तोड़ रहा है, तो उस पर इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना लगाकर अभियोग चलाया जायेगा। दूसरे यदि सेवा के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उस कर्मचारी की जगह अस्थायी मजदूर लगाया जाना चाहिए तथा उसे एक हजार रु. मिलने चाहिए—यदि इन दोनों बातों को पूरा नहीं किया जाता है तो माननीय सदस्य को इसकी सूचना मुझे देनी चाहिए तब में इसकी जांच करूंगा।

श्री जगदीश टाइटलर—वे जो कुछ कर रहे हैं वह यह है कि मालिक उन्हें ठेका मजदूर बना देते हैं। क्या आप 15 वर्ष से ठेके पर काम करने वाले मजदूर की कल्पना कर सकते हैं ? कानून के अन्तर्गत यह सब उचित है।

श्री भगवत झा आजाद—मैं भी तो यही कह रहा हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन—मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है वह सुनने में बहुत अच्छा है। लेकिन वास्तव में, इसे कार्यन्वित नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि रेलवे में भी यही कुछ हो रहा है। पिछले 12 या 13 वर्षों से काम करने वाला श्रमिक भी नैमित्तिक है। अभी हाल ही में मुझे एक औरत का पत्र मिला जिसके पति ने 13 वर्ष तक काम किया और जब काम

करते हुए उसकी मृत्यु हो गयी तो उनके परिवार को 'सेवा में मृत्यु हो जाने' का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सब बातों का क्या समाधान है।

आज, कुछ कर्मचारी मेरे पास आए तथा शिकायत की कि एक कर्मचारी काम करते हुए एलाई-ओवर से गिर गया तथा उसकी मृत्यु हो गई लेकिन उसको मुआवजे के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया गया। उन्होंने सभी मंत्रियों को लिखा और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस बारे में लिखा। अब तक, तीन महीनों के बाद भी कोई समाधान नहीं किया गया है। इसका क्या हल है ? मंत्री महोदय ने संसद में जो कुछ कहा वह तो सुनने में बहुत अच्छा है लेकिन वास्तव में किसी भी नैमित्तिक मजदूर को लाभ नहीं मिल रहा। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि वह इन कर्मचारियों की सहायता करने के लिए किन उपायों पर विचार कर रहे हैं।

श्री भगवत झा आजाद—मुझे खुशी है कि माननीय सदस्या ने यह स्वीकार किया है कि कानूनी व्यवस्था अच्छी है। लेकिन शिकायत इसे कार्यान्वित करने के बारे में है। यह कहना ठीक नहीं है कि उनमें से किसी को लाभ नहीं मिल रहा। यह संभव है कि उन्हें कार्यान्वित करते वक्त कुछ ऐसे दुश्चरित्र लोग हो सकते हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं। (**व्यवधान**) यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं। जिस समय उस ओर हमारा ध्यान दिलाया जायेगा, हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे तथा देखेंगे कि उनके साथ न्याय किया जाता है। मैं मानता हूं कि इस तरह के काम में उस नियम को कार्यान्वित करने के समय उनका उल्लंघन हो सकता है। इसका एकमात्र समाधान यही है कि समाज के जागरुक व्यक्ति चाहे वह संसद-सदस्य हो अथवा बाहर के लोग, इन लोगों के मामलों को उठाएं और उन की तरफ सम्बद्ध प्राधिकरणों का ध्यान दिलाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको सजा मिले। यह हम कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय—शांति, शांति। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (**व्यवधान**)*

तीसरे विश्व के देशों को व्यापार में वरीयता

*544. **श्री नीरेन घोष** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने वर्ष 1978 में तीसरे विश्व के देशों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कतिपय मूल मालकों के अनुसार व्यापार वरीयता तथा तकनीकी एवम् वित्तीय सहायता को परस्पर संबंधित करना चाहा था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह मामला आगे बढ़ाया गया, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धमवीर) : (क) यद्यपि आरम्भिक बातचीत के दौरान इस प्रकार का सुझाव दिया गया था लेकिन नये समझौते के सम्बन्ध में की जा रही औपचारिक वार्ता के दौरान यूरोपीय आर्थिक समाज ने इस सुझाव को आगे नहीं बढ़ाया।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

श्री नीरेन घोष : क्या यह सच है कि ई. ई. सी. ने अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने की मांग की है तथा सरकार उन मानकों से सहमत नहीं हो रही है।

इसका अर्थ है, यदि उनका पालन किया जाता है तो मजदूर का जीवन स्तर थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा।

उनसे यही आशा है और उसके परिणामस्वरूप ही ई. ई. सी. ने कहा कि इसे कुछ मानकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

क्या है सच है अथवा नहीं ?

आप एक सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के इच्छुक क्यों नहीं हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री भगवत झा आजाद) : यह धारणा तथा कथन एकदम गलत है। सरकार अ. श्र. सं. द्वारा स्वीकृत समझौतों का समर्थन कर रही है यदि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे विकसित देश की तुलना में हमारे द्वारा अनुसमर्थित समझौतों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि वे जो कुछ कर रहे हैं, हम उनसे कहीं अधिक कर रहे हैं।

इसीलिए, हम समझौतों का अनुसमर्थन करने के अनिच्छुक नही हैं। हम इसे पूरा कर रहे हैं।

आप को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये विकसित और उन्नत देश क्या चाहते हैं तथा वे क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए वस्त्रोद्योग को ही लीजिए। इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे उन्नत तथा हमारे जैसे विकासशील देशों में भिन्न-भिन्न स्तर हैं। लेकिन फिर भी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे उन्नत देश ने केवल 7 समझौतों का अनुसमर्थन किया है जबकि भारत ने 34 समझौतों का अनुसमर्थन किया है।

अत: अ. श्र. सं. द्वारा निर्धारित समझौतों को स्वीकार करने में हम अनिच्छा प्रकट नहीं करते।

श्री नीरेन घोष : मैं इसमें आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मिल रहा है।

श्री नीरेन घोष : इस विशेष मामले में, विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या ई. ई. सी. ने यह कहा है कि वित्तीय सहायता पर कुछ शर्तें लगाई जानी चाहिए अन्यथा तीसरे विश्व के देशों को इतना अधिक अधिमान नहीं दिया जाना चाहिए।

यदि तीसरे विश्व के देश जीवन स्तर बढ़ाने तथा उन शर्तों का पालन करने के अनिच्छुक नहीं हैं तो दी जाने वाली सहायता को कम न किया जाए।

मंत्री महोदय ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। केवल इतना ही नहीं। आपको पता होना चाहिये कि विदेशी कम्पनियां भारतीय नाविकों को इतनी राशि देना चाहती है जिस पर शायद भारत सरकार पिछले कई वर्षों से शेष प्रकट करती रही है।

ऐसा कहने का कोई लाभ नहीं कि हमने कुछ परम्पराओं को अनुसमर्थन दिया है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण परम्पराओं को आपने नहीं अपनाया है और यह एक विशेष मामला है।

माननीय मंत्री जी को विशेष उत्तर देना चाहिए।

श्री भगवत झा आजाद : मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

मैंने सही उत्तर दे दिया है परन्तु माननीय सदस्य ने कहा है "मैं आपका संरक्षण चाहता हूं" क्यों ? प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सं. 544 है !

श्री भगवत झा आजाद : प्रश्न यह है कि क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने यह कहा है।

मैं प्रश्न के मुख्य भाग में कह चुका हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है।

हो सकता है उनके बीच इस प्रकार की बातें हुई हों परन्तु विधिवत् रूप में उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा है। बात यह है कि जब कभी भी वे यूरोपीय आर्थिक समुदाय की मंत्रिपरिषद की बैठक में होते हैं वे बहुत से मसलों पर सोच विचार करते हैं।

इस विशिष्ट मामले में मैं प्रश्न के प्रमुख भाग के उत्तर में कह चुका हूं कि अन्वेषणात्मक बातचीत के दौरान उन्होंने परस्पर विचार विमर्श किया था परन्तु हमें विधिवत रूप में कुछ नहीं बताया। अतः हम अनुमान के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। जहां तक इस प्रश्न के उस भाग का संबन्ध है जो मुझ से सम्बन्धित है अर्थात परम्पराओं के बारे में यह भी प्रत्यक्ष रूप से इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है—मैं पहले भी कह चुका हूं कि देश परम्पराओं का अनुसमर्थन कर रहे हैं। हमने भी 34 परम्पराओं को अंगीकृत कर लिया है मैं बस इतना ही कह सकता हूं।

श्री नीरेन घोष : प्रश्न यह है कि क्या मांग के कारण। व्यापार सम्बन्धी मंत्रणा के दौरान प्राथमिकताओं पर प्रभाव पड़ा है या इनमें कमी आई है। हो सकता है श्रम मंत्री इस प्रश्न का उत्तर न दें परन्तु वाणिज्य मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए यह परस्पर जुड़े हुये प्रश्न हैं।

श्री भगवत झा आजाद : मैं कह चुका हूं कि उन्होंने कोई हवाला नहीं दिया है। यदि हवाला दिया गया होता तो वाणिज्य मंत्री उसका उत्तर अवश्य देते। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं ? हमें उसका कोई हवाला नहीं दिया गया।

श्री राम गोपाल रेड्डी : ई. ई. सी. के मैम्बर यह समझते हैं कि सारे जहां का दर्द उनके जिग्र में है। लेकिन उनके जिग्र में कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : पूरा शेर पढ़िये : शेर की टांग क्यों तोड़ते हैं ?

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : वे यह समझते हैं कि पूरी हमदर्दी उनकी लेबर क्लास के साथ है जो सरासर गलत है मैं माननीय मत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे बेवकूफी के सभी प्रश्नों का उत्तर देना नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्रीमती मोहिसिना किदवई।

सभी राज्यों को सीमेंट की सप्लाई का आश्वासन

*545. श्रीमती† मोहसिना किदवई :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट निर्माताओं ने उनसे मिलने पर यह आश्वासन दिया है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वे सभी राज्यों और क्षेत्रों को और अधिक सीमेंट की सप्लाई करेंगे;

(ख) यदि हां तो निर्माताओं ने किस प्रकार का आश्वासन दिया है; और

(ग) सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या प्रबन्ध किया है कि निर्धन व्यक्तियों को सीमेंट समय पर और सही दरों पर उपलब्ध हो;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि सरकार से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि सीमेंट उद्योग देश के सभी क्षेत्रों को जिनमें कमी वाले भाग भी सम्मिलित हैं कम से कम उतना सीमेंट तो गैर लेवी सीमेंट कोटे से देता ही रहेगा जितना कि 1981 में दिया था चाहे परिवहन लागत कुछ भी हो।

(ग) राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों को परामर्श दिया गया है कि समाजोन्मुख योजनाओं जैसे मकानों के लिए, गन्दी बस्तियों में रहने वालों, हरिजनों, आदिवासियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के मकान बनाने के लिए लेवी सीमेंट के त्रैमासिक आवंटनों में से सीमेंट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराये।

श्रीमती मोहसिना किदवई : सीमेंट की पार्शल डिकंट्रोल की पालिसी के तहत बहुत से खुदरेहात, बहुत सी शकायें और बहुत से डर गरीब तबके के जो लोग हैं और जिनको सीमेंट की ज्यादा जरूरत रहती है, उनको ठीक दाम पर सीमेंट मिल सकेगा या नहीं। सीमेंट मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने वादा किया है, यकीन दहानी की है कि हम उतना सीमेंट देंगे जितना 1981 में दे रहे थे और उतना सीमेंट लोग पाये रहेंगे। अब आप देखें कि डोमैस्टिक प्रोडक्शन में 1981 जो सीमेंट का था वह 20.1 मिलियम टन था और इसके अलावा 1.7 मिलियन टन सीमेंट इम्पोर्ट किया गया इस तरह से कुल मिला कर 21.8 मिलियन टन सीमेंट 1981 अवैलेबल हुआ। अब यह जो 20.1 मिलियन टन किया जायेगा और उसमें कुल मिला कर जो 4.8 मिलियन टन की कमी पड़ती है इसके लिए सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ? क्या हमारा डोमैस्टिक प्रोडक्शन इतना बढ़ जाएगा कि यह 4.8 मिलियन टन का जो गैप है वह पूरा हो जाएगा, उसको पूरा किया जा सकेगा ? या कुछ सरकार इम्पोर्ट करने का इरादा रखती है, उसके बावजूद भी इस कमी को कैसे पूरा करेगी ? साथ ही यह भी जानना चाहती हूं जो आपने अरेंजमेंट किए हैं मैं जानना चाहती थी युनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को यह कहा गया है, जैसाकि अभी मंत्री जी ने बताया, कि छोटे लोगों को जो छोटे प्लाट्स ले कर मकान बनाना चाहते हैं, हरिजन हैं या सोशली बैकवर्ड लोग हैं, उसका इन्तजाम खुद सरकार यहां से कर रही है कि वह सही दाम में उनको पहुंचा सके, इस बारे में आप क्या कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : अध्यक्ष जी, जो मोहतरमा मैम्बर साहिबा ने सवाल पूछा है मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो नई पौलिसी है उसके तहत जो गरीब तबका है उसको सीमेंट मुनासिब कीमत पर लेबी कीमत पर मिल सके यह हमारी नई सीमेंट नीति की बुनियाद है, और इसीलिए उसमें साफ कहा गया है कि जो लेबी सीमेंट मिलेगा वह इन्हीं तबकों को मिलेगा जिनका जिक्र मैंने अपने जवाब में किया और जाहिर है कि जो हम 800 एक्सवायर फीट तक के मकानों के लिए ही लेबी सीमेंट देते हैं तो वह गरीब तबके के ही लोगों को जाएगा चाहे वह देहाती इलाके के हों या शहरी इलाके के हों।

दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि सीमेंट की कमी कैसे पूरी होगी ? यह जो हमारी नई सीमेंट पौलिसी है इसी कमी को बहुत हद तक दूर करने के लिए है उन्होंने जो आंकड़े दिये वे करीब करीब सही थे कि 21 मिलियन टन इस साल सीमेंट बरामद होगी कारखानों के जरिये। और अगले साल के लिए हमारा मनसूबा यह है कि 28 मिलियन टन मिल सके। यह इस तरह होगा कि जो इस समय ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी है अगर उसकी 75 परसेंट कैपेसिटी को भी प्रोडक्शन में लें तो 22 मिलियन टन सीमेंट इस साल मिलेगा, और 4 मिलियन टन हम उम्मीद करते हैं कि जो नई कैपेसिटी मुन्तखित की जा रही है उसके जरिए पैदाबार आमद होगी और बाकी दो मिलियन टन इम्पोर्ट की हमने गुंजाइस रखी है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा इम्पोर्ट की हमने छूट दी है कि चाहे स्टेट की कारपोरेशन्स हों उनको भी इजाजत दी है कि वह भी यूजर्स के लिए इम्पोर्ट कर सकती हैं तो 2 मिलियन टन इम्पोर्ट का हर साल मनसूबा भी करते रहे हैं इस प्रकार उम्मीद है कि 28 मिलियन टन सीमेंट अगले साल मिलेगा। इस तरह 7 मिलियन टन अधिक सीमेंट 1982–83 में मिल सकेगा और उससे सीमेंट की कमी बहुत हद तक पूरी हो सकेगी, ऐसी हमारी आशा है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : जो एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार को यकीन दिलाया है रीजनेबिल प्राइस पर सीमेंट मिलेगा, अभी तक वह प्राइस तय हुई कि नहीं ? और यह भी कहा गया है कि हर स्टेट में वहां की हालत के मुताबिक तय हो। तो रीजनेबिल प्राइस का मतलब क्या है, और किस तरह से तय की जायेगी, कौन देखेगा कि रीजनेबिल प्राइस है कि नहीं ? आपने यह भी कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेज होंगे उसको इनक्लूड करते हुए वह पहुंचायेंगे लेकिन स्टेट तक तो आप पहुंचा देंगे, पर कंज्यूमर तक सही इस दाम पर कैसे पहुंचायेंगे ? एक जगह उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड सीमेंट की कीमत ज्यादा होगी और यहां के बने हुए सीमेंट की कीमत कम होगी। लेकिन उसमें कितना फर्क होगा यह सारी डिटेल्स सामने आनी चाहिये ? और किस तरह गवर्नमेंट आफ इंडिया, जो मनसूबा है सही है उसी मकसद के लिए पौलिसी बनायी गई है, लेकिन उसका इमप्लीमेंटेशन भी उन्हीं भावनाओं के तहत हो सकेगा, यह मैं जानना चाहती हूं ? मंत्री महोदय ने बताया है कि 800 स्क्वेयर फीट के लिए लेबी सीमेंट दी जायेगी। कोई भी इन्सान जब घर बनाता है तो एक ही दफे बनाता है और वह चाहता है कि अच्छा घर बनाये दिल्ली में कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं और आनी शुरू हुई हैं। 860 एक्वेयर फीट के लिए लेबी की सीमेंट दी जाने की घोषणा अथौरिटीज की तरफ से की गई है। इसके साथ ही साथ यह भी शिकायत आई है कि अगर कोई कुछ ज्यादा कवर्ड एरिया लेना चाहता है तो उसको कहा जा रहा है कि आप अपने एप्रूव्ड प्लानन्स को फिर से

बनाइये और उसके तहत लाइये, तो मैं समझती हूं कि यह उसके साथ ज्यादती होगी इसको मंत्री महोदय देखें और इसके तहत जो शिकायतें या चीजें आने वाली हैं, उसकी तरफ ध्यान दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेम्बर साहेबा ने यह सवाल किया कि जो इसकी कीमत एसोसियेशन की ओर से तय हुई है, यह मुनासिब है या नहीं, इसको कौन देखेगा ? इसको हमारा ब्यूरो आफ इंडस्ट्रीयल कास्ट एण्ड प्राइसेज देखेगा, जिसको पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है और उसकी अपनी धाक भी है। उसके तहत जो उन्होंने प्रासेसिंग की है कीमत कम करने की इंपार्टेड सीमेंट की पालिसी में यह बात भी रखी गई है कि जो सीमेंट इम्पोर्ट करेंगे उसकी कीमत भी फ्री-मार्केट प्राइस को रैगुलेट करेगी। अगर कोई ज्यादा कीमत बढ़ाना चाहेगा तो हम लोग भी देखेंगे कि ज्यादा दाम न बढ़े। दूसरे जब उत्पादन ज्यादा होगा, 7 मिलियन टन ज्यादा होगा तो उसका भी असर फ्री-मार्केट प्राइस पर भी पड़ेगा। इस समय दिल्ली में जो सीमेंट की कीमत रखी गई है, वह 65 रुपये 13 पैसे है और हमने उनसे कहा है कि इसको और कम करें।

अभी पालिसी घोषित किए हुये कुछ ही समय हुआ है। मैं चाहूंगा कि कुछ समय और मिले ताकि नई पालिसी का पूरा असर हमारे सामने आ सके जहां तक लेवी सीमेंट का ताल्लुक है, पहले से ही राज्य सरकारों की मशीनरी बनी हुई है ब्लाक लेवल और जिला लेवल पर राज्यों में मशीनरी बनी हुई है। उसमें हम पूरी देखभाल करेंगे और लेवी की सीमेंट राज्य सरकार द्वारा उनके रूल्स की तहत मुहैय्या करायेंगे।

जहां तक दिल्ली का सवाल है, यह बात सही है कि कुछ बड़े मकान बनाने में लेवी का सीमेंट नहीं मिल सकता है लेकिन अगर कुछ सही मार्जिनल केसेज हैं तो मैं मेम्बर साहिब से दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी कर के मेरे पास भेज दें तो मैं उनको दिखवा लूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, मेरा पूरक प्रश्न श्रीमती मोहसिना किदवई के प्रश्न के भाग (ग) से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि कर्नाटक विधानसभा की लोक लेखा समिति · (व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते।

श्री मधु दंडवते : क्या कर्नाटक असंसदीय विषय है ?

श्री के. लकप्पा : वे राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते···(व्यवधान) इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए। मैं देखूंगा कि क्या यह तत्संगत है·····
(व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : आप यह प्रश्न पूछने की अनुमति कैसे दे सकते हैं ? (व्यवधान) यह एक निन्दा अभियान है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बिना सुने मैं निर्णय नहीं ले सकता।

श्री के. लकप्पा : राज्य की लोक लेखा समिति प्रतिवेदन का मामला यहां कैसे उठाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान : यह मामला उठाया जा सकता है···(व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : यह मामला नहीं उठाया जा सकता। आप मुझे नियम दिखाइये। उन्हें नियम बनाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उन्हें प्रश्न पूरा करने की अनुमति दीजिए, तत्पश्चात् आप उसके बारे में निर्णय कर लीजिए। (व्यवधान)

श्री मधु दंडवते : आप अपना विनिर्णय दे दीजिए मैं उसका पालन करूंगा। वह मुझे तंग क्यों करना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री के. लकप्पा : वे संसद में यह मान कर नहीं चल सकते कि उनकी हर बात मान ली जाएगी वे राज्य की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रश्न यहां कैसे उठा सकते हैं ?

प्रो मधु दंडवते : आप अपना विनिर्णय सुना दीजिए। मैं उसका पालन करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा स्थायी आदेश है कि जब किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दे दी जाती है तो उनका प्रत्येक शब्द कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाना चाहिए लेकिन यदि मैं अनुमति नहीं देता तो कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यगण, मैं नहीं जानता कि वे यह रोष क्यों उत्पन्न हुआ। जब तक मैं सुन नहीं लेता तब तक मैं यह कैसे अनुमान लगा सकता हूं कि किस ने क्या कहा। मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं उनकी बात सुन कर उसके अनुसार अपना निर्णय देना चाहूंगा कि क्या यह पूछे गए पूर्व प्रश्न से सम्बन्धित है या नहीं। बिना सुने मैं कैसे कह सकता हूं कि यह सम्बन्धित है या नहीं ? यदि प्रो. दडवते का पूरक प्रश्न पूर्व-प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है तो मैं उनके प्रश्न को अस्वीकार कर सकता हूं। (व्यवधान)*

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : महोदय, आपका निर्णय अंतिम होता है और मैं आप की बात से सहमत हूं। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के उत्तेजित होने का एकमात्र कारण यह है कि जब हम पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हैं तो विपक्ष सदैव ही शोर मचाता है।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय उनकी नीति है समय व्यतीत करना मैं अपनी बात अवश्य कहूंगा। मेरा प्रश्न केन्द्र से सम्बन्धित है और मैं इसी बात से अपना भाषण शुरु करूंगा। लोक लेखा समिति ने केन्द्र द्वारा दी गई सीमेंट के वितरण से सम्बन्धित भारत सरकार के नियमों तथा उन नियमों के उल्लंघन के बारे में कुछ कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि लोक लेखा समिति पहले ही·····

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में पहले ही कर्नाटक विधान सभा में चर्चा की जा चुकी है।

प्रो. मधु दंडवते : मैं उसका हवाला नहीं दे रहा हूं। उदाहरणतः, यदि किसी ऐसी बात का हवाला दिया जाता है जिससे केन्द्र सरकार वास्तव में सम्बद्ध है अथवा केन्द्र सरकार के

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मैं उसका हवाला दे सकता हूं पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं। इस सदन में हम ऐसा कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला केन्द्र से सम्बन्धित है तो आप अपनी बात कह सकते हैं··· ··

प्रो. मधु दंडवते : इस बात की ओर तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। लोक लेखा समिति ने कहा है कि कर्नाटक को केन्द्र की ओर से दिये जाने वाले सीमेंट के कोटे के संबंध में भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए उन्होंने···

अध्यक्ष महोदय : यह बात वर्तमान प्रश्न की परिधि में नहीं है। इसके लिए आप अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, यह प्रश्न, भाग 'ग' से संबंध रखता है। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, आप प्रश्न का भाग (ग) पढ़िये। इसमें कहा गया है···

एक माननीय सदस्य : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। इसमें पूछा गया है :

(ग) सरकार ने इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या प्रबंध किया है कि निर्धन व्यक्तियों को सीमेंट समय पर और सही दरों पर उपलब्ध हो ?

प्रो. मधु दंडवते : हां, इसमें पूछा गया है 'समय पर और सही दरों पर।' यह सीमेंट के वितरण के बारे में है। महोदय, आप मुझे चुप नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं आपको चुप करना नहीं चाहता। मैं केवल यह देखना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, इससे सम्बन्धित है। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : मैं उसी का हवाला दे रहा हूं। मैंने यह कह कर अपनी बात शुरू की थी कि मैं मोहसिना जी के प्रश्न के भाग (ग) पर पूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वेंकट सुब्बैय्या): यह राज्य का विषय है। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखा जाता है और राज्य विधान सभा उस रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्यवाही करती है। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : क्या मैं अपना पूरक प्रश्न समाप्त कर दूं ? (**व्यवधान**) महोदय, मैं हार नहीं मानूंगा। क्या यह ऐसा कहूं ? (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : मैं अपना प्रश्न पूछ सकता हूं यदि आप चाहें तो बाद में उसे अस्वीकार कर सकते हैं। कृपया मेरे पूरक प्रश्न को सुनें। आप इसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं अपने प्रश्न को फिर से तैयार करूंगा। महोदय, भारत सरकार ने सीमेंट के वितरण के लिए कुछ नियम बनाए हैं ताकि मोहसिना जी के प्रश्न के भाग (ग) के अनुसार, 'उचित दरों पर, उचित मात्रा में केन्द्र के लिए यह संभव होगा कि वह निर्धन लोगों तथा साधारण जनता और संस्थानों तक पहुंच सके। महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केन्द्रीय सरकार के वितरण सम्बन्धी इन नियमों का, केन्द्र की ओर से भष्टाचार, अनियमितता तथा दुरुपयोग द्वारा उल्लंघन हुआ है तथा इसके अतिरिक्त, क्या यह सच है कि

बम्बई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, श्री लेटिन ने एक निर्णय दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि दिन दाताओं ने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान को दान दिया है उनके और सीमेंट वितरण के बीच अन्तर-सम्बन्ध है। क्या उन्होंने इसकी ओर उचित ध्यान दिया है। और क्या न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित किया गया था ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री के. लकप्पा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा है ? कृपया बैठ जाइए।

श्री के. कलप्पा : आपको अपने व्यवस्था के प्रश्न को सुनना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कुछ नहीं कहा है। मैं जानता हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं द रहा हूं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

प्रो. मधु दडवते : इस प्रश्न के दो भाग हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने अपने मूल उत्तर में उस प्रश्न का पर्याप्त रूप से उत्तर दे दिया है। और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं। राज्य सरकारों को सामान्य मार्ग-निर्देश दिये गए हैं। राज्य सरकार जो निम्नतम स्तर पर सीमेंट का वितरण करने के लिए मुख्यतया जिम्मेदार हैं, का यह कर्त्तव्य है कि वे अपने नियम विनियम तथा प्रक्रियाएं तैयार करें।

प्रो. मधु दंडवते : नहीं, नहीं। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि बम्बई उच्च न्यायालय का एक विशिष्ट निर्णय है जिसमें यह कहा है गया कि "वितरण और दानियों के बीच अन्तर-सम्बन्ध है।"

अध्यक्ष महोदय : कृपया किसी अन्य आधार को लें। इस तरह नहीं।

प्रो. मधु दंडवते : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि ..

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके पूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : नहीं, नहीं। मैंने इसके बारे में पूछा है। दानियों तथा इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान और सीमेंट वितरण के बीच अन्तर सम्बन्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं, यह राज्य का कार्य है। यहां नहीं।

प्रो. मधु दडवते : मैं केन्द्रीय कोटे की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला उच्च न्यायालय में था, और अब सर्वोच्च न्यायालय में है।

प्रो. मधु दंडवते : नहीं, यह केन्द्रीय कोटा है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसके बारे में बता दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : नहीं, नहीं। उन्होंने यह नहीं बताया है।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी उन्होंने राज्य सरकार को दे दिया, यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह उसे क्रियान्वित करे।

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने नहीं कहा है। आपने कैसे सुन लिया ? हममें से कोई भी नहीं सुन सका है। आपने कैसे सुन लिया ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने हमें बताया है, मैंने सुना है। केन्द्रीय सरकार सीमेंट देती है और मार्ग-निर्देश देती है; वितरण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी, हां।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने इंदिरा गाँधी प्रतिभा प्रतिष्ठान तथा सीमेट वितरण के बीच अन्तर सम्बन्धों का उल्लेख किया है। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : मेरे प्रश्न में आपत्ति जनक बात क्या है ? यह वितरण प्रणाली में कैसे आ गया ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह उच्च न्यायालय में गया है। (**व्यवधान**)

प्रो. मधु दंडवते : यह यहाँ कैसे आ गया। आप इस प्रश्न की जांच कीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं संबन्धित नियमों को पढ़कर सुनाता हूं :—

"41 (बाईस) उसमें साधारण तथा ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो कोई न्यायिक या अर्ध- न्यायिक कृत्य करने वाले किसी सविहित न्यायधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो···"

श्री के. लकप्पा : महोदय, यही नेरा व्यवस्था का प्रश्न था (**व्यवधान**)

प्रो मधु दंडवते : उहोंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने दान तथा वितरण के बीच अन्तर-सम्बन्ध की बात कही है। यदि वे इस प्रश्न का उत्तर देने में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है। मैं नियमों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा हूं।

प्रो. मधु दंडवते : यदि आप अपना विनिर्णय दे दें तो वह भविष्य में लोक सभा के सामने रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई विनिर्णय नहीं दिया है। मैंने भाग नियमों को पढ़कर सुनाया है।

प्रो. मधु दंडवते : आप न्यायालय के बारे में भूल जाइए। दान तथा सीमेंट वितरण के बीच क्या अन्तर-सम्बन्ध है। मैं वह प्रश्न पूछ रहा हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो उन्होंने बताई है।

प्रो. मधु दण्डवते : उन्होंने यह बताया है। उन्हें यह बताने दीजिए : (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए :

श्री के. लकप्पा : आप उन्हें अनुमति कैसे दे सकते हैं ? वे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं परन्तु अब आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। श्री तिवारी, आप उसी बात को दोबारा स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री के. लकप्पा : उन्हें क्या विशेषाधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह पूछने वाले आप कौन होते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई गलत बात नहीं है। आप इस पर उत्तेजित क्यों होते हैं ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने बताया है कि मैंने प्रश्न के भाग(ग) के अपने मूल उत्तर में इस प्रश्न का पर्याप्त रूप से उत्तर दे दिया है। यह राज्य सरकार का कर्त्तव्य है कि वह निम्नतम स्तर पर सीमेंट के वितरण के लिये नियम तथा निशिष्ट मार्ग-निर्देश तैयार करे।

प्रो. मधु दंण्डवते : आप यह कह दे वितरण के लिए केन्द्र से सीमेंट का कोई कोटा नहीं है। क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई मार्ग निर्देश हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई केन्द्रिय नियम नहीं हैं। यही बात उन्होंने बताई है। (व्यवधान)

श्री नारायण दत तिवारी : कोई केन्द्रिय नियम नहीं हैं (व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : उन्होंने कहा है कि कोई मार्ग निर्देश नहीं है, लेकिन मार्ग निर्देश हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में आ गया है आप इसका सत्यापन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : उन्हें यह कहने दीजिए कि सीमेन्ट वितरण के लिए कोई केन्द्रीय मार्ग निर्देश नहीं हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास रिकार्ड उपलब्ध है और हम इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या कहा गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मार्ग-निर्देश हैं। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मार्ग निर्देश हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, उन्होंने कहा है कि कोई मार्ग-निर्देश नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में अधिक चिल्लाने की जरुरत नहीं है। हमारे पास रिकार्ड है और हम जांच कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : उन्होंने कहा है कि कोई मार्ग-निर्देश नहीं हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : लेकिन कुछ मार्ग-निर्देश हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास रिकार्ड है···

प्रो. मधु दंडवते : जब हम सभा में बैठे होते हैं, तो हमें रिकार्ड नहीं देखना होता; हमें मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय, की ओर देखना होता है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास रिकार्ड है; जो भी कहा गया है वह रिकार्ड में रहेगा।

प्रो. मधु दंडवते : मैं चाहता हूं कि मंत्री यह स्वीकार करें कि केन्द्रीय मार्ग-निर्देश हैं, और उन्होंने कहा है कि···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी कहा गया है, वह इसका सभा की सम्पत्ति है। हम इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

स्वास्थ्य-वर्धक खाद्य पदार्थों का उत्पादन

*543. **श्री स्कारिया थामस :** क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ।

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो हमारे देश में स्वास्थ्य-वर्धक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती हैं और उनका कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे हमारे देश में स्वास्थ्य-वर्धक खाद्य पादार्थों के स्वदेशी उत्पादन के संवर्धन में रुकावट बन रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो स्वदेशी उत्पादकों की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इस बारे में कोई ठीक-ठीक विशिष्टियां नहीं हैं कि "स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों,, में क्या-क्या आता है । फिर भी, अधिक प्रोटीनयुक्त दुग्धयुक्त तथा माल्ट युक्त खाद्य पदार्थों को अधिकांशत: रूप से स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ माना जाता है । मैसर्स ग्लैक्सो लेवोरेटरीज (इन्डिया) लिमिटेड इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के उत्पादन में रत विदेशी मुद्रा त्रिनिमय अधिनियम के अधीन आने वाली एक मात्र कम्पनी है तथा इसने वर्ष 1981 में 11.50 लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन किया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

31 मार्च 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए उ. प्र. में यूरेनियम के निक्षेप

*546. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के विशाल निक्षेपों का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी नहीं । तथापि, यूरेनियम की विद्यमानता के सकेत नीचे लिखे क्षेत्रों में पाए गए हैं, जिनका अन्वेषण और आगे करना होगा :

1. सहारनपुर जिले में टिमली तथा उसके साथ के क्षेत्र ।
2. टिहरी जिले में ब्रिजरानी गाड़न्थारगांव ।
3. ललितपुर जिले में सोनराय-पिसनारी क्षेत्र ।

कृषि श्रमिकों के लिए कानून

*547. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री सूरज भान : क्या **श्रम मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 4 और 5 अगस्त, 1981 को हुए राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कृषि श्रमिकों के लिये विचारित कानून के मसौदे की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) उस कार्यकारी दल के निर्णय का ब्यौरा क्या है जिसने बाद में मामले का गहराई से अध्ययन किया था, और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों के क्या विचार हैं और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) केन्द्रीय कृषि श्रमिक विधान के मसौदे की मुख्य-मुख्य बातें न्यूनतम मजदूरी भुगतान, रोजगार की सुरक्षा, कृषि कल्याण निधि की स्थापना, कार्य-घंटों का विनियमन विवादों का निपटान करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करना और सांविधिक रोजगार गारन्टी, बोर्डों की स्थापना करना है।

(ख) व्यक्त किए गए भिन्न-भिन्न विचारों के कारण, कार्यकारी दल किसी मतैक्य पर सका ।

ग) राज्य-राज्य तथा एक राज्य के अन्दर भी स्थितियों में असमता के कारण समान कार्यान्वयन में कठिनाइयां व्यक्त की गई हैं। कार्यकारी दल ने पहले ही इस पर विचार है और सरकार ने अभी अन्तिम दृष्टिकोण बनाना है।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि

548. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क) क्या गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है

ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है और क्या सरकार इस वर्ष भी उत्पादन लिए कोई योजना तैयार कर रही है; और

ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

द्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

ख) और (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा एकत्र औद्योगिक उत्पादन (आधार 1970=100) के अस्थायी आंड़ों में वर्ष 1979-80 की अपेक्षा वर्ष 1980-81 के दौरान 4.0% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार द्वारा किये गये अनेक उपायों के फलस्वरूप अप्रैल-दिसम्बर, 1980 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर, 1981 की अवधि के आंकड़ों में 9.4% की अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

औद्योगिक उत्पादन में पहले की गति बनाये रखने एवं आर्थिक वृद्धि की गति में और ाने के लिए सरकार पिछड़े क्षेत्रों में चुनी हुई क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने, के लिये निदेशानुसार मार्ग दर्शन प्रदान करने तथा औद्योगिक एकक लगाने के लिए न देने के अनेक उपायों पर विचार कर रही है। उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन लिए नीति विषयक सभी तंत्र और प्रक्रिया सम्बन्धी प्रणालियां अपनाई जा रही हैं।

बूंदी में एक सुपर सीमेंट संयंत्र और राजस्थान में नए संयंत्री की स्थापना

*549. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम, सीमेंट की 25 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक सुपर सीमेंट संयंत्र बूंदी में स्थापित करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और उस में कुल कितनी पूंजी लगेगी, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और इसमें उत्पादन कब से शुरू होगा;

(ग) राजस्थान में उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां सीमेंट के नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं और उनका कार्य इस समय किस चरण में है; और

(घ) इनमें उत्पादन कब तक शुरू हो जाने की संभावना है तथा इनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आएगी और प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 25 लाख मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने की संभाव्यता का पता लगा रहा है।

(ग) और (घ) राजस्थथान में सीमेंट संयत्र स्थापित करने के लिए स्वीकृत क्षमता के बारे में जानकारी देने वाला एक विवरण सभापटल रखा जाता है। परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

राजस्थान में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वीकृत क्षमता के बारे में जानकारी देने वाला विवरण

क्र. सं. तथा नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी. टन)	आशयपत्र जारी करने के लिए आवेदन में प्रस्तादित पूंजीगत निवेश (रु. लाखों में)	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	2	3	4	5
1. स्ट्रा प्राडक्ट्स नई दिल्ली	बनास, जिला सिरोही	5.00	3924	औद्योगिग लाइसेंस 10.11. 1981 को जारी किया गया तथा 1982-83 के दौरान उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।
2. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, जयपुर	अवरोद, अखरा, जिला-सिरोही	0.66	323	आशय-पत्र 20 .9. 1979 को जारी कर दिया गया था।
3, एम. एस. राजपुरोहित	पिंडीवाड़ा, जिला	0.66	332	आशय-पत्र27.8.1980 को जारी कर दिया गया था।

1	2	3	4	5
4. कौशलचन्द सुराणा	आबू रोड जिला-सिरोही	4.00	1045	आशय पत्र 31.3.1981 को जारी किया गया
5. जनरल इण्डस्ट्रियल सोसाइटी	रेवादर, जिला-सिरोही	1.00 (सफेद सीमेंट)	690	आशय पत्र 3 .12 81 को जारी किया गया।
6. स्वदेशी सीमेंट लि.	कोटपुतली, जिला जयपुर	0.66	323	औद्योगिक लाइसेंस 10.11.1981 को जारी किया गया था वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया गया था।
7. राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल	जयतारन, जिला-पाली	0.66	323	आशय पत्र 20.9.1979 को जारी किया गया था।
8. —वही—	बिलारा, जिला-जोधपुर	0.66	323	आशय पत्र 20.9.79 को जारी किया गया था।
9. —वही—	कुशलगढ़, जिला-बांसवाड़ा	0.66	323	आशय पत्र 20.9.1979 कोजारी किया गया था।
10. —वही—	गोतन, जिला-नागौर	0.66	366	आशय पत्र 27.8.1980 को जारी किया गया था।
11. श्री सीमेंट लि.	ब्यावर, जिला-अजमेर	12.00	5220	आशय पत्र 9.1.1980 को जारी किया गया था।
12. जे. के. सिन्थेटिक्स	निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़	0.50 (सफेद सीमेंट)	531.5	आशय पत्र 24 मार्च, 1979 को जारी किया गया था।
13. —वही—	—वही—	4.20	1350	आशय पत्र 13.5.1981 को जारी किया गया था।
14. —वही—	शम्भू पुरा, जिला-चित्तौड़गढ़	6.00	367	आशय पत्र 18.4.1981 को जारी किया यगा था।

1	2	3	4	5
15. चन्द्र प्रकाश कनोई	—वही—	4.20	3200	आशय पत्र 31.3.1981 को जारी किया गया था।
16. बिरला सीमेंट वर्क्स	जिला-चित्तौड़गढ़	3.30	1980	आशय पत्र 21.5.1981 को जारी किया गया था।
17. जैनिथ स्टील पाइप्स एण्ड इण्डस्ट्रीज	तहसील-बेगुन, जिला चित्तौड़गढ़	5.00	3500	आशय पत्र 14.5.1981 को जारी किया गया था।
18. दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल	तहसील-लाडपुरा जिला-कोटा	2.00	1000	आशय पत्र 11.7.1980 को जारी किया गया था।
19. जे. के. सिन्थेटिक्स लि.	दिगोड़, जिला कोट	4.20	1650	आशय पत्र 27.8.1980 को जारी किया गया था।
20. हिन्दुस्तान सुगर मिल्स	जिला उदयपुर	4.00	1200	आशय पत्र 9.12.1980 को जारी किया गया था।

भविष्य निधि से निकाली जाने वाली धनराशि

*550. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए भविष्य निधि से निकाली जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है और यह बढ़ौतरी किस तारीख से लागू हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे परिवर्तन विचाराधीन हैं और शीघ्र ही लागू होंगे ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी: वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) गृह मन्त्रालय, सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं), अंशदायी भविष्य निधि (भारत) तथा अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) की भी व्यवस्था करता है। विभिन्न मन्त्रालयों तथा संगठनों द्वारा व्यवस्थित भविष्य निधियाँ सामान्य रूप से सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमों के पेटर्न का अनुसरण करती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान मकान बनाने तथा मोटर कारों की मरम्मत/ओवर हालिंग

के प्रयोजनों के लिए निकाली जाने वाली धनराशि से सम्बन्धित प्रक्रिया को उदार बना दिया गया है। गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए निकाली जाने वाली धनराशि के मामले में अभिदाता के अधिक 75 महीने के वेतन अथवा 1.25 लाख रुपये, इनमें जो भी कम हो, के आहरण से सम्बन्धित मार्च, 1980 से पूर्व विद्यमान शर्त की यह व्यवस्था करने के लिए हटा दिया गया था कि एकल रूप में अथवा गृह निर्माण के प्रयोजनों के लिए आवास तथा निर्माण मंत्रालय की योजना के अधीन अग्रिम धनराशि तथा/अथवा किसी सरकारी स्रोत से किसी सहायता सहित आवास तथा निर्माण मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम लागत की अधिकतम सीमा तक धनराशि निकालने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, विभिन्न वेतन श्रेणियों (रेंज) हेतु लागत की विभिन्न अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिसमें अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये है।

मोटर कारों की मरम्मत/ओवर हालिंग के संबंध में उस समय की विद्यमान 3000 रुपये की सीमा को जून, 1980 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है।

इस समय कोई भी अन्य उदारीकरण विचाराधीन नहीं हैं।

आंध्र प्रदेश के लिए लघु सीमेंट संयंत्र

*551. **श्री अनन्त रामुलू मल्लू** : क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण समा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में देश में कितने लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित किये गये थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिये आंध्र प्रदेश राज्य से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :

(क) 1979-80 —एक
1980-81 —कोई नहीं

(ख) से (ग) 1981 82 के दौरान मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से 15 आवेदन पत्र आशय पत्रों की स्वीकृति के लिए और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 3 आवेदन पत्रों पर स्वीकृति दे दी गई है जिनमें से एक आशय पत्र की स्वीकृति के लिए और 2 तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण के लिए थे। जिन आवेदन पत्रों पर स्वीकृति दी गई है उनका विवरण निम्नलिखित है :—

	पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता (मी. टन) वार्षिक
1.	श्री वी. एम. दयाशंकर, हैदराबाद	सदाशिव नगर जिला कुरुनूल	66,000 (आशय पत्र)

1	2	3
2. श्री वी. रमेश रेड्डी, हैदराबाद	तहसील नगर-जहीराबाद जिला मेडक	20,000 (तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण)
3. श्री टी. कोन रेड्डी, हैदराबाद	तहसील कोइल-कुन्तला जिला कुरुनूल	20,000 (तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण)

शेष 12 आवेदन पत्रों में से 11 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए और एक आवेदन पत्र तकनीकी विकास के महानिदेशालय में विचाराधीन है।

राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सहायता

*552. **श्री जय नारायण रौत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष सपायता देने का सरकार का क्या विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) और (ख) राजस्थान को पिछड़ेपन के आधार पर तरजीह दी जाती है, उसको दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्य में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों रेगिस्तानी क्षेत्रों और सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों जैसे कुछ प्रकार के पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए राजस्थान में कुछ विशेष कार्यक्रम भी है। इस राज्य को त्वरित जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भी अतिरिक्त सहायता मिलती है।

न्यूक्लियर पयूल काम्पलेक्स द्वारा खुले स्थान पर स्क्रैप का कथित ढेर लगाया जाना

*553. **श्री सुभाष यादव** :

श्री जगपाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 1932 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित उस समाचार की ओर ध्यान दिया है जिसमें यह बताया गया है कि हैदराबाद के समीप 'इंडियन न्यूक्लियर पयूल काम्पलेक्स' अपने स्क्रैप का खुले स्थान पर ढेर लगाता जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत एक वर्ष के दौरान इस प्रज्वलनशील स्क्रेप को छूने से अनेक व्यक्तियों और बच्चों की मृत्यु हो गई है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हैदराबाद स्थित नाभिकीय इंधन सम्मिश्र के प्रचालन के दौरान, जरकोनियम युक्त धातुमिश्र बनाने वाले संयंत्र में खरादों से उस धातुमिश्र का बारीक बुरादा निकलता है और

चूरे के रूप में स्क्रैप निकलता है। यह स्क्रैप, जो कि रेडियो ऐक्टिव नहीं होता, स्वत: ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे जलाना आवश्यक हो जाता है। इस सामग्री को जलाने का काम नाभिकीय इंधन सम्मिश्र के बाड़ से घिरे क्षेत्र में नियमित रूप से किया जाता है। 24-3-81 को भी यह स्क्रैप सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जलाने के लिये ले जाया गया था। स्क्रैप के ज्वलनशील होने के कारण उसमें अचानक आग लग गई, जो तेजी से फैल गई। उस समय वहां उपस्थित लोगों में से कुछ जल गए, जिनमें से एक स्त्री तथा तीन बच्चो की मृत्यु हो गई। अब जरकोनियम स्क्रैप को एक सुरक्षा-क्षेत्र में जलाया जाता है, जहां जनता नही पहुंच सकती।

जहां तक उन दो बच्चों की मृत्यु का प्रश्न है, जिसका कारण 6-3-1982 को दुर्घटनावश लगी आग से जलना बताया जाता है, राज्य पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डिस्ट्रिक्ट क्लेक्टर ने मैजिस्ट्रेट-स्तर पर जांच का आदेश भी दिया है। परमाणु ऊर्जा विभाग की सुरक्षा समीक्षा समिति भी इस मागले की जांच कर रही है।

जबकि इस बारे में की जा रही खोजबीन/जांच के परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि इन घटनाओं का सम्बन्ध रेडियो-एक्टिव सामग्री से नहीं था। रेडियो-एक्टिव सागग्री को कभी भी फैंका नहीं जाता, बल्कि उसका निपटान अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर स्वीकृत प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

मृतकों के परिवारों को मार्च, 1981 तथा मार्च, 1982 में मुआवजा दिया जाने के अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यवाई भी की जा रही है, ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो :—

(i) अपशिष्ट पदार्थों/स्क्रैप का निपटान नियमित रूप से करना, ताकि वह बेकार इकट्ठा न हो;

(ii) बाहर फैंके गए ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को, जिनके कारण मार्च, 1982 में दुर्घटना हुई थी, हटाकर ऐसे क्षेत्रों में ले जाना, जो सुरक्षा के लिए बनाई गई बाड़ से घिरे हैं;

(iii) सभी अपशिष्ट पदार्थों का (सिवाय उनके जो बाहर की पार्टियों को बेच दिए गए हैं) निपटान केवल ऐसे क्षेत्रों में करना, जो सुरक्षा के लिए बनाई गई बाड़ से घिरे हैं;

(iv) स्क्रैप तथा अपशिष्ट पदार्थों को सुरक्षापूर्वक उठाने धरने, इकट्ठा करने तथा उनका निपटान करने के अनुमोदित तरीकों का पालन सख्ती से करना।

(v) नाभिकीय इंधन सम्मिश्र में आग बुझाने की व्यवस्था पर पुनर्विचार करना।

बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के स्थल के बारे में अध्ययन

*554. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़े और मध्यम दर्जे के उद्योगों के स्थलों के बारे में हाल में किये गये विश्लेषण के क्या परिणाम रहे;

(ख) देश में औद्योगिक स्थल सम्बन्धी सरकारी नीति में क्या परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) क्षेत्रीय असंतुलन ठीक करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) विश्लेषण से यह पता चला है कि देश के अनेक जिलों में कोई भी बड़ा या मझौला औद्योगिक एकक नहीं है। ऐसे जिलों की एक सूची संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार की उद्योगों की स्थापना स्थल सम्बन्ध नीति का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन में सुधार करना तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकरण करना है। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण अभ्युपाय किए गए हैं :—

1. 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले महानगरीय शहरों के मानक शहरी क्षेत्र में तथा 5 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की नगरपालिका सीमा में आगे औद्योगिक कार्यकलाप बढ़ाने के लिए कोई भी नया लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा है।

2. पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों को गोवा तथा पांडिचेरी के लिए विशेष छूट दी गई है। यद्यपि क्षमता सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अन्य क्षेत्रों में नये औद्योगिक एककों को लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं तो भी उपर्युक्त अल्प-विकसित राज्यों/क्षेत्रों को कुछ आधारभूत उद्योग प्रदान करने के लिए उनके आवेदनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3. लाइसेंसिंग के मामले में "उद्योग रहित जिलों" में नये औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए आवेदनों को अधिकाधिक प्राथमिकता दी जा रही है। एतत्पश्चात् प्राथमिकता का क्रम निम्न प्रकार है :—

1. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य/संघशासित प्रदेश में अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र/जिला।
2. औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्य/संघ शासित प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्र/जिला।
3. औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य/संघ शासित प्रदेश में गैर-पिछड़ा क्षेत्र/जिला।
4. औद्योगिक दृष्टि से उन्नत राज्य/संघशासित प्रदेश में गैर-पिछड़ा क्षेत्र/जिला।

5. अनेक सहायक उद्योगों वाले मूल संयंत्रों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की प्रणाली को अपनाया जा रहा है।

6. अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में स्थापित औद्योगिक एककों को अचल पूंजीगत निवेश पर 15 प्रतिशत की दर से 15 लाख रुपये तक की केन्द्रीय निवेश राजसहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य के मामले में 20 लाख रुपये तक राजसहायता की दर 20 प्रतिशत है।

7. रेल शीर्षों से कच्चे माल को चुने हुए क्षेत्रों के औद्योगिक एककों के स्थापना स्थल तक ले जाने और तैयार माल को रेल शीर्षों तक लाने पर व्यय होने वाली राशि के 50 प्रतिशत तक परिवहन राज सहायता चुने हुए क्षेत्र के एककों को दी जाती है।

विवरण

उन जिलों के नाम, जिनमें कोई भी बड़ा तथा मझौला उद्योग नहीं है।

1. बिहार
   1. पुर्णिया
   2. सहरसा
   3. औरंगाबाद
   4. भोजपुर
   5. नालंदा

2. हिमाचल प्रदेश
   1. कुल्लू
   2. कांगड़ा
   3. चाम्बा
   4, लाहौल और स्पीति
   5. किन्नौर
3. जम्मू और कश्मीर
   1. कूपवाड़ा
   2. पूंछ
   3. डोडा
   4. लद्दाख
   5. पुलवामा
   6. ऊधमपुर
   7. राजौरी
4. मध्य प्रदेश
   1. छतरपुर
   2. सिधी
   3. छिंदवाड़ा
   4. बालाघाट
   5. सिवेनी
   6. टीकमगढ़
   7. गुना
   8. नरसिंहपुर
   9. छाबु
   10. पन्ना
   11. मंडला
   12. धार
   13. सुरगुजा
   14. भिण्ड
   15. दतिया
   16. शिवपुरी
   17. दमोह
5. मणिपुर
   1. मणिपुर (सेंट्रल)
   2. मणिपुर (उत्तरी)
   3. मणिपुर (पश्चिम)
   4. मणिपुर (दक्षिण)
   5. तैंगनुपाल
6. मेघालय
   1. पूर्वी गारो हिल्स
   2. पश्चिमी गारोहिल्स
   3. जेन्तिया हिल्स
7. नागालैंड
   1. त्यूनसंग
8. उड़ीसा
   1. बालासौर
   2. बोलनगीर
   3. फुलबनी
9. राजस्थान
   1. टौंका
   2. बांसवाड़ा
   3. सिरोही
   4. सीकर
   5. जैसलमेर
10. सिक्किम
   1. गंगटोक
   2. मंगमी
   3. ग्यालसिक
   4. नामची
11. त्रिपुरा
   1. त्रिपुरा उत्तरी (26 चाय बागान)
   2. त्रिपुरा दक्षिण (2 चाय बागान)
   3. त्रिपुरा पश्चिमी (26 चाय बाग)
12. उत्तर प्रदेश
   1. बांदा
   2. पौड़ी गढ़वाल
   3. हमीरपुर
   4. उत्तरकाशी
   5. सुल्तानपुर
   6. फतेहपुर
   7. चमौली
   8. जौनपुर

9. टिहरी गढ़वाल
10. जालौन

13. पश्चिम बंगाल
1. कूच बिहार
2. दार्जिलिंग
3. मालदा
4. बांकुरा
5. जलपाईगुड़ी

14. अरुणाचल प्रदेश
1. कामेंग
2. सौनसारी
3. सियंग
4. टिरप

15. दादर तथा नागर हवेली

16. मिजोरम
1. ऐजावल
2. लुगलाई

17. असम
1. लक्सीमपुर
2. उत्तर कछार हिल्स

18. कर्नाटक
1. बीदर

हिमाचल प्रदेश में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

*555. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों पर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है; और

(ख) उसके मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1979-80 और 1980-81 क्षेत्रगत सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश के चम्बा किन्नौर और लाहौल-सीटी जिलों में 4245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया। शिमला जिले में सीमेंट श्रेणी के चूना-पत्थर, सिरमूल जिले में रासायनिक श्रेणी के चूना-पत्थर, मंडी जिले में मिट्टी (धन), सिरमूल जिले में बैराइट और चम्बा जिले में सेट के लिए की गई खनिज चीजों से 550 मिनियम टन सीमेंट श्रेणी चूना-पत्थर, 23.87 मिलियन टन रासायनिक श्रेणी चूना-पत्थर और 40,000 टन मिट्टी (को) के भंडार होने के संकेत मिले हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

*556. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के वर्तमान सदस्य कौन कौन हैं और इसके कृत्य क्या हैं;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये इस समिति ने कोई व्यापक योजना शुरू की है और इसे योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उच्च शक्ति प्राप्त समिति के वर्तमान सदस्य निम्नलिखित हैं :—

(i) श्री एन. आर. लास्कर गृह राज्य मंत्री	संयोजक
(ii) डा. चरन जीत चानना, औद्योगिक विकास राज्य मंत्री	सदस्य
(iii) श्री एस. एस. सिसोदिया, वित्त राज्य मंत्री	सदस्य
(iv) डा. एम. फजल, सदस्य योजना आयोग	सदस्य
(V) श्री आर. वी. स्वामीनाथन, कृषि राज्य मन्त्री	सदस्य
(vi) श्री के. पी. सिंह देव, रक्षा उप-मंत्री	सदस्य

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेष आमंत्रित भी सहबद्ध होते हैं :—

(i) श्री पी. के. थुंगन, शिक्षा उप मन्त्री

(ii) श्री पी. ए. संगमा, वाणिज्य उप मन्त्री

(ख) तथा (ग) समिति क्षेत्र के संसाधनों और आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर विकास की व्यापक नीति की जाँच करती है। समिति अपनी ओर से कोई विकास योजनाएं तैयार नहीं करती है। उसके पास किसी योजना की वित्त व्यवस्था करने के लिए कोई धनराशि भी नहीं है। इसका कार्य विकास संबंधी निरीक्षण द्वारा सलाह देना और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कठिनाइयां दूर करके, और परियोजनाओं की जांच और मूल्यांकन करके योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में मदद करना है।

भारत में बाल श्रमिक

*557. **श्री मुकन्द मंडल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल श्रमिकों के बारे में भारत अन्य सभी देशों से आगे है; और

(ख) बाल श्रमिक के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विभिन्न देशों में बाल श्रमिकों के बारे में नवीनतम आंकड़े आई. एल. ओ. ईयर बुक आफ लेबर स्टेटिस्टिक्स, 1977 में उपलब्ध हैं, इन आंकड़ों के अनुसार, भारत में पन्द्रह वर्ष से नीचे के आयु वर्ग की कुल जनसंख्या की तुलना में बाल श्रमिकों की प्रतिशतता 4.7 है, जो कुछ देशों की अपेक्षा कम है।

(ख) यद्यपि देश में विद्यमान सामाजिक आर्थिकदशाओं को देखते हुए बाल श्रम पद्धति को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का निरन्तर प्रयास रहा है कि परिस्थितियों से मजदूर होकर कार्य कर रहे बालकों का शोषण न

किया जाए और वे बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थितियों में कार्य कर सकें। सरकार ने श्रमजीवी बालकों के लिए क्षेत्रीय अभिकरणों के माध्यम से चलाई जाने वाली कल्याण परियोजनाएं तैयार की हैं।

भारतीय साइकिल निगम लि. में नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित किया जाना

*5:8. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम भारतीय साईकिल निगम लि. ने अपने सभी एककों में नैमित्तिक श्रमिकों को समाजित करने के लिए किन्हीं योजनाओं को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय साइकिल निगम लि. के सभी एककों में इन योजनाओं को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ग) क्या ऐसी किसी योजना को इसके (निगम के) कल्याण एकक में क्रियान्वित करने के लिए उपयुक्त यूनियन से परामर्श करके महीनों पहले अन्तिम रूप दे दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय साइकिल निगम लि. के प्रबन्धकों के सामने इसे क्रियान्वित करने में क्या कठिनाई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कम्पनी की जरूरतों तथा उत्पादन के ऊंचे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कल्याणी वर्क्स द्वारा आकस्मिक मजदूरों को प्रावस्थाबद्ध रूप में खोने की योजना बनाई गई है। इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि मजदूरों की यूनियन इस भाँति प्रावस्थाबद्ध रूप में खपाये जाने पर सहमत नहीं है अपितु वह उत्पादन बढ़े बिना ही कर्मचारियों को तुरन्त काम में लगाये रहने पर जोर दे रही है। कारपोरेशन के अन्य एककों में कोई भी आकस्मिक कामगार नहीं हैं।

जेलों में साधारण अपराधियों को कुख्यात अपराधियों के साथ रखना

*559. **श्री तारिक अनवर** :

श्री मूल चन्द डागा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की जेलों में स्थान की कमी के कारण साधारण अपराधियों को कुख्यात अपराधिशों के साथ रखा जाता है जिसके परिणामस्वरूप सुधरने की बजाय वे खतरनाक अपराधी बन जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जिन अपराधियों को लम्बी अवधि के कारावास की सजा दी जाती है, उन्हें सामान्यतः केन्द्रीय जेलों में रखा जाता है और जिन्हें कम अवधि की सजा दी जाती है उन्हें जिला जेलों में रखा जाता है। जहाँ संभव होता है, आदतन अपराधी कैदियों को भी दूसरे कैदियों से अलग रखा जाता है। आवास की कमी अथवा अलग संस्थाएं न होने के कारण, कभी-कभी विभिन्न प्रकार के इन सभी कैदियों को एक ही स्थान पर रखना पड़ता है, परन्तु फिर भी इन्हें अलग-अलग रखने का

हर सम्भव प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि साधारण कैदी आदतन अपराधियों के प्रभाव से खतरनाक न बन जाएं।

हालांकि जेलों का प्रशासन और रख रखाव प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है, फिर भी भारत सरकार उनको जेलों की दशा सुधारने के लिए तकनीकी सलाह और आर्थिक सहायता देती रहती है। उन्हें अन्य बातों के साथ ये सलाह दी गई है :—

(1) हिरासत की जरूरत को पूरा करने और विभिन्न श्रेणी के कैदियों के सुधार के लिए जेलों में परिवर्तन करना, जैसा आदर्श जेल मैनुअल में निर्धारित है।

(2) उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों को ध्यान में रखते हुए विचारणाधीन कैदियों के मामलों की जांच करके और उनके विरुद्ध शीघ्र छानबीन तथा जांच पड़ताल करके जेलों में भीड़ भाड़ कम करना।

जेल क्षमता बढ़ाने के लिये जैसे सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, उसके अनुसार ऐसे राज्यों को जहां आवास की निरन्तर कमी रही थी आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।

तेल ईंधन उत्पादन के लिए वनस्पति संसाधन

6055. **श्री अनादि चरण दास** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तेल ईंधन उत्पादन हेतु वनस्पति संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के नाम क्या हैं जहां अब तक ऐसे प्रयास शुरू किये गये हैं;

(ग) उपर्युक्त उद्देश्य हेतु उन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में जांच किये गये वनस्पतियों के नाम और उनकी किस्म क्या है; और

(घ) इस बारे में अब तक प्राप्त की गई सफलता का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिक पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी हां। हाइड्रो कार्बनों के उत्पादन से लिए, जिन्हें तेल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पादप संसाधनों को उपयोग में लाने के लिये अनुसंधान और विकास कार्य कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है।

(ख) जिन कुछ राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में यह कार्य किया जा रहा है, उनके नाम ये हैं : नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ; इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून; सैंट्रल साल्ट एण्ड मैरीन कैमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर; विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सैन्टर, त्रिवेन्द्रम और मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै।

(ग) और (घ) मुख्य रूप से यूफोर्बियेसी और एस्कले पियाडियेसी, कुलों से संबन्धित 45 पादप स्पोसीज का अध्ययन किया जाता है। जिन कुछ पादपों को बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए लिया गया है, वे यूफोर्बिया. पेडीलैथेस. जेट्रोफा आदि की स्पीसीज हैं। कुछ कार्य विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सैन्टर, त्रिवेद्रम में किया गया है ताकि अखाद्य तिलहनों से

पैट्रोल, डीजल प्राप्त किया जा सके। अखाद्य तेलों को पैट्रोल और कच्चे पैट्रोलियम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया की जानकारी का विकास किया गया है। स्थिर तल रिएक्टरों पर प्रौद्योगिकीय पैरा मीटरों का अध्ययन किया गया है। इस प्रक्रिया की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

आसाम त्रिपक्षी वार्ता

6056. **प्रो. मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 के अनुदेशों के मामले के कारण आसाम में 'विदेशियों' के मामले में त्रिपक्षी वार्ता संकट में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम आन्दोलन के छात्र नेताओं ने इन आदेशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार संवैधानिक वैधता के प्रश्न को न्यायिक प्राधिकरण का सौंपे जाने पर सहमत होकर इस विवाद को हल करेंगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 10 फरवरी 1982 को हुई संयुक्त बैठक के अन्तिम दौर में अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद ने इस बात का आग्रह किया है कि जब तक सरकार पूर्वी पाकिस्तान से आए आप्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के सम्बन्ध में जून, 1965 में जारी किये गये अपने अनुदेशों को रद्द अथवा वापिस नहीं लेती है तब तक विदेशियों के मामले में कोई समाधान उनको स्वीकार्य नहीं होगा।

(ग) मामले को न्यायिक प्राधिकारी को भेजने का प्रश्न नहीं उठता। अन्य मामलों के साथ इस मामले पर 7 अप्रैल, 1982 को होने वाली संयुक्त बैठक के आगामी दौरे में विचार विमर्श किया जाएगा।

मैसर्स बेदी एण्ड कंपनी (रजिस्टर्ड) कनाट प्लेस, नई दिल्ली के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

6057. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बेदी एण्ड कम्पनी (रजिस्टर्ड) कनाट प्लेस, नई दिल्ली में कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनका सेवा काल कितना है;

(ख) ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनकी भविष्य निधि का योगदान काटा जा रहा है और यह कटौती कब से की जा रही है;

(ग) क्या नियुक्ति की तिथि और कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान की तिथि में विभेद है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि मैसर्स बेदी एण्ड कं., कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्वैच्छिक आधार पर 1-4-1979 से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आ गई है। 30-11-81 की स्थिति के अनुसार, यह प्रतिष्ठान 8 कर्मचारियों को नियोजित कर रहा था, जिन्होंने 3 से 22 वर्ष तक की सेवा की है, तथा वे सभी 1-4-1979 से, अर्थात जिस तारीख से अधिनियम के उपबन्ध प्रतिष्ठान पर लागू हुए हैं, भविष्य निधि के सदस्य हैं।

(ग) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने अभी तक कोई त्रुटि नहीं पायी है, न ही इस सम्बन्ध में कोई शिकायत ही प्राप्त हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शोषित समाज विकास परिषद का ज्ञापन

6058. **श्री ए. नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शोषित समाज विकास परिषद् बादली, दिल्ली-42 का हाल में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) अगस्त, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान शोषित समाज विकास परिषद्, बादली द्वारा भेजे गये ज्ञापन के बारे में ब्यौरे और उन पर की गई कार्यवाही संलग्न विवरण में दिये जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3798/82]

गुजरात में भड़ोच जिले में आदिवासियों का उद्धार

6059. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में भड़ोच जिले के राज पीपला में राज पीपला समाज सेवा संघ द्वारा किये जा रहे आदिवासियों के उद्धार करने की जानकारी है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्वयं सेवी संगठन को अपना कार्य चलाने के लिये वित्तीय सहायता देने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रस्ताव की प्राप्ति पर वित्तीय सहायता देने पर विचार किया जा सकता है।

चीन द्वारा नागालैंड में उग्रवादियों को घातक हथियारों की सप्लाई करना

6060. **श्री नवीन रवाणी** : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि चीन द्वारा नागालैंड और आस-पास के क्षेत्रों में

उग्रवादियों को घातक हथियारों की सप्लाई की जा रही है क्योंकि हाल में चीन के लगे हुए निशान वाले हथियार पकड़े गए हैं;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान नागालैंड में चीन के बने हुए ऐसे निशान वाले पकड़े गये हथियारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने चीन से नागालैंड में हथियारों की तस्करी रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1980-81 के दौरान पकड़े गए कुछ हथियारों पर देखे गये निशान चीनी हथियारों पर लगे निशानों जैसे हैं जो विगत में भूमिगत नागाओं द्वारा प्रयोग किए गये थे। किन्तु सरकार को हाल में उत्तर-पूर्व में भूमिगतों को सीधी चीनी सहायता के किसी मामले की जानकारी नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के रोजगार के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम

6061. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए रोजगार की सम्भावनाओं वाला कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के कब तक लागू हो जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : छठी पंचवर्षीय योजना दस्तावेज जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यक्रम शामिल हैं, बेरोजगारी कम करने विशेषत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों में बेरोजगारी कम करने के लिए काफी बल दिया गया है। यद्यपि विशेष कम्पोनेंट योजना और जनजाति उप योजनाओं समेत योजना दस्तावेज में कार्यक्रमों और योजनाओं के ब्यौरे उपलब्ध हैं तथापि कुछ कार्यक्रम जिनमें इन ग्रुपों के लिए रोजगार की काफी संभावना है, में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पशुपालन और मत्स्य पालन संबंधी योजनाएं, और कृषि बन क्षेत्र, आपरेशन फ्लड-2 जिला उद्योग केन्द्र, संगठनों के कार्यक्रम जैसे राज्य चमड़ा निगम, हथकरघा विकास निगम हस्तशिल्प बोर्ड, के. वी. आई. सी. वन विकास निगम आदि शामिल हैं। ये कार्यक्रम और योजनाएं योजना अवधियों के दौरान कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

खादी ग्रामोद्योग आयोग में लाभ और हानि

6062 : **श्री निहालसिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों में खादी ग्रामोद्ययोग आयोग को अलग-अलग कितना लाभ हुआ और इसके कर्मचारियों को वार्षिक बोनस के तौर पर कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग को पिछले दो खालों के दौरान, चोरी, गबन इत्यादि के कारण कितना घाटा हुआ ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : संक्षेप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का कार्य खादी तथा ग्रामोद्योगों की योजना बनाना और उन्हें संगठित करना है ताकि सरकार द्वारा दी गई विधि से ग्रामीण कारीगरों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार मिले और वे जीवकोपार्जन कर सकें। यह आयोग मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से कार्य करता है। जिसके अन्तर्गत लगभग 800 संस्थाएं एवं 28,000 सहकारी समितियां हैं। इस प्रकार आयोग एक लाभ कमाने वाला संगठन नहीं है। आयोग के कर्मचारियों को वार्षिक बोनस नहीं दिया जाता है।

(ख) 1979-80 तथा 1980-81 की अवधि में आयोग को क्रमशः कमियों, चोरियों व आग लगने आदि के कारण लगभग 82, 226.99 तथा 7,581 89 रुपये मूल्य के साल का नुकसान उठाना पड़ा।

कृषि क्षेत्र के बंधुआ मजदूरों के बारे में सर्वेक्षण

6063. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में बंधुआ मजदूरों के बारे में पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया और उसके परिणाम क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या सरकार इस प्रकार का सर्वेक्षण करवायेगी और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख) पता लगाए गये मुक्त कराए गए तथा फिर से बसाए गये बंधुआ श्रमिकों की संख्या संबंधी विवरण अनुबंध में दिया गया है, ये आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा 31.1.82 की स्थिति के अनुसार भेजे गये हैं और उनके द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों को आधार मानकर निकाले गये हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पता लगाए गए, मुक्त कराए गये तथा फिर से बसाए गये बंधुआ मजदूर (31-1-82)

क्रमांक राज्य	बंधुआ श्रमिकों की संख्या							फिर से बसाए जाने वाले शेष बंधुआ मजदूर, जिनमें 1981 के दौरान पता लगाये गए नए बंधुआ मजदूर शामिल हैं।
	पता लगाए गए और मुक्त कराए गये।	अन्य चल रही योजनाओं के अंतर्गत	केन्द्रीय संचालित योजना के अंतर्गत अब तक फिर से बसाए गये बंधुआ श्रमिक					
			1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान	अंतर्गत आए कुल श्रमिक	
1. आंध्र प्रदेश	13399	2880	2920	1586	2268	913	10567	2832
2. बिहार	4958	952	816	369	1876	361	4374	584
3. गुजरात	42	42	—	—	—	—	42	—
4. कर्नाटक	62699	39960	527	1521	13436	61	55505	7194
5. केरल	1162	138	110	60	—	—	308	854
6. मध्य प्रदेश	1631	—	58	—	—	77	135	1396
7. उड़ीसा	7096	—	321	16	517	4938	5792	1304
8. राजस्थान	603	4256	700	700	344	36	6036	—
9. तमिलनाडु	27874	27311	—	—	359	—	27670	204
10. उत्तर प्रदेश	8753	1363	495	2606	500	3664	8633	120
	जोड़ 1,33,560	76,907	5,947	6,858	19,300	10,050	1,19,062	14,488

प्रत्येक राज्य में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करना

6064. **श्री बी. आर. नाहटा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने भविष्य में प्रत्येक राज्य में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापति करने पर विचार किया है, यदि नहीं, तो सरकार ऐसा कब तक करेगी ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री श्री सी. पी. एन सिंह : परमाणु बिजली घरों को उन स्थानों पर लगाना अर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य समझा जाता है जो कोयले की खानों से दूर हों और जहाँ जल-साधन काम में लाने केलिए उपलब्ध न हों, तथा परमाणु बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली पूरे क्षेत्र को दी जाती हो; न कि केवल उस राज्य को जिसमें वह बिजलीघर लगा हुआ है। परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए स्थलों के बारे में निर्णय उपर्युक्त आधार पर लिया जाता है, न कि इस दृष्टि से कि प्रत्येक राज्य में एक परमाणु विजलीघर लगाया जाना चाहिए।

चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में संशोधित वैगन सिंचाई परियोजना की मंजूरी

6065. **श्री कुष्ण कुमार गोयल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग ने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के लिये सशोधित वैगन सिंचाई परियोजना मंजूर कर दी है; यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) जी, हाँ। योजना आयोग ने राजस्थान की परिशोधित वैगन सिंचाई परियोजना को 550 लाख रु० की अनुमानित लागत से स्वीकार कर लिया है। इस परियोजना से 5210 हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी।

"देहली क्विज चीट्स अरेंस्टेड" शीर्षक से समाचार

6066. **श्री जितेन्द्रप्रसाद** :

श्री जगपाल सिंह : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 फरवरी, 1982 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "देहली क्विज चीट्स अरेस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ दिलाया गया है;

(ख) क्या इस बारे में जाँच के आदेश दिए गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जून, 1981 में थाना 'ओरिजनल रोड़ में कलकत्ता के एक व्यक्ति विजय कुमार से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि उसने मैसर्ज इन्डिया टेड एजेंसी, मानकपुरा, दिल्ली द्वारा स्टेटसमैन में विज्ञापित क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसका फर्म से छपा पत्र मिला कि उसने प्रतियोगिता में तीसरा सान्त्वना पुरस्कार जीता है और कम्पनी उनको, पैकेज, डाकखर्च और बीमा खर्च के लिए धनादेश द्वारा 60-50 रुपए भेजने पर एक मिक्सर-कम ग्राईंडर देगी। शिकायतकर्त्ता ने 25-4-81 को फर्म को 60.50 रुपये का धनादेश भेजा किन्तु उसको पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अधीन एक मामला

दर्ज किया गया और जाँच शुरू की गई । बाद में इसी प्रकार की अनेक शिकायतें विभिन्न नामों के अन्तर्गत चल रही ऐसी फर्मों के विरूद्ध प्राप्त हुई थी । अभियुक्त का बाद में 26-2-82 को शिदीपुरा के एक मकान में पता लगा लिया गया । अनेक फर्मों के नाम वाले बहुत से छपे हुए फार्म और बड़ी संख्या में पत्राचार, धनादेश फार्म और अन्य दस्तावेज पकड़े गये । मामले की जांच अभी चल रही है ।

बहुमूल्य धातुओं की अज्ञात खानों को खोलने का कार्यक्रम

(067. **श्री जी. बाई. कृष्णन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ भागों में सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं की अज्ञात खानों का पता लगाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो धातु का अपेक्षित वजन और उसका अनुमानित मूल्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हाँ ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत गोल्ड माइन्स लि०, खनिज गवेषण निगम तथा कुछ राज्य सरकारों के सहयोग से एक पंचवर्षीय (1980-85) स्वर्ण खोज कार्यक्रम बनाया है । कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड, हट्टी गोल्ड फील्ड और गदाग गोल्ड फील्ड तथा आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले और केरल के वाप्कट खनन क्षेत्रों में गवेषण पर विशेष ध्यान दिया गया है? बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के सम्पन्न भंडारों का भी गवेषण किया जा रहा है ।

अब तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुल 8.69 मिलियन टन स्वर्णधारी चट्टानों का आकलन किया गया है जिनमें 3.5 से 9.84 ग्राम प्रति टन सोना है । उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और केरल में भी कुछ स्वर्ण होने का पता चला है । इन स्रोतों से उपलब्ध होने वाले स्वर्ण के मौलिक मूल्य के बारे में अभी बताना संभव नहीं है ।

इस्पात उत्पादन का लक्ष्य और इसकी वास्तविक उपलब्धि

(068. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1981 तक इस्पात उत्पादन के वर्ष वार लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि क्या है;

(ख) वर्ष 1970 से 1981 तक देश में इस्पात उद्योग का वर्ष-वार क्षमता उपयोग का अनुपात क्या है; और

(ग) इस्पात उत्पादन के लक्ष्यों का पूरा न होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्यमत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1970-71 से वर्ष 1980-81 की अवधि में छः सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों (टिस्को भी शामिल है) के लिए निर्धारित किए गये विक्रेय इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धि और क्षमता के उपयोग का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

(हजार टन)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	प्रशिशत प्राप्ति	
			लक्ष्य	वार्षिक निर्धारित क्षमता
1	2	3	4	5
1970-71	—	4529	—	67.3
1971-72	5619	4484	79.8	66.6
1972-73	5473	4793	87.6	71.2
1973-74	5441	4353	80.0	64.7
1974-75	5044	4902	97.2	72.8*
1975-76	5700	5779	101.4	83.6*
1976-77	6465	6922	107 1	91.9*
1977-78	7373	6894	93.5	90.3*
1978-79	7676	6593	85.9	81.6
*1979-80	7405	6040*	81.6	69.4
*1980-81	7320	6283*	85.8	72.2
1981-82 (अप्रैल, 81 से फरवरी, 82)	7155	6501	909	81.5

** आर्द्ध-तैयार उत्पादों आदि के अन्तः संयत्र अन्तरण को निकालने के पश्चात् शुद्ध उत्पादन

* बोकारो इस्पात कारखाना, जो जेस्टेशन/निर्माणधीन है, के उत्पादन और क्षमता को छोड़कर ।

(ग) पिछले 3-4 वर्षों में अवस्थापना सुविधाएं पर्याप्त न होने के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके हैं ।

श्रेणी I तथा II के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक घरानों के शेयर/ऋण-पत्र खरीदने के लिए पूर्व अनुमति

6069. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे आदेश हैं जिनके अन्तर्गत उद्योग (डी. जी. टी. डी. सहित) वाणिज्य (सी. सी. आई. आर्गेनाइजेशन सहित) वित्त और पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालयों जैसे औद्योगिक गृहों के मामले देखने वाले विभिन्न मत्रालय में कार्य कर रहे श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों को उन औद्योगिक गृहों जिनके मामले वे निपटाते हैं द्वारा जारी आकर्षक शर्तों पर जारी किए गए शेयर/ऋण-पत्र खरीदने के लिये पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है या कम से कम अपने मंत्रालयों को सूचित करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं;

(ग) क्या कुछ औद्योगिक गृहों ने बहुत आकर्षित शर्तों पर ऋण-पत्र जारी किए हैं और उक्त मंत्रालयों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने आवेदन किया है और ये ऋण पत्र निदेशकों के विशेष कोटे से जारी किए गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो अपने नाम में या अपने परिवार के सदस्यों के नाम में चालू वर्ष में ऋण-पत्र और बोनस तथा अन्य प्रिफेन्शियल शेयरों के पाने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और ये कौन से औद्योगिक गृहों से खरीदे गए हैं, जिनके मामले वे निपटाते हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) :(क) तथा (ख) सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने नाम में अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में शेयरों, ऋण पत्रों आदि सहित चल सम्पत्ति के संबंध में सभी प्रकार की लेन-देन की सूचना एक महीना के भीतर दे दे यदि ऐसे लेन-देन का मूल्य समूह "क" और "ख" अधिकारियों के लिए 2000/- रुपए और समूह "ग" तथा "घ" अधिकारियों के लिए 1000/ रूपये से अधिक हो। यदि ऐसा लेन देन किसी ऐसे व्यक्ति से की जाए जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ सरकारी सबंध हो अथवा किसी नियमित और प्रतिष्ठित व्यापारी के अलावा किसी अन्य माध्यम से की जाये, तो सूक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है। इस संबंध में सूचना विभिन्न प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा रखी जाती है।

(ग) ऋण-पत्र जारी करने अथवा अलग-अलग अधिकारियों द्वारा उसकी खरीद करने के संबध में सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा न तो रखी जाती है न केन्द्रीय रूप में मानिटर ही की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्रम मंत्रालय में पदोन्नति के मामले में असंगतियां

60. **श्री केशव राव पारधी** : क्या श्रम मन्त्री श्रम मन्त्रालय में पदोन्नति के मामले में संगतियों के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4460 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मत्रालय के द्वारा अपनाई गई गलत पदोन्नति नीति के कारण अन्य सहायक भी प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार अतीत में उनके दावों की अनदेखी किये जाने के कारण उनकी क्षतिपूर्ति करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

31 मार्च, 1982 को होने वाली सदन की बैठक के लिए इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड में लिपिक का रिक्त स्थान

6071. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशनम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मानवाला कुरीची, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में कोई लिपिक का पद एक साल से अधिक समय से स्थायी तौर पर रिक्त है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पद को न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

लोहा और इस्पात के कुछ मदों से मूल्य नियंत्रण हटाया जाना

6072. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोहे और इस्पात की कुछ मदों से मूल्य नियन्त्रण हटा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी उद्योग पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात के मूल्यों पर कोई कानून नियत्रण नहीं है। संयुक्त संयत्र समिति द्वारा समय-समय पर इन मूल्यों की घोषणा की जाती है। 9 फरवरी, 1981 से उत्पादको को टिन प्लेटों के मूल्य और 24 फरवरी, 1981 से मुख्य उत्पादकों को अर्द्ध-तैयार उत्पादनों, छड़ों तथा गोल छड़ों के मूल्य स्वयं निश्चित करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) मुख्य उत्पादकों और व्यापारियों ने नियंत्रण हटाने का स्वागत किया है। निर्माण करने वाले कुछ वर्गों तथा पूनर्बेलन उद्योग की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं थी।

दक्षिण ध्रुव प्रदेश अन्टार्कटिका का दूसरा अभियान

6073. **श्री के. प्रधानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण ध्रुव प्रदेश के लिए दूसरा भारतीय अभियान कब शुरू करने का विचार है;

(ख) क्या दक्षिण ध्रुव प्रदेश के वैज्ञानिक अभियान करने वाले दल के सदस्यों का चुनाव कर लिया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास दूसरे अभियान में कुछ महिला वैज्ञानिकों को भेजने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) अंटार्कटिका के आगामी ग्रीष्मकाल में अंटार्कटिका महाद्वीप के लिए अगले अभियान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) दल के सदस्यों का चुनाव अभी अन्तिम रूप से नहीं हुआ है।

(ग) अगले अभियान में महिला वैज्ञानिकों के भाग लेने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधान लिपिकों और निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति।

(074. **श्री एन. ई. होरो** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितने सहायकों की पदोन्नति प्रधान लिपिकों के पद पर की गई और कितने प्रधान लिपिकों को भविष्य निधि निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया;

(ख) उपर्युक्त दो कार्यालयों में वर्ष 1979-80 .980-8: और 1981-82 में वर्ष-वार सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कितने कर्मचारियों को प्रधान लिपिकों और भविष्य निधि निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया; और

(ग) क्या ये पदोन्नतियां केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप थीं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म वीर) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :—

(क) केन्द्रीय कार्यालय के किसी सहायक को प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। तथापि, दो कर्मचारियों को, जिन्होंने सहायक। प्रधान लिपिकों की विभागीय परीक्षा /उत्तीर्ण की, केन्द्रीय कार्यालय में सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें प्रधान लिपिकों के रूप में तैनात किया गया एक को वर्ष 1980-81 में क्षेत्रीय कार्यालय, विहार में और दूसरे को वर्ष 1981-82 में क्षेत्रीय कार्यालय, तमिलनाडु में। केन्द्रीय कार्यालय में भविष्य निधि निरीक्षक का कोई पद नहीं है। दिल्ली क्षेत्र में प्रधान लिपिकों के पदों से भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-2) के पदों पर पदोन्नत हुए व्यक्तियों की संख्या वर्ष-वार निम्नानुसार है।

1979-80	1980-81	1981-82
—	5	1

(ख) क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में विभिन्न वर्गों में प्रधान लिपिकों के रूप में पदोन्नत हुए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1979-80	—	—	—
1980-81	8	1	1
1981-82	8	—	—

क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली में विभिन्न वर्गों में भविष्य निधि निरीक्षक (ग्रेड-2) के रूप में पदोन्नत हुए प्रधान लिपिकों की संख्या निम्नानुसार है :—

	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1979-80	—	—	—
1980-81	4	1	—
1981-82	1	—	—

(ग) जी हां, पात्र उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर

मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के शो रूम की बिक्री

6075. **श्री विजय कुमार यादव :**

श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 2 मार्च, 1982 को मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के शो रूम की बिक्री से सम्बन्धित धोटाले में एक व्यापारी और उसका सालिसिटर गिरफ्तार किए गए;

(ख) क्या उनका ध्यान 3 मार्च, 1982 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रायल तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) उनको क्रमशः 7 फरवरी और 6 फरवरी, 1982 को गिरफ्तार किया गया था।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य टैक्सटाईल निगम लि. और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम के पास सं. 10-ए, सिंधिया हाऊस, नई दिल्ली में ग्वालियर पोटरीज के नाम से एक एम्पोरियम है। परिसर के मालिक ने यह आरोप लगाते हुए परिसर को खाली करने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था कि परिसर को पुनः किराये पर दिया गया है। परिणामस्वरूप भवन के मालिक ने मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, भोपाल के सर्वश्री एम. सी. मोहन और आर. सी. शर्मा द्वारा जारी किये गये प्राधिकार के आधार पर परिसर का कब्जा ले लिया था। पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है कि उक्त अधिकारियों द्वारा दिया गया प्राधिकार जाली और अवैध था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन 17-1-82 को परिसर को सील कर दिया गया है। भा. दं. सं. की धारा 448/34/420/380/120 ख के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।

मैट्रिक पूर्व और बाद की छात्रवृत्तियों के बारे में शिकायतें दूर करना

6076. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) अम्बेडकर भवन, नई दिल्ली की ओर से दिनांक 14 सितम्बर, 1981 का एक अभ्यावेदन केन्द्र

शासित प्रदेश दिल्ली में मैट्रक-पूर्व और बाद की छात्रवृत्तियों के बारे में शिकायतें दूर करने के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त एसोसिएशन ने छात्रवृत्तियों को नामंजूर करने के अनेक मामले उप शिक्षा निदेशक (छात्रवृत्ति अनुभाग) दिल्ली प्रशासन को भेजे जिन्हें बाद में मंजूर कर लिया गया; और

(ग) यदि हां, तो बिना किसी औचित्य के आवेदन पत्रों को नामंजूर करने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मुन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार पात्र अनुसूचित जाति के छात्रों के किसी आवेदन पत्र को रद्द नहीं किया गया है। तथापि छात्रवृत्ति के लिए कुछ आवेदन पत्रों पर पूर्ण सूचना/कागजात आदि के लिए अभी पत्राचार किया जा रहा है। यहां तक कि दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1980-81 के लिए पी. एम. एस. छात्रवृत्ति के लिये निर्धारित अंतिम तारीख को हटा दिया था और बाद में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया और आवेदन पत्रों को प्राप्त करने दिया गया अन्यथा जिन्हें रद्द कर दिया गया होता। चूंकि शेष आवेदन पत्र छात्रों द्वारा अपर्याप्त सूचना देने के कारण लम्बित है अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रन्न नहीं उठता।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल आसाम राइफल्स, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति

C077. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, आसाम राइफल्स, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रत्येक में जवानों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक बल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनका प्रतिनिधित्व प्रत्येक बल से आरक्षण कोटे के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि में कितनी कमी है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आरक्षण कोटे को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ)

क्रम सं.	संगठन का नाम	कुल संख्या	अनु. जाति के सदस्यों की संख्या	अनु. जनजाति के सदस्यों की संख्या	अनु. जाति के प्रतिनिधित्व में कमी	अनु. जनजाति के प्रतिनिधित्व में कमी
1.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	80, 408	9,272	3,988	3.7%	2.54%

1	2	3	4	5	6	7
2.	सीमा सुरक्षा बल	84,598	10,985	7,196	2%	शून्य
3.	असम राइफल्स	33,440	1,744	1,824	चूंकि असम राइफल्स की बटालियनों में भर्ती मुख्यतः थल सेना द्वारा की जाती है अतः अनु. जाति अनु. जनजाति के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।	
4.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस	12,619	1,874	861	0.15%	0.67%
5.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	30,546	5,440	2,459	शून्य	शून्य

बलों में भर्ती सांविधानिक उपबन्धों के अनुसार की जाती है जिनमें केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण का प्रावधान है। चूंकि बलों में भर्ती धर्म, निवास स्थान आदि के आधार पर नहीं की जाती है अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिये प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम को एल्यूमिना परियोजना के लिए आशय पत्र

5078. **श्री बी. एन. गाडगिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र लघु उद्योग निगम ने अपनी एल्यूमिना परियोजना के लिए आशय-पत्र हेतु आवेदन दिया था।

(ख) क्या परियोजना की स्थापना रत्नगिरि में की जाएगी ?

(ग) क्या खाड़ी के किसी पूंजी निवेदक ने इस परियोजना में रूचि प्रकट की है; और

(घ) परियोजना को मंजूरी कब दी जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क), (ख) और (घ) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम ने महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में 300,000 टन वार्षिक क्षमता का एक शत-प्रतिशत निर्यात-प्रधान एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना के वास्ते पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र दिया था। चूंकि इस प्रस्ताव में उत्पादन के शत-प्रतिशत निर्यात की परिकल्पना थी इसलिए महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम को यह सलाह दी गई कि वह नए सिरे से अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में निर्यातोन्मुखी परियोजना मंडल (एक्सपोर्ट ओरियन्टिड प्रोजेक्ट बोर्ड) को प्रस्तुत करे। निगम ने

यह निवेदन किया है कि चूंकि उत्पादन का केवल 90% निर्यात करने का प्रस्ताव है इसलिए उसके प्रस्ताव को शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना नहीं मानना चाहिए। निगम के अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं पूजीनिवेश निगम ने दुबई की अल गुरियार ग्रुप आफ कम्पीज के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग और मिलकर सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है। ग्रुप ने महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं पूंजी निवेश निगम के प्रस्तावित एल्यूमिना संयंत्र में दिलचस्पी जाहिर की है।

"टाइम्स आफ इंडिया", बम्बई तथा पत्रकारों के बीच मकान किराया आदि के बारे में विवाद

6079. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशन समूह" के बम्बई संस्करण के मालिकों तथा श्रमजीवी पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों श्रमिकों के बीच वेतन, मकान किराया भत्ता तथा कुछ अन्य मामलों के बारे में विवाद काफी समय तक चलता रहा;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि दोनों पक्षों ने 4 फरवरी, 1982 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समझौते तथा पालेकर पंचाट के बीच क्या अन्तर है ?

श्रम मत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) सूचना महाराष्ट्र सरकार से मांगी गई है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

अवधि एवं आय सीमा में छूट के पश्चात स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन के लिये प्राप्त नए आवेदन पत्र

6080. **प्रो. नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल की अवधि को घटाने, आवेदन पत्र देने की तारीख बढ़ाने तथा अन्य सीमा में छूट देने के बारे में सरकार निर्णय के बाद स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के लिए सरकार को कोई नए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1982 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनका राज्यवार निपटान क्या था ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। 1-8-1980 के बाद जब शर्तों में छूट दी गई थी, प्राप्त हुए नए आवेदन पत्रों की संख्या संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

1-8-1980 के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	1-8-80 के बाद प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत किए गए
1	2	3
अण्डमान और निकोबार	20	10
आन्ध्र प्रदेश	7549	84
अरुणाचल प्रदेश	40	—
असम	8381	29
बिहार	41398	341
चंडीगढ़	40	14
दिल्ली	552	128
गोवा	983	53
गुजरात	487	45
हरियाणा	480	56
हिमाचल प्रदेश	344	13
जम्मू और काश्मीर	1145	18
केरल	20068	2
कर्नाटक	5108	403
मध्य प्रदेश	1447	59
महाराष्ट्र	13755	446
मणिपुर	25	—
मेघालय	27	—
मिजोरम	1	—
नागालैंड	4	—
उड़ीसा	6569	37
पांडिचेरी	625	14
पंजाब	2609	193
राजस्थान	444	38
तमिलनाडु	2214	95
त्रिपुरा	408	29
उत्तर प्रदेश	2667	266
पश्चिम बंगाल	45919	208
आजाद हिन्द फौज के सैनिक	4660	850
जोड़	167999	3448

अतिरिक्त कार्यभार वाले सहायकों को विशेष वेतन दिया जाना

6081. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवालय में एक ही अनुभाग में सहायक के किसी खाली पद के अतिरिक्त कार्यभार/उत्तरदायित्व का सार्वजनिक हित में निर्वहन करने वाले सहायक किसी आर्थिक लाभ पाने के हकदार नहीं होते हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) ऐसे सहायकों को एक निर्दिष्ट अवधि के बाद अतिरिक्त कार्यभार/उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए यदि किसी प्रकार का पारिश्रमिक अर्थात दोहरा प्रभार भत्ता/मानदेय, विशेष वेतन, आदि दिया जाता है तो किस प्रकार का; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) से (घ) : सामान्यतः किसी अनुभाग में किसी सहायक को उसी अनुभाग में किसी और सहायक के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने के लिए औपचारिक रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है। जब कभी स्टाफ का कोई सदस्य नियमित अवकाश पर चला जाता है अथवा स्थानान्तरित कर दिया जाता है तब एक अनौपचारिक प्रबन्ध द्वारा स्टाफ के अन्य सदस्य कार्य को संभाल लेते हैं, जिसके लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक देय नहीं होता और न ही सामान्यतः इसका दावा ही किया जाता है। यदि उन्हें सामान्य काम के घन्टों के बाद (रविवार और छुट्टियों सहित) कार्य करना पड़ता है तो उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाता है बशर्ते वे अन्यथा इसके लिए पात्र हों।

राज्यों में जनशक्ति संसाधन का उपयोग

6082. **श्री एन. डेनिस** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अगले तीन वर्षों के दौरान सम्बन्धित राज्यों में जनशक्ति संसाधनों का उपयोग किए जाने के लिए भारत सरकार तथा राष्ट्रीय योजना आयोग के पास कोई योजनायें भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छठी योजना और वार्षिक योजना के प्रस्तावों में जनशक्ति की संभावित पूर्ति और मांग बताई गई है और इन पर योजना आयोग में विचार-विमर्श किया गया था। जनशक्ति ससाधनों का प्रभावी उपयोग विकास के लिए योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तथापि गरीबी की समस्या के समाधानों में और जनशक्ति के उचित उपयोग में विभिन्न राज्यों में विद्यमान विशिष्ट दशाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए योजना आयोग ने छठी योजना में स्थानीय स्तर पर जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन के लिए एक विकेन्द्रित दृष्टिकोण और कार्यनीति की सिफारिश की है। स्थानीय स्तर पर जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषदों के संगठन के जरिए यह साध्य है। अधिकांश राज्य सरकारें ऐसी परिषद बना चुकी हैं।

समाचार भारती द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा राज्य कर्मचारी बीमा की राशियां जमा कराया जाना ।

6083. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार एजेन्सी, समाचार भारती ने भविष्य निधि में अपना अंशदान एवं कर्मचारियों के अंशदान की कब तक की राशियां जमा कराई है;

(ख) यदि नहीं तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना निम्न प्रकार है :—

कर्मचारी भविष्य निधि की शेष राशियां :

नियोजक ने जुलाई, 1979 तक के तथा फरवरी, 1980 से जुलाई 1980 तक के भविष्य निधि अंशदान जमा कर दिए हैं। अगस्त, 79 से जनवरी, 80 तथा अगस्त, 80 से दिसम्बर, 1981 तक अंशदानों की वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अधीन राजस्व वसूली कार्यवाही आरम्भ की गई हैं;

(ख) अधिनियम की धारा 14 के अधीन अभियोजन दायर किया गया है;

(ग) कर्मचारियों के भाग के अंशदानों के भुगतान में त्रुटि के लिए पुलिस प्राधिकारियों के पास धारा 406-409 के अधीन शिकायत दायर की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा की शेष राशियां

नियोजक ने जुलाई, 1981 को समाप्त होने वाली अवधि तक के अंशदान जमा करवा दिये हैं। बाद की अवधि के लिए अंशदान तथा निरीक्षण के परिणाम-स्वरूप पता लगायी गई रु० 9,550.55 की शेष राशि की वसूली के लिए नियोजक को आवश्यक मांग-पत्र/नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के संयंत्रों को स्थानान्तरित किया जाना

6084 : **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मारवाड़ी और गुजराती व्यापारी/उद्योपति अपने संयन्त्रों और मशीनों को पश्चिम बंगाल में स्थानान्तरित कर रहे हैं और क्या सूचीवद्ध उद्योगों के मामले में केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की अनुमति लिया जाना जरूरी होता है;

(ख) उनके मंत्रालय को भेजे गए ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन्हें स्थानान्तरण से पूर्व अनुमति दी गई थी;

(ग) क्या स्थानान्तरण की अनुमति दिये जाने से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार के विचार मांगे जाते हैं; और

(घ) ऐसे किसी उद्योग संयन्त्र अथवा मशीन को पश्चिम बंगाल के स्थानान्तरित होने से रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा स्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक राज्य से दूसरे राज्य में औद्योगिक उपक्रम के स्थान परिवर्तन के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है।

(ख) 1979-81 के तीन वर्षों के दौरान 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इसमें से 5 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गए थे और 4 आवेदन पत्र रद्द कर दिये गए थे। शेष एक आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़ा हुआ है।

सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को बोनस

6085. **श्री थाजाई एम. करुणानिधि** : क्या **श्रम मंत्री** सरकारी भण्डार डिपों के कर्मचारियों को बोनस के सम्बन्ध में दिनांक 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4132 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आर. एल. सी. मद्रास से चिकित्सा भण्डार डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को एक मुश्त भुगतान किये जाने हेतु कोई अनुरोध किया गया है तथा चिकित्सा भंडार डिपो, मद्रास के स्थानीय प्रशासन इससे सहमत हो गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधि आर. एल. सी. मद्रास से पूर्व उत्पादकता पर आधारित बोनस का तत्काल भुगतान करने पर सहमत हो गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को अनुग्रह भुगतान करने के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा प्रबन्धतन्त्र के साथ संयुक्त विचार-विमर्श किया गया, परन्तु स्थानीय प्रबन्धतन्त्र को इस विषय पर समझौता करने का कोई अधिकार नहीं था।

(ग) जी, नहीं।

प्रीतम पुरा, दिल्ली के 'जे ब्लाक में गृह कर का निर्धारण

6086. **श्री वीरभद्र सिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीतम पुरा (अब मौर्य एन्कलेव) के 'जे ब्लाक में 126 मीटर के प्लाटों पर बने सभी मकानों को गृह कर के लिए निर्धारण कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे मकानों का गृह कर क्या है जिनका गृह कर के लिए निर्धारण कर लिया गया है;

(घ) क्या गृह कर का उपरोक्त निर्धारण उच्चतम न्यायालय के 20 दिसम्बर, 1979 के निर्णय (ए. आई. आर. 1980—उच्चमत न्यायालय 541) को देखते हुए किया गया है जिसके अनुसार निर्धारण मानक किराये के आधार पर किया जाना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्र (श्री पी. वेंकट सुब्बयया) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि प्रीतिमपुरा दिल्ली के "जे" ब्लाक में 126 मीटर के प्लाटों पर बने मकानों के सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अनुसार कर निर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार अब तक अन्तिम रूप से दिये गए मामलों के सम्बन्ध में निर्धारित की गई सम्पत्ति कर की राशि 16,443/-रु० वार्षिक है।

(घ) निगम के अनुसार कर निर्धारण को उच्चतम न्यायालय के 20 दिसम्बर, 1979 के निर्णय समेत विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद में आदिवासी भूमि का अन्तरण

6087. **श्री ए. के. राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले 30 वर्षों में बिहार के धनबाद जिले में गैर आदिवासियों, कोयला खानों तथा उद्योगों को अन्तरित की गई आदिवासियों की कुल भूमि का पता है;

(ख) क्या आदिवासियों के लिए छोटा नागपुर पट्टेदारी अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया गया था; यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) 1 जनवरी 1982 तक कुल कितनी भूमि किसानों को वापस दिलाई जा चुकी थी; और

(घ) क्या सरकार का विचार धनबाद में आदिवासियों की सम्पत्ति को भारी पैमाने पर लूटे जाने के बारे में विस्तृत सर्वेक्षण करने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल के कासर गोड ताल्लुक को कर्नाटक राज्य में सम्मिलित करना

6088. **श्री आस्कर फर्नान्डीस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का केरल में कासर गोड ताल्लुक के लोगों के उस क्षेत्र को कर्नाटक राज्य में मिलाये जाने संबंधी अभ्यावेदन के बारे में क्या कार्यवाई करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार समस्या को हल करने के लिए सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अन्तर्राज्जीय सीमा के सम्बन्ध में कर्नाटक और केरल सरकारों के बीच मतभेद हैं। यह सीमा विवाद दोनों राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग से हल किया जा सकता है और इस विषय पर केन्द्रीय सरकार को इन सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देने में प्रसन्नता होगी।

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा काडर के लिपिकों को पदोन्नति

6089. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा काडर में पदोन्नति के अवसर बहुत ही नगण्य है;

(ख) क्या सरकार का विचार सीधी भर्ती को कम करके अनुभवी तथा अर्हताप्राप्त लिपिकों को उनके अगले वर्ग में पदोन्नति के विभागीय कोटे को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसद कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जी, नहीं।

(ग) इस समय केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में कोई प्रगतिरोध नहीं है। वर्ष 1979 में, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का पुनर्गठन किया गया था जिसके परिणामस्वरूप अवर श्रेणी लिपिकों के करीब 1600 पदों को उच्च श्रेणी लिपिक के पदों में अपग्रेड किया गया था। इसके अतिरिक्त, अवर श्रेणी लिपिक के ग्रेड से उच्च श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक से सहायक के ग्रेड में पदोन्नति जारी दिशांक 17.12.1981 को राजी किए गए थे, जिसके अन्तर्गत 8 वर्षों की अनुमोदित सेवा वाले सभी अवर श्रेणी लिपिक और 5 वर्षों की अनुमोदित सेवा वाले, सभी उच्च श्रेणी लिपिक जो अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नियमों में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते थे, आ जाते हैं।

गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली में कटिंग एवं टेलरिंग इन्सट्रक्टरों के रूप में काम करने वाले व्यक्ति

6090. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह कल्याण केन्द्र महादेव रोड, नई दिल्ली की विभिन्न शाखाओं में इस समय कटिंग एवं टेलरिंग इन्सट्रक्टरों के रूप में शाखावार कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कोटा काफी समय से पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का चालू वर्ष में कोटा पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सूचना विवरण "क" में दी गई है।

(ख) तथा (ग) गृह कल्याण केन्द्र (जी. के. के.) में रोजगार की योजना का उद्देश्य सरकार के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सहायता पहुंचाना है, ताकि वे गृह कल्याण केन्द्र में व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त कर सकें और अन्य स्थानों में अपने रोजगार के अवसरों में भी सुधार ला सकें। इन कर्मचारियों के लिये नियमित केरियर के प्रावधान की कभी परिकल्पना नहीं की गई है और ऐसे कर्मचारियों को नियमित वेतनमान में

नहीं रखा जाता है बल्कि उन्हें केवल मानदेय ही दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को कोई प्रवेश परीक्षण अथवा परीक्षा लिए बिना और किन्हीं विशिष्ट शैक्षिक अर्हताओं तथा आयु आदि पर जोर दिए बिना, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर रोजगार में लगाया जाता है। पद विज्ञापित भी नहीं किये जा रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुये, गृह कल्याण केन्द्र के अधीन रोजगार के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशिष्ट आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।

विवरण

गृह कल्याण केन्द्र द्वारा अपने विभिन्न केन्द्रों में रोजगार में लगाये गये दस्तकारी प्रशिक्षकों की केन्द्र वार संख्या।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	रोजगार में लगे हुए अध्यापको की संख्या	अनु.जा./अनु.जन जा. के अध्यापकों की संख्या
1.	मिन्टो रोड, नई दिल्ली	2	—कोई नहीं—
2.	साउथ मोती बाग, नई दिल्ली	2	—वही—
3.	प्रेस रोड नई दिली	1	—वही—
4.	राउज एवन्यू, नई दिल्ली	1	—वही—
5.	पूसा इंस्टीच्यूट नई दिल्ली	2	—वही—
6.	देव नगर, नई दिल्ली	2	—वही—
7.	नानक पुर, नई दिल्ली	2	—वही—
8.	रा. क्र. पुरम सेक्टर I नई दिल्ली	2	—वही—
9.	रा. क्र. पुरम सेक्टर II नई दिल्ली	2	—वही—
10.	रा. क्र. पुरम से. III नई दिल्ली	1	—वही—
11.	रा. क्र. पुरम से. IV नई दिल्ली	2	—वही—
12.	रा. क्र. पुरम से. VII नई दिल्ली	2	—वही—
13.	रा. क्र. पुरम से. IX नई दिल्ली	2	—वही—
14.	नौरोजी नगर, नई रिल्ली	2	—वही—
15.	प्रेम नगर, नई दिल्ली	1	—वही—
16.	लोदी कालोनी नई दिल्ली	2	—वही—
17.	सेवा नगर, नई दिल्ली	2	—वही—
18.	श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली	2	—वही—
19.	सादिक नगर नई दिल्ली	1	—वही—
20.	ऐन्ड्रूज गंज नई दिल्ली	2	—वही—
21.	तिमार पुर, दिल्ली	3	—वही—
22.	किंग्जवे कैम्प, दिल्ली	1	—वही—
23.	शकूर बस्ती, दिल्ली	2	—वही—

1	2	3	4
24.	नरेला, दिल्ली	2	कोई नहीं
25.	19-महादेव रोड, नई दिल्ली	2	—वही—
26.	बहादुर गढ़, हरियाणा	2	—वही—
27.	फरीदबाद, हरियाणा	2	—वही—
28.	एफ. आर. एाई. देहरादून	1	—वही—
29.	हाथी बरकाला देहरादून	1	—वही—
30.	घाटकोपर, बम्बई	2	—वही—
31.	कोलीवाडा, बम्बई	3	—वही—
32.	वाडला, बम्बई	2	—वही—
33.	एयर पोर्ट, बम्बई	2	—वही—
34.	देव नगर, बम्बई	2	—वही—
35.	बजाज नगर, जयपुर	2	—वही—
36.	कटोल रोड, नागपुर	2	—वही—
37.	पीटर्स रोड, मद्रास	4	—वही—
38.	वसन्त नगर, मद्रास	2	—वही—
39.	महालेखाकार कार्यालय, मद्रास	1	—वही—
40.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय मद्रास	1	—वही—
41.	मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, मद्रास	1	—वही—
42.	आयकर कार्यालय, मद्रास	1	—वही—
43.	शास्त्री भवन, मद्रास	1	—वही—
44.	सीमा शुल्क हाउस, मद्रास	1	—वही—
	योग	78	—कोई नहीं

संशोधन सीमेन्ट नीति कारकानों के निर्माण के लिए सीमेन्ट की सप्लाई पर प्रभाव:

6091. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित सीमेंट नीति का उन मकानों के निर्माण के लिए सीमेंट की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ेगा जिनके नक्शे पिछले एक वर्ष के दौरान स्थानीय अधिकारियों द्वारा पहले ही मंजूर किये जा चुके थे;

(ख) क्या मजूर नक्शों वाले निर्माणधीन मकानों को दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी किये गये परमिटों पर सीमेंट मिलता रहेगा जैसा पहले किया जा रहा था; और

(ग) यदि नहीं तो उनके क्या कारण हैं;

संघशासित प्रदेशों को इस बारे में अनुदेश जारी कर दिये हैं कि अन्य के साथ-साथ लेवी सीमेंट कुल 80 वर्ग मीटर तक केकुर्सी (प्लिन्थ) क्षेत्र वाली रिहायशी इकाइयों का स्वीकृत नक्शों के आधार पर निर्माण करने वाले लघु उपभोक्ताओं को भी जारी किया जायेगा। यह निर्णय लिया गया है कि 28-2-82 से किया जाने वाला सीमेंट का आवंटन नई नीति के अनुसार ही किया जायेगा। अतएव, 80 वर्ग मीटर से अधिक के कुर्सी (प्लिन्थ) क्षेत्र वाली रिहायशी इकाइयां बनाने के लिए सीमेंट सम्बन्धी आवश्यकता खुले रूप से बिकने वाले सीमेंट के कोटे से पूरी की जायेगी :

"दहेज की बेदी पर एक और बलि" शीर्षक समाचार

6092. **श्री कमलनाथ झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 1 नवम्बर, 1981 के नवभारत टाइम्स में "दहेज की बेदी पर एक और बलि" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्ब्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) मृतक के पिता के इसके बयान पर कि उनके (लड़की) पति और ससुराल वालों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था क्योंकि वे लक्ष्मीनगर की दुकान में हिस्सा चाहते थे, 1-11-81 को थाना हौजकाजी में भारतीय दंड सहिता की धारा 360 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 562 के तहत एक मामला दर्ज किया गया प्रारम्भिक जांच तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त, कमला मार्केट द्वारा स्वयं की गई थी। शव-परीक्षा रिपोर्ट से मालूम होता है कि मृत्यु का कारण जलने से हुए जख्म हैं। मृतक के पति को 10 नवम्बर, 1981 को गिरफ्तार किया गया। मामले की अभी जांच की जा रही है।

हरियणा एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा विमान ईंधन की धोखाधडी

6093. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा चंडीगढ प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि एक लाख रुपये मूल्य के विमान ईंधन की धोखाधडी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध किस तारीख को तथा किसके विरुद्ध किया गया था और शिकायत की प्रति भी संलग्न करें;

(ग) किन करणों से अभी तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है; और

(घ) क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्ब्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) चण्डीगढ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि 9-11-1981 को हरियाणा एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक से एक पत्र प्राप्त हुआ था। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के अनुसार क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित मामला संदेह से परे नहीं था। 19-11-1981 को स्पष्टीकरण के लिए पत्र (मूल) निगम को वापिस भेज दिया गया था। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज से अब तक और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

"ग्राफ्ट चार्जेज अगेंस्ट आई. पी. एस. आफीसर" शीर्षक समाचार

6095. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

डा. बसन्त कुमार पण्डित : क्या ग्रह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 1982 के पेट्रीयट में, "ग्राफ्ट चार्जेज अगेंस्ट आई. पी. एस आफीसर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें इन बातों पर प्रकाश डाला गया है—

(एक) एक पत्रिका के लिए विज्ञापन लिये जाना;

(दो) विवादों में अन्तर्ग्रस्त रहना;

(तीन) दूसरे नाम से बकरी प्रजनन फार्म चलाना;

(चार) सतर्कता जांच कराना;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

चेयरमैन, कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कमेटी, धनबाद द्वारा पदोन्नति के मामले में नियमों का उल्लंघन

6096. **श्री डी. पी. यादव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि चेयरमैन सेन्ट्रल कोल माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कमेटी, धनबाद ने खान बचाव नियमों के नियम 7 तथा समिति द्वारा बनाये गये भर्ती नियमों के उल्लंघन में ऐसे कनिष्ट इन्सट्रक्टरों को स्टेशन इंचार्ज के रूप में पदोन्नति कर दिया है जिनके पास न्यूनतम निर्धारित अर्हताए नहीं हैं और अपेक्षित अर्हताओं वाले वरिष्ठ इन्सट्रक्टरों की उपेक्षा कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मामले की जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे ब्यौरे क्या हैं और मामले में क्या कार्रवाई की गई है

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) कोयला खान बचाव नियम, 1959 के नियम 17 के अनुसार प्रत्येक बचाव केन्द्र को एक अधीक्षक के नियन्त्रण में रखा जाता है। नियम 17 में निर्धारित अधीक्षक के लिए अनिवार्य योग्यताओं में से एक योग्यता यह है कि उनके पास कोयला खान विनियम, 1957 के अधीन प्रथम या द्वितीय श्रेणी प्रबन्धक

का सक्षमता प्रमाण-पत्र होना चाहिए। तीन "ग" श्रेणी बचाव केन्द्रों में, जिनके अनुदेशक अध्यक्ष होते हैं, केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति ने ऐसे अनुदेशक तैनात किये जिनके पास कोयला खान विनियम, 1957 के अधीन स्वीकृत ओवरमैन प्रमाण-पत्र था, समिति के "ग" श्रेणी बचाव केन्द्रों में ऐसे अनुदेशक तैनात करने की सलाह दी गई है जिनके पास नियम 17 के अधीन निर्धारित योग्ताएं हों। "ग" श्रेणी बचाव केन्द्रों में तैनात अनुदेशकों को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया गया।

सीमेंट उद्योग में मजूरी विवाद को मध्यस्त को सौंपा जाना

6097. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सीमेंट उद्योग में मजूरी विवाद को दो सदस्यीय मध्यस्थ बोर्ड को निर्दिष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो मुख्य विवाद क्या थे और इसे मध्यस्थ को सौंपने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मध्यस्थ द्वारा अन्तिम निर्णय दे दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1981 में केन्द्रीय सरकार को सीमेंट मैनुफेकचरर्स एसोसिशन और इण्डियन नेशनल सीमेंट एण्ड एलाइड वर्कर्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित एक करार प्राप्त हुआ था जिसमें सिमेंटउद्योग के कर्मकारों की मजदूरी संशोधन सहित कुछ मांगों को सर्वश्री जी. रामानुजम तथा आर. पी. नवेतिया के पंच-निर्णय के लिए स्वीकृति दी गई थी। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 क(3) के अधीन यथा-अपेक्षित यह करार पहली जनवरी, 1982 के राजपत्र में प्रकाशित करवाया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बायो-गैस सयंत्र की स्थापना

6098. **श्री आर. वाई. धोरपडे :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जेव-गैस का कारोबार करने वाले अनुसंधान संगठनों की नई प्रौद्योगिकियों एवं सस्ते तथा और सक्षम संयंत्रों के डिजाइनों का विकास करने तथा जेव गैस संयंत्र की स्थापना कार्यक्रम में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है; और

(ख) सामुदायिक आकार के जैव गैस सयंत्रों की स्थापना के लिए पशुओं के गोबर, शौच, कृषि की व्यर्थ सामग्री तथा 'वाटर हायसिंथ' जैसा वस्तुओं के उपलब्ध स्टाक को उपयोग में लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) अधिक सस्ते अधिक कुशल संयत्र डिजाइनों का विकास करने के लिए जैव गैस प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पक्षों पर देश की कई अनुसंधान और विकास सगठनों में कार्य किया जा रहा है ताकि प्रभावी प्रबन्ध

माडलों के परिचालानात्मक पैरामीटरों का विकास किया जा सके, और उपलब्ध विभिन्न प्रकार की आधार सामग्री यथा पशु विष्टा-विष्टा कृषि अपशेष, जल कुमुदिनी और अन्य खरपतवार को इस्तेमाल में लाया जा सके। ऊर्जा के अतिरिक्त स्त्रोंतों के आयोग की जैव गैस प्रौद्योगिकी पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना के अधीन इन पक्षों पर उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए गए हैं। विभिन्न अपशिष्ट सामग्रियों या जलकुमुदिनी के भरण सहित विकसित की गई प्रौद्योगिकीयों को सामुदायिक प्रकार के जैव गैस संयंत्रों में शामिल किया जा रहा है जिन्हें देश में विभिन्न स्थानों पर सी. ए. एस. ई. द्वारा प्रतिष्ठापित किया जा रहा है।

एसियाड 82 के पूरा हो जाने के बाद मजदूरों को काम

6099. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्री हीरा लाल आर. परमार : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि ऐशियाड-82 के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक इस कार्य के पूरा हो जाने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे;

(ख) क्या सरकार का विचार उनको बाद में किसी अन्य निर्माण कार्य पर लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि ये निर्धन व्यक्ति अपनी जीविका अर्जित कर सके ?

श्रम राज्यमंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि एशियाड-82 के निर्माण कार्यों पर दो प्रकार के श्रमिक नियोजित किए गए हैं अर्थात् (i) सीधे नियोजित किए गए मजदूर तथा (ii) ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिक। के० लो०नि०वि० मजदूर सीधे नियुक्त नहीं करता। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सीधे नियुक्त किए गए श्रमिकों के रोजगार को या तो इन परियोजनाओं के रख रखाव सम्बन्धी कार्यों पर या उनके द्वारा आरंभ की जाने वाली अन्य परियोजनाओं में जारी रखने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

जहां तक ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों का सम्बन्ध है, उनमें से अधिकांश दैनिक-मजदूरी के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें या तो उन्हीं ठेकेदारों के पास (उनके द्वारा आरंभ किए गए अन्य ठेकों में) या शहर में चल रही अन्य निर्माण परियोजनाओं में वैकल्पिक कार्य मिलना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐशियाड परियोजनाओं के अतिरिक्त, उन्होंने बहुत बड़ा आवास तथा विकास कार्यक्रम आरंभ किया है और यह आशा की जाती है कि एशियाड-82 की परियोजनाओं में नियोजित मजदूर दिल्ली में चल रही अन्य निर्माण परियोजनाओं में वैकल्पिक कार्य प्राप्त कर सकेंगे।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, (ग) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारियों का अन्य विभागों में सवान ग्रेड में प्रतिनियुक्ति पर जाना

6100 **डा ए. यू. आजमी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी कर्मचारी को लोकहित में तथा नितान्त अस्थायी आधार पर अपने सामान्य व्यवसाय से इतर कार्यों हेतु प्रतिनियुक्ति पर जाना होता है;

(ख) यदि हां, तो बड़ी संख्या में कर्मचारियों को उसी ग्रेड व्यवसाय में अन्य विभागों को प्रतिनियुक्ति पर किस प्रकार भेज दिया गया है; और

(ग) प्रतिनियुक्ति पर गए कितने कर्मचारियों का पिछले दो वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति का समय बढ़ाया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) किसी अधिकारी को उसके सामान्य संवर्ग से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है भले ही प्रतिनियुक्ति का पद उसी ग्रेड (अर्थात वेतनमान) व्यवसाय में हों, किन्तु शर्त यह है कि प्रतिनियुक्ति पद के भर्ती नियमों में ऐसी नियुक्ति की व्यवस्था हो।

(ग) कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां प्रतिनियुक्ति की लम्बी अवधि निर्धारित है, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष निर्धारित है। प्रशासनिक मंत्रालय इस सीमा को एक वर्ष तक आगे बढ़ा सकते हैं, जहां ऐसी वृद्धि लोकहित में आवश्यक समझी जाती है। इस सीमा के बाद प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने की मंजूरी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के विशिष्ट अनुमोदन से ही दी जा सकती है, जिन मामलों में पिछले दो वर्ष के दौरान निर्धारित सीमा के बाद प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की गई है, उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना केन्द्रीकृत रूप में मानिटर नहीं की जाती है :

ट्रकों की कमी

6101. **श्री चरणजीत सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को टाटा तथा अशोक लैलैण्ड ट्रक कम्पनियों से ट्रकों की खरीद हेतु लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन हेतु पहले 4000 रु० अथवा 5000 रु० की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करानी होती थी और इस समय यह राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराने की बजाय कम्पनी के किसी अधिकारी के नाम में जमा करानी होती है जिसके फलस्वरूप बैंकों को लाभ होने की बजाय ट्रक कम्पनी को लाभ होता है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) निर्माताओं ने बताया है कि चैसिसों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है तथा इस समय आर्डर बुक करने के एक वर्ष के भीतर डिलीवरी संभव है।

(ख) निर्माताओं ने बताया है कि पहले उनके डीलर वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए उन ग्राहकों के आर्डर ही बुक करते थे जो किसी निर्धारित अथवा सरकारी बैंक में लगभग 4000/- रु. की सावधिक जमा रसीद प्रस्तुत करते थे। अब ग्राहकों को कम्पनियों के अधिकृत डीलरों के पास 6000/-रु. नकद जमा कराने होते हैं। यह बताया गया है कि इन जमा राशियों पर 12% प्रति वर्ष ब्याज मिलता है जमाराशि की अवधि चाहे कितनी भी हो।

प्रशिक्षुओं की वर्तमान छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि

6102. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत व्यवसाय शिक्षुओं, स्नातक तथा तकनीकी शिक्षुओं की छात्रवृत्ति की दरों को राजपत्र अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 24 (ङ) दिनांक 25-1-82 द्वारा बढ़ा दिया गया है। इस बारे में जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3799/82**]

पुनरीक्षण से पहले पुरानी दरें इस प्रकार थीं :—

व्यवसाय शिक्षु :

प्रथम वर्ष के दौरान	130/-रुपये प्रतिमाम
दूसरे वर्ष के दौरान	140/-रुपये प्रतिमास
तीसरे वर्ष के दौरान	150/-रुपये प्रतिमास
चौथे वर्ष के दौरान	200/-रुपये प्रतिमास

स्नातक तथा तकनीकी शिक्षु :

स्नातक शिक्षु	280/-रुपये
तकनीकी शिक्षु	180/-रुपय
सैंडविच स्नातक शिक्षु	180/-रुपये
सैंडविच डिप्लोमा शिक्षु	150/-रुपये

(क) 28-2-1982 को प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ऐसे शिक्षुओं, जो छात्रवृत्ति की दरों में हुई बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे, की संख्या इस प्रकार है :—

I. व्यवसाय शिक्षु:	1,23,191
II. स्नातक इंजीनियर तथा तकनीकी शिक्षु	13 662

राज्य व्यापार निगम द्वारा नेशनल टैनरी कं. लि. का अधिग्रहण

6103. **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद तथा विनियम (अधिनियम के अन्तर्गत राज्य व्यापार निगम द्वारा नेशनल टैनरी कं. लि. का अधिग्रहण किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने में कितना समय लगेगा;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत नेशनल टैनरी कपनी लि०, कलकत्ता का अभिग्रहण करने संबन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किन्तु भारतीय राज्य

व्यापार निगम ने कम्पनी के शेयरों को अधिगृहीत किया है तथा कंपनी के विपणन, वित्तीय ढांचे के पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रमों में सहायता कर रही है।

मरम्मत के कार्यों हेतु सीमेंट के लिए आवेदन पत्र

6104. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य एवं नागरिक पूर्ति विभाग दिल्ली प्रशासन के मुख्यालय को पिछले 4 महीनों के दौरान मरम्मत के कार्यों हेतु सीमेंट के लिए अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हाँ तो उनकी महीनावार संख्या क्या है;

(ग) कितने आवेदन पत्रों की जांच की गई है;

(घ) क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति निगम (सीमेंट) बिना किसी आदेश अथवा कारण बताये इन आवेदन पत्रों को रद्द कर देता है और आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद आबटित किये गये सीमेंट के कोटे तक में कटौती कर देता है;

(ङ) यदि हां तो ऐसे आवेदन पत्रों की महीनावार संख्या क्या है जिनके कोटे में कमी की गई है; और

(घ) निरीक्षक द्वारा मजूरी दिए जाने के बाद कोटे में कमी किये बिना आवंटन करने के बारे में सरकार की नीति क्या है और क्या इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खादी आयोग राजस्थान द्वारा बताए जा रहे उन पर आधारित कुटीर उद्योग

6105. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी आयोग द्वारा राजस्थान में सीमावर्ती जिलों में चलाये जा रहे इन पर आधारित कुटीर उद्योगों का स्वरूप क्या है;

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान उक्त कुटीर उद्योग की गतिविधियों का आगे विस्तार करने के लिए आयोग द्वारा क्या प्रावधान किया गया है; और

(ग) क्या खादी आयोग ने इस वर्ष तथा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के पिछले दो वर्षों के दौरान उनकी कटाई और बुनाई के काम में भारी कमी की है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष अकाल से प्रभावित श्रमिकों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उपलब्ध कच्ची ऊन उत्कृष्ट कोटि की होती है और कुटीर उद्योगों पर आधारित परिधान, शालें और निट वीयर तैयार करने के लिए उपयोग में लाई जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1979-80 में ऊनी खादी का उत्पादन 2,222.28 लाख रुपये के

उच्च स्तर तक पहुंच गया था किन्तु वर्ष 1980-81 में हल्की सर्दी पड़ने के कारण संस्थाओं द्वारा उत्पादन कम किया गया यद्यपि उन्हें पर्याप्त धनराशि और अन्य सुविधायें उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष में उत्पादन का स्तर 1,959.87 लाख रुपये रहा। वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र में कुल मिलाकर ऊनी खादी का उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 1980-81 के उत्पादन स्तर पर बनाये रखा गया है और कुछ मामलों में, उत्पादन लक्ष्यों में वृद्धि भी की गई है।

आजाद मार्किट चौक, दिल्ली के समीप सड़क

6106. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 14 जनवरी 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के "ईवनिंग न्यूज" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार सड़कों पर से अवैध कब्जों को हटा दिया जाएगा और आजाद मार्केट चौक, दिल्ली के समीप एक स्लिप रोड, का निर्माण किया जायेगा;

(ख) क्या इस समाचार के अनुसार यह निर्णय गृह मत्रालय की एक बैठक में लया गया है; और

(ग) इस 'स्लिप रोड" का निर्माण और आजाद मार्केट चौक का सुधार किस विभाग द्वारा किया जायेगा और इसमें कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय की एक बैठक में अवैध कब्जों को हटाये जाने के प्रश्न पर कौर आजाद मार्केट चौक के समीप एक "स्लिप रोड" के निर्माण की व्यवहारिकता पर भी विचार विमर्श किया गया था। विचार विमर्श के अनुसरण में दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को संयुक्त जांच करने के लिए कहा गया है और आगे कार्यवाई इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर की जाएगी।

ग्रामों पर आधारित मिश्रित (हाईब्रिड) ऊर्जा प्रणाली

6108 **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ग्रामों पर आधारित मिश्रित (हाईब्रिड) ऊर्जा प्रणाली रुड़की विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के जल संस्थान में विकास की जा रही है, जिससे वर्तमान लागत से एक तिहाई लागत पर बिजली का उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त योजना की कार्य क्षमता की जांच के लिए कोई कदम उठाये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि ये जांच सफल सिद्ध हुई हैं तो सरकार का विचार इनका किस प्रकार उपयोग करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) रुड़की विश्वविद्यालय में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के

आयोग द्वारा एक वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की गई है, जहां सूक्ष्म लघु जलीय शक्ति पर आधारित कम लागत की संकर (हाईब्रिड) ऊर्जा प्रणालियों का विकास किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इन प्रणालियों पर आधारित तीन क्षेत्रीय परीक्षण परियोजनाओं को, जुबल (हि० प्र०) मनाली (हि० प्र०) और ककरोई फालस (हरियाणा) में पहले से ही हाथ में लिया जा रहा है। इस प्रकार की प्रतिष्ठापनाओं के लिए अतिरिक्त स्थलों का भी चुनाव किया जा रहा है। जैसे ही इसकी अनुप्रयोज्यता प्रदर्शित हो जाती है, इनका बड़े पैमाने पर उपयोग आरम्भ किया जाएगा।

कृषि की व्यर्थ सामग्री से ऊर्जा

6109. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पर आधारित औद्योगिकी यूनिटों के उपयोग हेतु कृषि की व्यर्थ सामग्री से ऊर्जा का विकास करने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं से कुल कितनी ऊर्जा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ग) कृषि की व्यर्थ सामग्री से और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागरीय विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) कृषि अपशेषों से ऊर्जा के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा कई योजनाओं को हाथ में लिया गया हैं। इनमें जैव गैस उत्पादन, कृषि अवशेषों का ब्रिकटों और गैस में पाइरोलाइटिक और ताप रासायनिक रूपान्तरण, मशीनों से गोलियां और ब्रिकेट बनाना और इथानोल का उत्पादन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जिन संस्थाओं में अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चल रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं—इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी, नई दिल्ली; नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट लखनऊ; मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै का जीवन विज्ञान विभाग महाराष्ट्र विज्ञान सम्वर्द्धन संस्था, पुणे; खादी ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई; स्टेट प्लानिंग इन्स्टीट्यूट, लखनऊ का प्लान रिसर्च एण्ड एक्शन डिवीजन, नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, कानपुर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली; गुजरात कृषि विश्वविद्यालय अहमदाबाद; पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना आदि। कृषि औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि अपशेषों से कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो सकेगी, यह वास्तविक अन्तिम उत्पाद पर निर्भर करेगा अर्थात्, जैव गैस, बिजली, उत्पादक गैस, ईथानोल, मीथानोल आदि। आज कृषि उद्योग में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य अवशेष खोई है जिससे 2.8 करोड़ टन कोयले के बराबर ऊर्जा प्राप्त होती है। उपर्युक्त अनुसंधान और विकास योजनाओं का उद्देश्य उन्हें केवल जलाने की अपेक्षा कृषि अपशेषों से उत्पन्न ऊर्जा के इस्तेमाल के आधुनिक कुशल तरीकों का विकास करना है। जैव गैस ऐसा एक रूप है जिसका पहले से ही व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। जैव ऊर्जा के अन्य रूपों का विकास/प्रायोगिक सयन्त्र परीक्षण/क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा दिल्ली सीमेंट (लाइसेंसिंग तथा नियन्त्रण) आदेश, 1972 के अन्तर्गत दर्ज मामले

6110. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा दिल्ली सीमेंट लाइसेंसिंग तथा नियन्त्रण आदेश, 1972 के अन्तर्गत कोई मामला दर्ज किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसकी नवीनतम स्थिति क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 1981 में खाद्य एवं संभरण विभाग प्रकोष्ठ के प्रवर्त्तन स्कंध, अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस ने 344 छापे मारे थे। इसके परिणामस्वरूप बहुत से मामलों में अनियमितताएं दिखाई दी थी। पुलिस के पास 40 अपराधिक मामले दर्ज हुए थे और 112 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, 9 मामलों से चालान किया गया है, और सक्षम अधिकारियों की अदालत में मुकदमें चल रहे हैं और 31 मामलों में पुलिस छानवीन कर रही है। 77 मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

भारत हैवी इलैक्ट्रानिक लि. द्वारा सोलर सैलों का उत्पादन

6111. **श्री जी. नारसिम्हा रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए अपेक्षित सैलों का उत्पादन करने के लिये अद्यतन प्रौद्यागिकी हासिल हो गई हैं;

(ख) क्या भारत हेवी इलैक्ट्रोकल्स लि. को इस प्रयोजन के लिए भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके अलावा भारत हेवी. इलैक्ट्रीकल्स लि. ने अन्य देशों से और अधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने, जिससे कि घरेलू उपयोग के लिए न केवल अच्छे सैलों का उत्पादन कर सके बल्कि उनका निर्यात भी कर सके, के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) भारत हेवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा सीलर सेलों के वर्ष 1982-83 के लिए तथा यदि इनका निर्यात किया जाना है तो उसके लिए उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि. ने अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिए अपेक्षित सोलर सेलों के निर्माण के लिए भाग परमाणु अनुसंधान केन्द्र से प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ली है।

(ग) अब इस क्षेत्र में किसी अन्य देश से और विशेषज्ञता प्राप्त करना भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि. आवश्यक नहीं समझता है। हां यदि किसी अन्य देश को इनकी आवश्यकता हो तो इन अन्तरिक्ष ग्रेड सोलर सेलों का निर्यात किया जा सकता है।

(घ) अन्तरिक्ष उपयोग के लिए बी. एच. ई. एल. द्वारा सोलर सेलों का उत्पादन लक्ष्य 1982-83 के लिए 20,000 नग प्रति वर्ष रखा गया है। बी. एच. ई. एल. द्वारा 1982-83 में निर्यात की कोई परिकल्पना नहीं की गई है।

19 जनवरी 1982 को भारत बन्द के फलस्वरूप दण्डित किए गए कर्मचारी

6112. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश की सेन्ट्रल ट्रेड यूनिटों की राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा किए गए आह्वान के अनुसरण में 19 जनवरी, 1982 को भारत बन्द में भाग लेने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के विरुद्ध उनको परेशान करने का अभियान सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा शुरू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार 19 जनवरी की हड़ताल के सम्बन्ध में नियोक्ताओं द्वारा की गई कार्यवाही का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं। 19 जनवरी 1982 को भारत बन्द में भाग लेने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों को परेशान करने के किसी अभियान का पता सरकार को नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, फरीदाबाद के फील्ड आप्रेशन डिविजन का स्थानान्तरण

6113. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन, फरीदाबाद के फील्ड आप्रेशन डिवीजन का स्थानांतरण के बारे में 4 फरवरी, 1982 का कोई पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहले के स्थानांतरण आदेश को रद्द करने के लिए कोई आदेश जारी किएहैं ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : (क) तथा (ख) श्री समर मुकर्जी, संमद सदस्य से क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन फरीदाबाद के सम्बन्ध में दिनांक 4-2-1982 का एक पत्र प्राप्त हुआ। श्री मुकर्जी ने उसमें उल्लेख किया है कि निदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग अन्धाधुन्ध स्थानांतरण कर रहे हैं, उनके दिनांक 15 सितम्बर, 1981 के अन्तम पत्र के बाद उन्होंने 105 स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। तथ्य यह है कि केवल फरीदाबाद से संदर्भाधीन अवधि के दौरान 6 कर्मचारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी किए गये; इनमें से 4 कर्मचारियों को उच्च पदोन्नति पर तथा शेष दो को उनकी अपनी प्रार्थना पर उनके इच्छित स्थानों पर स्थानांतरण किया गया।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी

6114. **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **गृह मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ख) जेलों में उन्हें क्या दर्जा दिया गया तथा किस श्रेणी में रखा गया है और उनका दर्जा बनाए रखने के लिए उन पर कितनी राशि व्यय की जा रही है;

(ग) क्या उनके परिवार को जीवन निर्वाह के लिए किसी राशि का भुगतान करने के लिए कोई उपबन्ध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पंजाब में किन-किन परिवारों को इसका भुगतान किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) पंजाब में 16-3-1982 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 5 व्यक्ति नजरबन्द किए गए।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार इन नजरबंदियों को "साधारण दर्जे" में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक नजरबंदी को 5 रु. प्रतिदिन की दर से खुराक भत्ता दिया जा रहा है। इसकी कमी को मुलाकात के समय दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा उचित मात्रा में फल और घी से पूरा किया जा सकता है। उन्हें राज्य के खर्च पर अन्य सुविधाए जैसे, कपडा, बिस्तर, फर्नीचर, जहां तक संभव हो बिजली के पंखें, पुस्तकें और पत्रिकाएं, मनोरंजन और चिकित्सा सुविधाएं आदि और एक जेल से दूसरे जेल में स्थानान्तरित होने पर या पैरोल पर रिहा होने या अन्यथा दूसरे दर्जे की यात्रा की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त दो महीने के लिए 15 रु. की दर से विविध भत्ता भी दिया जाता है। वे जीवन संबंधी सुविधाओं को पूरा करने के लिये एक महीने में एक बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 20 रु. ले सकते हैं। नजरबंदी को सरकारी खर्च पर एक सप्ताह में तीन पत्र लिखने की अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ) पंजाब सरकार की, नजरबन्दी व्यक्ति की आय के $23\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से अनुग्रह पूर्वक पारिवारिक भत्ता देने की व्यवस्था है जो कम से कम 50 रु. और अधिक से अधिक 100 रु. प्रतिमाह हो सकता है। यह भत्ता अनुरोध करने पर तभी स्वीकृत किया जाता है जब जाँच करने के बाद राज्य सरकार इस बात से सहमत हो जाती है कि नजरबंद व्यक्ति आजीविका कमाने वाला है और उसकी नजरबंदी ने उसके परिवार के जीवन यापन के साधनों पर पर्याप्त प्रभाव डाला है। अभी तक किसी भी नजरबन्द व्यक्ति से राज्य सरकार को ऐसा अनुग्रह पूर्वक भत्ता देने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों को संघ शासित क्षेत्र घोषित किया जाना

6115. **श्री हरीश रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों को बेहतर तथा एकीकृत प्रशासन दिलाने तथा उनका सर्वांगी सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संघ शासित क्षेत्र घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) सरकार का विचार है कि किसी खास राज्य में आर्थिक विकास में असंतुलन दूर करना अनिवार्य रूप से एक ऐसा मामला है जिसे योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

लद्दाख में खनिज सम्पदा का दोहन

6116. **श्री दयाराम शाक्य : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के क्षेत्रों में विलियन रुपए मूल्य की खनिज सम्पदा छिपी पड़ी है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्पदा के दोहन के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई ठोस योजना तैयार करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य के भूतत्व और खनन विभाग द्वारा की गई खोजों से लद्दाख क्षेत्र में पर्याप्त मूल्य के खनिज भंडार होने के संकेत मिले हैं। इस क्षेत्र में चूना पत्थर, कच्चे गंधक, बोरेक्स और पोटाश और लवण के निक्षेप पाए गए हैं। खनिजों की और अधिक खोज की जा रही है।

(ख) और (ग) कुछ छोटे स्तर की इकाइयां जैसे चूना भट्टे, वाले ग्रेनाइट आदि की कटाई, पालिस करने की इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। फिर भी, लद्दाख क्षेत्र की खनिज सम्पदा का वाणिज्यिक विदोहन वहां पर आधारभूत सुविधाओं की स्थापना पर निर्भर होगा।

खुर्दा, पुरी जिले में एच. एम. टी. घड़ियों के लिए कमीशन एजेन्ट

6118. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पूरी जिले के खुर्दा में स्थित एच. एम. टी. फैक्टरी में एच. एम. टी. घड़ियों को असैम्बलिंग के लिए एच. एम. टी. घड़ी कम्पनी द्वारा कोई कमीशन एजेंट नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां एच. एम. टी. घड़ी कम्पनी का कमीशन एजेंट कब से नियुक्त है;

(ग) ऐसे प्राइवेट कमीशन एजेंट की नियुक्ति की शर्तें क्या हैं; और

(घ) खुर्दा स्थित इस फैक्टरी के शुरू होने के बाद इस फैक्टरी में कितनी घड़ियां असैम्बल की गई और इस एजेंट ने कितना कमीशन अर्जित किया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) एच. एम. टी. लिमिटेड ने घड़ियों के हिस्से पुर्जे जोड़ने के लिए खुर्दा में कोई कमीशन एजेन्ट नियुक्त नहीं किया है। हां, खुर्दा उन स्थानो में से एक है जहां एच. एम. टी घड़ी एसेम्बली की एक कैपटिव यूनिट मौजूद है। यह एकक संयुक्त क्षेत्र में उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि. (आई. पी. आई. सी. यू. एल.) द्वारा स्थापित किया गया है। इस एकक में मार्च 980 में उत्पादन आरम्भ हुआ तथा फरवरी, 1982 तक इसमें हिस्से पुर्जे जोड़ कर लगभग 2.80 लाख घड़ियां तैयार की गई। हिस्से पुर्जे जोड़ने का शुल्क इस कार्य के लिए निर्धारित नियमों तथा शर्तों के अनुसार दिया जाता है।

भारत में संस्थानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्प सैटों की सप्लाई

6119. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ संस्थानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्प सैटों की मुफ्त सप्लाई कर रही है,

(ख) यदि हां, तो वे कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं, और

(ग) क्या सरकार 25 फुट से अधिक गहराई से पानी उठाने के लिए ऐसे पम्प सैटों के विकास के लिए अनुसंधान कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी एन. सिंह) : (क) ऊर्जा के अतिरिक्त स्त्रोतों के आयोग ने क्षेत्र परीक्षण और प्रदर्शन के उद्देश्यों से विभिन्न संस्थाओं में सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैटों की प्रतिष्ठापना की है। अधिकांश मामलों में, संस्थाओं ने इन की लागतों पर जाने वाले खर्च का कुछ भाग अपनी ओर से दिया है।

(ख) और (ग) इस समय जो पम्प प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं, उन की क्षमता 8 मीटर की गहराई से पानी उठाने की है, जो देश के कुछ भागों के लिए पर्याप्त है और अधिक गहराई से पानी उठाने के लिए इस प्रकार के पम्पों के विकास के अनुसंधान का कार्य पहले से ही प्रगति पर है।

चीन का पर्यावरण संबंधी प्रतिनिधि मंडल

6120. **श्री सन्तोष मोहन देव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन का पर्यावरण संबंधी एक प्रतिनिधि मण्डल को भारत आमंत्रित किया है;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच पर्यावरण संबंधी जानकारी के लिए स्थायी समझौता करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिला पुलिस की समस्याएं

6121. **श्रीमती माधुरी सिंह :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर द्वारा किये गये एक अध्ययन से पता

चला है कि अधिकतर महिला पुलिस कर्मचारी इस सेवा में उन्हें होने वाली तकलीफ और तनाव तथा उनके लिए पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण नौकरी छोड़ना चाहती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार महिला पुलिस कर्मचारियों के कार्य के स्वरूप में परिवर्तन करने का है ताकि उनकी सेवा एक समाज सेवा के समान बन जाए और यह सेवा और अधिक आकर्षित बन सकें; और

(ग) यदि हां, सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन में घाटा

6122. **श्री बी. डी. सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन में काफी वर्षों से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो कारपोरेशन को पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार कितना घाटा हुआ;

(ग) घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निगम में उत्पादन को लाभप्रद बनाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नरायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख)

वर्ष	लाभ (+)/हानि (—)
1978-79	(—) 27.75
1979-80	(—) 33.78
1980-81	(—) 51.13

(ग) हानियाँ मुख्य रूप से कम उत्पादन और उत्पादकता, कुछ भार केन्द्रों में सतुलित भार की कमी, 1980 तक अशांत औद्योयोगिक संबंधों, प्रबंधकीय कमियों और त्रुटियों (प्रमुख पदों का खाली रहना), बिजली की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई, लगातार हानियों के कारण कार्य संचालन पूंजी की कमी, संयंत्र के असंतोषजनक रख रखाव, और सरकारी ऋणों पर ब्याज के भारी बोझ के कारण हुई हैं।

(घ) सरकार तथा निगम ने निम्नलिखित के लिए कदम उठाए हैं :

(1) शीर्ष-स्तर पर प्रवन्धकों का सुदृढ़ और सुगठित दल नियुक्त करना;

(2) विजली की पर्याप्त सप्लाई का सुनिश्चय करना;

(3) संयंत्र को लगातार और संतुलित कार्यभार प्रदान करने की दृष्टि से पुनरावृत्ति-मूलक निर्माण वाली वस्तुओं के लिये अधिक ऋयादेश प्राप्त करना;

(4) उत्पादकता में वृद्धि करने की दृष्टि से एच. ई. सी. में औद्योगिक संबंधों और अनुशासन में सुधार लाना;

(5) नियमित रूप से सन्यन्त्र के रखरखाव और मशीनों के ओवरहाल के लिए व्यवस्था करना;

(6) उत्पादन आयोजन, जाब कास्टिंग की अद्यतन प्रणालियों, कम्पूटर प्रयोग का और अधिक इस्तेमाल प्रारम्भ करना;

(7) कार्य-संचातन पूंजी के लिए योजनेतर ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता देना;

(8) वस्तुसूची प्रबन्ध में सुधार लाना; और

(9) महत्वपूर्ण कच्चा माल प्राप्त करना।

इन उपायों के परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। अब निगम के पास 6000 करोड़ रु. के क्रयादेश है और इस वर्ष एच. ई. सी. में 91.72 करोड़ रु. तक का अप्रैल, 1981-फरवरी, 1982) उत्पादन (अन्तर संयंत्र हस्तांतरणों को छोड़ कर) हुआ है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 57.42 करोड़ रु. का उत्पादन हुआ था।

केरल में जाली अंक तालिका और नकली तलाक

6123. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जाली अंक तालिका जारी करने और वित्तीय लाभ उठाने के लिए पति-पत्नियों द्वारा पृथक-पृथक लिए गए नकली तलाक के आरोपों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितने मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) इनमें से व्यवसाय-वार अर्थात राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, डाक्टर, प्रोफेसर आदि कितने व्यक्ति हैं जिन पर ऐसी हेराफेरी में शामिल होने का शक है या उन पर इनमें शामिल होने का आरोप है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 27-3-1982 को राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार झूठे आरोप-पत्रों के सम्बन्ध में केरल में अब तक 60 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। नकली तलाकों के आरोपों के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को व्यवसाय-वार संख्या नीचे दी गई है :—

राजनीतिज्ञ	शून्य
विश्वविद्यालय कर्मचारी	8
डाक्टर जो सरकारी सेवा में हैं	1
डाक्टर जो प्राइवेट सेवा में है	3
सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी (अभियंता)	4
छात्र	17
संरक्षक और अन्य	27

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्रों का जारी करना

6124. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य को कुछ आदेश जारी किये गये हैं कि वह

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जिनके माता पिता 1951 के पश्चात् दिल्ली में आये हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचिन जनजाति प्रमाणपत्र जारी न करें, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(क) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके मूल राज्य द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र देने से इन्कार कर दिया गया है क्योंकि वे और उनके परिवार गत अनेक वर्षों से वहाँ नहीं रह रहे थे और मकान आदि खरीद कर स्थायी रूप से दिल्ली में बस गये थे;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को इस प्रकार के प्रमाण पत्र देने से इन्कार करने के परिणामस्वरूप राजधानी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त शुल्क छूट छात्रवृत्ति और रोजगार सुविधाओं जैसी संवैधानिक विशेषाधिकारों से वंचित रखा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार स्थिति में सुधार के लिये कोई कार्यवाही करने का है; और यदि नहीं, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र और उसमें विशिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट की जाती हैं। किसी विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति 20-9-1951 अर्थात राष्ट्रपति के आदेश, जिसके द्वारा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सम्बन्ध में कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में अनुसूचित किया गया था, की अधिसूचना को तारीख के बाद दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में प्रवासित हुए हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 341 की दृष्टि से दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में कानूनी रूप से अनुसूचित जातियाँ नहीं माना जा सकता और इसलिए दिल्ली प्रशासन द्वारा उनको अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को अपने स्थायी निवास के राज्य से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो सदस्य एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासित हो गये हैं, उनके बच्चों को ही रही कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 29 मार्च, 1982 को यह सुझाव दिया गया है कि वे ऐसे मामलों को छोड़कर जहां जारी करने वाले प्राधिकारी यह समझते हैं कि अनु० जाति/अनु० जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले विस्तृत जांच करना जरूरी है, अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के उन व्यक्तियों के बच्चों को जो राज्य से प्रवासित हो गये हैं, उनके माता-पिता को पहले जारी किये गये वास्तविक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को अनुदेश दें। यह भी स्पस्ट किया गया है कि केवल उस राज्य के प्राधिकारी जहां से व्यक्ति प्रवासित हुआ है (न कि उस राज्य के प्राधिकारी, जहाँ उन्होंने प्रवास किया है) ऐसे व्यक्तियों के बच्चों को उनके माता-पिता को जारी किये गये अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए सक्षम होंगे। यह दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के ऐसे प्रवासियों पर भी लागू होगा जिन्होंने 20-9-1951 के बाद प्रवास किया।

विदेशों से प्राप्त धनराशि पर सीमेंट का आयात

6125. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से प्राप्त धनराशि पर सीमेंट के निर्यात सम्बन्धी योजना बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो इस छूट को वापस लेने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा देश में भेजने पर प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट का आवंटन रिहायशी एककों के निर्माण हेतु किया जाता था, सरकार द्वारा घोषित नई नीति के अन्तर्गत लेवी सीमेंट के लिए ये रिहायशी एकक पात्रता संबंधी मानदण्ड के बाहर आते हैं, अतः इस योजना को बंद कर दिया गया है।

ट्रैक्टर उद्योग में मंदी

6126. **श्री बी. एस. बिजय राघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टर उद्योग में मंदी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में मन्दी के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को बताया गया है कि नवम्बर, 1981 से कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री में गिरावट आई है।

(ख) ट्रैक्टर निर्माताओं ने बिक्री में इस गिरावट का मुख्य कारण वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण पर नियन्त्रण बताया है।

(ग) ट्रैक्टर खरीदने के लिए कृषकों की ऋण आवश्यकताएं पूरी करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से जून, 1982 तक ए. आर. डी. सी. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के साथ विचार करके लगभग कुल 70 करोड़ रु. का अन्तरिम ऋण देने को तैयार हो गया है जिसमें से लगभग 36 करोड़ रु वाणिज्यिक बैंकों तथा 34 करोड़ रु. राज्य भूमि विकास बैंकों को दिये जायेंगे। आर. बी. आई. मार्च, 1982 के मध्य से जून, 1982 के मध्य तक ट्रैक्टर खरीदने के लिए कृषकों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रत्येक बैंक के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए समूची वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली को गुणावगुण के आधार पर 10 करोड़ रु. तक का विवेकाधीन पुर्नवित्त ऋण दे रहा है। आशा है कि इन उपायों से कृषि ट्रैक्टरों की बिक्री पुनः तेज हो जायेगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामलों की जांच

6127. **श्री आर. आर. भोले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं जिसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जानी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरों में कितने पद खाली पड़े हैं;

(घ) इन पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) सरकार ने जांच तथा अभियोजन कर्मचारियों के लिये संशोधित मानदण्ड निर्धारित करने के सम्बन्ध में गठित समिति की सिफारिशें लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग मे राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में 28-2-1982 को कुल 1231 मामले लम्बित पड़े हुए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रतिवर्ष बहुत से मामले दर्ज करता है, ये आंकड़े अधिक नहीं कहे जा सकते और इतने मामलों का लम्बित रहना सामान्य बात है।

(ग) इस समय केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में खाली पड़े हुए जांच तथा अभियोजन कर्मचारियों के पदों की संख्या 221 है जो स्वीकृत कुल पद संख्या के 10 प्रतिशत से कम है।

(घ) इन रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जा रहा है।

(ङ) इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

भारतीय इलैक्ट्रोनिकी पुर्जों पर ड्यूटी लगाने से उनके मूल्यों में वृद्धि

6128. **श्री भीकू राम जैन :**

श्री एस. बी. सिदनाल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इलेक्ट्रोनिकी पुर्जों पर ड्यूटी लगाने से इनका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से 300 गुणा अधिक हो गया और इसके परिणाम-स्वरूप इस क्षेत्र के उद्यमों की असफलता दर बहुत बढ़ गयी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन पुर्जों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के स्तर पर लाने के लिये उत्पादकों को रियायतें देने का है;

(ग) क्या एककों की मदद के लिये एक कोष बनाने का भी विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मंत्री (डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (घ) जी नहीं। यह सही नहीं है कि शुल्क लगाए जाने के कारण हमारे इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के उत्पादन के लिए कई प्रोत्साहन तथा रियायतें प्रदान की हैं। प्रथम तो औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने तथा विदेशी-सहयोग की एक नई नीति बनाई गई तथा इसे वर्ष 1980 (अनुबंध) से क्रियान्वित किया गया। दूसरे, औद्योगिक लाइसेन्स देने की पद्धतियों को तर्कसंगत बनाया गया है और इलैक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के उत्पादन के लिए औद्योगिक अनुमोदनों के सभी पहलुओं पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए पिछले 2 वर्ष से एक अन्तर्विभागीय कार्य-दल अपना कार्य कर रहा है। तीसरे पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय बजट में अनेक आर्थिक तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इन प्रोत्साहनों में निम्नलिखित शामिल है, संघटक-पुर्जों के उत्पादन में काम में लाए जाने वाले पूंजीगत उपस्करों पर मूल्य ह्रास की दर ऊंची कर

दी गई है। वर्ष 1982-83 के केन्द्रीय बजट में इस प्रकार के पूंजीगत उपकरणों के आयात पर लगने वाले आयात-शुल्क को घटाकर 25% कर दिया गया है तथा जो अन्य उद्योगों की तुलना में काफी कम है। चौथे, कच्चे माल (जो अधिकांशत: संघटक-पुर्जों के उत्पादन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं) पर लगने वाले आयात-शुल्क जो उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल की किस्म के आधार पर मुख्यत: 75% से 200% और कुछ मासलों में तो इससे भी अधिक लगाया जाता था को घटाकर वर्ष 1980 में 59 सामग्रियों पर, वर्ष 1981 में 60 सामग्रियों पर, तथा वर्ष 1982 में 13 सामग्रियों पर 55% की समान दर पर ले आया गया था जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माताओं को उत्पादन के लिए जो मूल्य चुकाना पड़ता था उस लागत में कमी आ गई। पांचवे विनिर्मित संघटक-पुर्जों पर कुछ वर्ष पूर्व जो लगभग 120% की दर से आयात शुल्क लगाया जाता था उसे क्रमश: बढ़ाकर वर्ष 1982-83 के केन्द्रीय बजट में 140% कर दिया गया है. जिसके फलस्वरूप इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के उत्पादन के लिए काफी ऊंचा शुल्क संरक्षण प्राप्त हुआ है।

इन उपायों के फलस्वरूप इलैक्ट्रानिकी विभाग की सिफारिश पर वर्ष 1980 और 1981 में लाइसेन्सिंग समिति/परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने न केवल 61 मामलों को अनुमोदन प्रदान किया अपितु कई ऐसे उद्यमकर्ताओं को बढ़ावा भी दिया जो इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे प्रस्तुत करने के लिए एकक स्थापित करने के इच्छुक थे और इनकी संख्या सतत् रूप से बढ़ी है। इस बात की पुष्टि वर्ष 1979 से 1981 तक जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेन्सों की संख्या से होती है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है :—

वर्ष	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या
1979	20	40
1980	29	64
1981	29	78

इन अनुमोदनों को जारी करते समय (जिनमें से अधिकांश ऐसे उद्यमकर्त्ताओं/औद्योगिक समूहों को जारी किए गए हैं जो इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में नए है), परियोजनाओं की उत्पादन लागत के सम्बन्ध में गहराई से जांच की गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से इस बात का सुनिश्चित किया जाता है कि सम्बन्धित संघटक पुर्जे की उत्पादन लागत के इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित लागत के समतुल्य होने के उचित अवसर हैं, बशर्ते सरकार द्वारा उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क आदि जैसे शुल्क सम्मिलित न किए जाएं। जहां तक परियोजना के संचालन की मूलभूत तकनीकी कार्यकुशलता का सम्बन्ध है, यह आशा की जाती है कि उद्यमकर्ता कार्यकुशलता का यह अंतर्राष्ट्रीय मानदंड प्राप्त कर सकेंगे। इन दोनों पहलुओं अर्थात् उत्पादन-लागत तथा तकनीकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए यह आशा की जाती है कि पिछले दो वर्षों में जिन परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनके फलस्वरूपभविष्य में ऐसे संघटक-पुर्जों का उत्पादन संभव हो सकेगा जो अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की प्रतियोगिता में ठहर सकें।

जहां तक आयातित पूंजीगत उपस्करों का सम्बन्ध है, यह परिकल्पना की जाती है कि उपर्युक्त उल्लिखित 61 परियोजनाओं में कुल पूंजी-निवेश लगभग 50 करोड़ रुपये का होगा।

इस प्रकार कुल मिलाकर इन परियोजनाओं पर होने वाला कुल पूंजी-निवेश लगभग 100 करोड़ रुपये होगा। अब से लगभग तीन/चार वर्षों में इस पूंजी-निवेश के फलस्वरूप प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर, संघटक-पुर्जों का मूल्य की दृष्टि से 150 करोड़ रुपये के बराबर वार्षिक, उत्पादन होने की सम्भावना है। इसकी उस अनुमान से तुलना की जा सकती है जिसके अनुसार सभी पिछले पूंजी-निवेशों के फलस्बरूप इलैक्ट्रानिक संघटक पुर्जों का कुल उत्पादन उस समय प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर लगभग सौ करोड़ रुपये होता है। इस प्रकार, मुख्यतः 1980 तथा 1981 में अनुमोदित इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर जो नये सिरे से पूंजी-निवेश किया गया है, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए यह सम्भावना बन गई है कि जब ये परियोजनाएं पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगी तो संघटक-पुर्जों का कुल उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर लगभग 150 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा उद्यम-कर्त्ताओं के साथ किए गऐ विस्तृत विचार-विमर्श और उसके बाद की गयी अनुवर्ती कार्यवाही के फलस्वरूप यह प्रतीत होता है कि इन परियोजनाओं के सम्पन्न होने में वित्त व्यवस्था, प्रबन्ध व्यवस्था, परियोजना में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों तथा निश्चित रूप से बिजली की उपलब्धता आदि कुछ ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। यह स्वीकार किया जाता है कि योजना के अनुसार क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन हासिल करने के लिए अनुमोदित परियोजनाओं पर कड़ी निगरानी रखना और अनुवर्ती कार्यवाही करना आवश्यक है। इलैक्ट्रानिक विभाग इस सम्बन्ध में सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है।

विवरण

इलैक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों उद्योग के बारे में इलैक्ट्रानिकी विभाग की नीति से संबंधित टिप्पणी

भारत में इलेक्ट्रानिक उपस्करों और प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूल-भूत पूर्व शर्त यह है कि विभिन्न किस्म के इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। अतः इलैक्ट्रानिक संघटक पुर्जा उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. बड़े पैमाने तथा व्यवहारिक तथा सुदृढ़ आधार पर और उद्यमकर्त्ताओं का एक व्यापक आधार बनाकर संघटक-पुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने/लाइसेन्स प्रदान करने/सुस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन हमारे विशुद्ध देशी आवश्यकताओं से कुछ अधिक होगा किन्तु जब उद्योग का संवर्धन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम आधार पर किया जाएगा तो निर्यात की प्रचूर सम्भावनाएं उपलब्ध होंगी।
2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम आधार प्रदान करने और साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता (क्वालिटी) सुनिश्चित करने के लिए बड़ी उत्पादन क्षमताएं स्थापित करना जरुरी है। स्वचालित मशीनों के प्रादुर्भाव से प्रौद्योगिकी दृष्टि से यह एक अनिवार्यता बन गयी है। तदनुसार वर्तमान संगठित क्षेत्र के उद्योगों को मुक्त रुप से प्रोत्साहन दिया जाता है।
3- मांग की स्थिति और इस कार्य को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय को देखते हुए इस बात की सम्भावना बहुत कम नजर आती है कि वर्तमान युनिटें अपने कार्य क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण किए बगैर इस मांग की पूर्ति करने

की स्थिति में होगी। अतः और अधिक क्षमता का निर्माण करना जरूरी समझा गया है। इस क्षमता को केवल अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम बनाने के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी प्रस्ताव की लागत तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जांच करते समय हम न केवल स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हैं अपितु निर्यात की सम्भावनाओं को भी मद्दे नजर रखते हैं।

4. जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, इलैक्ट्रानिकी विभाग की नीति यह रही है कि आधुनिक किस्म के संघटक पुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आयात की मुक्त रूप से अनुमति दी जाए। वर्तमान निर्माणकर्त्ताओं के पास प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है और रक्षा की दृष्टि से उपर्युक्त स्तरीय सन्घटक पुर्जों के लिए बहुत कम अनुमोदन दिए गए हैं।

5. कुछ मामलों में इस समय क्षमताओं का पूर्ण रूपेण उपयोग न किए जाने का कारण मांग का अभाव होना नहीं है अपितु इसके कुछ और ही कारण हैं (सामान्यतया प्रबंधकीय असफलताएं)।

6. उपर्युक्त कारणों से लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक पुर्जों का उत्पादन करना सर्वथा अनुपयुक्त है और इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) दोनों ही पिछले 4/5 वर्षों से लघु उद्योग के सभी उद्यमकर्त्ताओं को लिखते आ रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक पुर्जों के निर्माण में पूंजी-निवेशकरना विवेकपूर्ण नहीं होगा और यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं तो वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान न कर सकेगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र में विस्फोट की जांच

6129. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयन्त्र में विस्फोट की जांच के लिए उनके मंत्रालय द्वारा 11 मार्च, 1981 को गठित उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दुर्घटना मूल रूप से कुछ व्यक्तियों की गलतियों के कारण हुई है;

(ख) क्या विस्फोट का वास्तविक कारण दुर्घटना स्थल पर खतरनाक कार्बन हवा और आग का जमा होना है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस दुर्घथना के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) (क) से (घ) समिति का निष्कर्ष था कि यह विस्फोट धमन भट्टी क्लीन गैस मैन में कालम संख्या। और 1.1 के बीच हुआ था। विस्फोट वायु में कोक ओवन गैस के मिलने से बने विस्फोटक मिश्रण में धमन भट्टी गैस मैन की दूसरी तरफ अथवा उसके पास किए जा रहे वैल्डिग/गैस कटिंग कार्य से निकलने वाली चिंगारी से आग पकड़ने के कारण हुआ था लेकिन समिति यह नहीं बता

सकी कि कोक ओवन गैस कैसे निकली और वैल्डिंग/गैस कटिंग का कार्य किस स्थान पर चल रहा था।

समिति ने यह भी कहा है कि सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल रहे हैं। समिति के निष्कर्षों को देखते हुए चार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरु की गई हैं।

असम आन्दोलन के नेताओं से बात चीत

6130. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशियों की समस्या के समाधान के लिए असम आंदोलन के नेताओं से फिर बात चीत करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या असम आन्दोलन के नेताओं के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत करने हेतु कोई नया सूत्र तैयार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) समस्या का कोई हल निकालने के प्रयासों के सिलसिले में सरकार संसद में विपक्ष के नेताओं और अखिल असम छात्रसंघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों को संयुक्त बैठक का अगला दौर 7 अप्रैल 1982 को शुरु होना निश्चित हुआ है।

घोष समिति रिपोर्ट

6131. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डा. ए. के. घोष की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है, सरकार द्वारा उनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकृत तथा कितनी सिफारिशों को अस्वीकृत किया गया है तथा है अस्वीकृति के क्या कारण हैं; और

(ख) समिति के सदस्यों, उन संस्थानों तथा व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनसे इस समिति द्वारा परामर्श किया गया था'

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) समझा जाता है कि संकेत सीमेंट उद्योग विकास समिति की ओर है जिसके अध्यक्ष थे डा. ए. के. घोष, अध्यक्ष औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो। समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

1. देश भर में सभी सीमेंट एककों के लिए कारखाने से निकले समय का एक ही संधारण मूल्य होना चाहिए,
2. सीमेंट का आंशिक विनियन्त्रण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए,
3. सभी विद्यमान एक अपनी अधिष्ठापित क्षमता का 75 प्रतिशत सीमेंट पहले सीमेंट नियन्त्रक को देने और इससे अधिक उत्पादन की कितनी भी मात्रा को बिना किसी मूल्य अथवा वितरण नियन्त्रण के खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए,

4. 1-1-82 से उत्पादन आरंभ करने वाले सभी नए एककों के लिए चार वर्ष की अवधि तक लेवी सीमेंट की मात्रा उत्पादन के 60 प्रतिशत पर निश्चित की जाए, और

5. न्यूनावधि में सीमेंट आपूर्ति की कमी को पूरा करने और मुक्त बाजार में इसकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे अथवा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सीमेंट के आयात किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सीमेंट उद्योग के विकास सम्बन्धी समिति की इन सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 27-3-1982 के प्रेस टिप्पणी में दिये गये हैं जिसकी एक प्रति अनुबंध में सलंग्न है [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 3800/82**] समिति की अन्य सिफारिशों पर अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने के लिए विचार किया जा रहा है।

(ख) सीमेंट उद्योग विकास सम्बन्धी समिति निम्न प्रकार थी :—

1. डा ए. के. घोष, अध्यक्ष, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो।
2. श्री एन. राजन, अपर सचिद एवं वित्तीय सलाहकार, उद्योग मंत्रालय
3. श्री मोनतोकसिंह अहलुवालिया, आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय
4. श्री जे. एस. अय्यर, मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय
5. श्री आर. जयरामन, सदस्य, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों।
6. श्री टी. एन. श्री निवासन, सदस्य, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यौरो
7. डा. एस. के. चौपड़ा, कार्यवाहक महानिदेशक,
   भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान,
8. डा. एस. ए. दूबे कार्यकारी निदेशक,
   भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बम्बई
9. श्री सुमेर बंसल, दरियागंज, दिल्ली

समिति ने अन्यों के साथ विद्यमान सीमेन्ट कारखानों नये सीमेंट एककों, मिनी सीमेन्ट संयंत्रों सीमेन्ट मशीन उत्पादकों, भारतीय निवेश केन्द्र नई दिल्ली, प्रमुख देशों के भारतीय दूतावासों उच्चआयोगों तथा अनेक अधिक सीमेंट उपभोक्ताओं आदि से परामर्श किया है।

मध्य प्रदेश राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के लिये सहायता

6132. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य अदिवासी सहकारी विकास निगम की स्थापना के लिए अपेक्षित शेयर पूंजी में वह योगदान करे;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी धनराशि मांगी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह यन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) प्रस्तावित अधिकृत व्यय 10 करोड़ रुपए है और केन्द्रीय सरकार को व्यय का 51 प्रतिशत वहन करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

(ग) राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा है ।

चक्कमार समुदाय

6133. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल के चक्कमार समुदाय को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीनिहार रंजन लास्कर) : (क) केरल के चक्कमार समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में संशोधन करने के लिये संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए ससद द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता है । उपर्युक्त अभ्यावेदन और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में बहुत सी अन्य सिफारिशें, सुझाव और अभ्यावेदनों पर संबन्धित मानदण्ड के अनुसार केरल समेत सम्बन्द्ध राज्य सरकारों और भारत के महापंजीकार से परामर्श करके अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन करने के संदर्भ में विधिवत रूप से विचार किया जा रहा है । केरल समेत कुछ राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों की टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं ।

व्यापारियों का पंजीकरण

6134. **श्री एस. ए. दौराई सेबस्तियान** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि "सेल" द्वारा दिये गये विज्ञापन पर व्यापारी के रूप में पंजीकरण के लिये वर्ष 1979-80 में प्राप्त आवेदन अभी तक लम्बित पड़े हैं;

(ख) वर्ष 1981-82 में 72 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन तथा वर्ष 1982-83 में उत्पादन में और वृद्धि को देखते हुये क्या सरकार का विचार हमारे देश में विभिन्न बी.एस.ओ. के अंतर्गत और अधिक व्यापारी पंजीकृत करने के लिये वितरण नीति की पुनरीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में इस्पात के बाजार का पता लगाने और देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापारी के रूप में पंजीकरण के लम्बित मामलों को अन्तिम रूप देगी; और

(घ) यदि हां, तो वितरण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य-मन्त्री श्री चरणजीत चानना (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस्पात के उत्पादन तथा उपलब्धि में वृद्धि होने से स्टील अथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड (सेल) ने अभी हाल में अपनी वितरण प्रक्रिया में कुछ ढील दी है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकृत कराई गई मांग को पूरा करने के पश्चात् उपलब्ध इस्पात सामग्री ग्राहकों (व्यापारी भी शामिल हैं) को दे दी जाती है। सेल के शाखा कार्यालय सूचना-पट्टों पर उपलब्ध सामग्री का ब्यौरा देते हैं तथा सभी व्यापारियों को इस सामग्री को खरीदने का अवसर दिया जाता है। शाखा कार्यालयों से इस सामग्री को खरीदने के लिये किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत मामलों की संख्या

6135. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव**

श्री डी. पी. यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में एक बड़ी संख्या में मामले कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लंबित हैं यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1981 को क्षेत्रवार और राज्यवार इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकतर कानूनी सैलों में कुप्रबन्ध है और उनमें वकालत का अनुभव रखने वाले विधि अधिकारी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो धन वापस लेने के मुकदमें लड़ने और सारे भारत में विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील करने पर होने वाले खर्च के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने के विचार हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) 31.12.81 की स्थिति के अनुसार न्यायालयों में लंबित पड़े अभियोजन मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध)।

(ख) और (ग) इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन कोई कानूनी कक्ष नहीं है। तथापि, नई दिल्ली में स्थित संगठन के मुख्यालय में शीघ्र ही एक कानूनी कक्ष स्थापित किये जाने की संभावना है। मुख्यालयमें कानूनी कक्ष के चालू हो जाने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में कानूनी कक्ष स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

विवरण

	कर्मचारी भविष्य निधि				परिवार पेंशन				कर्मचारी जमासंबद्ध बीमा			
	छः महीने से कम	छः महीने से अधिक	1 वर्ष से अधिक	मामलों की कुल संख्या	छः महीने से कम	छः महीनों से अधिक	1 वर्ष से अधिक	योग	6 महीने से कम स	6 महीने अधिक	1 वर्ष से अधिक	योग
1. आंध्र प्रदेश	—	17	4	179	28	21	7	56	49	7	—	56
2. नार्थ ईस्टर्न रिजन	—	—	392	392	—	—	34	34	—	53	23	76
3. बिहार	133	116	5,048	5,297	—	—	—	—	—	23	116	139
4. दिल्ली	44	61	233	333	—	13	87	100	—	—	—	—
5. गुजरात	16	12	197	225	9	8	26	43	14	8	21	43
6. कर्नाटक	46	55	392	493	9	16	97	122	9	15	87	111
7. केरल	596	38	54	688	79	41	104	224	62	46	28	136
8. मध्य-प्रदेश	41	41	644	726	6	14	263	283	10	28	409	447
9. महा–राष्ट्र	1,392	917	411	2,720	714	261	235	1,210	343	498	385	1126
10. उड़ीसा	302	157	440	899	45	39	4	88	73	39	8	120
11. पंजाब	19	124	1,218	1,361	29	—	32	61	—	104	177	281
12. रा०स्थान	24	8	134	166	14	8	96	118	17	3	40	60
13. तमिलनाडु	341	205	733	1,279	—	—	—	—	28	8	8	44
14. उत्तर-प्रदेश	968	176	239	1,383	—	—	—	—	104	46	333	483
15. पश्चिम बंगाल	1,961	2,370	10 104	14,435	2,268	905	1,505	4,678	496	298	375	1129
जोड़—	6,041	4,297	20,243	30,581	3,201	1,326	2,490	7,017	1,105	1,136	010	4,251

लोगों का सामाजिक आर्थिक स्तर और दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां

6 36. **श्री राम लाल राही** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा आम आदमी को लाभ पहुंचाने तथा उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बनाई गई योजनाओं के बावजूद अत्यधिक पूंजी कुछ पूंजीपतियों के हाथ में आ जाने और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और क्या देश की अब तक की आर्थिक नीतियां दोषपूर्ण हैं या सरकार द्वारा की गई घोषणाओं और वास्तविक कार्यवाही में अन्तर के कारण लोगों को गुमराह किया गया है; और

(ख) क्या सरकार भूमिहीनों, बेरोजगारों और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले के लिए रोजगार योजनायें बनाने का प्रयास करेगी ताकि ऐसे परिवारों को रोजगार मिल सके और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : (क) योजना और आर्थिक विकास में सरकारी कार्यकलापों का प्रमुख उद्देश्य विकास के फलों के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित करना और आर्थिक शक्ति के कुछ व्यक्तियों के हाथ में सकेन्द्रण को नियन्त्रित करना है। एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम जैसे विधायन सहित सरकार की राजकोषीय, औद्योगिक और अन्य आर्थिक नीतियां, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी नीति साधन हैं कि एकाधिकार घरानों का प्रचालन राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक न हो। प्रस्तावना में बताये अनुसार, एकाधिकार और निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रणाली अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक व्यवस्था के प्रचालन के परिणाम स्वरूप आर्थिक सत्ता का सामान्य हितों के प्रतिकूल संकेन्द्रण न हो। सरकार की औद्योगिक लाइसेन्स देने की नीतियों और विकास की कार्यनीति में सरकारी क्षेत्रक पर दिए गये बल का उद्देश्य आर्थिक सत्ता के कुछ व्यक्तियों के हाथों में अनावश्यक संकेन्द्रण को नियंत्रित करना है।

गरीबी की स्थिति में उत्तरोत्तर कमी को हमारे देश में योजना के निर्माण में एक मूल विषय के रूप में माना जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन वर्षों में गरीबी समाप्त करने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। निस्सदेह इनसे देश में गरीबी की स्थिति में सुधार हुआ है। पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित गरीबी के तुलनीय अनुतानों से यह दिखाई देता है कि वर्ष 1972-73 से वर्ष 1977-78 के बीच की अवधि में गरीबी के स्तर के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के रूप में अखिल भारतीय आधार पर गरीबी 51.5 प्रतिशत से कम होकर 48.1 प्रतिशत रह गई है।

(ख) छठी योजना में मुख्य रूप से परिसम्पत्तियों और कुशलताओं के अन्तरण और वर्ष के खाली रहने के मौसम में रोंजगार की व्यवस्था करने के द्वारा गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ महत्वपूर्ण रोजगारोन्मुख कार्यक्रम ये हैं : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व-रोजगार के लिये ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, आपरेशन फलड-2 आदि।

वेतनयुक्त/मजदूरी युक्त रोजगार की सीमित गुंजाइश को ध्यान में रखते हुये योजना में

स्वरोजगार के लिये नए दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। स्वरोजगार के लिये राष्ट्र स्तरीय संदर्शन समिति ने स्व-रोजगार के लिये विशेष सहायता पाने वाले लक्ष्यित समूहों में से भूमिहीन श्रमिक परिवारों का निर्धारण किया है। योजना में छठी योजना की अवधि में सभी जिलों में जिलाजनशक्ति आयोजना और रोजगार सृजन परिषदों का गठन करके बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये विकेन्द्रित नीति की सिफारिश की गई है। प्रस्तावित परिषदों के विभिन्न कार्यों के संदर्भ में, छठी योजना के दस्तावेज (पैरा 13.56) में यह बताया गया है कि रोजगार चाहने वाली जनशक्ति और वेतनयुक्त, मजदूरीयुक्त रोजगार और स्व-रोजगार के लिए उपलब्ध अवसरों के विश्लेषण के आधार पर न्यूनतम 'प्रति परिवार एक रोजगार' के कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिये एक उपयुक्त कार्यनीति तैयार की जाएगी। इन कार्यक्रमों और तैयार की गई कार्यनीतियों के कार्यान्वयन से भूमिहीन बेरोजगारों और गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

मारुति में सहयोग

6137. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मारुति परियोजना में सहयोग करने वाले विदेश निर्माताओं के नाम क्या है तथा उन द्वारा रखी गई पूंजी निवेश की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नरायण दत्त तिवारी) : मारुति उद्योग लिमिटेड को जापान तथा पश्चिम यूरोप के कुछ निर्माताओं सहित विभिन्न विदेशी निर्माताओं से सहयोग के लिये प्रस्ताव प्राप्त हुये थे। इन कम्पनियों के प्रस्ताव जो विचाराधीन हैं की शर्तों को इस समय बताना मारुति उद्योग लिमिटेड के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

100 वर्ष पुराने मिनी पेपर संयन्त्रों के आयात के इच्छुक प्रमाण पत्रधारियों के नाम

6138. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी पेपर संयन्त्रों के लिये मशीन आयात करने हेतु अधिकतर आयात प्रमाण पत्रधारी 100 वर्ष पुराने संयन्त्रों का निर्यात कर रहे हैं और इस कार्य के लिए वे संस्थागत वित्त पोषण की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन मामलों पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उन प्रमाणपत्रधारियों के नाम क्या हैं जो 100 वर्ष पुराने संयंत्रों का आयात करने के इच्छुक हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा

6139. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद में इस प्रकार के अभ्यावेदन दिए गये हैं कि औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की परिभाषा का जिला-वार न करके तहसील/तालुक-वार की जाये;

(ख) क्या ऐसा परिवर्तन अधिक तर्कसंगत और व्यवहारिक नहीं होगा; और

(ग) नीति में यह परिवर्तन करने से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई औद्योगिक प्रकीर्णन सम्बन्धी रिपोर्ट हर निर्णय किए जाने तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के निर्धारण के लिये मापदण्ड सहित औद्योगिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रों के विकास के समग्र प्रश्न की जांच की जा रही है।

समुद्र द्वारा पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर नमक लाने के लिए राजसहायता

6140. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट पर समुद्र द्वारा नमक लाने वाले व्यापारियों को दी जाने वाली राज सहायता जो वापिस ले ली गई थी, पुनः देने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नमक के तर्टीय भाड़ा दर में वृद्धि को पूरा करने के लिये 9-7-1980 से लागू की गई राजसहायता प्रदान करने की योजना केवल 31-3-1981 तक लागू थी। इसे उस तिथि से आगे नहीं बढ़ाया गया था क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए नमक के मूल्य से हुई वृद्धि का प्रभाव बहुत ही मामूली था।

मिदनापुर में महत्वपूर्ण संयन्त्रों की स्थापना

6141. **श्री नारायण चोबे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार विकसित किए गये/विकसित किये जा रहे और विकसित किये जाने वाले पिछड़े क्षेत्रों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में मिदनापुरी नामक भारत का एक बड़ा जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, और

(ग) इन जिलों का विकास करने के लिए यहां महत्वपूर्ण संयन्त्रों की स्थापना करके या अन्य प्रकार के सरकार ने क्या कदम उठाया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रियायती वित्त तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता के पात्र पिछड़े क्षेत्रों की सूचियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के कहने पर, केन्द्रस्थ संयन्त्र कार्यक्रम चलाने के लिए जलपाईगुडी और बांकुरा जिलों का पता लगाया गया है।

किन्तु मिदनापुर जिला औद्योगिक विकास के लिए रियायती वित्त, केन्द्रीय निवेश राज सहायता, कर सम्बन्धी रियायत लघु उद्योगों द्वारा मशीनों का किराया खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज सहायता तथा कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाओं की पात्रता के लिए पहले से ही एक अधिसूचित जिला है।

उत्पादकता परिषदें एवं कार्य समितियां

6142. **श्री एस. बी. सिदनाल : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक उत्पादकता परिषदें एवं कार्य समितियां निष्क्रिय हैं और कोई काम नहीं कर रहीं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उनको वित्तीय और अन्य सहायता देने का है जिससे कि फसल कटने के बाद उनका लाभकारी उपयोग करने के लिए उन्हें गतिशील बनाये रखा जाये;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उकम विकास बोर्ड" की स्थापना

6143. **श्री बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1981 को देश भर में अनुमानतः कितने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक-विज्ञ बेरोजगार थे,

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी, सार्वजनिक तथा संयुक्य उद्यम क्षेत्र में भी स्वीकृत पदों की विभिन्न रिक्तियां प्रक्रिया सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार की देरी के कारण खाली पड़ी हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यम विकास बोर्ड की स्थापना करने की कोई योजना बनाई है जो वैज्ञानिको और प्रौद्योगिक विज्ञों को रोजगार देने अथवा उन्हें एककों की स्थापना में सहायता देने के लिए 'सिंगल विंडो' सहायता की स्थापना करेगी, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) योजना आयोग के छठी योजना (1980-85) प्रलेख के अनुसार, विज्ञान में उपाधि धारियों/इंजीनियरी में डिप्लोमाधारियों के स्तर पर और इसके ऊपर के स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी व्यक्तियों में कुल बेरोजगारों की संख्या 1980 के आरम्भ में 2-9 लाख तक थी। इनमें से, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान और कृषि में बेरोजगार स्नातकोत्तरों की संख्या 46,000 तक थी। 31 दिसम्बर 1981 तक के बेरोजगार वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मंत्रिमण्डल की विज्ञान सलाहकार समिति की सिफारिशों पर सरकार ने अनुदेश जारी कर उन सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है जिनके लिए तकनीकी और वैज्ञानिक योग्यताओं की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) 18-1-1982 के सरकार के संकल्प द्वारा "राष्ट्रीय विज्ञान और प्रोद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड" की पहले से ही स्थापना की जा चुकी है जिसकी एक प्रति 19-2-1982 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

1980 में खनिज उत्पादों का मूल्य

6144. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980 में देश में हुई कुल खनिज उत्पादों का मूल्य 2146 करोड़ रु, आंका गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में कुल खनिज उत्पाद में से बिहार का भाग 29.5 प्रतिशत था; और

(ग) यदि हां, तो बिहार को रायल्टी के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारत में 1980 के दौरान कुल खनिज उत्पादन (परमाणु खनिजों और गौण खनिजों को छोड़ कर) का मूल्य 2090 करोड़ रुपए था।

(ख) बिहार का हिस्सा 30.2 प्रतिशत था।

(ग) बिहार विधान सभा को 1982-83 के बजट के साथ प्रस्तुत राजस्व और प्राप्तियां ब्यौरे के अनुसार 1980-81 में खनिज रियायत शुल्क, किराया और अधिकार शुल्क (रायल्टी) से 42.06 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

पासपोर्ट आवेदन पत्रों पर संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षर

6146. **श्री के. मालन्ना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981-82 के दौरान सरकार को पासपोर्ट आवेदन पत्रों पर संसद सदस्यों के जाली हस्ताक्षर किये जाने के कुछ मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) संसद सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके पासपोर्ट प्राप्त करने की शिकायतों के संबध में 25 दिसम्बर, 1981 से 7 मामले दर्ज किये गये हैं। इनमें से 4 मामले संसद सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों पर दर्ज किये गये हैं और 3 मामले क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा की गई शिकायतों पर दर्ज किए हैं। उपर्युक्त मामलों में से तीन मामलों में अब तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। सभी 7 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

अखिल भारतीय सेवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना

6147. **श्री मानिक राव होडल्या गावित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेवाओं/राज्य सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं

में बैठने और उनकी सेवाओं में आने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिये देश भर में अनेक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश के किन-किन स्थानों में ऐसे केन्द्र खोले गये है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मांग होने तथा पात्र अभ्यार्थियों के उपलब्ध होने के बावजूद महाराष्ट्र में ऐसा एक भी केन्द्र नहीं खोला गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में ऐसे केन्द्र खोलने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) "प्रशिक्षण तथा सम्बद्ध योजना" के केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन अब तक स्वीकृत किये गये परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची संलग्न है, इसमें उन केन्द्रों के नाम दिये हैं, जो पिछले 3 वर्षों 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान स्वीकृत किये गये थे। [**ग्रन्थालय में रखी गई देखिए सख्या एल. टी. 3801/82**]

(ग) 1981-82 के दौरान महाराष्ट्र के लिए निम्नलिखित तीन केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं :—

1. शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर ।
2. मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।
3. नासिक जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज, केन्द्रीय कार्यालय, शिवाजी नगर, गंगापुर रोड नासिक ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश की जनजाति आबादी का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण

6148. **श्री आनन्द सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी सरकारी संस्थान ने उत्तर प्रदेश की जनजाति आबादी का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया था;

(ख) क्या इस बात का पता चला है कि अनेक जन-जाति जंगली पत्तों पर निर्वाह करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी दशा सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) अनुसूचित जन जातियां कृषि और लघुवन उत्पादनों पर निर्वाह करती हैं।

(ग) एकीकृत जनजातीय परियोजनाएं जनजातीय उप योजना क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य उनका सर्वोन्मुखी सामाजिक आर्थिक विकास करना है।

इस्पात सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप की स्थापना

6149. **श्री कमल नाथ** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने इस्पात संबंधी एक कार्यकारी ग्रुप की स्थापना की है;

और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का स्वरूप और कार्य क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ। योजना आयोग ने शताब्दी के अन्त तक (सन 2000 तक) इस्पात की मांग की सामान्य दीर्घावधि रूपरेखा और इस्पात उद्योग के विकास कार्यक्रम को तैयार करने के लिए लोहे और इस्पात से संबंधित एक कार्यकारी दल बनाया है।

(ख) इस कार्यकारी दल के गठन और विचारार्थ विषयों का विवरण संलग्न है।

विवरण

गठन

1.	सचिव, इस्पात विभाग	अध्यक्ष
2.	भारी उद्योग विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	औद्योगिक विकास विभाग का एक प्रतिनिधि	,,
4.	योजना आयोग, उद्योग और खनिज प्रभाग तथा भावी योजना प्रभाग के प्रतिनिधि	,,
5.	रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	,,
6.	विद्युत विभाग का एक प्रतिनिधि	,,
7.	कोयला विभाग का एक प्रतिनिधि	,,
8.	भारत इस्पात प्राधिकरण लि. का एक प्रतिनिधि	,,
9.	तकनीकी विकास महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि	,,
10.	बी. आई. सी. पी. का एक प्रतिनिधि	,,
11.	इस्पात विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य-सचिव

यह कार्यकारी दल आवश्यकतानुसार किसी अतिरिक्त सदस्य (सदस्यों) को सहयोजित कर सकेगा और किसी उप दल (उप दलों) की स्थापना कर सकेगा।

2. विचारार्थ विषय

1. अन्य उपादानों के साथ-साथ विशेष रूप से निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए शताब्दी से अन्त तक देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए भावी योजना तैयार करना :

(1) सम्भावित मांग और उसका स्वरूप;

(2) अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों को आधार संरचनात्मक समर्थन देने की आवश्यकता;

(3) आवश्शक आधार संरचनात्मक समर्थन, जैसे कच्चा माल, विद्युत, परिवहन की सुविधाएं और विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन;

(4) उपलब्ध हो सकने वाले शिल्प वैज्ञानिक विकल्प और भारतीय दशाओं में सबसे अधिक उपयुक्त कार्यनीति।

2. विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ऐसी विनिर्माणात्मक, शिल्प

वैज्ञानिक और प्रबंधकीय कार्यक्षमताओं के विकास के लिए अपनाए जा सकने वाले उपायों का सुझाव देना।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में परामर्श दताओं की नियुक्ति

6150. **श्री एम. एम. लारेंस** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में परिषद के सदस्यों में से पांच सदस्यों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है जो पद पर आसीन हैं और जो वास्तव में अर्द्ध मंत्रिमण्डल के समान कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कुछ को चुनने के स्थान पर सभी परामर्शदताओं को नियुक्त किये जाने का क्या औचित्य है;

(क) क्या सरकार को योजना प्रणाली में परिवर्तन करने की है।

(घ) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह (प्रशासन) विनियम, 1979 में प्रदेश परिषद गठित करने की व्यवस्था है जिसको द्वीप समूह के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर द्वीपसमूह के प्रशासक से विचार विमर्श करने और सिफारिश करने का अधिकार होगा। परिषद के 24 सदस्य अण्डमान द्वीपसमूह में पंचायतों के प्रधानों, पोर्टब्लेयर के म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों और निकोबार द्वीपसमूह में आदिवासियों के मुखियों में से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसा कि विनियम में व्यवस्था है, प्रशासक ने इन सदस्यों में से 5 की पार्षद नियुक्त किया है। प्रशासक पार्षदों से द्वीपसमूह के प्रशासन से संबंधित किसी मामले में परामर्श कर सकता है और प्रत्येक पार्षद को विशिष्ट विषय सौंपे गए हैं ताकि यह विचार विमर्श संगठित और सुव्यवस्थित ढंग से हो सके। चूंकि पार्षदों को कार्यकारी अधिकार प्राप्त नहीं है और उनके विचार केवल सिफारिश के तौर पर हैं और वे प्रदेश परिषद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है इसलिये सरकार इस पद्धति में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है।

सौर ऊर्जा के उपयोग के सम्बन्ध में अनुसंधान

श्री डी. एस. पुत्ते गोडा :

श्री के. लकप्पा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाह औद्योगिक अनुसंधान सस्थान, वाराणसी ने सौर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में बड़े पैमाने पर अनुसंधान किया है,

(ख) क्या ऊर्जा की बचत करने के लिए विद्युत कार, सौर कुकर आदि भी तैयार करने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हाँ, तो ये वस्तुयें बाजार में कब तक आ जाएंगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में

राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) साह इण्डस्ट्रियल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (शाह औद्योगिक अनुसंधान संस्थान) द्वारा सौर जल तापन और सौर कुकरों के विकास का पता चला है।

(ख) और (ग) ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग (सी. ए. एस. ई.) द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित विभिन्न युक्तियों और प्रणालियों का देश में विकास किया गया है। पवन चक्कियों, सौर कुकरों, सौर जल तापकों आदि सहित, इनमें से कुछ अब वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध हैं। बाजार में बैटरी से चलने वाले दो पहियों के स्कूटर भी उपलब्ध हैं। केस (सी. ए. एस. ई.) द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुछ बैटरी चालित वाणिज्यिक गाड़ियों के प्रोटोटाइप निर्माण किए जा रहे हैं और उनके निष्पादन का मूल्यांकन चल रहा है। कुछ ही वर्षों में इन गाड़ियों के बाजार में उपलब्ध होने की आशा है।

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अवैध घोषित की गई हड़तालों की संख्या

6153- **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1981 के अन्तर्गत 1 अगस्त, 1981 से 31 जनवरी, 1982 तक कितनी हड़तालें अवैध घोषित की गई हैं; और

(ख) श्रमिकों द्वारा कार्य बन्द किये जाने के विशेष कारण क्या थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) तथा (ख) आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1981,23 सितम्बर, 1981 को लागू हुआ था। यह आवश्यक सेवा अनुरक्षण अध्यादेश, 1981 जो 26 जुलाई, 1981 को उद्घोषित किया गया था। के स्थान पर लागू किया गया था। अधिनियम और अध्यादेश जिसके स्थान पर अधिनियम लागू हुआ, के द्वारा किसी आवश्यक सेवा में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्तियां केवल केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हैं। आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के अध्यादेश अथवा अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अधीन उपलब्ध शक्तियां केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन अवसरों पर प्रयोग की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(I) असम राज्य में आवश्यक सेवाओं जैसे डाक तथा तार, टेलीफोन रेलवे, तेल शोधक कारखाने, बैंक आदि में हड़तालों पर 14 अगस्त, 1981 को अध्यादेश के अधीन जारी किए गये आदेश द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया था। यह आदेश असम आन्दोलनकारियों द्वारा 15 अगस्त, 1981 को किए गए "असमबद" के आह्वान से उत्पन्न स्थिति के सन्दर्भ में जारी किया गया था।

(II) महाराष्ट्र राज्य के लिए विद्युत (सप्लाई) अधिनियम 1948 (1948 का 54) के अधीन गठित महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड में आवश्यक सेवा में हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 22 अक्तूबर, 1981 को अधिनियम के अधीन एक आदेश जारी किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को सबोरडोनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई हड़ताल को धमकी के संदर्भ में जारी किया गया था।

(III) 19-20 नवम्बर, 1981 को "असम बंद" के संदर्भ में दिनांक 14.8.1981 के पहले आदेश का अतिक्रमण करते हुए अधिनियम के अधीन 18.11.1981 को एक आदेश जारी किया गया था। दिनांक 14.8.1981 के आदेश में शामिल आवश्यक सेवाओं में हड़तालों पर प्रतिबन्ध के अतिरिक्त, दिनांक 18.11.1981 के आदेश में सुरक्षा प्रयोजनों के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अथवा कोयला, विद्युत इस्पात अथवा उर्वरकों आदि के उत्पादन, पूर्ति अथवा विवरण से सम्बन्धित किसी संस्थापना अथवा उपक्रम में आवश्यक सेवाएं भी शामिल थी।

गुरुद्वारे/मंदिर आदि के निर्माण के लिए सीमेंट की सप्लाई

6154. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संशोधित सीमेंट नीति का प्रभाव गुरुद्वारे/मंदिर आदि जैसी धार्मिक संस्थाओं के निर्माण के लिए की जाने वाली सीमेंट की सप्लाई पर भी पड़ेगा;

(ख) क्या धार्मिक संस्थाओं को पहले की तरह दिल्ली प्रशासन से सीमेंट के परमिट प्राप्त होते रहेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

1980-81 में कागज का उत्पादन

6155. **श्री अजीत कुमार मेहता :**

श्री राकेश कुमार सिंह : उद्योग मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कागज की सप्लाई की स्थिति अच्छी है;

(ख) यदि हां, तो 1980 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 1981 में कागज का देशी उत्पादन कितनी मात्रा में बढ़ा है और कितनी मांग देशी उत्पादन से पूरी की गई है;

(ग) क्या कागज के देशी उत्पादन में हुई वृद्धि तथा सप्लाई की अच्छी स्थिति को देखते हुए सरकार का विचार कागज का आयात समाप्त करने/कम करने तथा निर्यात के प्रतिबन्ध हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। कागज और कागज के गत्ते का उत्पादन जो वर्ष 1980 में 11.12 लाख मी. टन था, बढ़कर वर्ष 1981 में लगभग 12.35 लाख मी. टन हो गया। देश में हुआ उत्पादन कुल मिलाकर मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) और (घ) भविष्य में कागज के आयात और/या संभावित निर्यात आवश्यकता का आंकलन करने के लिए देश की उत्पादन प्रवृत्तियों और मांग पर बराबर निगरानी रखी जा रही है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा संवर्ग परिवर्तन

6156. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों (अलग-अलग) के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1977-78, 1978-79, 1980-81 और चालू वर्ष में, अलग-अलग संवर्गों में परिवर्तन किए जाने के लिए आवेदन किया था;

(ख) उनमें कितने कितने आवेदन स्वीकृत और अस्वीकृत किये गये थे; और

(ग) उनमें से कितने आवेदन गैर-अनुकरण के आधार पर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए गए थे ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना संकिलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में सीमेंट कारखानों की स्थापना

6157. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के सिरोही जिले में सीमेंट पत्थर का बहुतायक में उपलब्ध होने को ध्यान में रखते हुए सीमेंट के कारखाने स्थापित करने लिए लाइसेंस जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान कितने लाइसेंस जारी करने का विचार है; और

(ग) पहले ही कितने लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं और किनको जारी किये गये हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राजस्थान के सिरोही जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस मै. स्ट्रा प्रोडक्टस लिमिटेड को और 4 आशयपत्र अन्य पार्टियों को जारी किये गये हैं। मै. स्ट्रा प्रोडक्टस के एक आवेदन पत्र पर लाइसेंस स्वीकृत क्षमता का विस्तार करने के और दूसरे आवेदन पत्र पर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थानान्तरण के लिए अभी कार्यवाही चल रही है।

तमिलनाडु में लघु सीमेंट संयंत्र शुरू करने के लिए लाइसेंस

6158. **श्री एन. सुन्दरराजन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981-82 में तमिलनाडु के किन्हीं गैर-सरकारी सदस्यों ने लघु सीमेंट संयंत्र शुरू करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार को अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान तमिलनाडु में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अब तक औद्योगिक लाइसेंस संबंधी एक आवेदन पत्र तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) अब तक कोई भी औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है किन्तु तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत एक आवेदन पत्र को स्वीकृत दे दी गई है

नौकरी चाहने वालों के साथ धोखा-धड़ी

6159. **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे तथा कथित जनशक्ति एवेंटों और दलालों के विरुद्ध कितने मामले अब तक दायर किए गए हैं जो गरीब अनभिज्ञ लोगों को विदेशों में रोजगार दिलाने का वायदा करके उनसे हजारों रुपये ठग लेते हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) केन्द्र द्वारा उन नकली प्राइवेट फर्मों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, जो विदेशों में नौकरियाँ प्राप्त कराने का काम करती हैं ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान भर्ती एजेंटों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न आरोपों के बारे में 127 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनकी सूचना पुलिस प्राधिकारियों को दी गई थी। इन रिपोर्टों के आधार पर 35 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिनमें से चार व्यक्तियों को न्यायालयों में दोषी ठहराया गया, III मामलों की जांच की जा रही है और II आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके। प्रशासनिक विभाग द्वारा दायर की गई शिकायतों के अतिरिक्त, प्राइवेट व्यक्ति तथा असंतुष्ट पार्टियाँ भी पुलिस के पास शिकायतें दायर कर सकती हैं, जिनके विवरण की सूचना प्रशासनिक विभाग को नहीं दी जाती।

(ख) और (ग) ऐसे जन-शक्ति एजेंटो तथा दलालों, जिन्हें दोषी पाया जाता है, के विरुद्ध न्यायालयों द्वारा कानून के अधीन उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। सरकार उपयुक्त वैधानिक कार्रवाई करने के बारे में भी विचार कर रही है।

खादी भवन, नई दिल्ली द्वारा खरीद

6160. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी भवन, नई दिल्ली सामान की खरीद प्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों और सहकारी संगठनों के बजाय प्राइवेट व्यापारियों के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों से करता है; जिससे सभी प्रकार का भ्रष्टाचार फैलता है; और

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में कोई नीति निर्धारित करने का विचार है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। खादी और ग्रामोद्योगों के आयोग की सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामोद्योगों उत्पाद को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से खरीदा जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों के पद का भरा जाना

6161. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा हुआ है/था;

(ख) यदि हां, तो यह पद कब से रिक्त पड़ा है/था;

(ग) पद को भरने में हुये इस अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि पद को अभी तक नहीं भरा गया है, तो इसे कब तक भरे जाने की आशा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का पद (जिसका नाम भाषयी अल्पसंख्यक आयुक्त रखा गया है) श्रीमती नीरा डोगरा के त्यागपत्र के कारण मई, 1977 में रिक्त हुआ था। इस पद के लिए कोई पूर्णकालिक नियुक्ति नहीं की गई थी। फिर भी गृह मन्त्रालय में तत्कालीन महानिदेशक (पिछड़ा वर्ग कल्याण) को अपने कार्यों के अतिरिक्त विशेष अधिकारी के पद के कार्यों और दायित्वों को देखने के लिए कहा गया था। 31 मार्च, 1980 को उनको सेवानिवृति के बाद भाषाई अल्पसंख्यकों के उपायुक्त विशेष अधिकारी के पद के कार्यों और उत्तरदायित्वों को देख रहे हैं।

2. इस बीच सरकार ने अपने 12 जनवरी, 1978 के संकल्प के तहत एक अल्पसख्यक आयोग स्थापित किया है। इस आयोग को अल्पसंख्यकों, चाहे धर्म अथवा भाषा पर आधारित हो, के हितों के संरक्षण का कार्य सोंपा गया है। आयोग, जैसा इस समय गठित है, के अध्यक्ष भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम. एच. बेग है और इसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

1. श्री के. टी. सतारावाला
2. श्री वेन कुशोक जी. बकुला
3. ज्ञानी सुजान सिंह,
4. श्री एस. ए. दोरई सेबस्तियन, संसद सदस्य।

3. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के पद पर स्थाई नियुक्त करने के मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

सोने के उत्पादन में गिरावट

6162. **श्री हीरा लाल आर. परमार** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1976 से भारत में सोने के उत्पादन में काफी गिरावट आई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1976 में सोने का उत्पादन 3152 कि. ग्रा. की अपेक्षा वर्ष 1981 में सोने का उत्पादन 2341 कि. ग्रा. हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत में 1976-77 में सोने के उत्पादन में गिरावट आ गई है।

(ख) देश में तीन सोना उत्पादक यूनिटों अर्थात भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, हट्टी गोल्ड माइन्स कंपनी लिमिटेड और हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड (जो सोने का उत्पादन उपोत्पाद के रूप में ही करता है) ने 1976-77 के 3119.685 कि.ग्रा. की तुलना में 1980-81 में 2405.858 कि. ग्रा. का कुल उत्पादन किया है।

(ग) 1976-77 के मुकाबले 1980 81 में सोने के उत्पादन में यह गिरावट मुख्यत: भारत गोल्ड माइन्स लि. द्वारा कोलार स्वर्ण क्षेत्रों से निकाले जा रहे अयस्क के ग्रेड में गिरावट आ जाने से हुई है क्योंकि उच्च ग्रेड का अयस्क उत्तरोत्तर घटता जाता है।

प्रयोगशालाओं के कार्यकरण पर विचार करने सम्बन्धी समिति

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यह विचार करने के लिए एक समिति की रचना की गई है कि क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत काम कर रही प्रयोगशालाओं को उसी संगठन के अन्तर्गत काम करने दिया जाए अथवा उन्हें 'यूजन'' मंत्रालयों के अन्तर्गत भेजा जाए,

(ख) क्या यह भी सच है कि समिति ने अब अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या समिति ने इन प्रयोगशालाओं में इस समय की अपेक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान के उद्योगों द्वारा बेहतर उपयोग के लिए कोई सुझाव दिया है और लघु उद्योगों को उचित सूचना दी जाती है, यदि हाँ, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) दिनांक 1-4-1978 के चार राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, तीन संग्राहालयों और दस अनुसंधान संस्थानों को ''उपयोगकर्त्ता'' मंत्रालयों में स्थानांतरित कर दिया गया था, दिनांक 1-2-1981 से चार राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी. एस. आई. आर.) में पुनर्स्थानांतरित कर दिया गया, तीन संग्राहालयों और दस अनुसंधान संस्थाओं को सी. एस. आई, आर. में या अन्य कहीं पुनर्स्थानांतरण करने से सम्बन्धित प्रश्न पर सी. एस. आई. आर- द्वारा गठित दो समितियों, एक संग्रहालय के लिए तथा दूसरी अनुसंधान संस्थाओं के लिए, द्वारा पुनर्विलोकन किया गया। संग्रहालयों पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 28-8-1981 को और अनुसंधान संस्थाओं पर गठित समिति ने 29-9-1981 को प्रस्तुत कर दी है।

साथ ही साथ समितियों ने यह भी संस्तुति की है कि तीन संग्रहालयों और दस अनुसंधान संस्थाओं को सी. एस. आई. आर में पुनर्स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है। ये संस्तुतियां दिनांक 4 दिसम्बर, 1981 को सी. एस. आई. आर. सोसाइटी की बैठक में स्वीकार कर ली गई थी। अब मामला सरकार के विचाराधीन है।

तटीय जहाजरानी द्वारा नमक के लाने ले जाने के लिए राज सहायता

6164. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल द्वारा नमक की ढुलाई बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल में तटीय जहाजरानी द्वारा नमक लाने व लेजाने के लिए अतिरिक्त परिवहन प्रभार, जिसके लिए केन्द्र सरकार राज सहायता देती थी, को 1 अप्रैल 1981 से बन्द कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) रेल द्वारा नमक को लाने ले जाने सम्बन्धी कोई रुकावट नहीं थी। 9-7-1980 से प्रभावी नमक सम्बन्धी तटीय भाड़े की दरों में वृद्धि को पूरा करने के लिए राजसहायता योजना केवल 31-3-1981 तक वैध थी। चूंकि नमक के मूल्यों पर भाड़े की दरों में हुई वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं के लिए नाममात्र था, इसलिए उक्त तिथि के बाद इस अवधि को नहीं बढ़ाया गया।

राज्यों की वार्षिक योजनाओं की काट छांट

6165. **श्री जेवियर अराकल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा कितनी राज्य योजनाओं की काट छांट की गई है और ये राज्य कौन हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि इन राज्य योजनाओं की काट-छांट का मुख्य कारण ओवर-ड्राफ्ट है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है जिनमें मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों की तुलना में 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए परिशोधित अनुमोदित परिव्ययों की राज्यवार स्थिति बताई गई है। 1981-82 की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में स्थिति वर्तमान वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद स्पष्ट होगी।

(ख) जी, नहीं वर्ष 1980-81 के लिए सम्बन्धित राज्यों के लिए मूल रूप से अनुमोदित परिव्ययों में कई उपादानों के कारण कमी की गई थी।

विवरण

राज्यों की 1980-81 की वार्षिक योजना मूल रूप से अनुमोदित परिव्यय और परिशोधित अनुमोदित परिव्यय।

(करोड़ रु.)

राज्य	1980-81 की वार्षिक योजना	
	अनुमोदित परिव्यय	परिशोधित अनुमोदित परिव्यय
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	501.00	49..51
2. असम	198-00	196.27
3. बिहार	476.61	464.43
4. गुजरात	524.63	524.63

1	2	3
5. हरियाणा	250.12	227.84
6. हिमाचल प्रदेश	90.00	90.00
7. जम्मू और कश्मीर	147.48	147.48
8. कर्नाटक	384.55	367.30
9. केरल	273.00	273.00
10. मध्य प्रदेश	541.00	541.00
11. महाराष्ट्र	882.90	882.90
12. मणिपुर	41.85	41.65
13. मेघालय	43.31	43.31
14. नागालैंड	36.13	34.45
15. उड़ीसा	250.16	250.16
16. पंजाब	300.00	286.39
17. राजस्थान	333.86	302.18
18. सिक्किम	21.02	21.02
19. तमिलनाडु	411.23	408.48
20. त्रिपुरा	39.81	38.95
21. उत्तर प्रदेश	933.83	881.14
22. पश्चिमी बंगाल	575.10	558.12
जोड़—राज्य :	7255.59	7072.21

पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय परियोजाएं स्थापित करना

6166. **प्रो. रूपचन्द पाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का छठी योजनाओं के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है, और

(ख) प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) छठी योजना में, सभी चालू योजनाओं को तथा आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता दी गई है। समग्रतन स्रोतों सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आर्थिक धारणाओं के आधार पर नई योजनाओं का पता लगाया गया है तथा उनके लिए प्रावधान किया गया है। किन्तु केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं, जिनके लिए स्थापना-स्थल सम्बन्धी निर्णय लिए गए हैं तथा जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित करने के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है, का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	परिव्यय (1980-82) (करोड़ रुपयों में)
1. दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र	179.65
2. मिश्रधातु इस्पात संयत्र, दुर्गापुर	31.28
3. इंडियन आयल एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड :	
(क) संयन्त्र पुनर्स्थापन योजना	2.54
(ख) टेन्थ कोक ओवेन बैट्री	11.86
(ग) कुल्टी वर्क्स का विविधीकरण	6.00
(घ) सिन्टर संयन्त्र सहायक उद्योगों सहित	40.00
4. बीको लारी लिमिटेड	3.90
5. ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड	10.35
6. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजन कारपोरेशन :	
(क) दुर्गापुर परियोजना ग्रेनुलेशन संयन्त्र तथा कैप्टिव पावर संयन्त्र सहित	18.85
(ख) हल्दिया परियोजना गैर टरबाईन और कैप्टिव पावर संयन्त्र	73.10
(ग) दुर्गापुर स्थित अन्य सुविधाएं	2.74
(घ) हल्दिया स्थित अन्य सुविधाएं	3.12
7. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्माच्युटिकल्स लिमिटेड	4.13
8. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्माच्युटिकल्स वर्क्स लिमिटेड	8.20
9. बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड	12.00
10. (क) भारत आप्थालिमक ग्लास कंपनी	3.75
(ख) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, उपनाराणपुर	15.78
(ग) नेशनल इंस्ट्रूमेन्टस लिमिटेड	0.53
(घ) साइकिल कारओरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड	0.75
11. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता	2.00
12. ब्रेथवेट लिमिटेड, कलकत्ता	12.10
13. बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	12.27
14. जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	8.19
15. माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	13.56
16. लगन जूट लिमिटेड	2.00
17. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बर्ड एण्ड कम्पनी)	4.00
18. एन. एस. शुल्क बन्दरगार, कलकत्ता में उपकरणों का आधुनिकीकरण तथा सुधार	4.18
19. भारत सरकार टकसाल	1.50
20. नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन	5.63
	493.96

अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड देना

6167. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने के लिए निम्नलिखित मानदंड स्वीकार किये हैं :

पैरामीटर

(क) सेवा के न्यूनतम वर्ष

(ख) उच्च पद के लिए योग्यता

(ग) अधिलंघन

सीनियर सेलेक्शन ग्रेड

(क) 20 वर्ष

(ख) सम्बद्ध पदोन्नत बोर्ड द्वारा "योग्य" हेतु मूल्यांकन किया जाना

(ग) एक "आर" की ग्रेडिंग

जूनियर सेलेक्शन ग्रेड

(क) 15 वर्ष

(ख) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों की उन श्रेणियों के लिए मानदण्ड न रखने के क्या कारण हैं जिसमें गतिरोध है; और

(ग) क्या इस विषय में जारी किये गये सरकारी आदेशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिये वरिष्ठ चयन ग्रेड/कनिष्ठ चयन ग्रेड लागू नहीं किये गए हैं और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है। परन्तु सरकार ने सिद्धान्त रूप में केन्द्रीय सेवाओं के संगठित समूह "क" में रु. 2000-2250/- के वेतनमान में गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड लागू करने का निर्णय किया है। इस सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त अभी विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा उत्पादित धुलाई साबुन की क्षमता

6168. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धुलाई साबुन एक ऐसी वस्तु है जिसे छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए आरक्षित रखा गया है;

(ख) क्या धुलाई साबुन के उत्पादन की क्षमता हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड यूनिलीवर लि. का सब्सिडियरी जोकि देश में सबसे बड़ा साबुन निर्माता है, के मामले में निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हाँ तो इस प्रकार निर्धारित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या हिन्दुस्तान लीवर लि. को अपने द्वारा उत्पादित धुलाई और नहाने के साबुन का प्रति वर्ष का अलग-अलग ब्यौरा देना होता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या-क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के पास साबुन तैयार करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 के अधीन जारी किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र है। चूंकि पंजीयन प्रमाणपत्रों में उत्पादक क्षमता का उल्लेख नहीं होता है, अतः कंपनी ने उपयुक्त पृष्ठांकन करने हेतु आवेदन किया है, जो विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में वर्तमान नीति के अन्तर्गत निर्णय ले लिया जायेगा। इसके पश्चात् पंजीयन प्रमाणपत्रों पर क्रमशः नहाने के साबुन तथा कपड़े धोने के साबुन विषयक विशिष्ट क्षमता का उल्लेख होगा। इसके बाद कम्पनी के लिए प्रति वर्ष तैयार किए जाने वाले कपड़े धोने व नहाने के साबुन का अलग-अलग ब्यौरा देना आवश्यक हो जायेगा।

हिन्दुस्तान जिंक लि. की मुख्य खानों में बिजली की कटौती

6169. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर जिले में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की सभी मुख्य खानें राजस्थान इलैक्ट्रीसिटी कंपनी द्वारा बिजली की पूरी तरह कटौती करने के कारण बन्द हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो यह खानें कितने समय से बन्द पड़ी हुई हैं और उससे कितनी हानि हुई है; और

(ग) खानों को खोलने तथा उत्पादन शुरू करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राजस्थान में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की जावर और मटून खानों के कार्यसंचालन पर, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल द्वारा समय-समय पर की गई बिजली की कटौतियों/व्यवधानों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फिर भी खानों को पूरी तरह बन्द नहीं किया गया। अप्रैल 1981 से फरवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान जावर समूह की खानों और मटून राकफास्फेट की खानों में क्रमशः 29 दिन और 42 दिन 100% बिजली की कटौती की गई।

अप्रैल 1981 से फरवरी 1982 के दौरान की गई बिजली कटौतियों के कारण जावर समूह और मटून खानों में सान्द्रों के उत्पादन में क्रमशः 8418 टन और 15630 टन की हानि हुई।

बिजली की कटौती की स्थिति में इसकी आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने जावर ग्रुप को खानों में आपातकालीन सहायता के लिए दो डीजल जेनरेटिंग सैट लगाए हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 3.5 मेगावाट है। साथ ही मटून खानों में बिजली की कटौती होने पर आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 530 किलोवाट क्षमता का डीजल जेनरेटिंग सैट लगाने का भी प्रस्ताव है। कंपनी की राजस्थान स्थित यूनिटों को राजस्थान

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा की जा रही बिजली की सप्लाई में अधिवृद्धि के लिए एक निजी बिजली संयन्त्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. में धरना

6170. **श्री एच. एन. नन्जे गोडा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. के कर्मचारियों को अपनी लम्बे समय से चली आ रही मांगों को पूरा कराने के लिए अनिश्चित काल तक धरना देना पड़ रहा है;

(ख) क्या उन्होंने यह भी धमकी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वे देश की सभी विद्युत परियोजनाओं में काम करना बन्द कर देंगे;

(ग) यदि हां, तो वे किन मांगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) आल इण्डिया बी. एच. ई. एल. पावर इम्प्लाईज यूनियन जो बी. एच. ई. एल. की विभिन्न साइटों में कार्य करने वाले लगभग 1960 कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, 1-3-1982 से अनिश्चित कालीन धरने पर है और साथ ही अनिश्चित कालीन हड़ताल करने की धमकी भी भी है।

(ग) उनके मांग पत्र दिनांक 1-1-1982 की एक प्रति अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

(घ) सरकार को आशा है कि बी. एच. ई. एल. के प्रबन्धकों और उक्त यूनियन के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श से इस विवाद में संतोषजनक समझौता होगा।

विवरण

मांग-पत्र 1 जनवरी, 1982

1. वर्क चार्ज श्रमिकों की मजदूरी में तत्काल संशोधन किया जाए क्योंकि विद्यमान मजदूरी ढांचा बहुत पहले निर्धारित किया गया था जो बढ़ती हुई कीमतों के कारण काफी हद तक कम हो गया है और सारे सरकारी क्षेत्र में यह सबसे कम हैं।
2. यूनियन को मान्यता और जगह, कार्यकर्ताओं को विशेष अवकाश और यूनियन के प्रतिनिधियों को बढ़ती हुई दर पर टी. ए./डी. ए. दिया जाय।
3. बी. एच. ई. एल. पी. पी. एण्ड एस. डी. से गैर-सरकारी ठेकेदारों को कार्य का उप-ठेका देने और श्रमिक संविदा प्रणाली को हमेशा के लिये समाप्त किया जाए।
4. जिन श्रमिकों को प्रबन्धकों ने बन्द पड़ी हुई/बन्द होने वाली साइटों पर निकम्मा बैठे रहने के लिए बाध्य किया है उनका उत्पादक कार्य पर अन्य साइटों में स्थानान्तरण और उन श्रमिकों की सेवाओं का पूरा उपयोग जिन्हें बिना काम के निकम्मा बैठे रहने के लिए बाध्य किया गया है और वही काम पूरा करने हेतु गैर-सरकारी उप-ठेकेदारों को दिया गया है, उदाहरण के लिए सुवर्णरेखा, पार्ली-4, ओबरा, बुन्देल, नामरूप आदि।
5. जिन कर्मचारियों ने 8-4-78 के बाद नौकरी शुरू की है उनको सभी लाभ दिए जाएं और 8-4-1978 को हुए समझौते के अनुसार उन्हें नियमित भी किया जाए।

6. नियमित होने से पूर्व बी. एच. ई. एल. में की गई सेवाओं की गणना सभी प्रयोजनों के लिए की जानी चाहिए जैसे छुट्टी, पदोन्नति, शीतकालीन और अशांति क्षेत्र भत्ते का भुगतान आदि।

7. जूता, फर्नीचर, सवारी, सुरक्षा वस्त्र आदि व्यय की सीमा में ढील दी जाए।

8. पी. पी. एण्ड एस. डी. के श्रमिकों को केवल पी. पी. एण्ड एस. डी. में ही काम करने दिया जाए और पी. पी. एण्ड एस. डी. सेल में स्थानान्तरित श्रमिकों का स्थानान्तरण निर्माण एककों में न किया जाए। ऐसे स्थानान्तरणों पर तत्काल रोक लगाई जाये।

9. ग्रेड 5 और 6 के श्रमिकों से संबंधित पदोन्नति नीति में अन्तरों को दूर किया जाये। पी. पी.-एस. आर. में हाई प्रेशर वेल्डर ग्रेड II के अनिर्णीत मामलों को तत्काल हल किया जाये।

10. वर्क चार्ज कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाय (जिस तारीख को यह उन्हें देय हुई)

11. सभी कर्मचारियों को साइट भत्ता बढ़ा कर कम से कम 450 रु. प्रतिमास किया जाये।

12. संबंधित कर्मचारियों को जोखिम और भारी वाहन भत्ता दिया जाए।

13. एच. आर. ए. और डी. ए. (टूर) में वृद्धि की जाये। एच. आर. ए. नये वेतन-मान के अनुसार होना चाहिये।

14. वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में की गई सेवा अवधि के दौरान किसी श्रमिक के खाते में जितनी अर्जित छुट्टी, और चिकित्सा-अवकाश और अन्य अवकाश हैं, उसे उसके नियमित होने के बाद आगे ले जाया जाय।

15. वेल्डिंग भत्ता देने के लिये प्रभावी तारीख 12-9-1981 के कार्यवृत्त के अनुसार निश्चित की जाय।

16. एम. आर. एस., बम्बई में काम करने वाले कर्मचारियों की बकाया समस्याए शीघ्र हल की जायें।"

17. पी. पी. एण्ड एस. डी. में सेवा के दौरान जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस अपग कर्मचारी के आश्रितों/रिश्तेदारों को बी. एच. ई. एल. में नौकरी दी जाय।

18. पदोन्नति/नियमितीकरण के लिये अतिरिक्त अनुभव, योग्यता और बी. एच. ई. एल. से बाह्य अनुभव को उचित महत्व दिया जाय।

19. जिन कर्मचारियों को नियमित होने के प्रयोजन के लिये अनुग्रह समय की जरूरत पड़े उन्हें छः महीने का अनुग्रह समय दिया जाय और शीघ्रातिशीघ्र अधिक से अधिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित बनाने के लिये दो बार इन्टरव्यू लिया जाना चाहिए।

20. वर्क चार्ज कर्मचारियों की नियमित कर्मचारियों के बराबर सभी लाभ /सुविधा दी

जाये, उदाहरण के लिये :-एल. टी. सी., बिजली बिल की वापसी, निःशुल्क सज्जित आवास, ई. एल. एम. एल. सामुहिक बीमा योजना, छुट्टी का नकदीकरण आदि ।

21. नामरूप स्थल पर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता दिया जाये क्योंकि नामरूप में भारत में सबसे महंगा स्थल है, जैसे सरकारी क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है

22. श्रमिकों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में भाग लेने का अवसर दिया जाये . बी. एच. ई. एल. के शीर्षस्थ निकाय में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व भी दिया जाय ।

23. उन कर्मचारियों के ग्रेड बदले जांय जिन्हें गलती से पार्ली, तूतीकोरीन, ओबरा, आई. ओ. सी., बड़ौदा, बन्देल आदि साइटों में निम्न ग्रेड दिया गया था ।

24. बायलर सहायक सामान परियोजना, रापीपेट और पाईपिंग केन्द्र, मद्रास आदि में सीधी भर्ती बन्द की जाये और परिपत्र के अनुसार कारपोरेट कार्यालय द्वारा अपनाई गई नीति के मुताबिक वहाँ बी. एच. ई. एल. के पी. पी. और एस. डी. के वर्क चार्ज कर्मचारियों को लगाया जाय और नियमित किया जाये ।

25. श्रमिकों का उत्पीड़न तत्काल बन्द किया जाये और पहले से ही हुये समझौतों को उचित रूप से कार्यान्वित किया जाये ।

उद्योगों के लिए नियंत्रण कक्ष

6171. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु और मध्यम क्षेत्रों के उद्योगों की शिकायतें दूर करने के लिए एक "नियंत्रण कक्ष" स्थापित किया है;

(ख) क्या "नियंत्रण कक्ष" स्थापित करने से निगरानी कक्ष (सेल) फालतू हो गया है, और क्या कक्ष (सेल) को समाप्त करने का वही कारण था, और

(ग) इस नियंत्रण कक्ष की शक्तियों का पैरामीटर क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जी, हां । चुने हुये 21 उद्योगों के सभी एककों के सूचित किये गये उत्पादन अवरोधों को दूर करने के लिये एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई है ।

(ख) जी, नहीं । मानिटरिंग प्रकोष्ठ बन्द नहीं किया गया है ।

(ग) नियंत्रण कक्ष कच्चा माल, बिजली, कोयला, रेल से माल लाने ले जाने जैसी उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को शीघ्र दूर करने के लिए संबधित प्राधिकारियों के परामर्श से कार्य करता है ।

राजस्थान के झालावाड़ जिले में हीरों के मिलने की संभावना

6172. **श्री चतुर्भुज** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के झालावाड़ जिले में हीरों वाले क्षेत्र के मिलने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि ज्वैलरी एक्सपोर्ट कौंसिल आफ इंडिया के अधिकारियों और ज्वेक्ल्स विशेषज्ञों ने हीरा खोज कार्य को युद्ध-स्तर पर करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्काल विशेष बजट प्रावधान रखकर इस काम को प्रारम्भ किया जायेगा, और

(घ) वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां हीरों वाले क्षेत्रों के मिलने की संभावना है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान के झालावाड़ जिले में कोई हीराधारी क्षेत्र नहीं पाये गये हैं, किन्तु इस प्रकार के क्षेत्र मिलने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) जी हां।

(ग) हीरा अन्वेषण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिज गवेषण निगम और राष्ट्रीयखनिज विकास निगम के सहयोग से 1980-81 के क्षेत्रगत सत्र (फील्ड सीजन) में एक उच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। आन्ध्र प्रदेश में राज्य सरकार के खनन एव भूविज्ञान निदेशालय को भी इस कार्यालय में सहयोजित किया गया है। इस कार्य के लिए निर्धारित धनराशि पर्याप्त समझी गई है।

(घ) अन्वेषण के लिए संभाव्य क्षेत्र हैं—आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में वज्रकरूर और लल्लावरम, गुंटूर और कृष्णा जिलों में वंमनावली, अलाकोटा, बसवापुरम, वीरापल्ली और वहाँ की नदी के तलहटी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जंगेल और पीपरा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में मझगवां हिनौटा, अजयगढ़ ग्रेवल्स और हातूपुर संगम क्षेत्र तथा छतरपुर जिले के कुछ भूभाग।

म्यूरगंज में विस्फोटक उद्योग की स्थापना करना

6173. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी प्राइवेट उद्यमी से आशय पत्र के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है; जिसमें उड़ीसा के मयूरभंज जिले में एन. जी. पर आधारित विस्फोटक औद्योगिक एकक की स्थापना करने के लिये लिखा है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय को वह प्रार्थना पत्र कब मिला था;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भी उस प्रार्थना पत्र को अग्रेषित किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या वह प्रार्थना पत्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) क्या उस उद्यमी को आशय पत्र जारी किये जाने की आशा है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मंत्रालय में आवेदन पत्र 11-8-1981 को प्राप्त हुआ था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ङ) आवेदन पत्र विचाराधीन है।

आई. एस. टी. एम. और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई लिपिक ग्रेड परीक्षा में सफल ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों का प्रतिशत

6174. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई लिपिक ग्रेड परीक्षा में सफल ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों की वर्ष-वार अलग-अलग प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के सफल उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत में गिरावट आने का कारण उपरोक्त परीक्षा को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिये जाने के बाद अनियार्य टंकण (टाइपिंग) परीक्षा का आरम्भ किया जाना है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या टंकण परीक्षा पास करने की कमी के कारण ग्रामीण उम्मीदवारों को प्रशिक्षण की कमी और टंकण प्रशिक्षण/टंकण मशीनों की कमी हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए कोई मानदण्ड तैयार नहीं किये गये हैं। किन्तु कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केवल 1979 की परीक्षा से ही उम्मीदवारों से आवेदन पत्रों में सूचना मांगी जा रही है। 1979 तथा 1980 के दौरान ली गई लिपिक ग्रेड परीक्षाओं के लिए इस आधार पर ग्रामीण तथा शहरी उम्मीदवारों की प्रतिशतता का वर्ष वार ब्यौरा संलग्न है। लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1981 के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि अन्तिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं किये गये हैं।

(ख) तथा (ग) 1979 से 1980 में ग्रामीण प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता में अधिक उल्लेखनीय गिरावट नहीं है। अनिवार्य टंकण परीक्षण कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना से ही परीक्षा की योजना में विद्यमान है।

विवरण

1979 तथा 1980 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई लिपिक ग्रेड परीक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	जिन्होंने उल्लेख नहीं किया	कुल
1979	1375(30 20%)	3087(67.80%)	9 (2.00%)	4553(100.00%)
1980	2370(29.40%)	5561(68.98%)	131(1.62%)	8062(100.00%)

"मिनी स्टील यूनिट्स फेसिंग क्राइसेस" शीर्षक समाचार

6175. **श्री हरीनाथ मिश्र** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1982 के 'फाइनेन्सियल एक्सप्रैस' में प्रकाशित 'मिनी स्टील यूनिट्स फेसिंग क्राइसेस' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या छोटे इस्पात उद्योग जिसकी 1979 और 1980 में इस्पात की मांग में वृद्धि के कारण स्थिति अच्छी थी फिर संकट का सामना कर रहा है;

(ग) क्या चालू वर्ष के प्रारम्भ से अधिकांश एकक औसतन प्रति टन 250 रुपये की हानि उठा रहे हैं;

(घ) आयातित इस्पात की वस्तुओं के कम मूल्य के कारण जब से छड़ों, शलाकों और बिलेट के आयात को जी. एल. के अन्तर्गत रखा गया है क्या उत्पादों के उठाने में तेजी से गिरावट आई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लघु इस्पात उद्योग संकट पर काबू पाने की स्थिति में हो और उसे पुनः सुदृढ़ किया जा सके क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। वास्तव में लघु इस्पात संयंत्रों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से देखा जा सकता है और वर्ष 1981 में उत्पादन सबसे अधिक हुआ है :

वर्ष	इस्पात पिण्ड का उत्पादन
(जनवरी-दिसम्बर)	(टन)
1979	17,43,824
1980	18,74,209
1981	20,07,769

(ग) से (ङ) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस समय अधिकांश इकाइयों को औसतन 250 रुपये प्रतिटन की हानि हो रही है। किसी इकाई की लाभदायकता, उत्पादिता, मांग और सप्लाई की स्थिति आदि जैसी कई बातों पर निर्भर करती है। सरकार ने दिसम्बर 1981 से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत छड़ों, गोल छड़ों और बिलेटों का आयात बन्द कर दिया है। इसके अलावा इन इकाइयों को अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये स्टील मेल्टिंग स्क्रैप तथा स्पंज लोहे का निःशुल्क आयात करने की छूट है। लघु इस्पात संयंत्रों को अपनी अर्थ-क्षमता में सुधार लाने के लिए अपने उत्पादन में विविधता लाने तथा इस्पात की अन्य श्रेणियों का उत्पादन करने की भी अनुमति दे दी गई है।

स्लीपर पैड की मशीनीकरण के लिए प्राइवेट फर्म को आर्डर

6176. **श्री आर. पी. माडंगी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि राउरकेला स्टील प्लांट ने अक्तूबर, 1970 से फरवरी, 1979 के बीच स्लीपर पैड के मशीनीकरण के लिए एक प्राइवेट फर्म को कई आर्डर भेजे थे;

(ख) : क्या उन स्लीपर पैडों को इस फर्म ने बेच दिया था, जिसके विरुद्ध राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही लागत वसूली के लिए कोई प्रयास किया गया;

(ग) : क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी जांच पड़ताल के लिए राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्ध से संबंधित फाइलें 4 अगस्त, 1980 को मांगी थीं; और

(घ) : यदि हां, तो क्या उन फाइलों को राउरकेला स्टील प्लांट के प्रबन्ध द्वारा 5 अक्तूबर, 1980 को जला दिया गया था।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) स्लिपर पैडों का मशीनीकरण करने के लिए राउरकेला इस्पात कारखाने ने अक्तूबर, 1970 से फरवरी, 1976 की अवधि में निम्नलिखित फर्मों को आर्डर दिये थे :—

1). टाटा इंजीनियरिंग वर्क्स
2). उत्कल मेटल इंडस्ट्रीज
3). प्रभात आयरन फाउंड्रीज

(ख) : मेसर्स प्रभात आयरन फाउंड्रीज़ ने उन्हें मशीनीकरण के लिए दिए गए स्लिपर पैडों को लौटाने में कुछ विलम्ब किया था। इस फर्म को देय राशि में से 24,945 रुपये की राशि रोक ली गई है।

(ग) : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच के लिए कोई मामला दर्ज नहीं किया है लेकिन दिनांक 4 अगस्त, 1980 के अपने पत्र में ब्यूरो ने कुछ जानकारी के सत्यापन के लिए 12 मिसिलें मांगी थीं।

(घ) : मई, 1980 में राउरकेला इस्पात कारखाने में यह निर्णय लिया गया था कि खरीद से सम्बन्धित उन सभी मिसिलों को नष्ट कर दिया जाए जिनमें 31 अक्तूबर, 1972 से पूर्व खरीद के लिए आर्डर दिए गए थे और सप्लाई भी की जा चुकी थी। जैसाकि ऊपर भाग (ग) में बताया गया है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मांगी गई एक मिसिल उन 16,297 मिसिलों में शामिल थी जिनको अलग रखा गया था और 5 अक्तूबर, 1980 को अथवा उसके आस पास नष्टकर दिया गया था।

उच्चतम न्यायालय द्वारा पूछी गई दहेज से होने वाली मौतों की सख्या

6177. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को केन्द्र शासित प्रदेश में वर्ष 1979-81 में औरतों को दहेज से हुई मौतों और अकाल मौतों की संख्या के बारे में पूछा है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) ऐसे मामलों में रिपोर्टों/शिकायतों का पंजीकृत करने अथवा जांच करने में असफल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान। अपेक्षित सूचना भेजने का शपथ-पत्र अब उच्चतम न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(ख) नवविवाहित महिलाओं को उनके विवाह के पहले पाँच वर्षों के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में की गई आत्महत्या अथवा मृत्यु के सभी मामलों पर विशेष ध्यान देने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। जब कभी कोई मामला दर्ज न करने अथवा जाँच न करने की पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो गलती करने वाले पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

नागालैंड में बाहर से आए श्रमिकों पर प्रतिबंध

6178. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड के औद्योगिक विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में बाहर से आए श्रमिकों पर प्रतिबंध लगाने तथा स्थानीय लोगों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) नागालैंड में 3 जिलों अर्थात् कोहिमा मेकांकचुग और त्यूनसग को दोनों योजनाओं अर्थात् अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी संस्थानों के रियायती वित्त तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना शुरू होने की तारीख से आज तक राज्य में पता लगाए गए जिलों, क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों को वितरित की गई 53·37 लाख रुपये की राशि की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति की गई है पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा, केन्द्र सरकार भी परिवहन राजसहायता, कर सम्बन्धी रियायतें लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता, कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं, कारीगर कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र तथा मूल (सीड) मार्जिन (सीमांत) धनराशि सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है।

केन्द्रस्थ कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्य सरकार के कहने पर गहन एकीकृत औद्योगिक विकास के लिए दो जिलों अर्थात् मोन तथा त्यूनसंग का पता लगाया गया है। इन जिलों के औद्योगिक विकास के लिए परियोजना सम्बन्धी संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है।

सीमा-सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार नागालैण्ड में सड़कें बनाने के लिए, केवल अपरिहार्य स्थिति में ही बाहर से आए हुए श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है। मुख्य इंजीनियर को समय-समय पर ये अनुदेश जारी किए गए हैं कि वह स्थानीय रूप से उपलब्ध श्रमिकों का पता लगाने तथा उन्हें काम पर लगाने के हर संभव प्रयास करें।

मुद्रा स्फीति का छठी योजना पर प्रभाव

6179. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रा स्फीति छठी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी; और

(ख) क्या यह भी सच है कि चाहे वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए, परन्तु भौतिक लक्ष्यों पर, विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गम्भीर कटौती होगी ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चह्वाण) : (क) **और** (ख) छठी योजना की संसाधन स्थिति पर वर्ष 1980-81 और 1981-82 में मुद्रास्फीति के निश्चित प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया गया है। वर्ष 1982-83 में छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करने का प्रस्ताव है। इस अभ्यास के भाग के रूप में वित्तीय संसाधनों और विशेष रूप से मूल क्षेत्रकों में वास्तविक लक्ष्यों की संभावित उपलब्धि का पुनर्मूल्यांकन भी किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर को सीमेंट का आवंटन

6180. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को गत छः महीनों के दौरान सीमेंट का पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गन छः महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य को सीमेंट का कितना आवंटन किया गया है;

(ग) वर्ष 1982 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना कोटा आवंटित किया जायेगा;

(घ) क्या राज्यों को आवंटित सीमेंट कोटे का उनके द्वारा दुरुपयोग किए जाने के बारे में भी पता चला है;

(ङ) किन राज्यों में किसी एक कार्य के लिए आवंटित सीमेंट का किन्हीं अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया गया ;

(च) सीमेंट कोटे का दुरुपयोग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं; और

(छ) किन राज्यों ने सीमेंट कोटे का दुरुपयोग किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सीमेंट का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाता है। तीन तिमाहियों में, अर्थात् तिमाही 4/81, तिमाही 1/82 और तिमाही 2/82 में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सीमेंट के किए गए आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(घ) से (छ) 28-2-1982 से पूर्व अविद्यमान सीमेंट वितरण योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सीमेंट का इकट्ठा आवंटन कर दिया जाता था तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सौंप दिया जाता था। इन आवंटनों में से कुछ मात्रा सिंचाई और विद्युत जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पहले से ही आरक्षित कर दी जाती थी और शेष सीमेंट का उपआवंटन राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों के प्रशासन अपनी पूर्ण इच्छानुसार कर सकते थे। इस मामले में केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व केवल इकट्ठा आबंटन करने की अवस्था तक ही है।

विवरण

तिमाही 4/1981, तिमाही-1/1982 और तिमाही 2/1982 में राज्यों/संघशासित प्रदेशों को सीमेंट के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	तिमाही 4/81	तिमाही 1/82	तिमाही 2/82
	में सीमेंट का आवटन (हजार मी० टनों में)		
चडीगढ़	25.6	25.6	12.5
दिल्ली	118.4	118.4	51.4
हरियाणा	154.1	141.4	49.7
हिमाचल प्रदेश	31 9	31.9	19.8
जम्मू और कश्मीर	49.1	47.6	27.6
पंजाब	224.5	224.5	72.4
राजस्थान	163.7	163.7	7 6
उत्तर प्रदेश	582.4	589.0	216.9
असम	66.2	71·2	28.8
अरुणाचल प्रदेश	13.0	13.0	13.1
बिहार	301.7	232.7	129.1
मेघालय	20.0	20 0	17.6
मिजोरम	6.6	6,6	6.4
मणिपुर	15.4	15.4	9.2
नागालैंड	15.0	15.0	14.0
उड़ीसा	108.9	108.9	57.8
सिक्किम	15.0	15.0	11.5
त्रिपुरा	16.0	16.0	10.7
पश्चिम बंगाल	360.3	357.3	741.2
दादरा और नगर हवेली	3.0	3.0	1.5
गोवा दमन और दिव	28.9	35.9	13.9
गुजरात	394.5	379.5	122.4
मध्य प्रदेश	283.0	200.0	106.3
आन्ध्र प्रदेश	376.8	371.8	119.9
महाराष्ट्र	529.9	519.4	167.5
अण्डमान और निकोबार	5.0	5.0	2.4
कर्नाटक	244.4	208 0	78.8
केरल	195.3	195.3	63.4
लक्ष द्वीप	1.9	1.9	1.0
पांडिचेरी	12.0	12.0	5.3
तामिलनाडु	371.4	389.4	142.3

कम्प्यूटर प्रोपेशनलों की पूर्ति और मांग में अन्तर

6181. **श्री के. राममूर्ति** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर प्रोपेशनलों की सप्लाई और मांग के बीच में 1.10 का अन्तर है;

(ख) क्या इलैक्ट्रानिकी आयोग द्वारा यह मूल्यांकन लगभग 10 वर्ष पूर्व किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कम्प्यूटर प्रोपेशनलों की सप्लाई और मांग के बीच इस भारी अन्तर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) से (ग) कम्प्यूटर के व्यवसायविदों की मांग और पूर्ति के बीच में जो अन्तराल है, उसकी जांच करने के लिए इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा जून, 1972 में गठित मिनीकम्प्यूटर के पैनल द्वारा जांच की गई पैनल ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय (1972) में भारतीय प्रौद्योगिकी सस्थानों और अन्य उच्चर शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिवर्ष औसतन 150 कम्प्यूटर इंजीनियर निकलते हैं। इसकी तुलना में पैनल ने यह निष्कर्ष निकाला था कि वर्ष 1973-78 की पांच वर्षों की अवधि में केवल मिनीकम्प्यूटरों के लिए ही लगभग 7500 अर्थात औसतन 1500 कम्प्यूटर व्यवसायविदों की आवश्यकता होगी। इनमें से अधिकांश की जरूरत इन वर्षों के अन्तिम दो अथवा तीन वर्षों में पड़ेगी। पैनल ने अनुमान लगाया की मध्यम तथा बड़े कम्प्यूटरों के लिए लगभग इतनी ही संख्या में कम्प्यूटर व्यवसायविदों की जरूरत होगी। 1970 के दशक में इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा किये गये संवर्धनात्मक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1980 में कम्प्यूटर वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की वार्षिक संख्या इस प्रकार थी, 130 बी. टेक. 120 एम. टेक., 12 पी. एच. डी- अर्थात लगभग 260 प्रतिवर्ष। इसके अतिरिक्त अधिकांश लोगों ने विभिन्न निजी सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरणों तथा अन्य संस्थानों द्वारा सचालित प्रोग्रामन, प्रणाली विश्लेषण आदि में लघु पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इलेक्ट्रानिकी विभाग ने जनवरी, 1980 में कम्प्यूटर जनशक्ति विकास पर एक पैनल का गठन किया। इस पैनल ने वर्ष 1980-85 के दौरान विभिन्न प्रकार की कम्प्यूटर जनशक्ति की आवश्यकता और इस अवधि में उनकी मांग की सम्भावना की जांच की और साथ ही साथ इस बात की भी जांच की कि यदि वर्तमान (1980) शैक्षणिक प्रणाली के आधार पर जनशक्ति स्थिर रही तो वर्ष 1980-85 के दौरान कुल कितने जनशक्ति की आपूर्ति हो सकेगी। तैयार की गई रूप-रेखा नीचे दिये अनुसार है :—

	पी. एच. डी.	एम. टेक. (प्रौद्योगिकी निष्णोत)	बी. टेक. (प्रौद्योगिकी स्नातक)	प्रणाली विश्लेषण/ एम. सी.ए.
मांग (1980-85)	250	2500	1500	2500
आपूर्ति (1980-85) जो वर्ष 1980 में उपलब्ध जनशक्ति स्तर के आधार पर है।	60	600	650	—

इस अन्तराल को देखते हुए, पैनल ने निम्नलिखित उपाय करने की सिफारिश की थी :-

(i) शिक्षकों का प्रशिक्षणक कार्यक्रम आरंभ करना।

(ii) कम्प्यूटर विज्ञान में बी. टेक./एम. टेक. कार्यक्रमों की शुरूआत करना उसमें अभिवृद्धि करना।

(iii) "कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में मास्टर की डिग्री" नामक एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करना।

(iv) माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रणालियों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(v) प्रणाली सोफ्टवेयर (यंत्रेतर सामग्री) के अनुरक्षण और उनमें सुधार लाने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।

(vi) निरन्तर चलने वाले शैक्षिणिक कार्यक्रम की शुरुआत करना।

(vii) बढ़िया किस्म की शैक्षिणिक सामग्री तैयार करना।

इलेक्ट्रानिकी आयोग ने अपनी दिनांक 4 मार्च, 1981 को आयोजित बैठक में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और आयोग ने 10 7 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अपना अनुमोदन प्रदान किया, जिसमें से 5 करोड़ रुपए छठी योजनावधि अर्थात मार्च, 1985 तक व्यय किया जाना था और शेष राशि सातवीं योजना अवधि में व्यय की जानी थी। तदनुसार, "विशेष कम्प्यूटर जनशक्ति कार्यक्रम" नामक इलेक्ट्रानिकी विभाग के एक अनुमोदित कार्यक्रम के जरिए, इलेक्ट्रानिकी विभाग कार्यवाही कर रहा है। पिछले नौ महीनों में इलैक्ट्रानिकी विभाग ने कार्यान्ययन के तौर पर निम्नलिखित क र्यक्रम शुरु किए हैं :

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु करना और बी. टेक./एम. टेक. कार्यक्रमों की शुरुआत करना/उनमें अभिवृद्धि करना।

(ii) प्रणाली-साफ्टवेयर (यंत्रेतर सामग्री) के अनुरक्षण के लिए तथा उनमें सुधार लाने की दृष्टि से कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरु किया गया है।

(iii) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने स्वयं ही शिक्षकों/उद्योगपतियों के लिए माइक्रो-प्रोसेसर पर आधारित प्रणाली प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया है। अनेक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(iv) कम्प्यूटर अनुप्रयोग कार्यक्रम में मास्टर की एक नई डिग्री (एम. सी. ए.) के पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उपर्युक्त अनुवर्ती कार्यवाहियों में से अधिकांश कार्यक्रमों को इलेक्ट्रानिकी विभाग के "विशेष जनशक्ति विकास कार्यक्रम," नामक एक अनुमोदित कार्यक्रम (1980-1985) के अन्तर्गत सम्पन्न किया जा रहा है।

दिल्ली में कैबरे प्रदर्शन वाले रस्टोरेन्टों में वृद्धि

6182 **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में नंगे कैबरे का प्रदर्शन करने वाले रेस्टोरेन्ट की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सभी स्थानों को कैबरे प्रदर्शन करने के लाइसेन्स दिए गए हैं;

(ग) कैबरे प्रदर्शन के लिए रेस्टोरेन्टों को लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में नियम क्या है; और

(घ) सरकार ने नंगे प्रदर्शनों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस समय दिल्ली फ्लोर शो वाले 14 रेस्टोरेन्ट चल रहे हैं जब कि नवम्बर, 1980 में इनकी संख्या 8 थी। इनमें से 5 लाइसेन्स शुदा हैं और एक को लाइसेंस जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) फ्लोर शो करने के लिए लाइसेन्स जारी करना दिल्ली पुलिस भोजनालय विनियम, 1980 के विनियम संख्या 14 द्वारा नियन्त्रित होता है। विनियम, में नग्नता और अश्लीलता निशेध है। शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर दिल्ली पुलिस अधिनियम के अधीन रेस्टोरेन्टों के पंजीजकरण को रद्द करने की कार्यवाई की जा सकती है और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दो रेस्टोरेन्टों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की गई है जिसके परिणाम स्वरूप ये बन्द हो गए हैं अथवा ऐसे प्रदर्शन रोक दिए गए हैं। 6 रेस्टोरेन्टों के विरुद्ध की गई कार्रवाई न्यायाधीन है।

इलेक्ट्रानिक उपस्करों का उत्पादन

6183. **श्री एनः के. शेजवलकर** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कुटीर उद्योगों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक उपस्करों के उत्पादन कराये जाने की कोई योजना है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : जी, नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार की इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे उद्योग विषयक नीति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

विवरण

इलैक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग के बारे में इलैक्ट्रानिकी विभाग की नीति से संबंधित टिप्पणी

भारत में इलेक्ट्रानिक उपस्करों और प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूल-भूत पूर्व-शर्त यह है कि विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। अतः इलैक्ट्रानिक संघटक पुर्जा उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. बड़े पैमाने तथा व्यवहारिक तथा सुदृढ़ आधार पर और उद्यमकर्त्ताओं का एक व्यापक आधार बनाकर संघटर-पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देने/लाइसेन्स प्रदान करने सुस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन हमारे विशुद्ध देशी आवश्यकताओं से कुछ अधिक होगा किन्तु जब उद्योग का संवर्धन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम आधार पर किया जाएगा तो निर्यात की प्रचुर सम्भावातएं उपलब्ध होंगी।

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम आधार प्रदान करने और साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता (क्वालीटी) सुनिश्चित करने के लिए बड़ी उत्पादन क्षमताएं स्थापित करना जरूरी है। स्वचालित मशीनों के प्रादुर्भाव से प्रौद्योगिकी दृष्टि से यह एक अनिवार्यता बन गयी है। तदनुसार वर्तमान संगठित क्षेत्र के उद्योगों को मुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

3. मांग की स्थिति और इस कार्य को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय को देखते हुए इस बात की सम्भावना बहुत कम नजर आती है कि वर्तमान युनिटें अपने कार्य क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण किए बगैर इस मांग की पूर्ति करने की स्थिति में होगी। अतः और अधिक क्षमता का निर्माण करना जरूरी समझा गया है। इस क्षमता को केवल अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम बनाने के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी प्रस्ताव की लागत तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जांच करते समय हम न केवल स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हैं अपितु निर्यात की सम्भावनाओं को भी मद्दे नजर रखते हैं।

4. जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति यह रही है कि आधुनिक किस्म के संघटक पुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से आयात की मुक्त रूप से अनुमति दी जाए। वर्तमान निर्माणकर्त्ताओं के पास प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है और रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्तरीय संघटक पुर्जों के लिए बहुत कम अनुमोदन दिए गए हैं।

5. कुछ मामलों में इस समय क्षमताओं का पूर्ण रुपेण उपयोग न किए जाने का कारण मांग का अभाव होना नहीं है अपितु इसके कुछ और ही कारण हैं (सामान्यतया प्रबंधकीय असफलताएं)।

6. उपर्युक्त कारणों से लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक पुर्जों का उत्पादन करना सर्वथा अनुपयुक्त है और इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग) दोनों ही पिछले 4-5 वर्षों से लघु उद्योग के सभी उद्यमकर्त्ताओं को लिखते आ रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक पुर्जों के निर्माण में पूंजी-निवेश करना विवेकपूर्ण नहीं होगा और यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं तो वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान न कर सकेगी।

कोयम्बतूर (तामिलनाडु में कर्मचारियों को उपदान से वंचित किया जाना

6184. **श्री ईरा मोहन** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर (तामिलनाडु) में उद्योगों, कपड़ा मिलों और ढलाई कारखानों में कार्यरत सैंकड़ों कर्मचारियों के 25 वर्षों से अधिक की सेवा करने के बाद सेवा निवृति पर उन्हें देय उपदान से वंचित रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

बचत-आय अनुपात में कमी

6185. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा की गई समीक्षा से पता चलता है कि बचत-आय अनुपात में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा हाल ही में जारी किए गए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिक के त्वरित अनुमानों पर आधारित राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद् की समीक्षा में यह बताया गया है कि बचत और आय का अनुपात वर्ष 1978-79 में 19.6 से कम होकर वर्ष 1979-80 में 17.1 रह गया है और वर्ष 1980-81 में 16.9 रह गया है। वर्ष 1979-80 के लिए अनुपात में कमी वर्ष 1979-80 में 5.5 प्रतिशत की राष्ट्रीय आय की संवृद्धि में कमी के कारण हो सकती है जो सम्भवत: पारिवारिक क्षेत्रक तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रशासनिक विभागों—दोनों में ही बचत में कमी के परिणामस्यरूप हुई है। वर्ष 1980-81 में जो थोड़ी सी कमी देखी गई है, वह पूर्ण रूप से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रशासनिक विभागों की बचतों में कमी होने के कारण है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1980-81 के लिए बचत के त्वरित अनुमान प्राप्तियों और व्यय के परिशोधित अनुमानों पर आधारित है, न कि वास्तविक लेखाओं पर आधारित है जिनका उपयोग पिछले दो वर्षों के बचत के अनुमान लगाने के लिए किया गया था। मुद्रा स्फीति की दशाओं में पहले यह देखा गया है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है और वास्तविक लेखे परिशोधित अनुमानों की अपेक्षा सामान्य रूप से अधिक है, दूसरी ओर व्यय इतनी तेजी से हमेशा नहीं बढ़ता रहा है। इसलिए यह सम्भव है कि सरकारी क्षेत्रक में अन्तिम अनुमान त्वरित अनुमानों के अन्तर्गत दिखाए गए अनुमानों से अधिक होंगे। इस प्रकार वर्ष 1980-81 में बचत की वास्तविक दर 16.9 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना

6186. **श्री वी. आर. महाटा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरु की जाएंगी और प्रत्येक राज्य के किन जिलों में शुरु की जाएंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : पिछले वर्ष के दौरान ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने विभिन्न राज्यों के कई जिलों में सौर, पवन और जैव गैस पर आधारित प्रदर्शन नवीकरणीय ऊर्जा यूनिटों को बड़ी संख्या में स्थापित किया है। इनके अतिरिक्त और स्थलों के अभिनिर्धारण के लिए राज्यों के अभिकरणों के साथ बातचीत चल रही है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के सभी जिलों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

गुजरात में सीमेंट की आवश्यकता

6187. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रति तिमाही सीमेंट की न्यूनतम मांग कितनी है,

(ख) वर्ष 1 81-82 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही के दौरान राज्य का सीमेंट का कितना तिमाही अवंटन किया गया है और वास्तविक तिमाही सप्लाई क्या थी;

(ग) क्या यह सच है कि माँग की तुलना में सप्लाई काफी कम थी, और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे और राज्य के निर्माण कार्य में बाधा न हो सके इसके लिए गुजरात राज्य की सीमेंट की मांग पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हाल ही में गुजरात सरकार ने बताया है कि उनकी सीमेंट की आवश्यकता 11 लाख मी. टन प्रति तिमाही होगी।

(ख) और (ग) 1981-82 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान गुजरात राज्य को दिया गया सीमेंट का आवंटन और प्रेषण निम्नलिखित है :—

(आंकड़े - 000 मी. टन में)

अवधि	आवंटन		प्रेषण	
	मूल	तदर्थ	कुल	
अप्रैल-जून, 1981	326.5	25.0	351.5	382.5
जुलाई-सितम्बर, 81	346.5	35.0	381.5	379.1
अक्तूबर-दिसम्बर, 81	379 5	15-1	394.5	384.8

(घ) देश में सीमेंट की सामान्यतया कमी है और विभिन्न क्षेत्रों की सीमेंट की पूर्व आवश्यकता को पूरा करना सम्भव नहीं है। सरकार विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके नई क्षमता स्वीकृत करने और आयात द्वारा देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी का पुनर्गठन

6188. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पुनर्गठन की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी. हां।

(ख) कोठारी समिति ने सिफारिश की थी कि अकादमी का निदेशक, भारत सरकार के सचिव के स्तर का होना चाहिए। पिछले पांच वर्षों से सरकार इसी स्तर के अधिकारी को निदेशक के पद पर नियुक्त करती रही है। परन्तु कुछ सिफारिशें विशेषकर आधारित पाठ्यक्रम की अवधि में वृद्धि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-मानों को शैक्षणिक संकाय पर लागू

करना तथा अकादमी को मंसूरी से किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किए जाने सम्बन्धी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाया गया।

दिल्ली के अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के बुक स्टालों पर अश्लील साहित्य की बिक्री

6189. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, कश्मीरी गेट, दिल्ली के बुक-स्टालों पर डा. हरिवंश लाल बत्तरा द्वारा लिखी गई "सेक्स गाइड" नामक और दिनेश शास्त्री द्वारा लिखी गई "सम्भाग" कला नामक पुस्तकें जिनके कवरों (मुख्य पृष्ठों) पर नंगे और अश्लील चित्र छपे हुए हैं, खुले आम बेची जाती हैं; और

(ख) इस प्रकार के अश्लील साहित्य को जब्त न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जल्दी जल्दी छापे मारे जाते हैं, परन्तु अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर ऐसी अश्लील पुस्तकों के बेचे जाने का पता नहीं लगा है। तथापि मई, 1981 में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर एक पुस्तक विक्रेता से मस्तराम नामक एक व्यक्ति द्वारा लिखित अश्लील उपन्यास की 43 प्रतियां बरामद की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में शीघ्र चालान किया जायेगा।

एस्कार्टस प्रा. (लि.) फरीदाबाद की और ई. एस. आई. और ई. जी. एफ. की बकाया राशि

6190. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरीदाबाद (हरियाणा) स्थित मैसर्स एस्कार्टस प्रा० (लि०) I और II में नैमित्तिक रूप से और मासिक भुगतान के आधार पर कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) कम्पनी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि जमा कराई गई है और इस सम्बन्ध में कितनी राशि उसकी ओर बकाया है;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि कथित कम्पनी अपने प्रयोग के नाम पर उपस्करों का निर्माण कर रही है, फिर भी वे सरकार की अनुमति के बिना बाजार में बेच रही है और इस तरह कम्पनी बिक्री कर का अपवंचन कर कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस फर्म के कार्यकरण के सम्बन्ध में जांच करेगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान द्वारा नियोजित किए गए कर्मकारों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	श्रमिकों की संख्या	
	मासिक मजदूरी	दैनिक मजदूरी
संयत्र-I	3564	193
संयत्रक-II	2807	139

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचित की गई स्थिति निम्न प्रकार है :—

कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशियां :

नियोजक ने संयंत्र-I के सम्बन्ध 38,43,687.15 रुपये की अंशदान की राशि तथा संयत्र-II के सम्बन्ध में 35,01,973.65 रु० की अंशदान की राशि जमा कर दी है। कोई राशि शेष नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां :

नियोजक के संयंत्र सं.-I के सम्बन्ध में 109,50,368 75 रु० की अंशदान की राशि तथा सयंत्र सं. II के सम्बन्ध में 95,10,625.75 रु० के अंश दान की राशि जमा कर दी है। कोई राशि शेष नहीं हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दीं जाएगी।

शराब से हुई मौतें

6191. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 के दौरान शराब पीने से हुई मौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मामलों को जांच करने के लिए सी. बी. आई. से जांच करवाए जाने का कोई आदेश दिया गया है ;

(ग) प्रत्येक मामले में प्रकाश में आई बातों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में राज्य सरकारों को कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं ?

गृहमन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीनिहार रंजन लास्कर) : (क) शराब संबंधी अपराधों को भारतीय दंड संहिता और राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के आवकारी और मद्यनिषेध कानूनों के अन्तर्गत अधिनियमित किया जाता है। वर्ष 1981 के दौरान शराब से हुई मौतों के विषय में अखिल भारतीय स्तर पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है। नशीली शराब का उत्पादन, निर्माण, रखना, लाना-लेजाना, खरीदना और बिक्री राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथापि नशीली शराब की समस्याओं से निपटने के लिए 28 अप्रैल, 1981 को सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अल्प अवधि और दोष अवधि के उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र में छटनी किए गये श्रमिक

6192. **श्री के.प्रधानी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र से कुल कितने श्रमिकों की छंटनी की गई;

(ख) उनकी छंटनी करने के क्या कारण थे; और

(ग) उन्हें पुनः काम पर वापिस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाने के किसी भी कामगार की छंटनी नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेयन टायर उद्योग

6193. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में टायर उद्योग द्वारा रेयन टायर धागे का वास्तविक उत्पादन और कुल खरीद क्या थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेयन टायर धागा उद्योग में गंभीर समस्यायें व्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दिनों में रेयन टायर उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) रेयन टायर धागे उद्योग की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ). 1981 में रेयन टायर धागे का वास्तविक उत्पादन 14065 मी०टन रहा जिसमें से 13878 मी० टन की बिक्री हुई। आटोमोटिव टायर उद्योग ने जो कि रेयन टायर धागे का प्रमुख उपभोक्ता है, प्रौद्योगिकीय सुधारों के लिये रेयन टायर धागे के स्थान पर आंशिक रूप से नायलोन टायर धागे का प्रयोग शुरू कर दिया है क्योंकि नायलोन टायर धागे से बने टायर अधिक टिकाऊ सिद्ध हुए हैं। रेयन टायर धागा उद्योग को विविधीकरण की संभावनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में केन्द्रीय सुरक्षा बल विंग के कर्मचारियों को टेलीफोन सुविधाएं

6194. **श्री एन. ई. होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सुरक्षा बल विंग के कर्मचारियों को, जो इस समय विशिष्ट व्यक्तियों और सरकारी सम्पदा की सुरक्षा केलिए उत्तरदायी है राजधानी में उनके दिन प्रति दिन के कार्यकरण के लिए टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है;

(ख) क्या कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों अथवा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सरकारी भवनों और उनमें उस मंत्रालय के मंत्रियों को सुरक्षा के लिए सरकार से टेलीफोन की आवश्यकता पर विचार करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) यदि हां तो क्या सरकार का विचार उनके अनुरोध पर विचार करने तथा सम्बद्ध अधिकारियों को उनके कार्यालय तथा आवास पर नियमों के अन्तर्गत टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सचिवालय सुरक्षा

संगठन को उपलब्ध कराई गई टेलीफोन सुविधाएं इस संगठन को सौंपे गए कार्य को ध्यान में रखते हुए प्राप्त हैं।

दिल्ली प्रशासन को "डानो" अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

6195. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी तारीख से और किन व्यक्तियों द्वारा केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि वे एस. एस. गौतम और अन्यों के मामलों में स्थगन आदेश का स्पष्टीकरण अथवा संशोधन अथवा उसे रद्द करे क्योंकि उक्त आदेश को कई मौकों पर कई मामलों में दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार से व्याख्या किए जाने का आरोप है;

(ख) किस तारीख को सरकार ने दिल्ली प्रशासन को स्थगन आदेश का स्पष्टीकरण अथवा संशोधन प्राप्त करने का निदेश दिया था और किस तारीख को दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन दिया ;

(ग) दिल्ली प्रशासन को स्थानापन्न "डानो" (दो. ए. एन. आई.) अधिकारियों से जनवरी, 1979 से दिसम्बर, 1981 के दौरान दिनांकवार, विषयवार और प्रत्येक अधिकारी से कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए और फरवरी, 1982 तक कितने अभ्यावेदन बिना उत्तर दिए अथवा उनको बिना कोई सूचना दिए हुए पड़े हुए थे;

(घ) "डानो" सेवा में नियुक्ति के लिये ग्राह्य अधिकारियों की अद्यतन वरिष्ठता सूची सरकार ने किस तारीख को मांगी थी और दिल्ली प्रशासन द्वारा यह सूची सरकार को किस तारीख को भेजी गई; और

(ङ) "डानों" सेवा में अगस्त 1973 में चयनित अधिकारियों के चयन को सरकार किस तारीख को अन्तिम रूप देगी ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) सर्वश्री एफ. एस. रियाजुद्दीन और बी. चक्रवर्ती द्वारा 10-2-81 को दिल्ली प्रशासन को एक संयुक्त अभ्यावेदन दिया था जिसकी एक प्रति मन्त्रालय को भेजी गई थी। श्री एफ. एस. रिआजुद्दीन द्वारा 2-3-1981 को एक और अभ्यावेदन दिया गया था। सर्वश्री आई. डी. भगत, चन्द्रगुप्त, जे. सी. रावल, एम.एल. चौधरी, ओ. एन. महरोत्रा, एफ.एस. रिआजुददीन, विकास चक्रवर्ती, एम. एन. माथुर, एस. एस. गौतम, निहालसिंह, आर. के. चावला, सुन्दर सिंह, जी.आर. मट्टा और टिक्का राम से भी दिल्ली प्रशासन को सम्बोधित एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसकी एक प्रति इस मंत्रालय में 1 अप्रैल 1981 को प्राप्त हुई थी।

(ख) मन्त्रालय ने स्थगन आदेश रद्द करने/उसका स्पष्टीकरण देने के लिए दिल्ली प्रशासन को 30.9.1980, 6-11-80, 4-3-81 और 16-4-81 को पत्र लिखे। दिल्ली प्रशासन ने अपने विनिर्णय पर शीघ्र 19-10-79 को स्थगन आदेश रद्द करने के लिये न्यायालय से निवेदन किया। किन्तु इस आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रिट याचिका के साथ 14-2-1981 को सुनवाई के आदेश दिये गई गये। एक अन्य आवेदन 18-4-1981 को दायर किया गया। उच्च न्यायालय ने 14-5-81 को स्थगन आदेश को संशोधित कर दिया।

(ग) दिल्ली प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मंत्रालय ने 1973 के चयन का अन्तिम पुनरीक्षण करने के लिए अद्यतन वरिष्ठता सूची भेजने हेतु 30 जुलाई, 1981 को दिल्ली प्रशासन को पत्र लिखा। प्रशासन ने अपने दिनांक 29 जनवरी, 1982 के पत्र के साथ वरिष्ठता सूचियां भेजी।

(ङ) यद्यपि सरकार अस्थाई नियुक्तियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके यथाशीघ्र 1973 के चयन के पुनरीक्षण को अन्तिम रूप देने के लिए इच्छुक हैं तथापित कोई निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर व्यय की गई राशि

6196. **श्री ए. नीलालोहियादसन नाडार : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर व्यय की गई राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इस बारे में कितनी राशि व्यय करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) (क) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के लिए व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

करोड़ रु०

	योजना	योजनेतर	जोड़
पहली योजना (1951-56)	14	6	20
दूसरी योजना (1956-61)	33	34	67
तीसरी योजना (1961-66)	71	73	144
चौथी योजना (1969-74)	142	231	373
पांचवीं योजना (1974-78)	502	515	1017

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और शिल्प विज्ञान के लिए परिव्यय इस प्रकार है :—

(करोड़ रु०)

योजना	1919.41
योजनेतर	1447.70
जोड़	3367.11

हिमाचल प्रदेश के आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य स्वाधीनता सेनानियों को स्वाधीनता सेनानी पेंशन

6197. **प्रो. नारायण चंद पराशर :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश राज्य के जिलावार, ऐसे कितने स्वाधीनता सेनानी हैं जिनको आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य स्वाधीनता सेनानियों दोनों के लिए इस योजना के प्रारम्भ से पृथक पृथक स्वाधीनता सेनानी पेंशन मन्जूर की गई;

(ख) क्या किसी पेंशन प्राप्तकर्त्ता को पेंशन करुणामूलक अधार पर बढ़ाई भी गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या पेंशन में वृद्धि के लिए ऐसे कोई अनुरोध जिलावार अभी विचाराधीन हैं और निर्णय किस संभावित तारीख तक लिया जायेगा ?

गृह मंत्रायल तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. बेंकट सुब्बय्या) : (क) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ) :—प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश के जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत को गई है, उनकी राज्यवार संख्या का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या	अन्य स्वतंत्रा सेनानियों की सख्या	कुल
1	2	3	4	5
1.	कांगड़ा	553	52	605
2.	हमीरपुर	253	32	285
3.	ऊना	75	34	109
4.	बिलासपुर	103	70	173
5.	मण्डी	209	13	222
6.	शिमला	9	44	53
7.	सोलन	15	26	41
8.	चम्बा	32	11	43
9.	सिरमौर	3	51	54
10.	कूल	2	16	18
11.	महासू	—	16	16
	जोड़	1254	365	1619

दिल्ली प्रशासन के अधीन दिल्ली के भुगतान तथा लेखा डिवीजन के समक्ष विचाराधीन बिल

6198. **श्री ए. के. राय** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा नियंत्रक दिल्ली प्रशासन दिल्ली के नियंत्रण में चल रहे भुगतान तथा लेखे डिवीजन के समक्ष एक वर्ष से अधिक तथा पांच वर्ष से अधिक समय से कितने बिल विचाराधीन हैं, ब्यौरे वार तथ्य क्या हैं ; और उनका सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र से ब्यौरा क्या है;

(ख) भुगतान तथा लेखा डिवीज़न द्वारा कुल बिलों में से कितने प्रतिशत बिलों पर गत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृति दी गई;

(ग) क्या प्राइवेट पार्टियां सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अपने बिलों को जल्दी भुगतान करवा लेती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि लेखा नियत्रक के नियत्रणाधीन वेतन तथा लेखा कार्यालयों को सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र से कोई बिल प्राप्त नहीं होते क्योंकि वे यथा व्यवस्था, उस पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई नहीं करते ।

(ग) और (घ) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई में कपड़ा मिलों की हड़ताल से निपटने के लिए भारतीय कपड़ा मिल परिसंघ का सुझाव

6199. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी**: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने बम्बई में कपड़ा मिलों की हड़ताल से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) बम्बई की हड़ताल समाप्त करने के लिए केन्द्र का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या इस बारे में भारतीय कपड़ा मिल परिसंघ से सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी नहीं। बम्बई सूती कपड़ा उद्योग के औद्योगिक संबंध बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 तथा महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन मान्यता व अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम, 1971 द्वारा प्रशासित होते हैं। राज्य सरकार, जो कि समुचित सरकार है, हड़ताल से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कार्रवाई कर रही है ।

(ग) और (घ) सरकार को सूती कपड़ा उद्योग की समस्याओं के बारे में इंडियन काटन

मिल्स फेडरेशन से एक संक्षिप्त टिप्पणी प्राप्त हुई है। कपड़ा उद्योग की हड़ताल को समाप्त करने के लिए टिप्पणी में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं है।

खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सीमेंट का आयात करने का प्रस्ताव

6200. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत सीमेंट आयात करने का विचार था,

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने विचार किया है कि खुली बिक्री के सीमेंट के मूल्य को नियमित करने तथा इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिये आंशिक नियंत्रण समाप्त करने की नीति को इस वस्तु के निर्बाध आयातों से पूरा किया जाये, और

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सरकार के समक्ष कोई व्यापक प्रस्ताव रखा था और क्या इन प्रस्तावों को मंत्रालय ने घोष पेनल की सिफारिशों पर तैयार किया था जिसने सीमेंट उद्योग की समस्याओं का गहन अध्ययन किया था और सरकार को 1981 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि अल्पावधि में सीमेंट आपूर्ति की कमी आंशिक रूप से पूरा करने और प्रयोक्ताओं के उन वर्गों की भी जो लेवी कोटे से सीमेंट प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड और राज्य सरकारों संघ शासित प्रदेशों द्वारा पदनामित सार्वजनिक अभिकरणों को वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए सीमेंट आयात करने की अनुमति मुक्त रूप से दी जायेगी।

आयात प्रक्रिया के लिए ब्यौरे किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की प्रणाली आरंभ करने का निर्णय डा. ए. के. घोष, अध्यक्ष, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की अध्यक्षता में सीमेंट उद्योग विकास समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार करते समय लिया गया था।

रामगढ़ छावनी, बिहार के निकट विस्फोट

6201. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या उदयोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अप्रैल, 1981 को बिहार में रामगढ़ सैनिक छावनी से $\frac{1}{4}$ किलोमीटर की दूरी पर स्थित रसूल एण्ड कंपनी के विस्फोटक भण्डार में गंभीर विस्फोट के परिणामस्वरूप 7 व्यक्ति मौके पर मर गये थे,

(ख) क्या इस कंपनी के 17000 किलो ग्राम और 18000 किलोग्राम विस्फोटक चांदवा खंड में आंग्रे नदी की रेत में छिपाये गये पाये गये थे, और

(ग) क्या मैसर्स रसूल एण्ड कंपनी रामगढ़ छावनी इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड, गोमियां (गिरिर्डीह) के लिये बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा आसाम के लिये एकमात्र एजेन्ट हैं और इस कंपनी द्वारा कोल इन्डिया को भी विस्फोटक पदार्थ सप्लाई किये जाते हैं,

(घ) क्या यह कंपनी पाकिस्तान को भी गुप्त रूप से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का निर्यात करती है, और

(ङ) यदि हां, तो इस कंपनी की गतिविधियों की जांच के बारे में ब्यौरा क्या है और जांच के क्या परिणाम रहे।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) बिहार में बोकारो, करगली तथा बरसाना कोयला क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के सिंगरौली क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थों के वितरक मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज के रामगढ़ कन्टूनमेंट के कन्साइनमेंट एजेन्ट मैसर्स रसूल एंड कं. की लाइसेंसशुदा बारुद फैक्टरी से लगभग 225 मीटर दूर बिहार के रामगढ़ कन्टूनमेंट के समीप मांडु पुलिस स्टेशन में राउता ग्राम के वन क्षेत्र में 28 अप्रैल, 1981 को एक जोर का विस्फोट हुआ था। विस्फोटक पदार्थों के मुख्य नियत्रक ने बताया है कि इस विस्फोट से कोई दुर्घटना अथवा आसपास की संपति को कोई क्षति नहीं पहुची है।

(ग) हजारी बाग में विस्फोटक पदार्थों के नियंत्रक ने जिला पालामउ (बिहार) मणिका नगर के समीप औरंगीनदी के कछार से 17,800 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया है। जैसे सुरक्षा को ध्यान में रखकर नष्ट कर दिया गया था।

(घ) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि विस्फोटक पदार्थों की पाकिस्तान के लिये तस्करी किये जाने के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु सीमा पर कड़ी और निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

योजनाओं में कुल पूंजी निवेश

6202. **श्री ए. के. राय** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी योजनाओं में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है और उसका योजनावार विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पूंजी निवेश से कुल कितनी पूंजी अथवा आस्तियां बनी हैं और खपत आदि पर कितनी राशि खर्च की गई है; विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पूंजी निवेश और पूंजी निर्माण का अनुपात असंतोषजनक हैं तथा अधिकांश धन शासक वर्ग की जेब में चला गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) योजनावार सरकारी क्षेत्रक का वास्तविक व्यय निम्नलिखित है :

	(करोड़ रु.)
पहली योजना	1960
दूसरी योजना	4672
तीसरी योजना	8576
चौथी योजना	15782
पांचवीं योजना	28653
छठी योजना	97508*

* अनुमानित योजना परिव्यय से संबंधित है।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि निवेश में से उपभोग/खपत में खर्च की गई राशि से माननीय सदस्य का क्या आशय है। तथापि संभवतः उनका आशय योजना के वर्तमान परिव्यय संघटक से है। योजना में वर्तमान परिव्यय संघटक का प्रतिशत नीचे बताया गया है :

	(प्रतिशत)
पहली योजना	25.51
दूसरी योजना	21.40
तीसरी योजना	13.99
चौथी योजना	14.24
पांचवीं योजना	19.89
छठी योजना	13.85

(ग) सकल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजी निर्माण की दर वर्ष 1950-51 में 10.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1980-81 में 21.9 प्रतिशत हो गई है। विकास के इसी प्रकार के प्रक्रमों में अन्य देशों से तुलना करने पर भी पूंजी निर्माण की दर में यह वृद्धि बहुत अधिक संतोषप्रद मानी जा सकती है। इस दावे के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अधिकांश योजना निवेश से केवल एक छोटे से समूह को लाभ पहुंचा है। तथापि पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबंधित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर गरीबी के अनुमानों से यह दिखाई देता है कि वर्ष 1972-73 से वर्ष 1977-78 तक की अवधि में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की दृष्टि से अखिल भारतीय गरीबी 51.5 प्रतिशत से कम होकर 48.1 प्रतिशत हो गई है।

(घ) ऊपर (ग) में बताये गये तथ्यों की दृष्टि से प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भाड़ा समानीकरण योजना

6203. **श्री रेणुपद दास** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1974 में किसी समय वस्तुओं पर भाड़ा समानीकरण की योजना समाप्त करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का क्या हुआ ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

चुनावों के दौरान राज्य के बाहर सैनिक तैनात करना

6204. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनावों के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्य से बाहर के सैनिकों को तैनात करने के बारे में चुनाव आयोग से परामर्श लेना गृह मंत्रालय के लिये अनिवार्य है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में सरकार के दृष्टिकोण से चुनाव आयोग को अवगत करा दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या चुनाव आयोग ने, गढ़वाल, लोकसभा उपचुनाव में मतदान को अवैध घोषित करने के अपने निर्णय के सन्दर्भ में इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया दे दी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। राज्य के बाहर पुलिस बलों को तैनात करने के संवैधानिक और कानूनी उपबंध असंदिग्ध और स्पष्ट हैं तथा इस संबंध में कोई अनुदेश अथवा मार्गदर्शी निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असम आन्दोलन

6205. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम आन्दोलन के नेताओं ने 12 मार्च, 1982 से 20 दिवसीय राज्य व्यापी आन्दोलन की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वाधीनता सेनानी भी इस आन्दोलन में शामिल थे; और

(ग) यदि हां, तो क्या आन्दोलन वास्तव में आरंभ किया गया था और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) स्वतन्त्रता सेनानियों ने 12 और 13 मार्च को ब्रह्मपुत्र घाटी में विभिन्न केन्द्रों पर उप-आयुक्तों, उप मंडलीय अधिकारियों और उप-सहायक समाहर्ता के कार्यालयों के समक्ष दिन के समय में 4 से 9 ग्रुपों में 12 घंटे की भूख हड़ताल की थी। कारबी, अगलोंग उत्तरी कछार और कछार जिले में कार्यक्रम नहीं किया गया। सरकार ने संतोषजनक हल निकालने के लिये अपनी कोशिशें जारी रखी है। सरकार, संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं और अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों के मध्य संयुक्त बैठक 7 अप्रैल, 1982 से होनी निश्चित हुई है।

तमिलनाडु में स्पिरिट कांड

6206. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पिरिट कांड की जांच करने के लिये किसी केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच का आदेश दिया है जिसमें तमिलनाडु की डिस्टिलरियों में बनी हजारों लिटर शोधित स्पिरिट चोरी छिपे केरल में लाई गई और वितरित की गई; और

(ख) क्या भारत सरकार ने जांच के लिये कोई समयसीमा निधर्रारित की है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) जांच आयोग को प्रारम्भ में अपनी जांच पूरी करके छः महीने की अवधि के अन्दर अर्थात् 17-12-1981 तक केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे देनी थी। इसकी कार्यविधि 30-6-1982 तक और बढ़ा दी गई है। यह आयोग आरम्भ में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा तथा बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पास किये गये स्थगन आदेशों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं कर सका है।

राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति सम्बन्धी पांडे समिति

6207. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई लाइनें बिछाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (पांडे समिति) की सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इनमें से कोई सिफारिश स्वीकार की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की नई रेल लाइनें बनाने के संबंध में सिफारिशें उनकी रिपोर्ट के पैरा 9, 31, 1 से लेकर 9, 31, 4 तक में दी गई हैं। समिति ने इनका सारांश अध्याय 9 से संबंधित अपनी सिफारिश संख्या 21 से 24 तक में दिया है जिन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है :

21. नई रेल लाइनों के लिये निवेश मापदंडों में अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय प्रतिलाभों और लाभों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन के लिए व्यापक सामाजिक लागत-लाभ मापदंडों को लागू करने की आवश्यकता है। नई रेल लाइनों का निर्माणकार्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये किया जाना चाहिए :

(क) परियोजनामूलक लाइनें के रूप में नये उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करना या खनिज और अन्य संसाधनों का उपयोग करना;

(ख) बीच की छूटी हुई लाइनों के रूप में काम करना जो वर्तमान व्यस्त रेल मार्गों पर होने वाली भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों के रूप में काम कर सकें।

(ग) सामरिक या महत्वपूर्ण विचार से बनाई जाने वाली लाइनें; और

(घ) विकासात्मक लाइनों के रूप में नये संवृद्धि केन्द्रों की स्थापना करना या दूर के क्षेत्रों से संपर्क जोड़ना। (पैरा 9, 31, 1)

22. जिस किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनमें नये संवृद्धि केन्द्रों का विकास करने के लिए और आर्थिक कार्यकलाप को बढ़ावा देने के लिये स्वीकृत कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये और ऐसी विकास योजनाओं में नई रेल लाइन उसका एक तत्व होता है। (पैरा 9, 31, 1)

23. ढल परिवहन को कम करना और वर्तमान संतृप्त तंत्र पर भीड़भाड़ को कम करना नई रेल लाइनों के निर्माण के लिये ये महत्वपूर्ण मापदंड हैं। वैकल्पिक मार्गों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है जिन पर यातायात को विपथित किया जा सकता है, जिससे गमन दूरी में कमी होगी और उसके परिणाम स्वरूप ढल परिवहन में कमी होगी। (पैरा 9, 31, 2)

24. जहां कहीं वर्तमान मार्गों पर, दोहरी रेल लाइन बना देने के बाद भी, बहुत अधिक भीड़भाड़ हो, वहां और एक तीसरी पटरी या लाइन को जोड़ने की अपेक्षा मुख्य आसंधि स्थानों के बीच में बिल्कुल ही नये मार्ग को बनाने से उक्त रेल व्यवस्था को अधिक विकास क्षमता प्राप्त होगी। इससे प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा उत्पन्न होने वाली रुकावटों के समय भी वैकल्पिक मार्ग का प्रचालन हो सकेगा। (पैरा 9, 31, 4)

(ख) समिति की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

(ग) भविष्य में नई रेल लाइनों के लिए योजना बनाते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

सेवा निवृत्त होने वाले विकलांग कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाना

6208. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा-निवृत्त होने वाले विकलांगों कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह अवधि कितनी बढ़ाई गई है और ऐसे कितने विकलांग कर्मचारियों की अवधि बढ़ाई गई जो गत वर्ष सेवा निवृत्त होने वाले थे;

(ग) क्या सरकार का विचार विकलांग कर्मचारियों की सेवा-निवृत्त से रिक्त होने वाले पदों को केवल विकलांग व्यक्तियों को ही देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि समूह "ग" और "घ" पदों की रिक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की योजना है।

यमुना का प्रदूषण

6209. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यमुना के किनारे शहरों द्वारा छोड़े जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों और नदियों के किनारों के निकट स्थित उद्योगों से छोड़े जाने वाले विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों के कारण यमुना के अत्यधिक प्रदूषण की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रदूषण के कारण नदियों का पानी न केवल पीने में हानिकारक है अपितु अन्य प्रयोजनों के लिए भी हानिकारक है; और

(ग) यमुना के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी, तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन सिंह) : (क) जी, हां। यमुना नदी के जल गुणवता के प्रबोधन के पश्चात यह पाया गया है कि कुछ स्थानों में नदी के किनारे पर स्थित नगरो से औद्योगिक तथा घरेलू बहिश्रावों के बहाये जाने के कारण अत्यधिक जल प्रदूषण होता है।

(ख) जी, हां, कुछ क्षेत्रों में नदी का जल गुणवता के दृष्टिकोण से पीने और नहाने आदि के लिए अनुपयुक्त है।

(ग) नगरपालिका प्राधिकरणों तथा उद्योगों को जिनके द्वारा नदी जल प्रदूषित होता

है, समुचित उपचार संयन्त्रों की स्थापना करके प्रदूषणों को कम करने और यदि सम्भव हो तो समाप्त करने के लिए उत्तरोत्तर प्रभावित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पर्यावरण ब्यूरो की स्थापना का प्रस्ताव

6210. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-स्फियर रिजर्व की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने, के लिए कि इसका वाणिज्यिक प्रयोजनों के उपयोग न हो, राष्ट्रीय पर्यावरण मानक ब्यूरो की स्थापना के लिए कोई सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पर्यावरण सम्बन्धी प्रत्येक प्रकार के "मूल" को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) से (ग) सरकार देश के प्रतिनिधिक पारितन्त्रों में प्राकृतिक सजीव संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए जीवमंडल रिजर्वों के एक तन्त्र को स्थापित करने हेतु प्रस्तावों पर विचार कर रही है। ऐसे रिजर्व राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक ब्यूरों के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की आस्तियां

6211. **श्री मूल चन्द डागा** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय खादी ग्रामोद्योग आयोग की कुल आस्तियां कितनी हैं और आयोग की 1980, 1981 और 1982 में अब तक पृथक पृथक कितना निवल लाभ हुआ तथा नियमों के अन्तर्गत इसे कितना लाभ होना चाहिए था और कमी के क्या कारण हैं।

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : बाहरी कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए ऋणों के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की परिसंपत्तियां 1979-80 में 222.86 करोड़ रुपए और 1980-81 में 264.61 करोड़ रु. थी। इन एककों के कार्य निष्पादन परिणाम खादी ग्रामोद्योग आयोग के लेखा परीक्षणों में नहीं होते। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने 137 विभागीय एककों को उधार दी गई राशि 1979-80 तक 21.74 करोड़ रु. और 1980-81 तक 27.93 करोड़ रु. थी। इन एककों के व्यापारिक परिणाम 1979-80 में 21-17 लाख रु. और 1980-81 में 50.04 लाख रुपये के स्पष्ट लाभ दिखाते हैं। अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को कच्चे माल की आपूर्ति और विपणन जैसी सहायक सेवाएं देने के लिए खादी ग्रामोद्योग आयोग अपना कार्यक्रम चलाता है। "हानि लाभ रहित" आधार पर सेवाएं प्रदान कराना ही इसका उद्देश्य है। इसलिए सरकार ने इस विषय में कोई नियम निर्धारित नहीं किये

हैं कि खादी ग्रामोद्योग आयोग को अपने निवेशों पर कितना लाभार्जन करना चाहिए। चूंकि इसकी सेवाओं का ठीक मूल्य आंकना संभव नहीं है इसलिए कुछ गतिविधियों में हानि होती है और कुछ गतिविधियों में थोड़ा सा लाभ भी हो जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कुल मिलाकर कुछ बचत ही हुई थी।

सीमेंट की सप्लाई हेतु सर्किल संख्या 43, ब्रह्मपुरी, शाहदरा को प्राप्त आवेदन पत्र

6212. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

श्री चिंतामणि जेना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा सम्भरण सर्किल संख्या 43, ब्रह्मपुरी शाहदरा, दिल्ली-53 को मार्च, 81 से फरवरी, 82 के दौरान मरम्मत के लिए सीमेंट की सप्लाई हेतु कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए, और

(ख) प्रत्येक के नाम पते क्या हैं और उसे कितनी मात्रा में सीमेंट मंजूर की गई तथा सीमेंट परमिट जारी करने का क्या मानदंड है।

उद्योग तथा इस्पात और खान (मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) इस प्रकार की सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती हैं।

समान काम के लिए समान वेतन के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

6213. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "समान काम के लिए समान" के बारे में 23 फरवरी, 1982 को उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो सभी मामलों में सांविधिक अनिवार्यताओं के माध्यम से इस संवैधानिक सिद्धान्त को क्रियान्वित करने के लिए सरकार क्या सक्रिय कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस बारे में अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह पता चला है कि उच्चतम न्यायालय में उनके निर्णय के सम्बन्ध में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है।

पत्रकारों की छंटनी

6214. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालेकर एवार्ड प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पहले के एक वर्ष के दौरान कितने पूर्णकालिक तथा अंशकालिक पत्रकारों की छंटनी की गई,

(ख) क्या यह सच है कि एक बड़ी संख्या में पत्रकारों की छंटनी इसलिए की गई कि उनको पालेकर एवार्ड के लाभ न दिए जायें, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ताकि छंटनी किये गये पत्रकारों को न्याय मिल सके ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) चूंकि श्रमजीवी पत्रकारों की छटनी आदि के मामलों की जांच करने के लिए उचित सरकारें सम्बन्धित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन हैं, इसलिए केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि समाचार पत्र-प्रतिष्ठानों ने पालेकर अभिकरणों की सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार मजदूरी के भुगतान से बचने के लिए कुछ पत्रकारों की छंटनी की है।

(ग) श्रम-जीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि कोई भी नियोजक पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियोजित श्रम जीवी पत्रकार सहित किसी भी कर्मचारी को अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश में निर्दिष्ट मजदूरी के भुगतान की दर के अपने दायित्व के कारण पदमुक्ति, बरखास्तगी या छंटनी न कर सकें। सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो उचित सरकारें हैं, से भी छंटनी की शिकायतों को निपटाने का अनुरोध किया गया है।

बंधुआ मजदूर

6215. **श्री सुभाष यादव :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया जा चुका है;

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने बधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना बनाई है और यदि हाँ, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ङ) इन सभी मजदूरों का कब तक पुनर्वास कर दिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) 31-1-1982 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा का एक विवरण अनुबन्ध में दिया गया है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

विवरण

पता लगाए गये, मुक्त कराए गये तथा फिर से बसाए गए बंधुआ मजदूर (31-1-82)

क्रमांक	राज्य	बंधुआ मजदूरों की संख्या							फिर से बसाए जाने वाले शेष बंधुआ मजदूर जिसमें 1981 के दौरान पता लगाये गए बंधुआ मजदूर शामिल हैं
		पता लगाए गये और मुक्त कराए गए	अन्य चल रही योजनाओं के अन्तर्गत आए	केन्द्रीय संचालित योजना के अन्तर्गत अब तक फिर से बसाए गए बंधुआ श्रमिक					
				1978-79 के दौरान	1979-80 के दौरान	1980-81 के दौरान	1981-82 के दौरान	कुल श्रमिक	
1.	आंध्र प्रदेश	13399	2680	2930	1586	2268	913	10567	2832
2.	बिहार	4958	952	816	369	1876	361	4374	584
3.	गुजरात	42	42	—	—	—	—	42	—
4.	कनांटक	62699	39960	527	1521	13436	61	55505	7194
5.	केरल	1162	133	110	60	—	—	308	854
6.	मध्य प्रदेश	1531	—	58	—	—	77	135	1396
7.	उड़ीसा	7096	—	321	16	517	4938	5792	1304
8.	राजस्थान	6036	4256	700	700	344	36	6036	—
9.	तमिलनाडु	27874	27311	—	—	559	—	27670	204
10.	उत्तर प्रदेश	8753	1368	495	2606	500	3664	3633	120
	जोड़ :	1,33,550	76,907	5,947	6,858	19,300	10,050	1,19,062	14,488

हिन्दुस्तान समाचार और नेशनल हेरल्ड ग्रुप द्वारा वेतन का भुगतान न किया जाना

6216. **श्री आर. एन. राकेश** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी समाचार एजेंसी हिन्दुस्तान समाचार तथा नेशनल हेरल्ड ग्रुप आफ पेपर्स गत अनेक महीनों से अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर सम्बन्धित संस्थापना के साथ बातचीत की है कि यह श्रम कानूनों तथा पालेकर आयोग के एवार्ड का उल्लंघन है, और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैसर्स एसोसिएटेड जर्नलस लिमिटेड (नेशनल हैरल्ड ग्रुप आफ न्यूजपेपर्स) अपने कर्मचारियों को देय तिथि पर या अगले दिन, यदि देय तारीख छुट्टी का दिन हो, नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान कर रही है।

हिन्दुस्तान समाचार जो कि हिन्दी समाचार एजेंसी है, ने दिल्ली में मुख्यालय के अपने गैर पत्रकार कर्मचारियों को जनवरी, 1982 तक के और शाखाओं में दिसम्बर, 1981 तक के वेतन का भुगतान कर दिया है। श्रमजीवी पत्रकारों को नवम्बर 1981 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। सूचित किया गया है कि भुगतान न किए जाने का कारण यह है कि प्रबंधतंत्र की बकाया राशियों का विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) और (ख) दिल्ली प्रशासन उचित कार्यवाही करने के लिए हिन्दुस्तान समाचार से सम्बन्धित मामले की जांच कर रहा है।

बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए धनराशि का नियतन

6217. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में 6 फरवरी, 1982 को हुई उत्तरी जोनल परिषद की सत्रहवीं बैठक में सिफारिश की गई थी कि योजना आयोग को बीस-सूत्री कार्यक्रम के क्रितान्वयन के लिए नई प्राथमिकताओं के अनुसार धनराशि का पुनः नियतन करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किए गए; और

(ग) उन पर योजना आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 6 फरवरी 1982 को चण्डीगढ़ में हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक में राज्यों के सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाय उक्त बैठक में अन्य अनेक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। 6 फरवरी, 1982 को हुई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की कार्यवाई को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और कार्यवाही को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद और इसे अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित करने के बाद उसे बैठक में लिए गए निर्णयों पर उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए योजना आयोग सहित सम्बन्धित विभागों को भेजा जाएगा।

वस्तुओं का किस्म नियन्त्रण

62 8. **डा. कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तुओं के कोटि-नियन्त्रण के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है, यदि हाँ, तो वह क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि देश में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस विषय पर पूरे पाठ्यक्रम की पेशकश करती हो,

(ग) क्या भारतीय वस्तुओं के कोटि नियन्त्रण तथा विश्वसनीयता के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, और

(घ) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है,

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) किस्म नियन्त्रण तथा भारतीय वस्तुओं की विश्वसनीयता के प्रश्न के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारों के विभाग, तथा सघ क्षेत्र प्रशासनों की संवीक्षा में अनेक प्रकार के सामान्य सेवाएं तथा उद्योग एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्रियायें आतीं हैं। विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा बनाये गये अनेक कानूनी आदेशों में किस्म नियन्त्रण के मानक निर्धारित किए गये हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सिविल आपूर्ति मंत्रालय के अधीन भारतीय मानक संस्था (आई. एस. आई.) मानकीकरण को बढ़ावा देने तथा आई. एस. आई. प्रमाणीकरण चिन्हांकन अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अन्तर्गत जिम्मेवार है। इस योजना की परिसीम के अन्तर्गत ही आई. एस. आई. उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

विशिष्ट उद्योगों तथा उद्योग समूहों के सम्बन्ध में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन गठित विकास परिषदें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक उद्योग अथवा उद्योग समूह के उत्पादों के लिए डिजाइन तथा किस्मों में सुधार को बढ़ावा देती है। किसी भी इस प्रकार के अनुसूचित उद्योग में बनी वस्तुओं पर उस अधिनियम के अधीन लगाये जाने वाले उपकर से होने वाली आय जैसा भी केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाये, का उपयोग इस प्रयोजन के लिए भी किया जा सकेगा। तकनीकी विकास निधि योजना जो 1976 से चल रही है, के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सन्तुलनकारी निवेसों तथा कम धनराशि वाले अपेक्षाकृत बुने हुए आयातों की सहायता से आधुनिकीकरण, किस्म नियन्त्रण तथा विद्यमान औद्योगिक एककों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। उद्योग मन्त्रालय के अधीन अनेक संवर्धनकारी ऐजेंसियाँ तथा अनुसंधान और डिजाइन संस्थान भी डिजाइन, मानकीकरण एवं किस्म नियन्त्रण के क्षेत्र में सहायता प्रदान करते हैं। किस्म नियन्त्रण के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को नवीनतम बनाने में विदेशी सहयोग सम्बन्धी स्वीकृतियों की व्यवस्था करना भी अन्य तन्त्रों में से एक तन्त्र है। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं के सम्बन्ध में बनाये गये किस्म नियन्त्रण के उपायों में विभिन्न उत्पादों के लिए जांच का सुविधा सहित क्षेत्रीय जाँच केन्द्र, अनेक घरेलू बिजली के उपकरणों के बारे में अनिवार्य किस्म नियन्त्रण प्रारम्भ करना, तथा किस्म नियंत्रण सम्बन्धी कार्य विधियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करना शामिल है।

भरात बंद

6219. डा. कृपा सिन्धु भोई :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री सूरज भान :

श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जनवरी, 1982 को भारत बन्द के कारण कितने व्यक्ति मरे और कितने व्यक्ति घायल हुए;

(ख) शांति बनाये रखने और उद्योगों में उत्पादन-कार्य को जारी रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं और इसके क्या परिणाम रहे और इस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) आवश्यक सेवाओं पर इस बन्द का क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और सम्पत्ति की कितनी हानि हुई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री तिहार रजन लास्कर) : (क) 16 व्यक्ति मारे गये और 8.13 घायल हुए।

(ख) केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों ने शांति बनाये रखने और आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं, सरकारी कार्यालयों तथा उद्योगों के सामान्य कार्य को बनाए रखने और काम पर जा रहे कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए थे। यह सुनिश्चित करने के लिये कि औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य में बाधा न पड़े, प्रबंध और श्रमिक संघों का सहयोग प्राप्त करने के लिये उपाय किए गये थे। इन उपायों के परिणामस्वरूप देश में स्थिति सामान्यतः शांतिपूर्ण रही। चूंकि शांति और सामान्य स्थिति को बनाए रखने के उपाय करना सरकार का सामान्य कार्य है अतः व्यय का कोई अलग लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है।

(ग) आवश्यक सेवाएं प्रायः सामान्य रूप से कार्य करती रहीं।

(घ) राष्ट्रीय स्तर पर उत्पाद की हानि का परिमाणन नहीं किया गया है।

उद्योग रहित जिले

6.20. श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे जिलों का पता लगाया है जहां कोई बड़े अथवा मध्यम उद्योग नहीं हैं, और

(ख) इन जिलों का उद्योगीकरण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा पता लगाए गये देश के ऐसे 83 जिलों के संबंध में जिनमें कोई बड़ा या मझौला उद्योग नहीं है, यह निर्णय लिया गया है कि इन जिलों का औद्योगिकरण करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए न केवल सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से उद्योगों की स्थापना करने के लिये प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है, बल्कि भारत सरकार के वित्तीय तथा अवस्थापना सम्बन्धी मंत्रालयों से भी विभागीय योजनाएं बनाते समय इन जिलों को प्राथमिकता देने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही यह

निर्णय भी लिया गया है कि इन अधिसूचित जिलों में उद्योग की स्थापना के लिये औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदनों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।

विदेशी श्रम मंडियों की प्रवृत्तियों का अध्ययन

6221. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :**
श्री के. कुन्हम्बु :
श्रीमती माधुरी सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन शिकायतों का पता है कि औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त उचित प्रकार से प्रशिक्षित श्रमिक विदेशों में नहीं जाते हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी श्रम मंडियों की प्रवृत्तियों का कोई अध्ययन करने का है, और

(ग) क्या विदेशी मंडियों में इन श्रमिकों की स्वीकार्यता बढ़ाने की दृष्टि से तकनीकी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हां। इस अध्यन को करने के लिए सरकार ने एक कार्यकारी दल गठित किया है।

(ग) जी हां दक्षता के स्तर के दर्जे को बढ़ाने की दृष्टि से कुछ चुने हुए व्यवसायों में त्वरित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य प्रशिक्षण निदेशकों के विचार पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं और कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

दिल्ली पुलिस में भर्ती के लिये चयन किये गये पुलिस कर्मचारियों के बच्चे

6222. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नवम्बर, और दिसम्बर, 1981 में दिल्ली पुलिस में भर्ती के मामले में पुलिस विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा अर्हताओं और शारीरिक मानदंडों के बारे में कुछ छूट दी गई थी और उनके आधार पर चयन भी किए गये थे लेकिन इस प्रकार चयन किए गये उम्मीदवारों को अब तक प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है;

(ग) उन्हें प्रशिक्षण के लिए कब तक बुलाये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि उन्हें प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाये जाने का विचार है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या) : (क) दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों के बोर्डों को उनके पक्ष में निर्धारित अर्हताओं में छूट देने के

लिए दिल्ली प्रशासक की अनुमति की पूर्व प्रत्याशा में कांस्टेबल की भर्ती के लिए परीक्षा देने की अनुमति दी थी।

(ख) ऐसे 425 उम्मीदवारों का अस्थायी रूप से चयन किया गया है।

(ग) तथा (घ) उनके पक्ष में निर्धारित अर्हताओं में छूट देने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। यदि अर्हताओं में छूट दी जाती है तो उन्हें नियुक्त किया जायेगा।

दिल्ली में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में कार्यकर रहे सरकारी कर्मचारी

6223. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च 1982 को दिल्ली में विभिन्न मत्रालयों और विभागों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों और संवर्गों की सख्या कितनी है; और

(ख) कितने पद अभी तक नहीं भरे गये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

नैमित्तिक श्रमिकों के समझौते के लिए लंबित मामले

6224. **स्वामी इद्रवेश** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नैमित्तिक श्रमिकों के समझौते के लिए कितने मामले लंबित हैं,

(ख) इनके समझौते के लिए कितना समय लगेगा, और

(ग) इन समझौतों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन "कर्मकार" की जो परिभाषा दी गई है वह नैमित्तक श्रमिकों और नियमित श्रमिकों में कोई भेदभाव नहीं करती। समझौता तन्त्र द्वारा जिन विवादों पर कार्यवाही की जाती है वे श्रमिकों के बारे में होते हैं और इसलिए नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा उठाए गये विवादों तथा अन्य श्रमिकों द्वारा उठाए गये विवादों के वर्ग अलग-अलग नहीं होते।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखकर ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में हिन्दी भाषी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक

6225. **श्री रामप्यारे धनिका** :

श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में हिन्दी भाषी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सरकारी पत्र-व्यवहार में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कोई निर्णय लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) हिन्दी भाषी राज्यों के

मुख्य मन्त्रियों की दिल्ली में हुई बैठक की सूचना समाचारपत्रों द्वारा भारत सरकार को प्राप्त हुई है।

(ख) समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था। बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है। जानकारी प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकारें अपनी राजभाषा नीति निर्धारण और उसके कार्यान्वयन के बारे में स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं।

चुरु जिला औद्योगिक केन्द्र

6226. **श्री दौलतराम सारण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुरु जिला औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कब की गई थी और क्या इसके लिए स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है, और

(ख) इस जिला औद्योगिक केन्द्र द्वारा अब तक किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जिला उद्योग केन्द्र, चुरु की स्थापना 27-6-1978 को की गई थी। 31-12-1981 को कर्मचारियों (स्टाफ) में सहायक तथा अन्य सचिवालयीय कर्मचारियों सहित एक महाप्रबंधक तथा 3 कार्यकारी प्रबंधक थे।

(ख) जिला उद्योग केन्द्र, चुरु द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि में किए गये कार्य का विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष	किए गये नए पूंजीकरणों की संख्या	स्थापित किये गये नये एककों की संख्या			वैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान की गई ऋण सहायता (रु. लाखों में		नकद राजसहायता एककों की संख्या	नकद राजसहायता एककों की घनराशि	सृजित अतिरिक्त रोजगार	एककों की संख्या जिनको दूसरी सहायता दी गई
		संख्या	कारीगर	लघु उद्योग	कुल					
1978-79	195	118	38	156	88.13		24	3.71	494	135
1979-80	687	88	56	144	75.60		38	6.37	548	450
1980-81	555	5	21	26	108.42		373	9.07	178	184

चुरु जिले में छोटे उद्योग

6227. **श्री दौलत राम सारण** : क्या उदयोग मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चुरु जिले में कच्ची खालें, हड्डियां, दूध, ऊन, नमक, जिप्सम इंटें बनाने के लिए रेत और चूना, "गवार" और अन्य कच्चा माल उपलब्ध है:

(ख) क्या उपरोक्त कच्चे माल पर आधारित छोटे उद्योगों की स्थापना करने व्यापक उपभोग की अन्य वस्तुओं का निर्माण करने के लिए इस पिछड़े क्षेत्र का विकास और वहां रोजगार के स्थायी अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय, तकनीकी, प्रबंधकीय विक्रय तथा प्रशिक्षण के प्रबंध किये गये हैं और यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चुरु जिले में कितने उद्योग स्थापित किए गये हैं और वे कहां कहां स्थित है उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया है, उन्हें किस सीमा तक ऋण सुविधा दी गई है, कितना उत्पादन हुआ है और उनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, ह

(ख) चुरु जिला 15 प्रतिशत की केन्द्रीय पूंजीगत राजसहायता योजना के अ शामिल है और एक पिछड़ा जिला होने के नाते रियायती दर पर वित्त पाने का भी हकदा राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की सहायता से स्थापित किये गये जिला उद्योग केन्द्र आशा की जाती है कि वह उद्योगों को बढ़ावा देने और स्थानीय कच्चे माल, वित्तीय तक प्रबन्धकीय, विपणन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सभी प्रकार की सहायता देगा। सरकार ने चुरु को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कर दिया है तथा वह रियायत पर वित्त और 15 प्रतिशत की केन्द्रीय पूंजीगत राजसहायता पाने का भी हकदार है।

(ग) राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और समापटल पर दी जायेगी।

सलूम्बर जिले में छोटे उद्योगों की स्थापना करना

(228. **श्री जय नारायण रौत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में सलूम्बर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदिवासियों अधिक संख्या को देखते हुए वहां छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार को वि और तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वहां बेरोजगार आदिवासी पुरुषों और स्त्रियों की बड़ी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से सलूम्बर में एक बड़े उद्योग की स्थ करने के लिए पहल करेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों की वित्तीय तथा तकनीकी सह तथा अवस्थापना संबंधी विभिन्न सुविधाएं देती हैं। केन्द्र प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र यो जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी जिले आ जाते हैं, के लिए 1981-82 की अवधि में राज सरकार को 87.50 लाख रुपये की धन राशि दी गई थी। जयपुर स्थित लघु उद्योग सेवा सं तथा जोधपुर कोटा एवं उदयपुर के विस्तार केन्द्र लघु औद्योगिक एकक लगाना और चलाने हेतु तकनीकी प्रबंधकीय तथा आर्थिक पहलुओं पर परामर्श तकनीकी एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण, सामान्य सेवा जांच सुविधाएं, विपणन सहायता आदि जैसी अत्यावश्यक सेवाएं करते हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं के स्थापना स्थल विषयक निर्णय विशद तकनीकी आर्थिक बातों पर लिये जाते हैं। इस प्रकार की परियोजनाओं की स्थापना करते समय मुख्यतः कच्चे माल एवं कुशल मजदूरों की उपलब्धि, बाजारों में प्रवेश, बिजली, पानी, सड़कों की हालत, परि-वहन तथा संचार के अन्य साधनों, औद्योगिक कार्यशालाओं, वित्तीय संस्थानों आदि जैसी औद्योगिक विकास की अवस्थापनाओं को ध्यान में रखा जाता है।

राजस्थान के आदिवासी स्थानों में उद्योगों की स्थापना करना

6229. **श्री जय नारायण रौत** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में किन-किन आदिवासी स्थानों पर सरकार छठी योजनावधि में उद्योग स्थापित करने की योजना बना रही है; और

(ख) इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के अन्तर्गत बांसबाड़ा और डूंगरपुर जिलों और उदयपुर जिले चितोड़गढ़ जिले तथा सिरोही जिले के कुछ भाग आते हैं। किसी प्रभाग/जिले/क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकार का है जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, चित्तौड़गढ़ को छोड़कर इन सभी जिलों को रियायती वित्त की पात्रता के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ माना गया है। उदयपुर जिले को केन्द्रीय निवेश राज-सहायता का भी पात्र माना गया है।

31 दिसम्बर, 1979 तक, रियायती वित्त के रूप में 1957.82 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की गई है जिसमें से 1508.06 लाख रुपये की राशि इन जिलों में स्थापित औद्योगिक एककों की बाँटी गई है तथा उदयपुर जिले में केन्द्रीय राजसहायता के रूप में 46.06 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है।

औद्योगिक विकास के लिए आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत, वर्ष 1980-81 में छठी योजना के 342.15 लाख रुपये के परिव्यय में से 85.85 लाख रुपये की राशि खर्च की गई इन जिलों में वर्ष 1980 में 6 आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेन्स जारी किए गए थे, जबकि वर्ष 1981 में 12 आशय पत्र और 7 औद्योगिक लाइसेन्स जारी किए गए हैं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम, उदयपुर जिले में सीसे और जस्ते की नई खानों का विकास कर रहा है। सिरोही जिले में तांबे के निक्षेपों का विकास करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता

6230. **श्री जय नारायण रौत** . क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने राजस्थान राज्य में विद्यमान खनिजों की उपलब्धता के बारे में एक व्यापक प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालयों में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अपने द्वारा विभिन्न निर्धारित क्षेत्रों में किए गए अन्वेषण कार्य के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। राजस्थान में भूविज्ञान और खनिज संसाधनों पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1977 में एक पत्र प्रकाशित किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य संगठनों द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य के फलस्वरूप राजस्थान में जिन प्रमुख खनिज भंडारों का अनुभाग लगाया है उनमें 10,037.20 लाख टन ताँबा अयस्क, लगभग 3364.50 लाख टन सीसा-जस्ता अयस्क, 793.50 लाख टन फासफोराइट, 158.40 लाख टन लौह अयस्क, 1239.90 लाख टन पाइराइट/पायर्होटाइट, 35.10 लाख टन कोलेस्टोनाइट, 2393.40 लाख टन मुल्तानी मिट्टी, 10710 लाख टन से भी अधिक जिप्सम और 63.70 लाख टन टेल्क/स्टोटाइट, 1010 लाख टन बटोनाइट, 1165.20 लाख टन डोलोमाइट और 53212.70 लाख टन चूने का पत्थर शामिल है।

(ख) खेतड़ी क्षेत्र में ताँबे की महत्वपूर्ण खानें वाणिज्यिक उपयोग के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को पट्टे पर दे दी गई है। इसी प्रकार सलादीपुरा में पायराइट की खानें मैसर्स पायराइट, फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लि० को, राजपुरा-दरीबा में सीसा-जस्ता की खानें तथा भटून में राक-फास्फेट की खानें मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को पट्टे पर दे दी गई है। अन्य खनिज भंडारों का उपयोग करने के लिए तभी कदम उठाए जाएंगे जब उनकी खोज का काम पूरा हो जाएगा और उनकी आर्थिक सक्षमता निश्चित हो जाएगी।

वार्षिक योजनाओं का पुनरावलोकन

6231. **श्री सुभाष यादव :**

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 6 मार्च 1982 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि वार्षिक योजनाओं में कृषि ग्रामीण विकास, परिवहन और संचार के क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम की उपेक्षा की गई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन वार्षिक योजनाओं का पुनरावलोकन करने और उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित बातों को शामिल करने का है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है। इस समाचार में 1982-83 के लिए कुल योजना परिव्यय में विभिन्न क्षेत्रकों के लिए प्रतिशत आबंटनों की 1981-82 के लिए वार्षिक योजना के प्रतिशत आवंटनों से तुलना की गई है। वर्ष 1982-83 के लिए कुल योजना परिव्यय में ऊर्जा क्षेत्रक का भाग 1981-82 में इसके लिए भाग से अधिक है, इसलिए यह अर्थ हो सकता है कि अन्य सभी क्षेत्रकों का कुल मिलाकर भाग अधिक कम रहेगा। लेकिन निरपेक्ष रूप में कृषि, ग्रामीण विकास, परिवहन और संचार के लिए वर्ष 1982-83 के लिए योजना आवंटनों में 1981-82 के स्तर की तुलना में काफी वृद्धि दिखाई देती है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 1982-83 के लिए वार्षिक योजना को परिशोधित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। तथापि वर्ष में स्थापित कार्यप्रणालियों में जहां आवश्यक हो वहां योजना परिव्यय में समायोजन करने की व्यवस्था है।

सतर्कता मशीनरी में त्रुटियां

6232. **श्रीसुभाष यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने वर्ष 1980 के लिए अपने प्रतिवेदन में टिप्पणी की थी कि यह बड़े खेद का विषय था कि गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों से प्रमाणित हुआ था कि सत्ता के दुरुपयोग अनुपातहीन सम्पत्ति एकत्र करना, जाली रिकार्ड, पक्षपात, गबन, निष्क्रियता आदि के मामलों में निरन्तर वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान सतर्कता मशीनरी में कुछ मूलभूत त्रुटियां हैं; और

(ग) यदि हां, तो सतर्कता मशीनरी को अधिक सक्षम बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) हालांकि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी वर्ष, 1980 की वार्षिक रिपोर्ट में गत तीन वर्षों के विशिष्ट वर्गों में मामलों के तुलनात्मक आंकड़े दिए थे किन्तु उसने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बाल श्रमिक

6233. **श्री मुकंद मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार देश में कितने बाल श्रमिक हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : बाल श्रमिकों सम्बन्धी आंकड़े भारत के महा पंजीयक द्वारा केवल जनगणना के समय ही एकत्रित किए जाते हैं। 1981 की जनगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

सरकारी विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

6234. **श्री मुकन्द मंडल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मत्रालय विभिन्न कारणों से हुई कमी पूरी करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिये विभिन्न सरकारी विभागों और उपक्रमों को अनुदेश जारी करने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के मामले में सार्वजनिक उधम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों द्वारा शासित होते हैं। विभिन्न

अवसरों पर मन्त्रालयों/विभागों से कहा गया है कि वे आरक्षण आदेशों और उनमें दी गई प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें और उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लिए सभी प्रयास करें। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को भर्ती तथा पदोन्नति के समय मिलने वाली बहुत सी प्रसुविधाओं और रियायतों के अतिरिक्त विभिन्न प्र तयोगिता परीक्षाओं के लिए उम्मीदवार तैयार करने के लिए कोचिंग केन्द्र भी शुरू किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जन ज.तियों का अधिक संख्या में केन्द्रीकरण है वहां पर परीक्षा केन्द्र भी खोले गये हैं। कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए विशेष विभागिय परक्षाएं भी आयोजित की गई हैं।

आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती

6235. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी विभागों और उपक्रमों को आदेश जारी किये हैं कि वे आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो की भर्ती करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के मामले में सार्वजनिक उधम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों द्वारा शासित होते हैं। सरकार ने विभिन्न अवसरों पर अनुदेश जारी किए हैं कि मंत्रालयों/विभागों को आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित कार्य-विधि और सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए। आगे यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी कार्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अन्य रियायतों के सम्बन्ध में आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन अथवा भेदभाव किए जाने के दृष्टिान्त उपयुक्त कार्यवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों की जानकारी में लाये जाने चाहिए।

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को "सम्मान पेंशन"

6236. **श्री रेणुपद दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को "सम्मान पेंशन" के लिये पात्र बनाने के बारे में मंत्री महोदय की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब लागू किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों को गैर-सरकारी परामर्शदात्री समिति ने अप्रैल से दिसम्बर, 1981 तक हुई अपनी चार बैठकों में अनेक सिफारिशें की हैं। इस समिति ने अन्य

बातों के साथ साथ रानी झांसी रेजीमेंट के भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के महिला सदस्यों को और न्यू गुएना और अन्य द्वीपों को निर्वासित भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों को पेंशन देने की सिफारिश भी की है। भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों से सम्बन्धित सिफारिशों सहित विभिन्न सिफारिशें दिसम्बर, 1981 तक समिति के विचाराधीन रही और अब इन पर कार्यवाई की जा रही है।

भारतीय आर्थिक सेवा में पदोन्नति के अवसर

6237. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग प्रशासन ने इस सेवा के संवर्ग, ढांचे में और सेवा के पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या विशेष कदम उठाये गये हैं और इससे प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं;

(ग) क्या इस सेवा के संवर्ग प्रशासन ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी अथवा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के पुनश्चर्या पाठ्यक्रम अथवा विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों में अधिकारियों के भाग लेने के लिये कोई अस्थायी कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो अब तक चालू वर्ष में इसके लिए कोई कार्यक्रम न बनाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय अर्थ सेवा के संवर्ग ढांचे से पता चलता है कि इसमें विभिन्न मंत्रालयों आदि द्वारा सेवा संवर्गबद्ध किए जाने के लिए दिए गए मुख्यत: आर्थिक कार्यों वाले पद शामिल हैं। उक्त सेवा में यथा सम्भव अधिक से अधिक पदों को शामिल करने का निरन्तर प्रयास रहा है। ऐसे प्रयासों के परिणामस्वरूप उक्त सेवा में विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। सेवा के प्रारंभिक गठन पर और 1-1-82 की पदों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। उच्च स्तरों के पदों की संख्या में उक्त वृद्धि, पदोन्नति के अवसरों में सुधार सूचित करती है।

(ग) तथा (घ) उक्त सेवा के अधिकारियों के लिए आर्थिक विकास, संस्थान, दिल्ली बैंकर्स ट्रेनिंग कालेज, बम्बई, इंडियन स्कूल आफ पोलिटिकल इकोनामी, लोनावाला, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और विशिष्ट पाठ्यक्रम समय-समय पर चलाए जाते हैं किन्तु शर्त यह है कि प्रशिक्षण के लिए अधिकारी उपलब्ध हों और सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को सुविधा हो। उक्त समय के अधिकारियों को, जब कभी मंत्रालय/विभाग, जिनके अधीन वे काम कर रहे होते हैं, उन्हें छोड़ सकते हों, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के प्रबन्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है। भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारियों को विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी सिफारिश की जाती है।

विवरण

ग्रेड	1-11.1961 को ड्यूटी पदों की संख्या	1-1-1982 को ड्यूटी पदों की संख्या	वृद्धि की प्रतिशतता	इस समय भा. अ. स. अधिकारियों द्वारा धारित संवर्गबाह्य पदों की संख्या
1	2	3	4	5
ग्रेड-I	15	31	107	33++
ग्रेड-II	15	45	200	25
ग्रेड-III	95	138	45	22
ग्रेड-IV	199	224+	13	—

+ प्रतिनियुक्ति, छुट्टी तथा प्रशिक्षण रिजर्व शामिल नहीं हैं।

++ ग्रेड-I से ऊपर के संवर्ग बाह्य पद शामिल हैं।

टिप्पणी :–उपर्युक्त स्तम्भ 5 के नीचे के आंकड़ों में विदेश नियुक्तियां, भारत में विदेश सेवा और सचिवालय पदों के अधिकारियों की संख्या जो क्रमशः 8, 28 तथा 15 हैं, शामिल नहीं है।

आर्थिक कार्य सम्बन्धी पद जिन्हें मन्त्रालयों में संवर्ग बाह्य के पद माना गया है

6238. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक कार्य सम्बन्धी बहुत से पदों को योजना आयोग सहित विभिन्न विभागों में संवर्ग बाह्य पदों के रूप में माना गया है;

(ख) इन पदों को संवर्ग बाह्य पदों के रूप में रखे जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रथम श्रेणी और उससे ऊपर के पदों में इनका विभागवार और वेतनवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तकनीकी पदों के रूप में माने गए आर्थिक कृत्यों से सम्बन्धित पदों में अर्थ शास्त्र/वाणिज्य में न्यूनतम अर्हतायें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यावरण विभाग की स्थापना

6239. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र में पर्यावरण विभाग की पूर्ण रूप से स्थापना कर दी गई है;

(ख) क्या भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यावरण विभाग का सृजन किया गया है और गठन कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो कौन कौन से राज्यों में इस विभाग का सृजन और गठन नहीं किया गया है;

(घ) क्या सरकार के प्रत्येक विभाग में एक-एक पर्यावरण कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने पर्यावरण विभागों का गठन किया है। दिल्ली तथा गोवा के संघ राज्य क्षेत्रों ने भी पर्यावरणीय मामलों की देखभाल करने के लिए सचिवों को मनोनीत किया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी भी ऐसे विभागों का गठन किया जाना है।

(घ) तिवारी समिति ने सिफारिश की है कि सभी मन्त्रालयों और अभिकरणों द्वारा, जिन की योजनाओं/कार्यक्रमों का पर्यावरणीय संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण कक्षों की स्थापना करनी चाहिए। सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित टी. वी. सेट

6240. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगीन टेलीविजन शुरू करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित टी. वी. सेट में इलेक्ट्रानिक्स विभाग के सहयोग से परिवर्तन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो मूल प्रस्ताव से इसकी लागत कितनी बढ़ जायेगी और उपभोक्ताओं को इसका कितना अधिक मूल्य देना होगा ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री डा. एम. एस. संजीवी राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसंधान और विकास स्कन्ध को सुदृढ़ करने के द्वारा प्रौद्योगिकी विकास

6241. **श्री हरीश रावत** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अनुसंधान और विकास स्कन्ध को सुदृढ़ करके प्रौद्योगिकी विकास का जोरदार अभियान शुरू करने की कोई योजना बनाई है, ताकि आयात का विकल्प प्राप्त किया जा सके और संयंत्रों के लिए चलाये जाने पर कम लागत आए; और

(ख) यदि हां, तो चालू योजना अवधि में इस कार्यक्रम पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है और इस कार्यक्रम में क्या-क्या बातें सम्मिलित हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. (सेल) के अनुसंधान तथा विकास केन्द्र के लिए 41.7 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस केन्द्र द्वारा अनुसंधान तथा विकास कार्यों के लिए चुने गए कुछ मुख्य क्षेत्रों में कोककर कोयले का संरक्षण, ईधन तथा ऊर्जा का संरक्षण, उत्पादन में विविधता लाना तथा नए उत्पादों का विकास आधुनिक यंत्रों तथा संगणकों का इस्तेमाल तथा अप्रचलित प्रौद्योगिकी के स्थान पर विकसित तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है।

उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

6242. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ नगरों के विशेष परिस्थिति तक वातावरण को ध्यान में रखते हुए उनका मन्त्रालय इन स्थानों पर इलैक्ट्रोनिक तकनीक पर आधारित सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा क्या है?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में उप मन्त्री (डा. एस. एम. संजीवी राव) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्यक्रम की उपलब्धता

6243. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनुभाग अधिकारियों से सम्बन्धित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम तो सूचित किया गया है, लेकिन अधिकांश प्रकाशन अनधतन है और बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मन्त्रालय तथा सांसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रालयों/विभागों में सांसदों से प्राप्त पत्रों का निपटान

6244. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में प्राप्त पत्रों, संदेशों, कागज-पत्रों के तथा समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि में उल्लिखित मामलों के तेजी से और शीघ्र निपटान की ओर ध्यान दिया जा रहा है;

(ख) गत छः महीनों के दौरान मन्त्रालयों/विभागों/कम्पनियों में सांसदों के कितने पत्र प्राप्त हुए हैं, उनमें कितने पत्रों पर कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितने पत्र विचाराधीन हैं, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों के प्रमुखों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीन पड़ने वाले विभिन्न अनुभागों/प्रतिष्ठानों के इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कितने आकस्मिक दौरे किये गये हैं कि वहां मामलों का शीघ्र निपटान हो तथा वहाँ का वातावरण साफ-सुथरा, स्वच्छ और सुव्यवस्थित हो; तथा यदि कोई दौरे किये गये हैं तो उनके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, हां।

(ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या, उनमें में से कितनों पर कार्यवाही की गई और कितने विचाराधीन हैं—इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 1981 के दौरान किये गये आकस्मिक दौरों की संख्या के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्टेनोग्राफरों की ड्यूटी सम्बन्धी आदेशों का जारी किया जाना

6245. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ग्रेड़ों के स्टेनोग्राफरों की ड्यूटी सम्बन्धी कोई विस्तृत आदेश तथा उन्हें टंकण कार्य सम्बन्धी कोई आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन आदेशों की प्रतियाँ सभा पटल पर रखी जाएंगी।

(ग) क्या ये आदेश वायु सेना मुख्यालय के स्टेनोग्राफरों पर भी लागू होते हैं; यदि नहीं तो उन पर ये आदेश लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या ऐसे स्टेनोग्राफरों को पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु जिनकी पदोन्नति अवरुद्ध है उप-सचिवों को वरिष्ट निजी सहायक रखने का अधिकारी बनाया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं और इस गम्भीर तथा जारी अवरुद्धता का मुकाबला करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विद्यमान आदेशों के अनुसार उप सचिव वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों की सेवाओं के अधिकारी नहीं हैं। परन्तु सेवा ग्रेड "ग" में गतिरोध दूर करने के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक एसोसिएशन की कुछ मांगों पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् में विचार किया जा रहा है।

दिल्ली नगर निगम द्वारा खाद्य-पदार्थों के लिए लाइसेंस जारी करना

6246. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दुकानदारों को एक ही परिसर से घी, अगरबत्ती, माचिस, खाद्य तेल, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार में ऐसी कितनी-कितनी दुकानें, फैक्ट्रियां आदि हैं; जो वैद्य लाइसेंस के बिना चल रही हैं तथा इस प्रकार राजस्व की कुल कितनी हानि हुई और इसके निराकरण के लिए क्या उपाय किए गये हैं ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. बेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेरोजगारी

6247. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1980 को बेरोजगार लोगों की कुल संख्या क्या थी तथा 31 दिसम्बर, 1981 को यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई; और

(ख) क्या सरकार ने इस विकट समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है; और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) बेरोजगार व्यक्तियों के बारे में उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों से सम्बन्धित है, जिनमें से अनिवार्यत: सभी बेरोजगार नहीं हैं। 31 दिसम्बर, 1980 को चालू रजिस्टर में व्यक्तियों की संख्या 162.00 लाख थी और 31 दिसम्बर, 1981 को यह संख्या 178.38 लाख थी, जो कि 10.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए प्रमुख कार्यक्रमों, जिनमें महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं हैं, में से कुछ इस प्रकार हैं;

(i) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम;

(ii) आपरेशन फ्लड (II) डेरी विकास परियोजना;

(iii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.)

(iv) स्व-रोजगार सम्बन्धी ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण को राष्ट्रीय योजना (ट्राइसेम);

(v) मत्स्य विकास और ग्रामीण तथा लघु उद्योग क्षेत्रों में प्रशिक्षण और विकास;

(vi) अकुशल श्रमिकों के लाभ के लिए विशेष रोजगार योजनाएं;

छठी पचवर्षीय योजना के अधीन जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार सृजन परिषदों की स्थापना करने तथा स्व रोजगार अवसरों को बढ़ाने से भी बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी।

सीमेंट वितरण का राज्य-वार ब्यौरा

6248. **श्री हन्नान मोल्लाह** :

श्री जी. वाई. कृष्णन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को राज्य-वार कितना-कितना सीमेंट आवंटित किया गया;

(ख) राज्य-वार सीमेंट की कितनी-कितनी वास्तविक सप्लाई की गई;

(ग) गत वर्ष, राज्य-वार सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत क्या-क्या रही;

(घ) इस वर्ष प्रत्येक राज्य को कितना-कितना सीमेंट आवंटित किया गया है तथा वृद्धि की प्रतिशतता क्या-क्या है; और

(ङ) इस वर्ष राज्यों की, राज्य-वार मांग कितनी-कितनी है और इसमें से कितनी-कितनी मात्रा की पूर्ति की जायेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) वर्ष 1981 के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को किए गए सीमेंट के आवंटन और प्रेषण तथा वर्ष 1980 में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत को दर्शाने वाला एक विवरण (अनुबन्ध I) संलग्न है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित सीमेंट से आंशिक नियंत्रण हटाने सम्बन्धी नई नीति के अनुसार वर्ष 1982-83 के लिए राज्यों को सीमेंट का तिमाही आवंटन किया जाएगा। वर्ष 1982-83 के दौरान राज्यों को आवंटन की जाने वाली लेवी सीमेंट की मात्रा के बारे में बताना समयपूर्व होगा।

विवरण

वर्ष 1981 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिये गये सीमेंट के आवंटन और प्रेषण तथा वर्ष 1980 में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार मी. टनों में)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1981		वर्ष 1980 में प्रति व्यक्ति खपत
		आवंटन	प्रेषण	
1.	असम	227.8	204.0	16.16
2.	बिहार	1031.8	927.5	16.09
3.	उड़ीसा	408.4	326.7	16.35
4.	पश्चिम बंगाल	1313.5	108.0	24.14
5.	मणिपुर	70.0	47.9	23.19
6.	नागालैंड	53.0	42.2	63.32
7.	अरुणाचल प्रदेश	52.0	14.8	36.45
8.	त्रिपुरा	64.0	37.8	10.44
9.	मेघालय	73.0	60.4	42.11
10.	सिक्किम	56.3	29.7	108.63
11.	मिजोरम	26.4	10.1	34.84
12.	गुजरात	1531.0	1500.8	50.49

1	2	3	4
13. मध्य प्रदेश	990.0	935.7	19.89
14. महाराष्ट्र	2119.1	1815.9	38.20
15. गोवा, दमन और दीव	112.0	102.8	102.9
16. दादरा नगर हवेली	12.0	7.7	78.43
17. हरियाणा	674.3	552.0	46.41
18. राजस्थान	631.8	579.3	18.39
19. उत्तर प्रदेश	2194.3	1758.6	16.29
20. हिमाचल प्रदेश	126.5	106.1	25.80
21. जम्मू और काश्मीर	186.0	140.7	37.04
22. पंजाब	917.0	725.2	44.64
23. चंडीगढ़	100.0	92.5	177.50
24. दिल्ली	474.1	454.5	127.16
25. आन्ध्र प्रदेश	1499.2	1528.8	35.18
26. तमिलनाडु	1497.1	1513.0	35.76
27. कर्नाटक	1050 5	902.9	30.17
28. केरल	1045 2	910.9	40.34
29. पांडिचेरी	48.0	34.4	80.54
30. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	20.0	9.9	125.00
31. लक्षद्वीप	7.6	1.8	50.00

उड़ीसा के लिए सीमेंट का आवंटन बढ़ाने के उपाय

6249. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए वहाँ सीमेंट की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य में सीमेंट की किल्लत को ध्यान में रखते हुए सरकार उड़ीसा के लिए सीमेंट का आवंटन बढ़ाने हेतु क्या उपाय कर रही है; और

(ग) वर्ष 1982-83 में उड़ीसा के लिए सीमेंट के आवंटन में की जाने वाली सम्भावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उड़ीसा राज्य सहित देश में सीमेंट की सामान्य कमी है। इसकी वजह से कुछ निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी संभवता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(ख) सरकार वर्तमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके, नई क्षमता को स्वीकृति देकर

तथा आयात की अनुमति प्रदान करके देश में सीमेंट की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए प्रत्येक उपाय कर रही है।

(ग) सरकार द्वारा हाल ही में सीमेंट से आंशिक नियंत्रण हटाने संबंधी नई नीति के अनुसार वर्ष 1982-83 के लिये उड़ीसा सहित अन्य राज्यों को सीमेंट का तिमाही आवंटन किया जायेगा। वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य को आवंटित की जाने वाली लेवी सीमेंट की सही मात्रा के बारे में बताना इस स्थिति में मुश्किल है।

गुजरात की औद्योगिक योजना

6250. **श्री नवीन रवाणी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कोई औद्योगिक योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो कब से और उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक योजना की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में 1980 से 1982 (23-3-82 तक) की अवधि में उद्योगों की स्थापना करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए 494 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 166 स्वीकृत कर दिये गये, और आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं। 213 रद्द कर दिये गये व 36 का अन्य प्रकार से निपटान किया गया तथा 79 आवेदन पत्रों पर इस समय विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है। ये निलम्बित आवेदन पत्र रसायन बनस्पति, सीमेंट, दवाइयों तथा भेषजीय पदार्थों, चीनी, इलैक्ट्रानिक आदि के सम्बन्ध में हैं।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां

6251. **श्री नवीन रवाणी :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1979 से भारत में कौन-कौन सी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां काम कर रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी बहु-राष्ट्रीय कंपनियों ने विस्तार के लिए अथवा नये उद्योग खोलने के लिए आवेदन किया है; और

(ग) कौन-कौन सी कंपनियों को अनुमति मिल गई है और किस-किस कंपनी के आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया तथा उसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) इस समय देश में चल रही फैरा (विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली) कंपनियों का नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया-देखिए संख्या एल. टी. 3802/82**]

(ख) और (ग) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 की अवधि में विभिन्न फैरा कंपनियों से औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु मिले आवेदन पत्रों की संख्या 131 हैं। इनमें से 42 आवेदनों के

संबंध में स्वीकृति दे दी गई है, 59 आवेदन रद्द कर दिये गये 9 अन्य तरीके से निपटा दिये गये तथा 21 आवेदनों पर इस समय विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है। फैरा सहित विभिन्न आवेदकों के लिए जारी किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से दिया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

मुख्य रूप से आवेदन पत्र, लाइसेंस की जा चुकी पर्याप्त क्षमता, कच्चे माल की अनुपलब्धि स्थापना संबंध कठिनाइयों, फैरा कंपनियों तथा एम. आर. टी. पी. अधिनियम तथा अन्य संगत तथ्यों के अधीन पंजीकृत बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा न बनाई जा सकने वाली वस्तुओं के आधार पर रद्द कर दिये जाते हैं।

संयुक्त सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

6252. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग के बारे में हाल ही में कोई शिकायतें मिली हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की कोई जांच कराई है,

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) ऐसे दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दो आरोप ये हैं :

(i) 1980 के दौरान बचाव उपस्करों की खरीद के बारे में 35 लाख रुपये की सरकारी धनराशि का दुर्विनियोग;

(ii) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद में प्रशासन अधिकारी के पद को भरने में अनियमितताएं।

(घ) शिकायतों की पूरी तरह जांच की गई है और आरोप साबित नहीं हुये हैं।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में तदर्थ और दैनिक मजूरी कर्मचारी

6253. **श्री आर एन राकेश** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में श्रेणीवार कितने-कितने कमचारी दैनिक मजूरी पर और तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं और इस रूप में वे कब-कब से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्मान करते हुए उन्हें नियमित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में दैनिक मजदूरी और तदर्थ आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 82 और 2 है। दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करने वालों का ब्यौरा इस प्रकार है :

नवम्बर, 1979 से	1
जुलाई, 1980 से	24
दिसम्बर, 1980 से	28
जून, 1981 से	18
दिसम्बर, 1981 से	10
फरवरी, 1982 से	1

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में 2 कर्मचारी तदर्थ आधार पर 1976 से काम कर रहे हैं।

(ख) तथा (ग) 2 तदर्थ कर्मचारियों को उपयुक्त ग्रेडों में नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव पहले ही किया जा चुका है।

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना रिक्त स्थानों के होने और दिल्ली प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के भर्ती नियमों पर निर्भर करेगा।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

6254. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय की वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्रों की ओर से उन्हें सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय-पत्र जारी करने से संबंधित आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए आशय-पत्र जारी करने संबंधी ऐसा कोई आवेदन उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम की ओर से प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम को उपरोक्त प्रयोजन के लिए आशय-पत्र वर्ष 1982-83 में जारी कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, हाँ :

66,000 मी. टन की वार्षिक क्षमता वाले एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए सितम्बर, 1981 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। प्रथम दृष्टि में यह आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि उड़ीसा सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की थी कि यह योजना इस विषय पर जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत शामिल है। आवेदक ने निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और इसकी जांच की जा रही है।

पुलिस बल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व

6255. **रात विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14 अप्रैल 1980 को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रशासनों को पुलिस बल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने सम्बन्धी कोई अनुदेश जारी किए गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन अनुदेशों का राज्य सरकारों ने किस हद तक पालन किया है ;

(घ) स्वयं केन्द्र सरकार ने इन अनुदेशों को कहाँ तक कार्यान्वित किया है;

(ङ) क्या राज्य सरकारों द्वारा इन अनुदेशों को कार्यान्वित किए जाने की स्थिति से केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (च) तारीख 14 अप्रैल, 1981 के कोई परिचालित अनुदेश नहीं हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ अनुदेश और सुझाव जारी किए गये हैं। संविधान में कुछ समुदायों के लिए आरक्षण और धर्म, जाति, वंश इत्यादि के आधार पर समानता तथा निष्पक्षता की व्यवस्था है। सरकार की यह नीति है कि भरती व्यापक और समाज के मिश्रित वर्ग के प्रतिनिधित्व पर आधारित होनी चाहिए। केन्द्र और राज्य प्रशासन दोनों इन निर्देशों के अनुसार भरती कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

6256. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह मंत्रालय में दिनांक 1 जनवरी 1979, 1 जनवरी, 1980 और 1 जनवरी 1981 को श्रेणी एक, दो और तीन के पदों पर क्रमश: कुल कितने-कितने कर्मचारी नियुक्त थे तथा उनमें से (कुल संख्या की प्रतिशतता बताते हुए) कितने कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित थे और

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता आरक्षित कोटे से कितनी-कितनी कम थी तथा उसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रजन लास्कर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का विवरण सलग्न है ; [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3803/82]

राजस्थान में भू-सर्वेक्षण

6257. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-सर्वेक्षण सस्था ने अब तक राजस्थान के किस-किस जिले में खनिज सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा उसे उसमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या विभाग का विचार बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्रों में अपनी खनिज सम्बन्धी भू-सर्वेक्षण गतिविधियों का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से तथा किस ढंग से ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में खनिज अन्वेषण किए गये हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य संगठनों द्वारा किये गये अन्वेषणों के परिणाम-

स्वरूप जिन खनिजों भंडारों का अनुमान लगाया गया हैं, वे है—झुंझुनू, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, सिरौही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में 1037 20 लाख टन तांबा अयस्क, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही और उदयपुर जिलों में लगभग 3364.50 लाख टन जस्ता सीसा अयस्क, उदयपुर और जैसलमेर जिलों में 793.50 लाख टन फास्फोराइट, जयपुर, झुंझुनू सीकर और उदयपुर जिलों में 158.14 लाख टन लोह अयस्क, सीकर जिले में 1239.50 लाख टन पायराइट/पार्योराइट, पाली और सिरौही जिलों में 35.10 लाख टन बुलास्टोनाइट। बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में 2393.40 लाख टन मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर जिले में 1010 लाख टन वेंटोनाइट और अनेक जिलों में 10710 लाख टन से भी अधिक जिप्सम और 63.70 लाख टन टेल्क/स्टीटाइट, लगमग 1165.20 लाख टन डोमोमाइट और 53212.70 लाख टन चूने का पत्थर।

(ख) और (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिज के लिये बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों का भूवैज्ञानिक मानचित्रण और अन्वेषण किया गया है। जिसके परिणाम-स्वरूप इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित महत्वपूर्ण खनिज भंडारों का पता लगाया गया। 1981-82 के चालू क्षेत्रीय मौसम के दौरान बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के कुछ भागों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और जैसलमेर जिले के कुछ भागों में चूने के पत्थर के संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए अन्वेषण का काम चल रहा है।

अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों में तथा जनसंचार द्वारा 'हरिजन" शब्द का प्रयोग

6258. **श्री आर. आर. भोले :** क्या गृह मंत्री 9 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3516 और 9 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2815 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की ओर से, राज्य सरकारों को "हरिजन" शब्द प्रयोग करने के बारे में कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं, तो अनुसूचित जाति सम्बंधी प्रमाण पत्र जारी करते समय राज्य सरकारों द्वारा "हरिजन" शब्द का प्रयोग करने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे लाखों लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए, जो "हरिजन" शब्द पसंद नहीं करते हैं; केन्द्रीय सरकार के अपने जन संचार के माध्यमों द्वारा "हरिजन" शब्द के प्रयोग किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को "दिल्ली शिड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन" की ओर से अनुसूचित जाति सम्बन्धी प्रमाणपत्रों में और जन संचार के माध्यम द्वारा "हरिजन" शब्द का प्रयोग करने के विरोध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों को तमिलनाडु सरकार के उस उदाहरण का अनुपालन करने के लिए अनुदेश जारी करेगी जिसने अपने सभी सरकारी पत्र-व्यवहार में "हरिजन" शब्द का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को 10 फरवरी, 1982 को लिखा गया कि वे अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्रों में 'हरिजन" या "गिरिजन" शब्द का प्रयोग न करें और ऐसे प्रमाण पत्र केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र में जारी करें जिनमें "हरिजन" या "गिरिजन" लिखने के लिए कोई कालम नहीं है।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी 1 फरवरी 1982 को अनुरोध किया गया है कि जन सम्पर्क माध्यमों में "हरिजन" और "गिरिजन" शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी में सिड्यूल्ड कास्ट और सिड्यूल्ड ट्राईब शब्दों और दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं में उनका सही अनुवाद का प्रयोग किया जाय।

(ग) जी हां श्रीमान्। ऊपर उल्लिखित कार्यवाई पहले ही की जा चुकी है।

(घ) तमिलनाडु सरकार ने सरकारी प्रयोजन के लिए "आदि द्रविदर" (बहुवचन) शब्द का प्रयोग करने का निर्णय किया है ताकि अनुसूचित जाति की सूची में सभी समुदाय उसके अन्तर्गत आ जाएं। तमिलनाडु सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर किसी राज्य सरकार को निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपराधिक मामलों की जांच

6259. **श्री आर. आर. भोले** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा विभिन्न व्यक्तियों से निजी रूप से ऐसे कितने-कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से जांच कराने की इच्छा प्रकट की गई थी;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मामलों को स्वीकार न करने का एक कारण यह भी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास अत्यधिक कार्यभार है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो इतना अधिक काम सम्भालने की स्थिति में नहीं है; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यथानुकूल बनाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क)

राज्य सरकारें	—	163
संघ राज्य क्षेत्र	—	60
विभिन्न व्यक्तियों से निजी रूप से	—	3391
योग :	—	3614

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारें	—	22
संघ राज्य क्षेत्र	—	7
विभिन्न व्यक्तियों से निजी रूप से :	—	3342
योग :		3371

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने चार्टर के अनुसार, मुख्यत: केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक के मामलों से सम्बन्धित है और जिनके लिये यह पूर्णतया तैयार है। किन्तु यह राज्य सरकारों तथा अन्यों के अनुरोध पर कुछ महत्वपूर्ण और पेचीदा मामलों की जांच का कार्य भी चुनिन्दा आधार पर हाथ में लेता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिनी पेपर संयंत्रों के लिए आयात स्वीकृति प्रमाण पत्र

6260. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1978-81 के दौरान मिनी-पेपर संयंत्रों के लिये 100 पूंजीगत वस्तुओं के आयात स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किए हैं,

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए प्रमाणपत्र का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये लाइसेंस जारी किये गये।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 3804/82]**

पार्सल सेवा के कर्मचारियों की मजदूरी और सेवा शर्तें

6262. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्सल सेवा कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए समुचित मजदूरी और सेवा शर्तें हैं, और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इन कर्मचारियों के लिए मजदूरी और सेवा शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार एक मजदूरी बोर्ड बनाने का है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सड़क परिवहन पार्सल सेवा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 द्वारा शामिल होती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छुट्टी, रोजगार के घण्टों, कल्याण और स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था है।

(ख) इस समय इन कर्मचारियों के लिए मजदूरी बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

काजू नारियल जटा, बीड़ी और हथकरघा उद्योगों के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

6263. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी राज्यों में काजू, नारियल जटा, बीड़ी और हथकरघा क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों के लिए क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन काजू, नारियल जटा, बीड़ी और हथकरघा उद्योग में निम्नतम मजदूरी के निर्धारण/पुनरीक्षण के प्रयोजन के लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकारें हैं। जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मन्त्रियों के सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया था कि यद्यपि मजदूरी में पूर्ण समता लाना संभव नहीं

है, फिर भी पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी में बहुत अधिक विषमता नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका परिणाम यह होगा कि उद्योग और व्यापार एक से दूसरे राज्य में जाने लगेंगे। तदनुसार, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन मजदूरी निर्धारित/संशोधित करते समय इस बात पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए कि निर्धारित मजदूरी का अन्य राज्यों विशेषकर पड़ोसी राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही के लिए लाई गई थी।

क्षेत्रीय आधार पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के प्रश्न पर श्रम मंत्रियों के कार्यकारी दल ने 16 अक्तूबर 1981 को विचार विमर्श किया परन्तु कोई मतैक्य नहीं हुआ।

राजस्थान में भीलवाड़ा और बुरेली में जिंक स्मैल्टर्स की स्थापना का प्रस्ताव

6264. **श्री कृष्ण कुमार गोयल**: क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भीलवाड़ा बुनेली में जिंक स्मैल्टर्स की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा;

(ग) क्या प्रस्तावित स्मैल्टर्स को छठी योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री रामदुलारी सिन्हा): (क) से (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान में रामपुरा-अमुचा के जस्ता एवं सीसा निक्षेपों तथा अन्य निक्षेपों का उपयोग करके 1,00,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीसा के उत्पादन के लिए एक नया जस्ता-सीसा प्रद्रावक काम्पलैक्स बनाने के सम्बन्ध में मैसर्स स्टेलबर्ग, पश्चिमी जर्मनी द्वारा एक पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन कराने की अक्तूबर 1980 में मंजूरी दी थी। पूर्व-व्यहार्यता अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताविक प्रद्रावक काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान भी सुझाया जाएगा। पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन की रिपोर्ट हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेट को शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। यह अपेक्षा की जाती है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड विदेशी परामर्शदाता द्वारा शुरू किए गए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन के आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर एक व्यवहार्यता रिपोर्ट मई/जून 1982 तक सरकार को निर्णय के लिए प्रस्तुत कर देगा। इसके बाद उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए यह तय किया जाएगा कि प्रस्तावित प्रद्रावक काम्पलैक्स किस स्थान पर स्थापित किया जाए।

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुरा-अमुचा की जस्ता-सीसा खानों के विकास के साथ प्रस्तावित नया जस्ता-सीसा प्रद्रावक काम्पलैक्स, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल किया गया है। इसके लिए 14.00 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।

सिगरेट उद्योग के लिए विदेशी सहयोग

6265. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के सहयोग से सिगरेट उद्योग की स्थापना हेतु कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए अनुमति दे दी गई है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1982-83 के दौरान इस्पात उत्पादन का अनुमान

6266. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस्पात का कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की दोनों की विभिन्न कम्पनियों द्वारा उस उत्पादन में अलग-अलग कितना अंशदान किया जायेगा; और

(ग) क्या आगामी वर्ष में उत्पादित इस्पात देश की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने के लिये पर्याप्त होगा अथवा उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए इस्पात का आयात किया जायेगा।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1982-83 के दौरान इस्पात के उत्पादन का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :

कारखाना	लाख टन
सेल	64.7
टिस्को	15.5
लघु इस्पात कारखाने	18.0
कुल :	98.2

(ग) कुछ प्रकार के इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से कम रहेगा जबकि कुछ अन्य प्रकार के इस्पात का उत्पादन आवश्यकता से अधिक रहेगा। 18 लाख टन इस्पात आयात करने की संभावना है। आवश्यकता से अधिक इस्पात की मदों का निर्यात करने के प्रयत्न किये जायेंगे। निर्यात की वास्तविक मात्रा विदेशों में इस्पात की मांग और मूल्य पर निर्भर करेगी।

हिमालय क्षेत्र और भारत-गंगा मैदान की सामाजिक आर्थिक स्थितियां

6267. **श्री डी. पी. यादव** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल क्षेत्र और भारत-गंगा मैदान के आधारभूत ढांचे, नदी के चलन और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा किसी अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अध्ययन योजना के प्रस्ताव की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जायेगी;

(ग) क्या यह सच है कि आई. आई. टी. खड़गपुर के सहयोग से मुंगेर जिले (बिहार) के लिए एक ऐसा ही अध्ययन कराया गया था और रिपोर्ट की एक प्रति योजना आयोग के जनबल प्रकोष्ठ (मैनपावर सैल) के पास है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) योजना आयोग ने हिमालय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को साथ मिला कर हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकीय विकास और गंगा नदी के पारिस्थितिकीय प्रबंध के लिए एक "समन्वित कार्यात्मक अनुसंधान परियोजना" की स्कीम हाल ही में शुरू की है। यह स्कीम वर्ष 1982-83 में चालू होगी और राज्यों के/केन्द्र के अनुसंधान तथा विकास अभिकरणों के साथ समन्वय से कार्य करेगी ।

(ख) प्रस्तावों की एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एलटी 3805/82]**

(ग) मुंगेर जिले के अध्ययन में इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अध्ययन के कुछ पहलू भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट की प्रति योजना आयोग में उपलब्ध है ।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली अग्नि शमन सेवा के मृतक गोताखोर के परिवार को मुआवजा

6268. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1982 के पैट्रियाट में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली अग्नि शमन सेवा के एक गोताखोर की इसलिए मृत्यु हो गई क्योंकि वह उस मिनी बस के यात्रियों को बचाने के लिए जो जमुना में गिर गई थी, बहुत देर तक पानी में रहा था,

(ख) क्या मजदूर सघ तथा अधिकारियों के बीच मृतक के लिए रु. 30,000/- का मुआवजा देने के लिए समझौता हो गया है,

(ग) क्या यह भी सच है कि अग्नि शमन सेवा के अधिकारी अब समझौते से मुकर गये हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार यह राशि अनुग्रह पूर्वक देने के प्रश्न पर विचार करेगी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियों हेतु निधि

6269. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक छात्र-वृत्ति

योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, जिनके लिये छात्रवृत्ति धनराशियों में हाल ही में संशोधन किया गया है; के लिए कितनी निधि की मांग की है; और

(ख) मध्य प्रदेश को उपर्युक्त निधि प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अधीन 96.26 लाख रुपये के लिए केन्द्रीय सहायता का एक प्रस्ताव भेजा था। इसमें 1-7-1981 से लागू दरों तथा आय सीमा में सन्शोधन के कारण 8.75 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी।

(ख) राज्य सरकार के पास गत वर्षों में दी गई धनराशि में से खर्च न हुई 19.63 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है। राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद 76.63 लाख रुपये की बकाया केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को दी जा चुकी है।

तिहाड़ जेल, दिल्ली और राज्यों के केन्द्रीय कारागारों में कैदियों की संख्या

6270. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

तिहाड़ जेल, दिल्ली और राज्यों के केन्द्रीय कारागारों में 31 जनवरी, 1982 को, अलग-अलग कैदियों की संख्या कितनी थी; और

(ख) प्रत्येक राज्य की जेल में कैद स्त्रियों, पुरुषों, और 21 वर्ष की आयु से कम के बच्चों की संख्या अलग-अलग कितनी थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 31-1-1982 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और कालाबाजारी निवारक तथा आवश्क वस्तुत आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम और 30-1-1982 को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी की गतिविधि निवारक अधिनियम के अधीन कैदियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना कुल मिला कर इस प्रकार थी :—

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कैदियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	21
2.	असम	17
3.	बिहार	37
4.	गुजरात	31
5.	केरल	4
6.	महाराष्ट्र	155
7.	मध्य प्रदेश	21
8.	उड़ीसा	89
9.	पंजाब	25
10.	राजस्थान	18
11.	तमिलनाडु	30

1		2
12.	उत्तर प्रदेश	189
13.	दिल्ली	14
14.	मणिपुर	55

मध्य प्रदेश से सम्बन्धित सूचना में कालाबाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम के अधीन कैदियों की संख्या शामिल नहीं है।

(ख) किसी राज्य और संघ शासित क्षेत्र में कालाबाजारी निवारक और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम के अधीन कोई महिला और बच्चा कैदी नहीं था जबकि महाराष्ट्र में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारक अधिनियम के अधीन केवल चार महिला कैदी थीं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन पुरुष, महिला और बच्चे कैदियों के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन से धनराशि लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को देना।

6271. **श्री आर. पी. यादव :**

श्री डी. पी. यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अन्तर्गत निर्धारित प्रशासी अधिभारों और निरीक्षण अधिभारों की दरें इतनी अधिक कम हैं कि खासकर कुछ क्षेत्रों में आवश्यक खर्च भी बड़ी मुश्किल से पूरे किये जाते हैं,

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पास प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि होती है,

(ग) संगठन के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक कोष बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए कोयला खान भविष्य निधि संगठन के पास उपलब्ध अतिरिक्त निधि का उपयोग करने का सरकार का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (घ) सरकार ने प्रशासनिक अधिभार तथा निरीक्षण अधिभार की दरें केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से परामर्श करके तथा व्यय के लिए उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की हैं। जहां आवश्यक होता है, इन दरों को पुनरीक्षित और संशोधित किया जाता है। कोयला खान भविष्य निधि संघठन के पास पड़ी अधिशेष निधियों से सम्बन्धित सूचना का पता लगाया जा रहा है और वह सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

1982 की अवकाश सूची में त्रुटियां

6272. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मन्त्री 1982 की अवकाश सूची में त्रुटियों के बारे में 3 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के अनेक अंग्रेजी ज्योतिष सम्बन्धी, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा, दशहरा और दिवाली की छुट्टियों की तारीखें क्रमशः 27 अक्तूबर, 1982 और 15 नवम्बर, 1982 निश्चित करने के बारे में दिया गया कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो जिन संगठनों/प्रमुख व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; उनके नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा निश्चित तारीखों के विरुद्ध संशोधित तारीखों और आपत्तियों के कारणों के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया तथा साथ ही इन संगठनों द्वारा, निश्चित तारीखों के संशोधन और आपत्तियों के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पजाब, सं. कन्हैयालाल कला इंटरनेशनल सैन्टर, जोधपुर और पंडित शिवकुमार जेटली, अमृसर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त एसोसिएशनों आदि ने अपने-अपन पचांग के अनुसार और इस विचार के आधार कि ये त्यौहार 'सुद्ध' मास के दौरान बनाए जाने चाहिए कि 'मल मास' के दौरान, सन् 1982 के दौरान दशहरा और दिवाली की छुट्टियों की तारीख निश्चित करने का मुख्य रूप से सुझाव दिया था। यह विवाद वर्ष 1982 में "क्षय" मास के साथ "मल मास" के भी होने के कारण उत्पन्न हुआ है। इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार किया गया है। पिछले वर्षों की भाँति, वर्ष 1982 में दशहरा और दिवाली की तारीखें भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के पोजीशनल खगोलीय केन्द्र, कलकत्ता द्वारा जारी किए गए भारतीय खगोलीय पंचांग में दी गई हैं। भारत के सभी भागों के अनेकों पचांग पंण्डितों और विद्वानों ने तारकेश्वर मठ के महंत महाराज और कांची कामकोटि पीठ के परमपूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य की अध्यक्षता में संयुक्त सम्मेलनों में इस मामले पर विचार विमर्श किया है. शास्त्रीय अर्थ निर्णय के विभिन्न पहलुओं पर लम्बी बहस के पश्चात परम पूजनीय (जगत गुरु शंकराचार्य) ने भारतीय खगोलीय पंचांग द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति के पक्ष में अपना निर्णय दिया, क्योंकि अधिकांश शास्त्रीय आलोक क्षय मास गणना की इस विशेष पद्धति का समर्थन करते हैं। त्यौहारों छुट्टियों के सम्बन्ध में इस विभाग को सलाह देने के लिए सरकार की प्राधिकृत एजेंसी पोजीशनल खगोलीय केन्द्र ने विभिन्न मतों पर विचार करने के पश्चात् इन तारीखों को निश्चित किया है। भारत सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि दिवाली और दशहरा के उपलब्ध में रखी जाने वाली छुट्टियों की पहले ही से अधिसूचित तारीखों में संशोधन किया जाए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उन स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन की स्वीकृति जो भारतीय स्वाधीनता के लिए सहयोग देने हेतु भूमिगत रहे

6273. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर करने के बारे में कोई निर्णय लिया है जो भूमिगत रहे और गिरफ्तारी से बचते हुए भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति में सहयोग दिया और जिन्हें न सजा दी जा सकी और न जेल भेजा जा सका,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ठीक-ठीक निर्णय क्या है और किस तारीख से इसे कार्यान्वित किया गया है;

(ग) हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं काश्मीर राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इस संबंध में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी गई है उनकी अलग-अलग प्रत्येक राज्य के जिलेवार संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं और इन राज्यों में से प्रत्येक के कितने स्वतंत्रता सेनानियों के इस आधार पर पेंशन के दावे सरकार के पास अभी भी लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) इस बारे में किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. बेंकटसुब्ब्या) : (क) तथा (ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना में, जिसे पहले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना 1972 के नाम से जाना जाता था, इसके प्रारम्भ होने की तिथि से ही भूमिगत स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन देने की व्यवस्था है बशर्ते कि वे निम्न रूप में 6 महीने के लिए भूमिगत रहे हों।

(I) एक उद्घोषित अपराधी या

(I) जिसकी गिरफ्तारी उन पर इनाम घोषित किया गया था या

(III) जिमके विषय में नजरबन्दी के आदेश जारी किये गये थे लेकिन तामील नहीं किये गये।

इसके अतिरिक्त इस संबंध में जहां आवेदन सरकारी रिकार्डों से सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं; जिसके कारण उनके मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, वहां जिन प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों ने 5 वर्षों से अधिक सजा काटी थी, उन के द्वारा निजी जानकारी पर दिये गये प्रमाण पत्रों को सबूत मानने के सम्बन्ध मे छूट दी गई है। यह छूट 1-8-1980 से लागू है।

(ग) संलग्न विवरण के अनुसार

(घ) और (ङ) भूमिगत यातना के अन्तर्गत दावों के शेष मामले कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर हैं और राज्य रिपोर्ट और/या अपेक्षित सूचना/आवेदक से कागजातों के अभाव में अंतिम निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ और दिल्ली के सम्बन्ध में भूमिगत यातना के आधार पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई हैं, उनकी संख्या का विवरण।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या	जिले-वार स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या	
1.	हिमाचल प्रदेश	20	बिलासपुर	20
2.	पंजाब	1	गुरदासपुर	1
3	हरियाणा	5	सोनीपत	3
			रोहतक	1
			कुरुक्षेत्र	1
4.	जम्मू और कश्मीर	13	श्रीनगर	9
			अंतनाग	4
5.	दिल्ली	4	दिल्ली	4
6.	चन्डीगढ़	—		—

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लम्बित पड़े मामलों के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही

6274. **प्रो. नारायण चन्द्र पराशर**: क्या गृह मन्त्री स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के लम्बित पड़े मामलों के बारे में 3 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा निम्न बारे में क्या कार्यवाही की गई है—

(एक) स्वाधीनता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ (सेल) के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि;

(दो) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशनों के मामलों को निपटाने हेतु कि समय सूची निश्चित करने हेतु और अपने पास लम्बित पड़ी सभी मामलों के निपटाने हेतु एक अभियान शुरू करने के लिए;

(तीन) एक वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत केवल स्वतंत्रता सेनानियों के दावों का सत्यापन करने और उन्हें शीघ्रता से निष्पादित करने हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए;

(चार) परामर्श देने और सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पेंशन के मामले की सिफारिश करने हेतु राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करने के लिए; और

(ख) क्या इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन राज्यों ने अभी तक इन सुझावों का अनुपालन नहीं किया है वे भी इन सुझावों को स्वीकार करें ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बय्या): (क) स्थिति संलग्न विवरण में दी जाति है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या ए.एल.टी, 3806/82] जहां तक समय निर्धारित करने का सम्बन्ध है, ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी सम्भव होगा मामलों को अंतिम रूप देने के प्रयास किये जायेंगे।

(ख) जिन राज्य सरकारों ने इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्यवाई शुरू वहीं की है उनसे इस सम्बन्ध में कार्यवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

पहेली और लोकप्रियता प्रतियोगिताओं द्वारा ठगी

6275. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की कुछ जाती फर्मों द्वारा देश भर में पहेली और लोकप्रियता प्रतियोगिताओं में हजारों लड़के-लड़कियों से कई लाख रुपया ठग लिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और जाली कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस संमबन्ध में शिकायतें प्राप्त होने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है। फर्म मैंसर्ज इण्डिया ट्रेड एजेंसी और कई अन्य फर्मों के मालिक को 26-2-82 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अनेक फर्मों के नाम वाले बहुत से छपे हुए फार्म और बड़ी संख्या में इन फार्मों को भेजे गए धनादेश फार्म और अन्य दस्तावेज पकड़े गये हैं। मामले की जांच अभी चल रही है। जब कभी ऐसी जाली कम्पनियों की गतिविधियों के संबंध में पुलिस में शिकायतें की जाती हैं तो कार्रवाई की जाती है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए सोवियत सहायता

6276. **श्री बी. वी. देसाई** :

श्री सतोष मोहन देव :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार ने 3.4 मिलियन टन क्षमता के विज़ाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निर्माण के दूसरे चरण का वित्त पोषण करने के लिए ऋण हेतु सोवियत संघ से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हाँ, तो सोवियत संघ ने इस संयंत्र के प्रथम चरण के लिए, जिसका निर्माण सोवियत तकनीकी सहायता से किया जा रहा है, 250 रुबल का ऋण पहले ही दिया था ;

(ग) क्या विभाग परियोजना की मूलत: 500.20 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा संघटक के साथ 2250 करोड़ रुपये लागत आने की आशा थी लेकिन परियोजना का कार्यान्वयन करने में विलम्ब के कारण अब परियोजना की लागत 3,00,98, 98 करोड़ रुपये हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ इस इस्पात संयंत्र के निर्माण के दूसरे चरण का वित्तपोषण करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क), (ख) (ग) (घ) और (ङ) भारत सरकार और सोवियत रुस सरकार के बीच दिनांक 12 जून, 1979 को हुए अन्त: सरकारी करार के अन्तर्गत सोवियत रुस द्वारा 250 मिलियन रुबल के दिये गये ऋण का उपयोग विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए किया जाना है। भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए और ऋण देने के लिए अभी औपचारिक रूप से कोई अनुरोध

नहीं किया है। लेकिन ऐसे संकेत हैं कि सोवियत रुस की सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए 250 मिलियन रुबल का एक और ऋण देने की प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

(ग) सरकार ने जून, 1979 में कुल 2256 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विशाखापतनम में एक सर्वतोमुखी इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी थी जिसमें 500. 20 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च होने थे लेकिन इस अनुमान की मन्जूरी देते समय यह शर्त लगाई गयी थी कि एक व्यापक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत और पक्के परियोजना- लागत-अनुमान तैयार किए जायेंगे और इस रिपोर्ट में आधुनिक प्रौद्योगिकियों और अन्तिम रूप से नियत किया गया प्राडक्ट-मिक्स का समावेश होगा। व्यापक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की संशोधित अनुभावित लागत 2,935.41 करोड़ रुपये है। सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) और निर्माणावधि में ब्याज को सिलाकर संशोधित लागत 3098.98 करोरड़ रुपये बैठती है। सामान्यत: परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य अब तक स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। लागत में वृद्धि मुख्यत:—(1) कार्य की यात्रा में वृद्धि, (2) अतिरिक्त सुविधाएं, और (3) मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई है।

सीमेंट की नई दोहरी नीति के कारण भ्रम

6277. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के मूल्य निर्धारण और वितरण की नई दोहरी नीति के परिणामस्वरूप देश भर में भ्रम पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार सीमेंट मुल्य के निर्धारण और वितरण की दोहरी नीति के बारे में एक नये और स्पष्ट निदेश देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय लिए जाने के बाद उनके मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने 28-2-1982 से सीमेंट को आंशिक रूप से नियन्त्रण मुक्त करने की घोषणा की है। विवरण वाले प्रेस नोट की एक प्रति अनुबध के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3807/82]**

(घ) अधिकतर राज्य सरकारों ने मूल्य और वितरण पर बिना किसी नियंत्रण के गैर लेबी सीमेंट की बिक्री अनुमत करने के आवश्यक अनुदेश/ आदेश जारी कर दिए हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक

6278. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **योजना मत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मार्च, 1982 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां तो क्या चर्चा किए गए विषयों में जनता के कमजोर वर्गों पर हुए अत्याचारों की बढ़ती हुई संख्या को भी शामिल किया गया;

(ग) यदि हां, तो अन्य किन-किन विषयों पर चर्चा की गई; और

(घ) इसमें क्या निर्णय लिए गये ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) कानून और व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचार, विचार-विमर्श के लिए कार्य-सूची के विषयों में से एक विषय था। यद्यपि भाग लेने वालों में से कुछ ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए थे, परन्तु समय की कमी के कारण इस पर पूरी तरह से विचार-विमर्श नहीं किया जा सका और इस पर और अधिक विचार-विमर्श स्थगित कर दिया गया।

(ग) जिन अन्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ वे निम्न लिखित हैं :—

(1) 1982 उत्पादकता वर्ष के रूप में;

(2) परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम;

(3) नदी जल विवाद-शीघ्र समाधानों के लिए प्रकारिताएं; और

(4) राज्यों के वित्त और योजना कार्यान्वयन।

(घ) इस बैठक में किए गए विचार—विमर्श का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय विकास परिषद की दि. 14 मार्च, 1982 को हुई बैठक में हुए विचार-विमर्श का सारांश।

परिषद ने छठी योजना के पहले दो वर्षों में छठी योजना के कार्यान्वयन की समग्र गति पर संतोष प्रकट किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक स्थिति में हाल में हुये सुधार का आर्थिक और सामाजिक प्रगति की गति को और अधिक तेज करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि हम आत्मनिभर अर्थ-व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में तेजी से बढ़ सकें।

2. राष्ट्रीय विकास परिषद ने छठी योजना में और परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम में परिकल्पित निवेशों की वित्त-व्यवस्था करने के लिए संसाधनों की आवश्यक राशि जुटाने के लिए अपने निश्चय और वचनबद्धता की फिर से पुष्टि की। केन्द्र और राज्य दोनों वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था को सुरक्षित सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए मिल कर काम करेंगे।

3. परिषद ने इस बात के लिये सहमति प्रकट की कि छठी योजना के लक्ष्यों के अनुरूप निवेशों में वृद्धि करने के लिये हर प्रयत्न किया जाना है और साथ ही कृषि और उद्योग में मौजूदा क्षमताओं के उपयोग को अधिकतम करने के लिए सभी सम्भव उपाय करने भी उतने ही जरुरी हैं। इस सन्दर्भ में सिंचाई की मौजूदा क्षमता के अधिक पूर्ण उपयोग तथा विद्युत की क्षमता के अधिक प्रभावी उपयोग पर जोर दिया गया। परिषद ने इस बात के लिए सहमति प्रकट की कि वर्तमान वर्ष में, जिसे उत्पादकता वर्ष घोषित किया गया है, सरकारी नीतियों, नियमों और कार्यविधियों सहित ऐसी सभी रुकावटों को दूरकरना आवश्यक है जो मौजूदा क्षमताओं

के पूर्ण उपयोग के रास्ते में आती है। लागत और समय में वृद्धि न होने देने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने की कार्यविधियों को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

4. परिषद ने परिशोधित 20-सूत्री कार्य क्रम को प्रभावी रूप में कर्यान्वित करने के लिए अपना निश्चय प्रकट किया जिसमें छठी योजना के मूल तत्व निहित हैं। परिषद ने परिशोधित 20- सूत्री कार्यक्रम तथा छठी योजना के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के समग्र रूप में प्रभावी प्रबोधन की जरुरत पर जोर दिया। परिषद ने परिशोधित 20—सूत्री कार्यक्रम में शामिल किए गए गरीबी-निरोधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बैंगिग व्यवस्था को दी गई महत्व-पूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उसने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बैंकिंग व्यवस्था की भूमिका की अधिक व्यवस्थित रूप में जांच करने के लिए एक दल नियुक्त किया है।

5. राष्ट्रीय विकास परिषद ने छठी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकारी उद्यमों के उन्नत कार्यकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। परिषद ने विद्युत के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लक्ष्यों के व्यतिक्रम के लिए गम्भीर चिंता प्रकट की और प्रभावी सुधारात्मक उपायों के लिए आग्रह किया। यह स्वीकार किया गया कि छठी योजना के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए प्रमुख उद्यमों, विशेष रूप से राज्य बिजली बोर्डों, सड़क परिवहन निगमों और सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणामों में तत्काल सुधार करने की जरुरत है। मुख्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए तथा उनके सुधार के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए उच्च स्तरीय समितियां बनाने के लिए सहमति प्रकट की। वे अन्य राज्य सरकारी निगमों के निष्पादन को देखने के लिए भी उपाय करेंगे।

6. परिषद ने परिशोधित न्यूनतम आवयकश्यकता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अधिक जोरदार उपाय करने तथा उसमें प्रारंभिक शिक्षा के सार्वीकरण, सभी समस्या-ग्रामों में साफ पीने के पानी की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों, भूमिहीनों के लिए मकान बनाने की जगहों और ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। परिषद ने अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और समुदाय के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए कार्यक्रमों के पुरजोर कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

7. परिषद ने परिवार नियोजन की स्कीमों के कार्यान्वयन में अधिक अच्छे निष्पादन पर संतोष प्रकट किया और लोगों की पूर्ण सहभागिता से देश के सभी भागों में इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक उपाय करने के लिए आग्रह किया।

8. परिषद ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि नदी जल संबंधी अनेक विवाद निपट गये हैं और यह विचार प्रकट किया कि ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा राज्य और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल योजनाएं तैयार की जाएं। इस सन्दर्भ में परिषद ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में तथा सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों की सदस्यता से युक्त एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद स्थापित करने और नदी बेसिन आयोगों को स्थापित करने तथा अन्तर्राज्यीय नदी

जल विवादों को तेजी से निपटाने लिये सुविधा के लिए कानून बनाने के प्रस्तावों का स्वागत किया।

राष्ट्रीय विकास परिषद को सांविधिक दर्जा

6279. **श्री अमरराय प्रधान** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार राष्ट्रीय विकास परिषद को सांविधिक दर्जा देने और इसके व्यय को संसद के प्रति उतरदायी बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद को सांविधिक दर्जा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस परिषद में प्रधान मन्त्री, सभी केन्द्रीय केबिनेट मन्त्री, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री, दिल्ली के उप राज्यपाल और मुख्य कार्यकारी पार्षद, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार इसकी सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सर्वोच्च महत्व देती है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में मारे गये और घायल हुए व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा

6280. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 मार्च, 1981 को बोकारो इस्पात संयन्त्र में हुए विस्फोट में मारे गये और घायल हुये व्यक्तियों को दिए गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है तथा अब तक किन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है उनका नाम वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि उन्हें अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रलयों में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) विस्फोट में मारे गये व्यक्तियों के बारे में, कामगार प्रतिकर आयुक्त धनवाद पास जमा कराये गये मुआवजे के बारे में विवरण नीचे दिया गया है :—

क्र. स.	नाम व पदनाम	जमा कराई गई मुआवजे की राशि	टिप्पणी
1.	श्री ए. सी साह वेल्डर ग्रेड-I	30,000/-	बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी।
2.	श्री राम भजन सिंह रिगर ग्रेड-II	30,000/-	
3.	श्री जे. पी. केशरवानी सी. एस. ग्रेड-III	30,000/-	
4.	श्री वासू यादव रिगर ग्रेड-III	27,000/-	बोकारो इस्पात कारखाने के कर्मचारी
5.	श्री मोहम्मद आलम, रिगर	30,000/-	
6.	श्री बालेश्वर सिंह, रिगर ग्रेड-III	30,000/-	

7.	श्री जे. पी. चौधरी वेल्डर	19, 200/-	मेसर्स गुरदयाल सिंह, ठेकेदार के कर्मचारी
8.	श्री चन्देश्वर प्रसाद, हैल्पर	18,000/-	
9.	श्री आशिक अली अंसारी हैल्पर	18,000/-	मेसर्स सवीर कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर के कर्मचारी
10.	श्री साविर अंसारी, हैल्पर	18,000/-	

औपचारिक्ताओं को पूरा करने के पश्चात मृत कामगारों के विधि वारिसों को आयुक्त के पास जमा करवाई गई राशि का आवंटन करने के लिए कामगार प्रतिकर आयुक्त, धनवाद सूक्षम प्राधिकारी है। बोकारो इस्पात कारखाने के उपर्युक्त छः कर्मचारियों के आश्रितों को आयुक्त से मुआवजे की राशि प्राप्त हो चुकी है।

बिस्फोटक में घायल व्यक्तियों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

(1) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण पर्यवेक्षक (विद्युत)

श्री एस. एन. प्रसाद का इलाज बोकारो जरनल अस्पताल में हो रहा है। राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति के साथ किए गए करार के अनुसार उन्हें मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) दिया जा रहा है। दिनांक 11-3-1981 को हुई दुघर्टना के कारण कारखाने के किसी अन्य कर्मचारी को उपार्जन क्षमता की हानि नहीं हुई है।

(2) उपर्युक्त दुघर्टना के कारण घायल हुए ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी में स्थायी रूप में अशक्तता नहीं आई है।

दिल्ली प्रशासन के फील्ड इंस्पेक्टरों की यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते।

6281. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामान्यतः दिल्ली प्रशासन के फील्ड इन्सपैक्टरों को और सहकारी समितियों का पंजीयक कार्यालय के फील्ड इन्सपैक्टरों को और विशेषकर दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी पर जाने में यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते दिए जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो उन्हें मिलने वाले भत्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जब उन्हें फील्ड ड्यूटी पर भेजा जाता है तब ऐसे अधिकारियों को कोई यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते देने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के क्षेत्रीय निरीक्षक, जिनमें सहकारी समिति विभाग में कार्यकर रहे क्षेत्रीय निरीक्षक और बिक्रीकर अधिकारी शामिल है, पूरक नियमों के उपबंधों के अधीन यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते के हकदार हैं। परन्तु कुछ विभागों में क्षेत्रीय निरीक्षकों के लिए, एस. आर. 22 में यथा प्रदत्त, निर्धारित यात्राभत्ता प्रदान करने का प्रश्न दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

"छठी योजना का खटाई में पड़ना"

6282. **श्री ए. के राय** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 फरवरी, 1982 के "लिंक" में "सिक्स्थ प्लान इन ज्योपार्डी" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है, यदि हाँ, तो सविस्तार तथ्य क्या हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) मुद्रा स्फीति के कारण रुपये के मूल्य में होने वाले ह्रास को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिससे वास्तविक रूप में किए गए मूल पूंजी निवेश को बरकरार रखा जा सके तथा इसके सविस्तार तथ्य क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) यह लेख सरकार के ध्यान में आया है। इस लेख में मुख्य बात यह कही गई है कि अनेक उपादानों के कारण जिनमें संसाधनों का गंभीर संकट शामिल है जो मुद्रा स्फीति, योजनेत्तर व्यय में वृद्धि, भुगतान शेष की कठिन स्थिति और रियायती सहायता की कम संभावनाओं के कारण है, छठी पचवर्षीय योजना के लिए बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। इस लेख के अनुसार वास्तविक रूप में योजना के कार्यान्वयन के लिए देशीय संसाधनों के जरिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का भार आम आदमी पर पड़ सकता है।

वित्तीय संसाधनों तथा छठी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों की लागत पर और वास्तविक लक्ष्यों पर वर्ष 1980-81 और 1981-82 में मुद्रा स्फीति के निश्चित प्रभाव का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि यह बात स्वीकार की जाती है कि मुद्रा स्फीति के कारण परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि होने से छठी योजना के कार्यान्वयन के लिए आरंभ में जो अतिरिक्त संसाधनों का अनुमान लगाया गया था उसकी अपेक्षा और अधिक संसाधन जुटाने की आवश्यकता हो सकती है।

(ख) उपायों की रूपरेखा बताना इस समय संभव नहीं है। वर्ष 1982-83 में छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा करने का प्रस्ताव है। इस कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ मुद्रा स्फीति और अन्य उपादानों के परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल होगा।

कर्नाटक में इस्पात उद्योग काम्पलैक्स

6283. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हास्पेट, कर्नाटक में एक बृहद इस्पात उद्योग काम्पलैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे हाम्पी (विजय नगर) पुरावशेषों के लिए हानिकर वायु प्रदूषण पैदा होगा; और

(ग) क्या इस दृष्टिकोण से कोई पर्यावरण प्रभाव अध्ययन किया गया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय कर्नाटक राज्य में प्रस्तावित विजयनगर इस्पात कारखाने से है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय मैसर्स भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र बम्बई के पर्यावरण अध्ययन अनुभाग के परामर्श को ध्यान में रखा गया था। पर्यावरण प्रदूषण के कारण हाम्पी के पुरातात्विक स्मारकों को क्षति पहुंचने की कोई सम्भावना नहीं है।

मध्य प्रदेश में खनिज सम्पदा

6284. **डा. वसन्त कुमार पंडित :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मध्य प्रदेश में खनिज संपदा को संसाधित करने का कार्य हाथ में लिया है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के गुना जिले में बीनागंज तहसील में बहुमूल्य पत्थरों की भारी मात्रा में प्राप्ति जिसकी पसले ही प्राईवेट पार्टियों द्वारा पट्टे पर खुदाई की जा रही है और कचौदा के पुराने वन की ओर दिखाया गया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में खिलचीपुर, जिरापुर तहसील में काली सिंह नदी में हाल में पाये गए कोक अथवा तेल वाली सामग्री की ओर दिलाया गया है;

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में गुना, राजगढ़ और विदिसा के खदिज बहुल क्षेत्रों में गड्ढे खोदकर नए सिरे से खनिज सर्वेक्षण करायेगी; और

(ङ) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के उक्त तीन जिलों में नए सिरे से की गई जांच के बारे में राज्य स्वामित्व वाले खनिज निगम से कोई रिपोर्ट माँगी है, यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन मध्य प्रदेश में लौह-अयस्क की दो तथा हीरे की एक खान चला रही है। लौह-अयस्क की एक तीसरी खान निर्माणाधीन है। यह कारपोरेशन लौह-अयस्क के अन्य निक्षेपों, डोलोमाइट के निक्षेपों तथा हीरों वाली चट्टानों की भी खोज कर रही है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान को गुना जिले में भारी मात्रा में बहुमूल्य पत्थरों की प्राप्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार के सर्वेक्षण कराना राज्य सरकार का काम है. लेकिन भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान विन्ध प्रदेश की बढ़िया श्रेणी की चट्टानों के क्रमबद्ध भू-वैज्ञानिक नक्शे बना रही है और इसने अखिल भारतीय स्तर पर हीरों की खोज करनी भी शुरु की है। इस खोज में मध्य प्रदेश भी शामिल है।

(ङ) जी, नहीं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक संकट प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान की स्थापना

6285. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक राष्ट्रीय प्राकृतिक संकट प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रायोजित उक्त संस्थान का मुख्य कार्य क्या होगा;

(ग) क्या उक्त संस्थान को देश के विभिन्न भागों में समय समय पर सूखे, बाढ़ और तूफान से उत्पन्न समस्याओं के समाधान का कार्य सौंपा जायेगा; और

(घ) योजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए विपत्ति के लिए तैयारी और प्रबन्ध से सम्बन्धित दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ विपत्ति के लिए प्रशिक्षण और प्रबन्ध के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान के गठन के लिए सिफारिश की है। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है।

(ख) से (घ) तक इस दल ने इस संस्थान के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सुझाए हैं :-

(1) कार्मिकों को विपत्ति के लिए तैयारी और प्रबन्ध का प्रशिक्षण;

(2) सामाजिक, आर्थिक, कृषि-जलवायु, मौसम वैज्ञानिक, प्रशासनिक और इजीनियरी की दृष्टियों से विपत्ति के लिए प्रबन्ध पर समग्र रूप से विचार करना; और

(3) प्रबन्ध के लिए तैयारी से सम्बन्धित सभी प्रकार के ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक केन्द्रक के रूप में कार्य करना तथा विकास और राहत कार्यकलापों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।

इस दल ने यह भी कहा है कि इस राष्ट्रीय संस्थान की वर्तमान प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के कार्यकलापों की किसी भी हालत में पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकारें विपत्ति के लिए तैयारी, प्रबन्ध और रोकथाम के सभी पहलुओं के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होंगी, परन्तु इस कार्य के लिए समग्र संदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व इस दल द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान पर होगा।

"एयर पालूशन पोजिंग हैल्थ हजार्ड" शीर्षक समाचार

6286. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 फरवरी, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित "एयर पालूशन पोजिंग हैल्थ हजार्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रो. जे. एम. दवे, डीन, स्कूल आफ इनवारनमेंटल साइंसिज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि गत वर्ष बनाए गए कानून वायु प्रदूषण अधिनियम में कई कमियां विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रो. दवे द्वारा बताई गई प्रत्येक कठिनाई पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उटाये गये हैं अथवा उठाये जाने है ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिकी और महासागार विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, मई, 1981 में लागू हुआ है, जबकि अधिनियम के अन्तर्गत नियम अभी भी अधिसूचना के लिए तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रकार विधान की जांच के लिए अभी तक पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) फिर भी, प्रो. दवे द्वारा दिये गये सुझावों को नोट कर लिया गया है और यदि कानून के वर्तमान उपबन्ध वायु प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के लिये अपर्याप्त पाये जाते हैं, तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम के राजस्व वसूली सैल द्वारा गृह करों की बकाया राशि की वसूली

6287. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने, राजस्व वसूली सेल को गृह कर की बकाया राशि की वसूली करने के निदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि वसूली सैल करोलबाग द्वारा इस तरह एकत्रित की गई बकाया राशि की सूची या तो निगम (पश्चिम जोन) के पास नहीं पहुंच रही है अथवा गलत प्रविष्टियों के साथ भेजी जा रही है जिससे उन करदाताओं को भारी परेशानी हो रही है, जिनके खातों में, पूरा भुगतान कर दिए जाने के बाद भी बकाया राशि शेष बनी हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नगर निगम (पश्चिम जोन) में सम्पत्ति कर समहर्ता शाखा में कर्मचारी अपर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति का समाधान करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि केन्द्रीय वसूली सैल करौलबाग सम्पत्ति कर की बकाया राशि एकत्र करती है। वसूली सेल द्वारा प्राप्त की गई अदायगियों के चालान की एक प्रति जिसमें सम्पत्ति के ब्यौरे और प्राप्त की गई अदायगियां दी गई होती है पश्चिम जोन सहित सम्बन्धित जोनों को बैचों में भेजी जाती है। क्षेत्रीय कर्मचारी चालान प्राप्त होने के पश्चात इसमें उल्लिखित राशि की मांग और एकीकरण रजिस्टर में प्रविष्ट करते हैं। इस प्रक्रिया में स्वामी के नाम अथवा सम्पत्ति की सही संख्या के सम्बन्ध में किसी व्यक्तिगत मामले में कोई गलती होती है तो उसको ध्यान में आते ही ठीक कर दिया जाता है।

(ग) तथा (घ) दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि सम्पत्ति कर विभाग में कार्य भार बढ़ गया है। फिर भी, अधिक अच्छे जन शक्ति प्रबन्ध करके विद्यमान कर्मचारियों की संख्या से बढ़े हुए कार्य भार को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत के महानगरों में वायु-प्रदूषण

6288. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सभी महानगरों में वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक 50 एम. जी. प्रति मीटर घन से कहीं अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) वायु के दो मुख्य प्रदूषण हैं, अर्थात सल्फर

आक्साइडस तथा धूलि के कण (डस्ट पार्टिकुलेट्स) जो बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, आदि जैसे प्रमुख महानगरों में वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं।

जहाँ तक सल्फर आक्साइडस का सम्बन्ध है, अहमदाबाद को छोड़ कर, वे सामान्यत: 0 से 60 प्रति घन मीटर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की सीमा में है। भारत नगरों में धूलि सांद्रण (कन्सन्ट्रेशन), विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाये गये 60 से 90 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मार्गदर्शी सिद्धान्तों की तुलना में 110 से 430 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की श्रेणी में ऊंचा रहता है।

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय सरकार ने देश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियन्त्रण के के लिये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 प्रख्यापित किया है। राज्य बोर्डों को, जिनके अधिकार-क्षेत्र में महानगर आते हैं, और जहाँ सल्फर आक्साइड्स तथा धूलि के कणों ने सांद्रता प्रदर्शित की है, उपचारी उपाय करने की सलाह दी गई है।

अभयारण्यों की स्थापना के लिए तिवारी समिति की सिफारिशें

6289. **श्री हरीश रावत :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण सम्बन्धी समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त तिवारी समिति द्वारा अभयारण्यों की स्थापना के लिये किन-किन स्थानों का सुझाव दिया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार किया है ?

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) तिवारी समिति ने अभयारण्यों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फसल आंकलन योजना

6290. **श्री रेणु पद दास :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फसल आंकलन योजना में सुधार वर्ष 1967-68 में शुरू किया गया था और उसे कृषि मंत्रालय द्वारा देखा जाता था तथा बाद में इसे 1971 में योजना मंत्रालय की निगरानी में रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो खराब कार्यवरण, कर्मचारियों में निरन्तर असंतोष और काम की घटिया किस्म को दूर करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसे कृषि मंत्रालय को सुपुर्द करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सरकार सहमत नहीं है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एक विशेषज्ञता प्राप्त सर्वेक्षण अभिकरण है जो

प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ा संग्रह करने के लिये उत्तरदायी है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्र संकार्य प्रभाग के कृषि सांख्यिकीय पक्ष की यह समग्र जिम्मेदारी है कि वह उचित सर्वेक्षण तकनीकों का विकास करके, तकनीकी सलाह देकर तथा समान संकल्पनाओं, परिभाषाओं एवं कार्य-विधि को सुनिश्चित करके सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के प्रचालन में राज्यों की सहायता करे। वर्ष 1973-74 से यह प्रभाग राज्य कृषि सांख्यिकीय प्राधिकरणों के साथ संयुक्त रूप से फसल सांख्यिकी सुधार योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सांख्यिकीय कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रफल परिगणना के प्राथमिक कार्य की प्रतिदर्श जांच एवं फसल कटाई प्रयोगों के कटाई स्तरीय पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जाती है।

एशियाई खेलों के लिए पिक्चर ट्यूबों की खरीद

6291. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का प्राग से टी. वी. पिक्चर ट्यूब खरीदने का विचार है;

(ख) क्या इन पिक्चर ट्यूबों का इस्तेमाल एशियाई खेलों के लिए किया जाएगा; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत और प्राग के बीच हुये करार का ब्यौरा क्या है ?

इलैक्ट्रोनिकी विभाग में उप मन्त्री (श्री एम. एस. संजीवी राव) : (क) हमारे घरेलू दूरदर्शन रिसीवर उद्योग की आवयकताओं को पूरा करने के लिए इस समय अनेक स्रोतों से श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जा रहा है। ऐसे ट्यूबों की आपूर्ति करने के सम्बन्ध में चेकोस्लोवाकिया से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। किन्तु हाल ही में उस देश से श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आयात नहीं किया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हाल ही में चेकोस्लोवाकिया ने वर्ष 1983 के लिए 1,00,000 दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु अभी वाणिज्यिक स्तर का वास्तविक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में बंगला देश के शरणार्थियों का पुनर्वास

6292. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में बंगला देश से कितने लोग आये हैं जो पश्चिम बंगाल में ठहरे हुए हैं;

(ख) सरकार का विचार उन्हें किस तरह बसाने का है; और

(ग) क्या उन्हें किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए पांच साल की सेवाओं का लाभ

6293. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 से 32 साल तक की सेवाओं वाले कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 5 साल की अतिरिक्त सेवाओं का लाभ नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं जबकि 30 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों को यह लाभ दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार इस कमी को दूर करेगी और स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 30 साल की सेवाओं के बाद 5 साल की अतिरिक्त सेवाओं का लाभ देगी ?

गृह मत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां।

(ख) पांच वर्ष तक की अतिरिक्त सेवाओं के लाभ के साथ 20 वर्ष सेवा के बाद स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना लागू करने से पूर्व सरकारी कर्मचारी पहले ही बिना अतिरिक्त सेवाओं के लाभ के 30 वर्ष की सेवा के बाद सेवा निवृत्ति के हकदार थे। सरकार ने इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यह पहले की तरह ही विद्यमान है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए इस नियम में कोई कमी मालूम नहीं देती है।

सीमेंट के आयात के लिए भवन निर्माताओं को लाइसेंस जारी करना

6294. **श्री तारिक अनवर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्माताओं को ओ. जी. एल. या आर. ई. पी. लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्माताओं को सीमेंट आयात करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवेदन पत्र कैसा है और यह किसे प्रस्तुत किया जाता है;

(घ) कौन सी एजेंसी यह योजना चलाएगी और किस रूप में तथा कैसे चलाएगी; और

(ङ) ऐसे लाइसेंस जारी करने के मार्ग निदेश क्या हैं;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) सीमेंट पर आंशिक रूप से नियन्त्रण हटा लेने की नीति के अन्तर्गत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ उन वास्तविक उपयोग कर्ताओं जो लेवी के कोट, राज्य व्यापार निगम लि. तथा सबंधित सरकारों द्वारा प्राधिकृत राज्य निगमों से सीमेंट प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सीमेंट के संभरण में हुई कमी की अंशत: पूर्ति करने के लिए वास्तविक उपयोगकर्त्ताओं के लेखे से मुक्त रूप से सीमेंट का आयात करने हेतु अमुमति देने की घोषणा की है। इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

अध्यक्ष महोदय : यह कहने की जरूरत नहीं है कि मंत्री परिषद के एक वरिष्ट सदस्य ने इस सभा में 24 मार्च 1982 को जिस बात का उल्लेख किया था और जिससे शोरगुल हुआ था वह खेदजनक थी। 25 मार्च 1982 को मंत्री द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, जब उस विशेष प्रश्न को .....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्या यह एक स्पष्टीकरण था ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अटल बिहारी बाजपेयी, प्रो. मधु दंडवते, श्री मनीराम बागड़ी, श्री हरिकेश बहादुर, श्री रामविलास पासवान, श्री चन्द्रजीत यादव, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती तथा डा. सुब्रह्मण्शम स्वामी सहित अनेक सदस्यों ने उठाया तो उस मामले को समाप्त समझा गया था।

25 मार्च, 1982 को जैसे कि सभा में कहा गया था 24 मार्च, 1982 को लोक सभा कार्यवाही के प्रासंगिक एक भाग को सभा की भावना को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर रखा गया था और प्रेस तथा प्रेस समाचारों द्वारा भी इसे छापा नहीं था और सभा की इच्छा का आदर किया था इडियन एक्सप्रेस जिसने 25 मार्च को मुख्य शीर्षक द्वारा कार्यवाही के उस अंश का उल्लेख किया जिसे कार्यवाही से बाहर रखा गया था, के अतिरिक्त किसी भी समाचार पत्र ने कार्यवाही प्रकाशित नहीं की। ऐसा करना निन्दनीय था; इंडियन एक्सप्रेस को इस सम्बन्ध में सभा द्वारा व्यक्त इच्छा का निरादर नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की बातों को उठाये जाने के बजाये नजरअंदाज करना ही इस सभा की प्रतिष्ठा है।

मुझे आशा है कि मेरे मित्र सर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा हरिकेश बहादुर, जिन्होने गृह मंत्री डा. कृपा सिन्धु भोई, सर्वश्री जगदीश टाईटलर, हरिश रावत, जेवियर अराकल तथा प्रो. के. के. तिवारी तथा इंडियन एक्सप्रेस के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के नोटिस दिए हैं, इस मामले पर और बल नहीं देंगे। मैं मामले को यहीं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय आपने इंडियन एक्सप्रेस को बुरा कह दिया गृह मंत्री को .....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप इसे पढ़िए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप गृह मंत्री को कुछ नहीं कहेंगे ? पहले 'हिटलर' कार्यवाही से निकाल दिया गया, फिर 'हिटलर' वापस आ गया .....(**व्यवधान**)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें इण्डियन प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट बंगलौर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत कागज (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 910 (अ) में प्रकाशित हुआ था। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3768/82]**

(2) (एक) इंडियन प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सख्या एल. टी. 3769/82]**

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3770/82]**

श्रम मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों के ब्यौरेवार मांगें तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सम्बन्धी विवरण

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) श्रम मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुदानों की ब्यौरेवार माँगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3771/82]**

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3772/82]**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध नोटिस दिया है उन्होंने जानबूझ कर···

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ब्यान देना है।

श्री राम विलास पासवान : किस पर ?

अध्यक्ष महोदय : क्लेरिफिकेटरी ब्यान देंगे उसके बाद बात कीजिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : कल मैंने आपका ध्यान···

श्री नीरेन घोष (दमदम) : उड़ीसा के बंधुआ मजदूरों के बारे में बिलकुल गुमराह करने वाली रिपोर्टें आयी हैं··· (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कल मैंने आपका ध्यान 'संडे' में प्रकाशित डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी के एक लेख की ओर दिलाया था, मैं देखता हूं कि उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा था कि आपको नियम 353 के अन्तर्गत चलना पड़ेगा। मैंने उसके लिये अनुमति नहीं दी थी। उसे कार्यवाही वृत्तान्त से बाहर निकालने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता : मैंने उसे अनुमति नहीं दी। मैं देखता हूं कि यदि अनेक सदस्य एक ही साथ बोलने की कोशिश करते हैं तो इससे कठिनाई पैदा हो जाती है और इस बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। मैं इन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ बातों पर चर्चा करने के लिये हम बैठक करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री के मामले में आपने कोई बैठक नहीं बुलायी और आपने अपना निर्णय दे दिया केवल इण्डियन एक्सप्रेस के बारे में क्यों (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उसे क्यों नहीं पढ़ते ? आप केवल निष्कर्ष पर क्यों पहुंच रहे हैं ? जो कुछ मैंने कहा, आपने नहीं सुना।

मैं कहना चाहता हूं कि केवल असंसदीय शब्द, और अनादरपूर्ण तथा अपमानजनक शब्द ही साधारणत: कार्यवाही वृत्तान्त से निकाले जाते हैं। मैं केवल यही कहता हूं कि जब सभा में शोर-शराबा होता है, पांच-सात अथवा दस सदस्य बोलते हैं—अथवा मेरी अनुमति बिना कोई सदस्य बोलता है—तो वह एक भिन्न बात है।

मैं अन्य बातों को कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकालना चाहता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने जो कुछ भी कहा वह अनादपूर्ण अथवा असंसदीय नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन, मैंने तो आपको रोका भी नहीं। कल मैंने केवल आपको नियम 353 के अन्तर्गत चलने के लिये कहा था···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसके अन्तर्गत चलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है। मैंने उसके लिये अनुमति नहीं दी थी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन मैंने कोई भी असंसदीय शब्द नहीं बोला।

अध्यक्ष महोदय : आप आगए। मैं अपने बचन पर कायम हूं। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। मैंने इसके लिये अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)*

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने डा. अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के लिये नोटिस दिया है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे थोड़े होता है । आप मेरे पास आइये । (व्यवधान)*

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :-

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (कॉडर में सदस्य-संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम 1982 जो दिनांक 13 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 269 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1982, जो दिनांक 13 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 270 में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी. 3773/82]**

(2) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3774/ 82]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि, तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जारी की गई कर्मचरी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के उपबन्धों को शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा प्रशिक्षण संस्थाओं पर लागू करने से सम्बन्धित अधिसूचना सख्या का. आ. 986 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर, रखता हूं जो दिनांक 6 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3775/82]**

भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक का वर्ष 1980-81 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल राजस्व प्राप्तियां-खंड 1-अप्रत्यक्ष कर और खंड 2-प्रत्यक्ष कर ।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं संविधान के अनुच्छुद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1980-81 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां-खंड 1—अप्रत्यक्ष कर और खंड 2—प्रत्यक्ष कर (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 3776/82]**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

34वां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम लिमिटेड, (कृषि मंत्रालय-कृषि और सहकारिता विभाग) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (छठी लोक सभा) के 49वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्रधान मंत्री यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान जिन कतिपय आर्थिक विषयों पर विचार-विनिमय हुआ उनके बारे में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई. डी. ए.) उदार शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक की संस्था है। इसके कार्यक्रम का कम आय वाले देशों विशेषकर, एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए बड़ा महत्व है। संघ के छठे पुनर्भरण यानी रिप्लेनिशमेंट के मामले में गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूर्वसम्मत के अनुसार अपना अंशदान देने से इन्कार कर दिया है और परिणामतः अन्य महत्वपूर्ण दाता देशों ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुपात में अपने अंशदान में कटौती कर दी है।

2. हाल में नई दिल्ली सम्पन्न विचार-विमर्श में विकासशील देशों के जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उन्होंने इन घटनाओं पर गम्भीर चिंता व्यक्त की थी और इस बात पर बल दिया था कि इस समस्या को हल करने के लिए उच्च स्तर पर राजनीतिक पहल की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में, हाल की लंदन यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री ने इस विषय पर ब्रिटिश प्रधान मंत्री से बातचीत की और यह अनुरोध किया कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न अन्य दाता देशों को चाहिए कि वे अनुपातिक अंशदान की शर्त को छोड़ दें ताकि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यक्रम में आने वाले व्यवधान को टाला जा सके। यह बहुत सन्तोष की बात है कि कम आय वाले विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जिन में से कई राष्ट्रमंडल के भी सदस्य हैं, ब्रिटेन की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण के लिए अपने हिस्से की पूरी राशि देना मान लिया है और अन्य दाता देशों को ऐसा करने के लिए राजी कराने में भारत के साथ सहयोग करना भी स्वीकार कर लिया है। कानकुन के बाद यह एक महत्वपूर्ण घटना है और इससे यह पता चलता है कि ऐसे कठिन समय में भी, उत्तर और दक्षिण के नेताओं के बीच बराबर विचार-विमर्श करते रहने से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्य को पूरा करने में किस प्रकार सहायता मिल सकती है।

3. व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत समय से परस्पर सहयोग करते आ रहे हैं। भारत के विकास-कार्यक्रमों में ब्रिटेन भी मूल्यवान सहायता प्रदान करता रहा है। लंदन में प्रधान मंत्री की बातचीत के परिणाम-स्वरूप इन सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

4. बिजली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को हम कितना महत्व देते हैं, इस बात को देखते हुए कुछ समय पूर्व कई विदेशी पार्टियों ने एक तापीय बिजली घर लगाने और उससे सम्बद्ध कोयला खान का विकास करने के प्रस्ताव किए थे। इन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव ब्रिटेन की फर्मों के संघ यानी कंसार्शियम द्वारा 1000 मेघावाट की क्षमता का एक बिजली घर स्थापित करने के बारे में है, जिसे ब्रिटेन की सरकार का समर्थन प्राप्त है। परियोजना के वित्तपोषण की बात के शामिल होने के कारण यह प्रस्ताव सब प्रस्ताओं से अधिक आकर्षक है। लंदन में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप वित्तपोषण की बात में और सुधार हुआ है। अतः सिंग्रौली में जल्दी ही एक बिजली घर की स्थापना करने और उसके साथ खान का विकास करने के लिए हम ब्रिटिश फर्मों के संघ के साथ गम्भीर रूप से बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं ताकि उत्तरी क्षेत्र से बिजली की अत्यधिक कमी को दूर किया जा सके।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान नई दिल्ली के कार्यकरण के बारे में 26 मार्च, 1982 को चर्चा के दौरान दी गई कतिपय जानकारी को सही करने के लिए एक वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : महोदय, स्मरण कराया जाता है कि 26 मार्च, 1982 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के काम-काज के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा हुई है। इस चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि रोगी श्री नाथो पासवान 15 जनवरी, 1982 को जब उनका नाम दाखिले के लिए अस्थायी रूप से बुक किया गया था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नहीं आये। लेकिन मेरे ध्यान में यह लाया गया कि यह रोगी उस दिन संस्थान में जरुर आया जैसाकि माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान द्वारा सदन में रोगी का वहिरग रोगी कार्ड प्रस्तुत करने से पता चलता है। तदनुसार मैं अपने वक्तव्य को सशोधित करता हूं तथा गलत जवाब के लिये गहरा खेद व्यक्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजिपुर) : अध्यक्ष जी, जिस डाक्टर ने मिसइंफार्म किया है उसको क्या सजा दे रहे हैं ? हमारे पास में प्रूफ था तो आज आप रिग्रेट कर रहे हैं, अगर प्रूफ नहीं होता तो आप कह देते कि डेलीब्रेटली कहा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगर यह गलती नहीं होती तो उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता।

श्री राम विलास पासवान : जिस डाक्टर ने आपको गलत इंफर्मेशन दी और आपको यहां रिग्रेट करने के लिए विवश किया उसके लिए आप क्या कार्यबाही कर रहे हैं ? मंत्री जी डाक्टर आपको दो वार मांफी मंगवा चुका है। आप अपने स्टाफ पर नजर रखिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मेरा सुझाव है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से पहले समितियों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्तावों को लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हां। अब श्री पट्टाभि राम राव।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

श्री एस. बी. पी. पट्टाभि राम राव (राजामुन्द्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 में से सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) लोक लेखा समिति

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य को लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती कि राज्य सभा 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती कि राज्य सभा 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए

सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबधी समिति

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि सभा के सदस्य इस लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 31 2ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए; सरकीरी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा के सदस्य इस लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालय नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए; सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें :"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री आर. आर. भोले (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. आर. भोले : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1982 से आरम्भ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1982 से आरंभ होने और 30 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, कुछ मंत्रियों के पास लोक सभा में कमरा न होने की वजह से उन्हें लोगों से खड़े-खड़े बात करनी पड़ती है। इस तरह से बाहर खड़े खड़े बात करते हैं यह बहुत सीरियस बात है।

अध्यक्ष महोदय : बनवा दीजिए आप।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में बिजली की कथित कमी के कारण कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का समाचार

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं ऊर्जा मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक व्यक्तव्य दें :—

"देश में बिजली की कथित कमी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर, विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पड़ रहा है।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : महोदय, माननीय सदस्यों को यह

सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि देश में विद्युत के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 1981-82 के दौरान 1,22,000 मिलियन यूनिट के ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य न केवल प्राप्त कर लिया जाएगा अपितु हम इससे भी आगे बढ़ जायेंगे। ताप विद्युत उत्पादन में वर्ष 1980-81 के उत्पादन की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि क्षमता समुपयोजन में सुधार से हुई है जो 1980-81 के दौरान 45% था और 1981-82 के दौरान बढ़कर 47% हो गया है। विद्युत उत्पादन में हुई इस वृद्धि से देश में विद्युत की कमी काफी घट गई है। वर्ष 1979-80 के दौरान यह कमी 16.1% थी जो अप्रैल 1981 से फरवरी, 1982 की अवधि के दौरान 10.6% ही रह गई है।

देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने से 1981-82 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में लगभग 8% की वृद्धि हुई है। इसकी तुलना में 1980-81 के दौरान 4% की वृद्धि हुई थी। देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1981-82 के दौरान, इस्पात कोयले आदि जैसे कोर क्षेत्र में भी उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शीघ्र समाप्ति के बावजूद खरीफ की लगभग 80 मिलियन टन पैदावार की जा सकी जबकि 1980-81 के दौरान यह पैदावार 77.4 मिलियन टन थी। विभिन्न राज्यों में कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विद्युत उपलब्ध करने के लिए ऊर्जा मत्रालय तथा सम्बोधित राज्यों द्वारा किये गये संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप यह उपलब्धि हुई है।

यद्यपि विद्युत के उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है तथापि, कुल क्षेत्रों में अभी भी विद्युत की कमी है।

दक्षिण क्षेत्र में 1980-81 में हुए विद्युत उत्पादन की तुलना में वर्ष 1981-82 के दौरान 10.6% की वृद्धि हुई है। जनवरी, 1982 तक, अब कर्नाटक ने उद्योगों पर विद्युत कटौती लागू की, दक्षिणी राज्यों में कोई विद्युत कटौती/प्रतिबन्ध नहीं थे। इस समय कर्नाटक को उस क्षेत्र में फालतू बिजली वाले राज्यों से अर्थात् केरल और आन्ध्र प्रदेश से सहायता दी जा रही है। तमिलनाडु, कुल मिलाकर ऊर्जा की अपनी समस्त आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। जून, 1982 में मानसून के आ जाने से कर्नाटक में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है।

पश्चिमी क्षेत्र में, गुजरात ऊर्जा की अपनी समूची मांग को पूरा कर रहा है; महाराष्ट्र में ऊर्जा की सीमान्त कमी है, जबकि मध्य प्रदेश ऊर्जा तथा व्यस्तम कालीन विद्युत की दोनों की ही कमी का सामना कर रहा है। मध्य प्रदेश में विद्युत की कमी के मुख्य कारण यें हैं; प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होना, पिछले तीन वर्षों के दौरान गांधी सागर जलाशयों में जल का अन्तर्वाह कम होना और परिणामस्वरूप जल विद्युत उत्पादन कम होना तथा सतपुड़ा में 200 मेगावाट की यूनिटों के आशोधन तथा नवीकरण में अत्यधिक लम्बा समय लगना।

पूर्वी क्षेत्र में, वर्ष 1981-82 के दौरान दामोदर घाटी नियम के उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन के परिणामस्वरूप इस वर्ष विद्युत की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1980-81 के उत्पादन की तुलना में दामोदर घाटी निगम के विद्युत उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि हुई है दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन भी अति उत्तम रहा है क्योंकि

1981-82 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अपुपात 52.6% रहा जबकि इसकी तुलना में 1980-81 के दौरान संयंत्र भार अनुपात 37.6% ही था। दामोदर घाटी निगम, इस्पात कोयला और रेलवे आदि जैसे अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्रों के अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम रहा है। उड़ीसा में विद्युत सप्लाई की स्थिति नवम्बर, 1981 तक सन्तोषजनक रही। किन्तु, अपवाह क्षेत्रों में वर्षा कम होने के फलस्वरूप मचकुण्ड और बलिमेला जलाशयों में जल का स्तर नीचा रह जाने के कारण नवम्बर, 1981 से उड़ीसा में जल विद्युत का उत्पादन कम हो गया है। इससे उड़ीसा में विद्युत प्रधान उद्योगों पर विद्युत की कटौती लागू करना आवश्यक हो गया। जून, 1982 में मानसून आ जाने पर राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार होने की आशा है। बिहार और पश्चिम बंगाल भी विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन असन्तोषजनक होना है।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, 1980-81 में हुए उत्पादन की तुलना में विद्युत उत्पादन में इस वर्ष 31% की वृद्धि हुई है। इससे, क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं, व्यस्ततमकालीन सीमान्त प्रतिबन्ध लागू करके, पूरी करली गई हैं।

यदपि, उत्तरी क्षेत्र में 1981-82 के दौरान विद्युत के उत्पादन में 9.9% की वृद्धि हुई है तथापि, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत कमी का सामना कर रहे हैं। तथापि, इस वर्ष के दौरान दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति काफी सन्तोषजनक रही। हिमाचल प्रदेश, फालतू ऊर्जा वाला राज्य बना रहा इस समय, पंजाब तथा हरियाणा, में केवल व्यस्ततमकालीन प्रतिबन्ध लागू हैं। उत्तर प्रदेश में भी उद्योगों पर विद्युत कटौतियां घटाकर 20% कर दी गई हैं। राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति असंतोषजनक है। इसका कारण है राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र की यूनिटों की जबरन बन्दियां। राजस्थान में विद्युत सप्लाई का मुख्य स्रोत यही है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राजस्थान में विद्युत संकट को कम करने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को पर्याप्त सहायता दी गई है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि देश में विद्युत के उत्पादन में तथा विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने की आवश्यकता के प्रति हम पूरी तरह जागरूक हैं। देश में विद्युत की कमी को और घटाने के लिए हमने 1982-83 के लिए विद्युत उत्पादन का एक विशाल कार्यक्रम बनाया है।

श्री राम सिंह यादव : विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में तथा सप्लाई के सम्बन्ध में आज पूरे देश में एक असन्तोष का वातावरण है। जिन प्रान्तों के बारे में मंत्री महोदय ने संतोष व्यक्त किया है उन में भी जो सन्तोष आज वह यहाँ व्यक्त कर रहे हैं यदि वहाँ जा कर इण्डस्ट्रियल सैक्टर में या एग्रिकलचरल सैक्टर में देखें तो उनको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा विशेष रूप से 3 प्रान्तों में बिजली उत्पादन की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है और वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, जिनके बारे में स्वयं मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि आज पूरे देश के अन्दर जो विद्युत उत्पादन और बिजली सप्लाई

की स्थिति का असंतोष है वह राजस्थान में जितना है उतना किसी दूसरे प्रान्त में नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रान्त में आज जितना कुल विद्युत उत्पादन है वह 1158,5 मेगावाट है जिसमें चम्बल प्रोजेक्ट से 193 मेगावाट, सतपुड़ा प्रोजेक्ट से 125 मेगावाट व्यास प्रोजेक्ट से 272 मेगावाट, राजस्थान एटमिक पावर प्रोजेक्ट से 200, 200 यानी 400 मेगावाट और भाखड़ा प्रोजेक्ट से 168.5 मेगावाट हमारे राजस्थान का हिस्सा है। मुझे खेद है कि जो भी हिस्सा हमें भाखड़ा नंगल से या सतपुड़ा या चम्बल प्रोजेक्ट से मिल रहा है वह नगण्य है। चम्बल प्रोजेक्ट और भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के बारे में यह कहा गया है कि वहां पर रिजवायर में पानी की कमी रही है। चम्बल में खासतौर से मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल के केलमेंट एरिया में—गांधी सागर और प्रताप सागर, सागर डैम में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने तरीके से स्टेट की तरफ से कुछ ऐसे बाँध बाँध दिये जिससे पानी नहीं आया, और दो साल से लगातार कम पानी आ रहा है जिसकी वजह से जो ऐक्सपेक्टड पावर जैनरेशन था उसमें गिरावट आयी है। इस बारे में कई बार पहले भी कहा गया, लेकिन केन्द्रीय सरकार कोई भी कार्यवाही करने में असफल रही है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में पहले भी कहा था कि हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन आपने मध्य प्रदेश सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करने के लिये या ऐसी व्यवस्था करने के लिये जिससे जो पानी वहां रुक गया है उस पानी को गाँधी सागर और प्रताप सागर डैम में आने दिया जाय, इसके लिये कोई व्यवस्था अभी तक नहीं कर सके हैं।

हमारा दूसरा हिस्सा सतपुड़ा से मिलता है 125 मेगावाट। लेकिन मध्य प्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड उसमें से 1 यूनिट भी बिजली हमें नहीं देता है। और वह कहते हैं कि हमारे यहां खुद बिजली की कमी है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी विद्युत का गम्भीर संकट है, वह स्टेट भी बिजली के मामले में सरप्लस नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें दूसरी स्टेट का भी हिस्सा है, उसको उसका हिस्सा न दिया जाय। जो भी वहां उत्पादन होता है उसके अनुपात में हमारे राज्य को भी हिस्सा मिलना चाहिये। और उस हिस्से के लिये जो कम से कम इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अभी तक कोई इस तरह की अथौरिटी नहीं केन्द्रीय सरकार के पास कि यदि एक स्टेट वहां वह परियोजना होती है, उस परियोजना को जो कंट्रोल करते हैं यदि वह दूसरी स्टेट को हिस्सा न दें तो आप अपने को असहाय महसूस करते हैं, तो इस मुद्दे को आप लेंगे और राजस्थान को उसका हिस्सा दिलाने का प्रयत्न करेंगे। राजस्थान एटमिक पावर प्रोजेक्ट जिसकी फर्स्ट यूनिट का जैनरेशन 220 मेगावाट है, दूसरी यूनिट का जो 110, 110 यानी 220 मेगावाट जैनरेशन है, यदि उसके इतिहास को देखेंगे तो पायेंगे ऐटमिक पावर प्रोजेक्ट की फर्स्ट यूनिट जनवरी 1981 से जनवरी 1982 के बीच 198 दिन बन्द रही और दूसरी यूनिट भी जनवरी 1981 से जनवरी 1982 के बीच 90 दिन बन्द रही है। यहां पर जो हमारा विद्युत का एक मुख्य स्रोत है, वह आटौमिक पावर प्रोजेक्ट हैं, उससे रास्थान को बिजली नहीं मिलती है और यह स्थिति केवल आज की नहीं हैं, 1981-82 की नहीं हैं, 1980 में भी इस पर ध्यान दिलाया गया था। 1980 में भी दोनों पावर प्रोजेक्ट फाल्टी रहे, उनसे विद्युत उत्पादन नहीं होता था। राजस्थान स्टेट इन पर आश्रित नहीं रह सकती और कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की।

आपने जो स्टेटमैंट दिया है, उसमें यह कहा है कि राजस्थान में विद्युत सप्लाई बिल्कुल निम्न-स्तर पर रही है, और स्टेट्स के मुकाबले में वहां की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन वहां पर हमने बदरपुर से बिजली दी है। मैं जानना चाहता हूं कि बदरपुर से प्रत्येक महीने कितनी बिजली आपने दी है ? कितनी रिक्वायरमैंट राजस्थान की है और प्रत्येक महीने कितनी विद्युत सप्लाई की गई है रैंगुलर तरीके से ?

अटौमिक पावर यूनिट करीब सितम्बर से जनवरी तक चालू नहीं रहा। जब आपको मालूम था, टैक्नीकल रिपोर्ट आपके पास थी कि 6 महीने के लिये अटौमिक पावर यूनिट बन्द रहेगा, उस दौरान क्यों नहीं आपने कोई सौल्यूशन किया, क्यों नहीं कदम उठाये ? क्या रोजाना राजस्थान इलैक्ट्रीसिटी स्टेट बोर्ड आपको निवेदन करे, बदरपुर और दूसरी स्टेटों को निवेदन करे कि हमारे यहां पावर शार्टेज है, उसको दूर करें।

राजस्थान में विद्युत सप्लाई का प्रश्न विशेष गम्भीरता लिये हुए है इसलिए कि वहां पर पीने के पानी की बड़ी कठिन समस्या है। पीने के पानी को बहुत गहरे कुएं से निकालना होता है। अगर पानी निकालने से 12 घंटे पहले बिजली न जाये तो पानी निकालने की सुविधा नहीं होती है।

राजस्थान के अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वगैरह में बिजली की कमी की वजह से प्रत्येक कस्बे में और टाउन में पीने के पानी का अभाव रहता है। इस पीने के पानी के संकट को किसी भी तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है। यह ऐसा डैजर्ट एरिया है जहां पर आपने इन्टीग्रेटेड तरीके से पानी की स्कीम चलाई थी, वहां अगर आप बिजली नहीं देते हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग पानी कहां से लेंगे ? जिस हिस्से में 10,10 मील तक पानी का स्रोत नहीं है, कुएं नहीं हैं, कुएं से पानी साधारण तरीके से नहीं निकाला जा सकता है, वहां पर यदि विद्युत न पहुंचे, विद्युत सप्लाई बन्द हो जाती है तो वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी, इसका आप सहज-अनुमान लगा सकते हैं।

हमारे यहां जो दूसरा प्रोजेक्ट कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 और 2. इसके तहत मार्च 1982 तक यूनिट-1 को कमीशन्ड हो जाना चाहिये था। मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि मार्च 82 तक जो फर्स्ट यूनिट कमीशन्ड हो जाना चाहिए था, वह क्यों नहीं हो सका है ? उसमें क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी सदन में इस बात का आश्वासन देंगे कि आने वाले 2, 3 महीने में यह फर्स्ट यूनिट तो कम-से-कम कमीशन्ड होकर राजस्थान के लिये बिजली उत्पादन करने लगेगा ? आपको इस यूनिट को विशेष रूप से गंभीरता से लेना चाहिए था जबकि आपको मालूम है कि आटौमिक पावर यूनिट एक तरह से फेल हो चुका है। जब आपके सामने यह हालत है, उस आटौमिक पावर यूनिट का यह इतिहास है तो मार्च 82 में कमीशन्ड होने वाले यूनिट-1 को डिले होने से आपने क्यों नहीं बचाया ? मेरा निवेदन है कि इस बारे में विशेष रूप से कदम उठायें जिससे कि स्टेट में विद्युत उत्पादन सही रूप में सही तरीके से हो सके।

हमारी राजस्थान सरकार ने एक पलाना थर्मल प्रोजेक्ट के लिये पलाना में लगभग 67.38 करोड़ रुपये की लागत वाले 2×60 मेगावाट क्षमता के लिग्नाइट पर आधारित थर्मल प्लांट की परियोजना रिपोर्ट फरवरी, 1979 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई थी।

35.63 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खुली खान से लिग्नाइट निकालने की परियोजना रिपोर्ट भी अक्तूबर, 1979 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ श्री वृद्धि चन्द्र जैन को भी बोलने के लिए रहने दें।

श्री रामसिंह यादव : यह बिजली की भारी कमी के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पलाना के लिग्नाइट प्राजेक्ट को जल्दी से जल्दी लिया जाए। मैं एनर्जी मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्राजेक्ट को इंडो-जी.डी. आर. कोलैबोरेशन के अन्तर्गत लेना स्वीकार किया है। फरवरी 1981 में हुई इन्डो-जी.डी. आर जायंट कमीशन की मीटिंग में इस प्राजेक्ट के बारे में निर्णय लिया गया था। पलाना में लिग्नाइट की ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने का काम बर्लिन की एक कम्पनी को दिया गया है और उसको 50 परसेंट, 8 लाख रुपये के करीब, एडवांस दिया गया है। मगर अभी तक इस बारे में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। क्या मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं, विशेष रूप से राजस्थान की विद्युत-उत्पादन की दयनीय और शोचनीय स्थिति को देखते हुए ?

मैं देश के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज के बारे में खास तौर से कहना चाहूंगा। आज केवल चार या पांच प्रान्तों को छोड़ कर देश के सारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज को नुकसान हो रहा है। आज स्थिति यह है कि विद्युत-सप्लाई और मेनटेनेंस में एफिशेंसी के बजाय इनएफिशेंसी बढ़ती जा रही है। जहां तक राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का सम्बन्ध है, 1980-81 में उसका आपेरेशनल और मेनटेनेंस कास्ट 9 करोड़ रुपये था, जो कि आज 11 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है। जब एक वर्ष में आपेरेशनल और मेनटेनेंप कास्ट दो करोड़ से ज्यादा बढ़ जाता है, तो सवाल पैदा होता है कि स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के काम को चैक कौन करता है। क्या मंत्री महोदय अपने महकमे के अधीन कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज के लेखे-जोखे की जांच हो सके, उनके व्यय को नियमित किया जा सके और सही तौर पर देखा जा सके कि उनमें लासिज किस कारण से हो रहे हैं, क्या वे जैनविन हैं या किसी की फाल्ट या रांग वर्किंग की वजह से हैं ?

इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने देश के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड्ज के लासिज का ब्यौरा दिया था, जो कि इस प्रकार है : उत्तर प्रदेश : 42271 लाख रूपये, पंजाब : 8655 लाख रुपए, हरियाणा : 5401 लाख रुपये, बिहार : 5294 लाख रुपये, उड़ीसा : 4391 लाख रुपये, गुजरात : 3730 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश : 2494 लाख रुपये, आंध्र प्रदेश : 1801 लाख रुपये, केरल : 1240 लाख रुपए, वैस्ट बंगाल : 5 1 लाख रुपये। इस सम्बन्ध में केवल महाराष्ट्र, तामिल नाडू, कर्नाक, राजस्थान और मध्य प्रदेश सेल्फ-संफिशेंट हैं।

इस समय इलैक्ट्रिसिटी कानक्रेंट लिस्ट में है। क्या मंत्री महोदय एक नेशल पावर ग्रिड बनाने की व्यवस्था करेंगे, ताकि पावर सिस्टम का पूरी तरह विकास किया जा सके और इन्टर स्टेट प्राजेक्टस तथा सेंट्रल प्राजेक्टस जिस राज्य में स्थित है, वहां की मेंनेजिंग एथारिटी द्वारा दूसरी स्टेट्स को उनका शेयर न देने के सम्बन्ध में जो प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज पिछले 34 सालों से एक्सीरियस की जा रही है, उन्हें भी दूर किया जा सके ?

क्या मंत्री महोदय नेशनल लेवल पर एक संस्था की स्थापना करेंगे, जो ट्रांसमिशन लाइंज बिछाने और मेनटेन करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ? मैं श्री चौधरी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में राज्य सभा में कुछ कहा भी था, लेकिन अभी तक उसपर अमल नहीं किया गया है ।

बजट स्पीच में कहा गया है :—

"राज्य और संघ राज्य क्षेत्री की योजनाओं, जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम भी शामिल हैं, के लिए केन्द्रीय सहायता राशि में 156 करोड़ रुपए की वृद्धि की जा रही है । इस वृद्धि का एक बड़ा भाग उन राज्यों की योजना सहायता की अधिक अग्रिम राशि के रूप में दिया जा रहा है जिनमें सूखा पड़ा था ।"

तो 156 करोड़ का, इस मौजूदा बजट में, ज्यादा एलोकेशन किया गया है और इस बात का इण्डिकेशन खास तौर पर दिया गया है कि इस 156 करोड़ में से उन स्टेटस को ज्यादा हिस्सा दिया जायेगा जोकि ड्राउट से अफेक्टेड हैं । राजस्थान भी ड्राउट से अफेक्टेड हैं । राजस्थान भी ड्राउट से अफेक्टेड है । मैं जानना चाहता हूं क्या कोई ऐसा प्लान बना है जिसके अन्तर्गत ड्राउट अफेक्टेड स्टेट राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल सके ?

आप कृपा करके इन तीनों मुद्दों का उत्तर देने का कष्ट करें ।

श्री ए. बी. ए गनी खान चौधरी : मुझे नहीं मालूम कि कहां से आरम्भ किया जाए और क्या उत्तर दिया जाए तथा क्या उत्तर न दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य ने कोई निश्चित प्रश्न पूछा होता तो माननीय मंत्री उसका निश्चित उत्तर देते ।

आइए हम चर्चा करें ।

माननीय मंत्री अपना भाषण दे रहे हैं ।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : तथ्य यह है कि जहां तक अखिल भारतीय स्तर का सम्बन्ध है बिजली के उत्पादन में हमने काफी प्रगति की है ।

यह सच है कि कुछ राज्यों में बिजली की कमी चल रही है और यदि मुझे कहने की अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि यह प्रमुखतः राज्य बिजली बोर्डों के कारण है । राज्य बिजली बोर्डों को हम जो सुझाव देते वे उसे नहीं सुनेंगे अथवा उन पर कार्यवाही नहीं करेंगे ।

उदाहरणार्थ, हमने राज्य बिजली बोर्डों को राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था । राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों को अपने ससाधन स्वयं तैयार करने थे । इन सिफारिशों में राज्य बिजली बोर्डों के गठन के विषय में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । परन्तु दुर्भाग्यवश, किसी ने भी राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की ।

जहां तक वित्तीय सहायता का सम्बन्ध है जैसा कि आपको मालूम है केन्द्रीय सहायता पूरे राज्य के लिए ही आवंटित की जाती है । हम किसी विशेष परियोजना के लिए धन नहीं देते । धन पूरे राज्य को दिया जाता है तथा तदानुसार धन का आवंटन करना राज्य का काम होता है । यदि वे ऊर्जा को प्राथमिकता देते हैं, तो स्पष्ट है कि वे 30% 40% या 50% धन इसके

लिये आवंटित कर सकते हैं उन्हें अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए। अब बहुत से राज्य टैरिफ बढ़ाने के बहुत अनिच्छुक हैं और कुछ राज्य जिन्होंने टैरिफ बढ़ाया भी है उनकी यह वृद्धि वर्तमान लागत को पूरा करने के लिए ही है। हमने राज्यों को सुझाया था कि इसके लिए दूसरा रास्ता यह है कि यदि आप को टेरिफ में वृद्धि करनी है तो आपको उत्पादन में भी वृद्धि करनी है।

दुर्भाग्य से राज्यों से हमें बहुत अधिक सहानुभूति पूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है। हमने राज्य बिजली बोर्डों की ताप विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने के लिए एक कार्य बल की नियुक्ति की है। कुछ राज्य बिजली बोर्ड ने कोयला उत्पादन तथा कोयले की किस्म पर दोष लगाया है हमने कोयला विभाग में से कोयले की किस्म की जांच करवाने के लिए एक कार्य बल की नियुक्ति की है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे।

हम जिस किस्म का कोयला उनको चाहिए और जितनी मात्रा में चाहिये दे पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न राजस्थान से सम्बन्धित है।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : मैं राजस्थान पर आ रहा हूं, माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से जानकारी है कि आर. ए. आई. पी. की इकाई 1 तथा 2 के अभाव में स्पष्ट है कि राज्य को निश्चत रूप से नुकसान होगा तथा 440 मेगावाट की मांग को पूरा नहीं कर पायेंगे।

यह कहना ठीक नहीं है कि ऊर्जा विभाग ने कुछ नहीं किया है।

हम राजस्थान को लगभग 200 से 250 मेगावाट की सहायता प्रतिदिन दिल्ली स दे रहे हैं मुझे लगता है मैं आपको दिनों का चार्ट नहीं दे सकता। मेरे पास चार्ट नहीं है परन्तु मुझे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष से सूचना मिली है कि हम राजस्थान की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु साथ ही साथ मैं सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि हमेशा इस प्रकार की सहायता देना सम्भव नहीं है। यह अनिश्चित समय के लिए नहीं चल सकता क्योंकि कोई भी राज्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र में स्पष्ट तया उर्जा के मामले में अधिकांश राज्यों की स्थिति अच्छी है परन्तु अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है कहीं पर कुछ सीमान्त कमी है तो कहीं पर सीमान्त अधिकता है उत्तरी क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि जैसे अधिकांश राज्यों को ऊर्जा के अभाव का सामना करना पड़ता है :

इस आरोप के बारे में कि भाखड़ा व्यास परियोजना समूह से राजस्थान को अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है लगता है, मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हो सकता। जहां तक हमें सूचना मिली है भाखड़ा व्यास से उनको पूरा हिस्सा मिल रहा है। उन्हें सतपुड़ा तापीय परियोजना से भी हिस्सा मिल रहा है। हमें यह सूचना मिली है और मुझे लगता है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। उनका अपना उत्पादन 193 मेगावाट का है उसे भी वे ले रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि स्थिति इस प्रकार होगी 220 मेगावाट का कोटा थर्मल पावर स्टेशन 1982-83 तक चालू हो जायेगा। 140 मेगावाट का माही हाईडल 1984-85 में चालू हो जायेगा। 56 मेगावाट की क्षमता का देहर एक्सटेंशन 1982-84 में कार्यारम्भ कर देगा। 70.2 मेगावाट की क्षमता का पौंग एक्सटेंशन 1982-83 तथा

1983-84 में चालू हो जायेगा। जहां तक पलाना लिग्नाईट का सम्बन्ध है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इसकी स्वीकृति दे दी है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, ऊर्जा विभाग का सम्बन्ध है हमने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। धन प्राप्त करने के लिए आपको योजना आयोग तथा वित्त विभाग के पास जाना चाहिए। यह मेरी क्षमता के अन्तर्गत नहीं है हमने 420 मेगावाट की क्षमता के कोटा एक्सटेंशन ताप विद्युत योजना स्वीकृति दे दी है। इसकी स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी दे दी गई है। यह हमारे पास निलम्बित नहीं पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि माननीय सज्जन को इसकी जानकारी नहीं है। सम्भवत : उनके पास इसकी सूचना नहीं है। यदि वे मेरे पास आयेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा कि हमने क्या किया है।

आर. ए. पी. के सम्बन्ध में यद्यपि मेरे लिये कुछ कहना बहुत मुश्किल है परन्तु फिर भी मैं कह सकता हूं कि आर. ए. पी. की एक इकाई मई या जून में कार्यारम्भ कर देगी। और यदि यह कार्यारम्भ कर देगी तो स्पष्ट है कि बिजली के सम्बन्ध में राजस्थान की स्थिति अधिक अच्छी हो जायेगी।

110 मेगावाट की क्षमता की कोटा इकाई I को 1982 में शुरु करने की योजना नहीं थी परन्तु हम इसको पहले शुरू करने का प्रयत्न कर रहें। देखते हैं क्या होता है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर 1980 के बाद ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी और उनके मंत्रालय के लोगों ने तथा उनके सहयोगियों ने इस दिशा में कार्य किया है—मैं उसकी सराहना करता हूं।

यहां पर जो स्टेटमैंट दिया गया है, वह भी बहुत आशाप्रद है। जिस प्रकार से इस दिशा में कार्य किया गया है और यदि इस प्रकार से कार्य चलता रहा, तो मैं समझता हूं कि 1985 तक हमारे देश के अन्दर विद्युत की कमी न केवल दूर होगी, बल्कि वह पूरी भी होगी।

हम कुछ सर्पलस जैनरेशन भी कर सकेंगे—ऐसी मुझे आशा है। यह हमारे ऊर्जा मंत्रालय के लोगों के सराहनीय प्रयास का फल है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में जो लक्ष्य थे उनको प्राप्त कर पाये हैं। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में जो लक्ष्य थे उन को प्राप्त कर पाये हैं। माननीय मंत्री जी भले ही संतोषप्रद उत्तर देने में कुछ सदस्यों को सन्तुष्ट न कर पायें लेकिन देश की जो आमजनता है, उपभोक्ता है, वह उनके तथा उनके मंत्रालय के कार्य से निश्चित रूप से सन्तुष्ट है। लेकिन सैन्ट्रल सैक्टर में जहां बहुत सुधार हुआ है, वहां राज्यों के जो विद्युत बोर्ड हैं, विशेष कर उत्तर भारत के कुछ विद्युत बोर्डों का कार्य नितान्त असन्तोषजनक है। आप ने पिछली बार जब विद्युत मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी, उस में कुछ गाइड लाइन्ज स्टेटस को दी गई थी, कई बातें तय हुई थी, लेकिन मुझे शंका है जो बातें तय हुई थीं उन में से शायद ही किसी बात बात पर अमल किया गया हो। इस लिए में जानना चाहता हूं—जब कि आप विद्युत बोर्डों को बहुत ज्यादा मदद देते हैं तो आप ऐसा कौन सा तरीका अपनाने जा रहे हैं जिस से उन के ऊपर अंकुश रखा जा सके। जो विद्युत बोर्ड भाई-भतीजेवाद का शिकार हैं, जहां एक-दूसरे की टांग घसीटने की परम्परा है, जहां एक-एक विद्युत बोर्ड में दस-दस ट्रेड यूनियनें हैं और रोज कोई-न-कोई ट्रेड यूनियन धर्ना दिए रहती है, कोई काम बन्द करती है, कोई प्रदर्शन करती है, जहां अधिकारियों पर किसी न किसी प्रकार के करप्शन के चार्ज लगाये जाते हैं और जहां जो आप का सुधार का कार्यक्रम है उस पर अमल नहीं हो रहा

है, जहां कल-पुर्जे देने के प्रोग्राम पर अमल नहीं किया गया—ऐसे बोर्डों का कन्ट्रोल में लाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

आप ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि उत्तर भारत में विद्युत की पोजीशन में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूं कि जिन प्रान्तों के सम्बन्ध में आप ने बतलाया है कि वहां विद्युत की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है, उनमें सुधार के लिए आप क्या निश्चित कदम उठाने जा रहे हैं ?

आप ने छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है, उस में ताप-विद्युत पर बहुत जोर दिया है, लेकिन जल विद्युत पर बहुत जोर दिया है, लेकिन जल विद्युत पर जिसमें स्थायी प्रवाह है, उस पर जोर नहीं दिया है। मैं आप से इस विषय में जानना चाहता हूं—ताप विद्युत की तो एक निश्चित सीमा है, एक सीमा पर जा कर हमारे ताप-विद्युत भन्डार चूक जायेंगे, कोयले के भंडार चूक जायेंगे, इस लिए जल-विद्युत क्षमता को सुधारने के लिये आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? जो इन्टरस्टेट डिस्प्यूटस की वजह से आप टैकनीकल सैंक्शन उन योजनाओं को नहीं दे पा रहे हैं उनके लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

उत्तर प्रदेश के विषय में भी एक बात जानना चाहता हूं—उत्तर प्रदेश के विद्युत मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारे यहाँ जितने ताप विद्युत कारखाने हैं उन में 5 दिन का कोयला बचा है। उनका यह स्टेटमेंट हाल ही में आया था। उनकी दूसरी शिकायत यह थी कि जो कोयला उन को सप्लाई किया जा रहा है वह अच्छा सप्लाई नहीं किया जा रहा है। उनको अच्छा कोयला सप्लाई हो तथा उनके पास कोयले का पर्याप्त स्टोर रहे ताकि वहाँ कमी पैदा न हो, इस दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : ऊर्जा के सम्बन्ध में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने 4000 मेगावाट की योजना बनाई है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम बराबर बराबर की योजना बना रहे हैं। उसका अर्थ है कि 15000 मेगावाट हाईडल पावर तथा 15000 मेगावाट थर्मल पावर। इस प्रकार हम आनुपातिक रूप में हाईडल पावर को अधिकाधिक बढ़ाने की सोच रहे हैं। जहां तक तकनीकी स्वीकृति का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि इस परियोजना विशेष पर कोई अन्तर्राज्यीय झगड़ा है।

मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि सभी परियोजनाओं की शीघ्र ही स्वीकृति दे दी जायेगी। आप परियोजना को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए और मैं उसकी स्वीकृति दे दूंगा। जहाँ तक तकनीकी स्वीकृति का सम्बन्ध है यदि कोई अन्तर्राज्यीय विवाद नहीं है तो हम तकनीकी स्वीकृति दे सकते हैं और यदि कोई अन्तर्राज्यीय विवाद है तो पहले उस विवाद को सुलझाना होगा।

कोयले की पूर्ति के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि अच्छी किस्म तथा अधिक मात्रा में कोयले की पूर्ति की जायेगी। इसकी कोई कमी नहीं है रेल परिवहन प्रणाली में भी काफी सुधार हुआ है मैं समझता हूं कि हम अपने वचन को पूरा कर पायेंगे।

जहां तक विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के बारे में दिये गये आपके सुझावों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं अतः मैं उनको यहां दोहराना नहीं चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो श्री राम सिंह यादव ने प्रश्न उठाये थे, उनके सम्बन्ध में जो जवाब दिया गया, पूरी जानकारी न होने के कारण मंत्री महोदय सही तौर पर जवाब नहीं दे सके । यह बात तो सही है कि हमारी सरकार इस बिजली के उत्पादन में उसको बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रही है और सफलता की ओर बढ़ रही है परन्तु हमारे राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि हम जो इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़ी कमी तो यह है कि हमारे प्रदेश में हमारा खुद का स्रोत नहीं है और हम दूसरों पर निर्भर हैं । यह सबसे बड़ी कमी है । हमें अभी जो बिजली मिल रही है, जानकारी के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि जबकि हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता 210 लाख यूनिट है और हम को अभी जो मिल रही है, वह सिर्फ 70 लाख यूनिट से लेकर 90 लाख यूनिट प्रति दिन है । हमें 1200 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है और अभी जो हमारी कैपेसिटी है और अभी जो हमारी स्थिति चल रही है वह यह है कि 400 मेगावाट ही हम अभी उपयोग कर रहे हैं ।

अभी आप ने अणु बिजली घरों के बारे में बताया कि दोनों चल रहीं रहे हैं । 400 मेगावाट बिजली जो हमें मिलती है, इन दोनों यूनिटों के न चलने के कारण हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा है । सतपुरा के बारे में भी आप ने बताया । इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें यह बतलाया है कि सतपुरा ज्यादा अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर रहा है और उसको सुधार रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि सतपुरा से हमको हमारा पूरा और सही हिस्सा मिले । हम यह जानना चाहते हैं कि सतपुरा से हमको इस समय कितने यूनिट बिजली मिल रही है, कितने मेगावाट बिजली मिल रही है : आप इसके बारे में स्पष्ट बताएं क्योंकि यादव ने साहब जो प्रश्न उठाता या, उसके जवाब में आपने बताया कि सतपुरा से हमारा हिस्सा मिल रहा है । इससे परपज सर्व नहीं होता है । आप यह बताइए कि कितनी बिजली हमें प्राप्त हो रही है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे माननीय मत्री जी मध्य प्रदेश के मत्री जी से मिले थे और हमारे यहां के बोर्ड के चेयरमैन और उनके चेयरमैन की कान्फ्रेंस हुई थी जनवरी के महीने में । परन्तु अभी कोई परिणाम नहीं निकला है । इसलिए मैं सैंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि वह इसमें इन्टरवीन करके हमारी मदद करें और जो हमारा हक है, जो हमारा हिस्सा है, वह सतपुरा में हमें मिले । इसके लिए आप प्रयास करें ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह पलाना के बारे में है । सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथेरिटी ने किलयरयेंस दे दी है और अब प्लानिंग और फाइनेन्स डिपार्टमेंट को इसमें मदद करनी है । आपका डिपार्टमेंट है । यह ठीक है कि प्लानिंग में गया है । हम प्लानिंग में भी कोशिश करेंगे, हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश करेगी । फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा कर भी कोशिश करेंगे । परन्तु आप हमें पलाना का प्लांट मंजूर कराने में मदद करें । अगर वह प्लांट हमें मंजूर हो जाता है तो फिर हमारे प्रदेश में खुद एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है और उससे उपलब्ध बिजली से हमारे प्रदेश को सहायता मिलती है । इसलिए आप हमें उसमें सहायता दीजिए ।

आप हमारे प्रदेश की स्थिति को जानते हैं । आपने जो जवाब दिए हैं उनमें भी आपने

स्पष्ट कहा है कि हमें 72 से 90 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मिल रही है। हमारे यहाँ इतनी कमी है। उसकी पूर्ति के लिए आप क्या मदद करने जा रहे हैं ?

आप दूसरी प्रदेश गवर्नमेंट से भी हमें मदद कराएं। बदरपुर से आप हमें मदद कर रहे हैं इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सिंगरौली का जो प्रोजेक्ट है उससे भी आप हमें मदद देकर हमारे राजस्थान में जो क्राइसिस है उससे हमें छुटकारा दिलवा सकते हैं।

एक तो राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है और दूसरे विद्युत के उत्पादन में कमी के कारण हमारे यहा 340 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट हो गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस क्राइसिस को फेस करने के लिए हमें मदद दीजिए। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स स्टेट गवर्नमैंट के प्रोजेक्ट्स से हमें मदद करा कर इस संकट से हमें उभारने का आप प्रयास करें।

मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि लिग्नाइट बिकानेर में निकला है, बाड़मेर में कपूडीह, मेढ़ता, नागोर में निकला है। वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कार्य चल रहा है। हमारे राजस्थान का फाइनेंस डिपार्टमेंट इस कार्य को कर रहा है। इसके लिए मैं केन्द्रीय सरकार से भी मदद चाहता हूं। हमारे यहां ड्रिलिंग मशीन की कमी हैं। एक्सप्लोरेरशन का कार्य तीव्र गति से चले, उसका प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए आप हमें मदद करें।

हमारे यहां लिग्नाइट के बहुत से भंडार हैं और उसके लिए हम करीब एक साल से सर्वेक्षण कर रहे हैं। इससे उनको पूरी जानकारी मिली है। चूंकि आप एनर्जी और कोल में डील करते हैं और लिग्नाइट कोयले से सम्बन्धित हैं, इसलिये इसमें आप मदद देकर लिग्नाइट की प्रोडक्शन अधिक कर सकते हैं। इससे हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में भी पावर हाउस स्थापित कर सकेंगे और सौ मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी पावर हाउस स्थापित कर सकेंगे और वहां भी बिजली का उत्पादन कर सकेंगे।

हमारे पिछड़े प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। डेजर्ट एरिया में पीने के पानी की बहुत बात की जाती है। किन्तु डेजर्ट एरिया जो है वह हमारे बाड़मेर के ठार में है और वहां पीने के पानी का भयंकर संकट है। बिजली न मिलने से भी पानी का अभाव रहता है। उस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है। ऐसी हालत में उस क्षेत्र की क्या स्थिति हो सकती है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं आप से मदद की मांग करता हूं।

हमारे राजस्थान में दो एटामिक प्लांट हैं। दोनों प्लांट बन्द हैं। ये प्लांट कब तक शुरू कर दिए जाएंगे ? इस दृष्टि से भी हमारे यहां उद्योग धन्धे ठप्प हो गये हैं। हमें कृषि के लिए केवल चार-चार घंटे बिजली मिल रही है यद्यपि दस-दस घंटे बिजली देने की डायरेक्शंश हैं। इसके कारण सारे उद्योग ठप्प हैं। 75 से 100 प्रतिशत तक उद्योग ठप्प हैं इस सब के कारण हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत भयंकर हो गयी है।

मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, उनके जवाब देकर मंत्री महोदय हमें संतुष्ट करें।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : मैंने इनमें से अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब उस सहायता के सम्बन्ध में जो आपने हमसे वहां पर लिग्नाइट की खोज के लिए मांगी है मैं आपको तथा सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो कुछ भी सम्भव होगा हम जरूर करेंगे।

हम निश्चित रूप से करेंगे। राजस्थान के मुख्य मंत्री मुझसे मिले हैं मैंने उनको इसके बारे में सुझाव दिया है, मैंने उनको बताया कि यदि राजस्थान में धन का अभाव है तो आप तमिलनाडु के लिग्नाईट निगम से बात क्यों नहीं कर लेते ताकि लिग्नाइट निगम वहाँ पर कार्य शुरू कर दें। यदि कोई समझौता हो सके तो यह अधिक अच्छा होगा क्योंकि जैसा मैं समझ पाया हूं राजस्थान के पास ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसीलिए मैंने उनको यह सुझाव दिया। मुझे नहीं मालूम कि उनको यह विचार जंचा या नहीं। मैं पुनः माननीय सदस्य को बता सकता हूं मैं उनके तथा मुख्य मंत्री के साथ बैठने तथा इसका कोई हल निकालने के लिए तैयार हूं तथा एक ऐसा हल ढूंढने के लिए तैयार हूं जिसके द्वारा राजस्थान को सहायता की जा सके। हम सभी को खेद है। हमें राजस्थान की विपत्ति का पता है। जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम उनकी सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। हम उनकी सहायता कर रहे हैं। जहाँ तक व्यावहारिक रूप से सम्भव हो सकता है हम सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे पास यह सूचना है कि हम राजस्थान को 200 से 250 मेगावाट तक सहायता कर रहे हैं। आप कृपया वहाँ के सत्ता रूढ़ लोगों से बात करें। और फिर मुझे बतायें कि जो सूचना मैं दे रहा हूं वह ठीक है या नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम पंजाब को नहीं दे रहे हैं। हम अन्य राज्यों को नहीं दे रहे। परन्तु हम आपको दे रहे हैं। हम राजस्थान को दे रहे हैं। जहां तक ऊर्जा की आवश्यकता का सम्बन्ध है, हमारे पास यह जानकारी है कि आपको 160 लाख यूनिटों की आवश्यकता है फिलहाल लगभग 110 लाख यूनिट ही उपलब्ध हैं। इसलिए स्पष्ट है कि कुछ अभाव है। आप कृपया इन आँकड़ों को नोट कर लीजिए और ये ठीक हैं या नहीं इसके बारे में मुझे लिखें। (व्यवधान) मैं स्वयं जानना चाहता हूं। आँकड़े मेरे अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। मैं सदन को या आपको गुमराह करने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं जो आंकड़े मुझे दिये गए, मैं उन्हीं के आधार पर बात कर रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : देश में विद्युत का बड़ा भारी संकट है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि बिजली का संकट नहीं है तथा बिजली उत्पादन में सुधार हो रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र दोनों को ही बिजली संकट से काफी कठिनाई हो रही है। यहां तक कि, माननीय सदस्य के राज्य, पश्चिम बंगाल, को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वह तो कलकत्ता की समस्या का समाधान करने में भी असमर्थ हैं। यह बहुत बड़ी दुखद बात है। लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है। वह साधारण तौर पर हमें बता रहे हैं कि वह स्थिति में सुधार कर रहे हैं, वस्तुओं पर नियंत्रण कर रहे हैं तथा उनमें सुधार लाने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं इत्यादि। लेकिन, महोदय, कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि सभी राज्यों तथा आपके अपने राज्य तमिलनाडू को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री तो हमेशा यह ही कहेंगे कि स्थिति में सुधार हो रहा है। जहां क विभिन्न राज्यों के विद्युत बोर्डों का सम्बन्ध है, इनमें ठीक से काम नहीं हो रहा है, इनमें ठीक से प्रबन्ध नहीं किया जा रहा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश राज्य के विद्युत बोर्ड के बारे में कहूंगा। इसने 1 जनवरी 1982 को नया वर्ष भारी "ब्लेक आउट" से आरम्भ किया। 2 जनवरी 1982 को 9 घंटे 55 मिनट अर्थात लगभग 10 घंटे बिजली बन्द रही। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 जनवरी को भी बिजली बन्द रही। उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड का कार्य निष्पादन इस तरह रहा है।

अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1978-79 में उत्तर प्रदेश में ताप संयंत्र से 43.3 प्रतिशत विद्युत पूर्ति की गई। 1979-80 में यह 41.4 प्रतिशत था। 1980-81 में यह 37 प्रतिशत था। वहाँ ऐसी स्थिति है। वहाँ हर रोज इस तरह स्थिति बिगड़ती जा रही है, जबकि सरकार हमेशा यही कहती है कि सुधार हुआ है। मैं समझ नहीं पाता कि क्या यह सच है अथवा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश विद्युत केन्द्र में पूर्णतः कुप्रबन्ध है। वहाँ हर जगह भ्रष्टाचार है। यह आम बात है। यह विश्व व्यापी नहीं है, यह 'राष्ट्रीय' स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय—उचित शब्द 'राष्ट्रीय' है।

श्री हरिकेश बहादुर : जी, हाँ। 20 सूत्री कार्यक्रम में ग्यारहवां सूत्र यही है। संभवतः मंत्री महोदय इसे भली प्रकार जानते हैं। उसमें कहा गया है कि बिजली का अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए। इसमें न केवल बिजली के अधिकतम उत्पादन के बारे में ही कहा गया है बल्कि इसमें विद्युत प्राधिकरणों के कार्यों में सुधार करने के सम्बन्ध में भी कहा गया है, जो कि मंत्री महोदय इस समय नहीं कर रहे हैं।

किसान बहुत अधिक संकट में हैं। औद्योगिक क्षेत्र को भी कठिनाई हो रही है। उद्योगों को भी बिजली नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। देश के अन्य सभी राज्यों की भी यही स्थिति है। मंत्री महोदय ने कहा है कि महाराष्ट्र में मामूली कटौती की जाती है जबकि वहां 42 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत तक कटौती होती है। मैं नहीं जानता कि 'मार्जिनल कटौती' की ठीक परिभाषा क्या है। मैं नहीं जानता कि जब मंत्री महोदय का 'मार्जिनल कटौती' से क्या अभिप्राय है। 40 से 45 प्रतिशत कटौती कुल उत्पादन के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर है लेकिन तब भी वह उसे 'मार्जिनल कटौती' कहते हैं।

अब मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ओर माननीय सदस्य श्री व्यास भी बैठे हैं, जो इन्तजार कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : जहां तक कोटा तापीय विद्युत संयंत्र का संबंध है। वहां इस समय अत्याधिक कुप्रबन्ध है। यह कहा जाता है कि कुछ साम्प्रदायिक तत्व तथा समाज-विरोधी तत्व वहां बहुत सक्रिय हैं। राजस्थान विद्युत मंडल संघ के महासचिव जैसे व्यक्ति द्वारा एक बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया गया है कि उस यूनिट के उच्चाधिकारी सी. आई. ए. से मिले हुए हैं तथा वे संयत्र में तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है अथवा नहीं क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे उन व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर रहे हैं या नहीं ? इस व्यक्ति ने पहले से ही इस बारे में आपको, मंत्रियों को, अन्य संसद सदस्यों को और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री को भी इस बारे में लिखा है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या सरकार कुछ कार्यवाही करने जा रही है अथवा नहीं। यह बहुत गम्भीर बात है। सी. आई. ए. को सरकार की निगरानी में ही संयंत्र में तोड़ फोड़ करने दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में विधान सभा के सदस्य, अपने बेटे से कहिए कि वे इसे विधान सभा में पूछें। तब आपको उत्तर मिल जाएगा।

श्री हरिकेश बहादुर : यह ठीक है, महोदय। लेकिन सी. आई. ए. एक बहुत ही खतरनाक एजेंसी है। यदि उसके क्रिया-कलापों पर नियंत्रण न रखा गया तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। यह आरोप लगाया गया है। मंत्री महोदय को इन आरोपों का खंडन करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि क्या इसमें कुछ वास्तविकता है या नहीं। जहां तक बिहार विद्युत बोर्ड का सम्बन्ध है, उनकी नीति है—'तमसो मा ज्योतिर्गमय'। वे अन्धकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वे जो कुछ कर रहे हैं वह यह कि वे प्रकाश से अन्धकार की ओर जा रहे हैं। "ज्योतिमो तमसो गमय" बिहार की यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि श्री पासवान प्रकाश से अन्धार की ओर नहीं जा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मंत्री महोदय इसे स्वीकार नहीं करते। मंत्री महोदय ने ही इस तरह की स्थिति पैदा की है कि वे प्रकाश से अन्धकार की ओर जा रहे हैं। (**व्यवधान**) तापीय विद्युत केन्द्रों का कहना है कि उन्हें अच्छी किस्म का कोयला नहीं मिलता। आम तौर पर इस देश में यही हो रहा है। ताप विद्युत इकाइयों को जो कोयला सप्लाई किया जाता है उसमें नमी तथा राख होती है। यही कारण है कि उसकी आत्मीयता कम हो जाती है। अत: इसका प्रभाव बिजली उत्पादन पर पड़ता है। इसके साथ ही यह बायलर को भी नष्ट कर देता है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या सरकार तापीय विद्युत केन्द्रों को अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने का विचार कर रही है अथवा नहीं। इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि वे क्या कर रहे हैं। मन्त्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। ताप विद्युत केन्द्रों का यह भी कहना है कि कई बार उन्हें रेलवे वेगनों और अन्य कई कारणों से पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं मिलता है। वे रेलवे पर आरोप लगा रहे हैं। रेलवे वाले कहते हैं कि वे तो वैगन भेज रहे हैं लकिन वे ठीक तरह से कोयले की उचित सप्लाई नहीं कर रहे हैं। वहाँ हमेशा यही होता है तथा कई सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। मंत्री महोदय को शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन अभी भी आपको विश्वास है, इसलिए आप इन्तजार कर रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : जी हाँ महोदय, हमारे पास उनमें विश्वास करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। महोदय यही कारण है कि हम इन्तजार कर रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा संयंत्र, के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि नरौरा संयंत्र कब से चालू किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं कि क्या यह संयंत्र चालू हो। क्या मैं जान सकता हूं कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठायेंगे कि वहाँ उत्पादन आरम्भ हो। मैं मन्त्री महोदय से इसका उत्तर चाहता हूं। तथा अन्तिम प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है :

विश्व बैंक के अध्यक्ष ने इस देश का दौरा किया था तथा उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। समाचार-पत्रों में यह बात भी प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार

को सभी राज्यों के विद्युत केन्द्रों को बिजली की शुल्क दर बढ़ाने के निर्देश दिये जाने चाहिएँ। इससे पूर्व, विश्व बैंक के अध्यक्ष ने थाल वैशट उर्वरक परियोजना का ऋण नामंजूर कर दिया था। तब यह कहा गया था कि वह देश के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब, जब कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया है कि (बिजली की दर बढ़ाई जानी चाहिए तथा बिजली बोर्डों को निर्देश दिए जाने चाहिएं) तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसे हमारे आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना मान रही है अथवा नहीं। क्या आप राज्य विद्युत बोर्डों को बिजली की दर, बढ़ाने के निर्देश जारी करने वाले हैं। लेकिन मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह पूर्णतः जनता विरोधी कार्य है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इसे करने जा रहे हैं, क्या आप इस प्रकार विचार कर रहे हैं। मैं इस बारे में मन्त्री महोदय से इसका स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूं।

साथ ही मैं एक प्रश्न उत्पादन-क्षमता के बारे में पूछना चाहता हूं। यदि मन्त्री महोदय के पास इस समय सूचना नहीं है, तो मैं इस बात पर जोर नहीं दूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की उत्पादन क्षमता कितनी है ? मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार पंक, ओवरा तथा हरद्वागन थर्मल पावर स्टेशनों को अधिकार में लेने जा रही है जहां वर्तमान सरकार तथा कम्पनी ने कुप्रबन्ध किया हुआ है ? क्या सरकार पूरे देश में विद्युत बोर्डों के कार्यों को दोषमुक्त बनाने पर विचार कर रही है।

महोदय, ये मेरे विशिष्ट प्रश्न हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य को हमारे द्वारा बताये गए आंकड़ों में ही विश्वास नहीं है तो उन्हें अन्य बातें बताने का क्या फायदा है। यदि उन्हें अपने ही आंकड़ों पर इतना विश्वास है, तो मैं नहीं समझता कि मेरे द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करने से कोई लाभ होगा। विश्व बैंक के सभापति के दौरे तथा उनकी मेरे साथ हुई मुलाकात के संबध में, मुझे याद नहीं है कि उन्होंने मुझे बिजली की दरें बढ़ाने आदि के बारे में कुछ कहा था।

श्री हरिकेश बहादुर : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : समाचार पत्रों में क्या प्रकाशित होता है और क्या नहीं होता है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन मैं सदन का यह संदेह दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। वास्तव में यह राजाध्यक्ष समिति का सुझाव है। राजाध्यक्ष समिति की नियुक्ति हमने नहीं की थी। इसकी जनता सरकार द्वारा नियुक्ति की गई थी तथा हमने इसकी सिफारिशें स्वीकार की हैं। बात यही है। राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि आंतरिक संसाधनों में वृद्धि की जाए। यही कारण है कि हम कह रहें हैं कि दो बातें स्पष्ट हैं और वह हैं, बिजली दर तथा बिजली उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन अब आप अमेरिका तथा अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि की चर्चा इसमें क्यों कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 450 लाख यूनिट की आवश्यकता है जबकि वहां 360 यूनिट बिजली उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी का मुख्य कारण

थर्मल पावर स्टेशनों का अच्छी तरह से काम नहीं करना तथा नई उत्पादन परियोजना को चालू करने में त्रुटियां हैं। 45.7 प्रतिशत औसत राष्ट्रीय क्षमता के उपयोग के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बिजली केन्द्रों में अप्रैल-दिसम्बर के दौरान केवल 36.2 प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग हुआ है। लेकिन हमारे द्वारा सुझाये गए विभिन्न उपायों से, जिन्हें उन्होंने स्वीकार किया है, सुधार हुआ है। इस वर्ष इस समय पिछले वर्ष की तुलना में उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन 14 प्रतिशत अधिक है। यदि थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता के उपयोग में 50 प्रतिशत तक सुधार हो जाये तो 10 राज्यों की ऊर्जा की कमी को एक साथ समाप्त की जा सकेगी। अतः यह प्रश्न क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने का है।

अब आप थर्मल पावर स्टेशनों की वर्तमान स्थापित क्षमता के बारे में जानना चाहते थे। उत्तर प्रदेश में यह क्षमता 3612 मेगावाट है। तथा 1981-82 के दौरान क्षमता में और अधिक वृद्धि होने की आशा है। यह करीब 1700 मेगावाट हो जायेगी।

अब आप नरौरा परमाणु ऊर्जा केन्द्र के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। संभवतः 1985-1986 तक यह चालू हो जायेगा। तथा राजस्थान के सम्बन्ध में मैं काफी विस्तार में बता चुका हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्युत बिभाग ने जिस प्रकार का कार्यक्रम देश को दिया है, जितना परसैन्टेज उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है, वह निश्चित तरीके से प्रशंसनीय है। 11 परसेन्ट की बढ़ौतरी इस साल इन्होंने की है और कई स्टेट्स में नये नये प्लान्ट्स लगाकर, नयी-नयी योजनाओं के जरिये देश को गति देने का प्रयास किया जा रहा है, यह भी प्रशंसनीय है।

हमारे राजस्थान में खास तौर से बिजली की यह हालत है, जो आंकड़े इन्होंने दिये हैं, उनसे मैं डिफर करता हूं, राजस्थान में 94 लाख यूनिट बिजली मिल रही है जब कि उसकी आवश्यकता है 220 लाख यूनिट बिजली की। इतनी कम बिजली में कैसे इंडस्ट्रीज चलें, कैसे एग्रीकल्चर सैक्टर का काम चले, किस तरह से लोगों को पीने का पानी मिले, इस बात पर खास तवज्जह की आवश्यकता है। आज वहां हालत यह है कि लोग अपनी अपनी इन्डन्ट्रीज को उठाकर दूसरे स्थानों पर ले जा रहे हैं क्योंकि पावर सेंट-परसैंट काट कर दिया गया है। हम तो यह कहते हैं कि रीजनल इम्बेलेन्सेज की वजह से राजस्थान को सबसे कम शेयर मिला है इंडस्ट्रीज में और आज हालत यह है कि इंडस्ट्री चाहे प्राइवेट सैक्टर में हो या पब्लिक सैक्टर में हो, सब वहां से खिसकने की कोशिश कर रही हैं।

एग्रीकल्चर में आज 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल पाती और जो मिलती है वह भी लगातार नहीं मिलती है, बार-बार चली जाती है, जिसकी वजह से लोगों के मोटर जल जाते हैं और उनका नुक्सान होता है। इस प्रकार की स्थिति वहां पर एग्रीकल्चर में चल रही है।

इसी प्रकार पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। अगर बिजली नहीं मिलेगी तो कैसे 500,500 फुट गहरे कुंए से पानी निकालेंगे, और सप्लाई करेंगे ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं।

आपने कोटा के थर्मल प्लान्ट के बारे में कहा कि इसको हमारी तरफ से क्लीयरेंस मिल

गई है, यूनिट कमीशन्ड होने वाला है 1982-83 में, मगर जो प्रोग्राम था, उसमें कहा गया था कि मार्च, 1982 में यह यूनिट कमीशन्ड हो जायेगा और दूसरा 1983 में कमीशन्ड हो जायेगा मगर हमें अभी भी ऐसा मालूम होता है कि पहला यूनिट 1982 में स्थापित हो पायेगा या नहीं इसको भी आज ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता है। मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि अगर सेंटर द्वारा स्वीकृत प्राजेक्ट्स को ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर आदि से सम्बन्धित स्टेट्स के कार्यक्रमों को किस प्रकार पूरा किया जा सकेगा। इस लिए मंत्री महोदय इस यूनिट को जल्दी से जल्दी कमीशन करायें, ताकि राजस्थान को 200 मेगावाट विजली उपलब्ध हो सके, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है।

लिग्नाइट प्राजेक्ट के बारे में भी मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने उसे क्लीयरेंस दे दिया है। लेकिन केवल क्लीयरेंस देने से काम नहीं चलता। मंत्री महोदय को उसे परूस करके प्लानिंग कमीशन और फाईनैंस मिनिस्ट्री से निकलवाना चाहिए, ताकि इस प्राजेक्ट का काम चालू हो सके।

राजस्थान को भाखड़ा, गाँधीसागर और सतपुड़ा से बिजली मिलती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि हमें पूरी बिजली मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि हमें इन पावर स्टेशनों से कितनी कितनी बिजली मिलती है। कई बरसों से हमें अपना पूरा शेयर नहीं मिल रहा है, जिसको एक तरफ पंजाब रोक लेता है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश रोक लेता है। पूरी बिजली नमिलने की वजह से राजस्थान में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और पीने के पानी के सम्बन्ध में भयंकर तकलीफ हो रही है।

हमने भारत सरकार से कहा है कि हमें थीयन बांध से पावर मिलनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है और हमारा हिस्सा तय नहीं किया गया है। इसी तरह नाथपा झाखड़ी के सम्बन्ध में भी हमारा शेयर तय नहीं किया गया है, जिससे हमें बहुत तकलीफ हो रही है। पंजाब ने व्यास पर आनंदपुर साहब और मुकेरियां ये दो हाइडल प्राजेक्ट बनाए हैं। उनसे भी हमें अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। हमें उनसे हमारा हिस्सा दिलाना चाहिए। सैंट्रल गवर्नमेंट को भाखड़ा और दूसरी प्राजेक्ट को अपने कन्ट्रोल में लेना चाहिए और उनसे हमारे हक के मुताबिक बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। तभी राजस्थान की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की समस्याएं हल होंगी।

क्या यह सही है कि राजस्थान में विद्युत-कटौती की वजह से सारी इन्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स अपनी इन्डस्ट्रीज को वहां से उखाड़ कर दूसरी स्टेट्स में ले जा रहे हैं, जहां बिजली उपलब्ध है ?

एग्रीकल्चर के लिए बिजली न मिलने की वजह से खरीफ और रबी की फसलों को 50 परसेन्ट से ज्यादा नुकसान हुआ है, क्या यह बात सही है ?

क्या यह सही है कि बिजली उपलब्ध न होने की वजह से शहरों और देहात में पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे त्राहि त्राहि मची हुई है ? क्या मंत्री महोदय पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बिजली की पूरी आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे ?

क्या यह सही है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब होने में बिजली न मिलने का

भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्डस्ट्रीज न चलने के कारण राज्य सरकार को सेल्ज टैक्स और दूसरे टैक्स नहीं मिलते हैं, सारा उत्पादन ठप्प पड़ा हुआ है और ओवर-ड्राफ्ट हुआ हैं ?

विद्युत मंडल में भारी गोल-माल है। करोड़ों रुपए का ऐसा सामान खरीद लिया गया है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ के प्रोमोशन्ज में भी भारी भाई-भतीजावाद हुआ है और एक ही जाति के लोगों को बड़े बड़े प्रोमोशन्ज दे दिए गए हैं। क्या मंत्री महोदय इस बारे में जाँच करायेंगे ? वहां पर हजारों की तादाद में कैजुवल मजदूर काम कर रहे हैं। उन्हें पर्मानेंट नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस बारे में भी कुछ करेंगे ? एक प्राइवेट सेक्टर की कपनी जहां 80 परसेन्ट बिजली पैदा करती है, अपनी इस्टाल्ड कैपेसिटी का, वहाँ पब्लिक सेक्टर में 42 परसेन्ट से ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं होता है। इतना बड़ा फर्क प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्यों है और इसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यथाशीघ्र राजस्थान के मुख्य मत्री के पास एक बैठक आयोजित करूंगा और उन सभी मामलों जो राजस्थान के माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हे, पर चर्चा करूंगा। मैं यह भी देखूंगा कि हम थेन बांध तथा अन्तर-राज्य विवादों के बारे में कितनी सहायता कर सकते हैं। हम उनका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और जाहिर है हम राजस्थान की मांग को ध्यान में रखेंगे। यही सिद्धान्त नाठवा झाकरी के लिए लागू होता है। हम राजस्थान के हिस्से को भी अवश्य ध्यान में रखेंगे। मुझे यही कुछ कहना है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) एक्सरे फिल्मों को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायेजाने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : महोदय, थोक सम्भरणकर्त्ता हिन्दुस्तान फोटो फिल्म (एच. पी. एफ,) जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा बहुत आधक मूल्य पर तथा अपर्याप्त मात्रा में फिल्म सप्लाई करने के कारण रोगियों तथा एक्सरे क्लिनिकों को भारी असुविधा हो रही है।

गैर सरकारी कम्पनियों का अधिग्रहण करते समय एच. पी. एफ. ने विभिन्न किस्म की फिल्मों के वितरण की प्रणाली को दुरुस्त बनाने का आश्वासन दिया था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने सभी राज्यों की राजधानियों में अपनी शाखाएं खोली थी। सब शाखाओं में हर जगह बहुत बड़े वातानुकूलित गोदाम हैं, परन्तु यह देख कर दुःख होता है कि उन गोदामों में शायद ही फिल्में एक सप्ताह तक रखी गयी हों।

यहां यह बताया जा सकता है कि एच. पी. एफ. ने उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिया था कि उनके गोदामों में 3 महीने का स्थायी भण्डार रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। पटना के गोदाम में पिछले कई महीनों से अधिकांश साइज की एक्सरे फिल्मों का भण्डार (स्टाक) नहीं है।

इन सब परेशानियों के बावजूद कम्पनी ने एक्स-रे फिल्मों के समग्र मूल्य में तात्कालिक

प्रभाव से 16 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है, यद्यपि हाल ही में चांदी के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह भी सूचना मिली है कि कम्पनी ओ. आर. डब्लू और फिल्मों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त वसूल करेगी।

इसके फलस्वरूप रोगी के लिए एक्स-रे प्लेट के मूल्य में कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ौतरी करनी पड़ेगी, जो सामान्य आदमी की पहुंच के बाहर होगा जो अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते जा रहे मूल्यों के बोझ के तले पहले दबा पड़ा है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से मांग करूंगा कि वह कम्पनी की सभी शाखाओं में पर्याप्त मात्रा में एक्स-रे फिल्म उपलब्ध कराए, शाखाओं में तीन महीने का स्टाक रखवाएं, एक्स-रे फिल्मों के मूल्य को कम करवाए, 20 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य वसूल करने के विचार का परित्याग करवाएं, पटना में शीघ्र एक्स-रे फिल्म भिजवाएं तथा एक्स-रे तथा अन्य उद्देश्यों के लिए फिल्मों की सप्लाई सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरी भारत में फोटो-फिल्म का एक और कारखाना स्थापित करे।

(दो) चित्तौड़गढ़ जिले का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

प्रो. निर्मला कुमारी शकतावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन उद्योग भी देश का एक प्रमुख उद्योग है। भारतवर्ष में इसके विकास की बहुत अधिक संभावनायें हैं। यह वह उद्योग है, जिसके लिए न कच्चे माल की आवश्यकता है और न बाजार ढूंढने की। आवश्यकता मात्र है पर्यटन विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्र को आकर्षित करने की।

इसी सम्बन्ध में चितौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान की तरफ पर्यटन मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहूंगी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारतवर्ष का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। जहां शक्ति तथा भक्ति के संगम का गौरवमय इतिहास रहा है। यहां देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय ध्यान दे : सर्वप्रथम, थर्ड एयर लाइन्स से चित्तौड़गढ़ को अवश्य ही जोड़ा जाये। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ही शैलानियों के ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं है, जो कि जानी चाहिए।

इस क्षेत्र में सुन्दर हरे भरे हैंगिंग गार्डन विकसित किए जायं। इसके विकास में केन्द्रीय सरकार मदद करे।

गेम्स सैंचुरी भी यहां विकसित करके इसकी शोभा बढ़ाई जा सकती है।

लाइट एण्ड साउन्ड का कार्यक्रम यहां प्रारम्भ किया जाए जिसके माध्यम से पदमनी, मीरा पन्ना धाई के गौरवमय तथा त्यागमय इतिहास को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

अतः देश के बलिदानमय इतिहास का प्रेरणादायक प्रतीक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पर्यटन विकास की ओर केन्द्रीय सरकार अधिक ध्यान दें।

(तीन) जोधपुर नगर की श्रेणी बढ़ाकर उसे ख-2 श्रेणी का नगर मानने की आवश्यकता

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर को अभी तक बी-2 श्रेणी का शहर घोषित नहीं करने से आम लोगों में भारी आश्चर्य व रोष व्यक्त किया जाने लगा है, क्योंकि यह शहर लम्बे समय से वे सभी मापदंड पूरे कर चुका है जिनके आधार पर शहरों को वित्त मंत्रालय बी-2 श्रेणी के शहर घोषित करता है।

केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि जोधपुर शहर को बी-2 श्रेणी का शहर घोषित करने हेतु अविलम्ब निर्णय ले।

जनसंख्या की दृष्टि से भी इस शहर की जनसंख्या वर्ष 1979 के जून मास तक प्राप्त सांख्यिकी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 4 लाख 3 हजार थी, जो वर्तमान में 1981 की जनगणना से पता चला है कि जब जोधपुर शहर की जनसंख्या बढ़कर करीब 4 लाख 93 हजार 609 से ज्यादा हो गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जनसंख्या में रक्षा प्रतिष्ठान (सैनिक, वायु सेना) में कार्यरत कर्मचारियों व उनके परिवारजनों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है, जो कि अलग से करीब 1 लाख 75 हजार है।

जोधपुर शहर का औद्योगिक विकास, शहर का ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से बढ़ते महत्व को देखते हुए अस्थायी आने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है।

अत वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जोधपुर शहर को अविलम्ब बी-2 श्रेणी का शहर घोषित कर केन्द्रीय कर्मचारियों एवं आम जनता को न्याय दे।

(चार) बिहार के पूर्णिया जिले में लघु तथा अन्य उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बिहार के पूर्णिया क्षेत्र की गम्भीर समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। जहां पर बेकारी के कारण लोग इधर उधर भटक रहे हैं। एक तो यह पिछड़ा क्षेत्र है ही, दूसरे सरकार के ध्यान न देने के कारण इसकी स्थिति और भी बदतर होती जा रही है।

सरकार ने दो जूट मिलों को खोलने का विचार किया है, अतः सरकार से अनुरोध है कि दोनों मिलों को विभिन्न स्थानों पर खोलें, ताकि पूरे क्षेत्र के लोग समान रूप से फायदा ले सकें।

मैं उद्योग मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए तत्काल लघु उद्योग धन्धों को स्थापित करायें। विशेषज्ञों की एक समिति भेजकर स्थिति का जायजा लेकर उपयुक्त लघु उद्योग धन्धों का काम शुरू करायें, ताकि मति भ्रमित एवं चिन्तित नवयुवक पथभ्रष्ट होने से बचाए जा सकें। इस क्षेत्र में पटसन की अधिकता है। अतः चटाई एवं टाट-पट्टी उद्योग, दरी एवं धागों से बने अन्य छोटे-छोटे उद्योगों को पनपा कर विकास की पूर्णता की जाये। साथ ही खादी उद्योग डेरी फार्म लघु चर्म उद्योग आदि के लिए बेहतर भूमिका प्रदान की जाये। और सरकार राज्य सरकार को भी निर्देश दे कि इस क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति को सुधारने हेतु विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि जन-जीवन सुखमय हो सके। इस क्षेत्र की जनता का जीवन स्तर ऊंचा नहीं तो सामान्य तो हो सके। यहां पर लघु उद्योग धन्धों के विकास की पूर्ण सुविधायें उपलब्ध हैं। लघु उद्योगों में अधिक पूंजी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लोगों को काम मिल सकेगा, यही नहीं पटसन से बनी वस्तुओं से तो विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकेगी। अतः इस ओर सरकार अपेक्षित कदम उठाये और इस तिमिरावृत्त क्षेत्र में प्रकाश की एक किरण तो अवश्य ही पहुंचाएं।

(पांच) डाकतार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की समस्यायें

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन आप के माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं—

संचार सुविधा जनता के लिए दिनों दिन दुरूह व दूभर होती जा रही है। इसके विकास में जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई लग रही है उसके अनुरूप विभाग देश की जनता को सुविधा दिलाने में असफल रहा है। नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में हर 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर उप डाकघर खोले जा रहे हैं। यही नहीं जनसुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 किलो मीटर के मध्य अब पी. सी. ओ. की भी सुविधा की गई है परन्तु 90 प्रतिशत पी. सी. ओ. महीनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हालत में पडे हैं। कोई देखने वाला नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में उप-डाकघर खोलने का आधार यदि अल्प बचत योजना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया होता और उप-डाकघरों में लगे लोगों को वाजिब वेतन व सुविधायें देकर उनसे अल्प बचत के महत्वपूर्ण कार्य की तरफ लगाया होता तो संचार विभाग से ग्रामीण स्तर तक के आम आदमी को लाभ दृष्टिगोचर होता और सर्वहारा वर्ग के लोग महाजनी की कुवृत्ति से मुक्ति पाने के लिए रास्ता पाते। पर प्रौढ़ शिक्षा के ही समान लगता है पोस्ट आफिस खोलने का उद्देश्य गौण होता जा रहा है और स्वार्थ की अभिव्यक्ति होती है। संचार व्यवस्था में लगे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के शिकार हैं। सुविधाओं के नाम पर ड्यूटी करते समय मर जाने पर भी सरकार की तरफ से इन्हें वैधानिक या मानवीय रूप से किसी भी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है और न इनके परिवार के राहत की व्यवस्था। लम्बी अवधि तक कार्य करने के बाद भी कोई कर्मचारी न तो रेगुलराइज हो पाता है न स्थायी, न पदोन्नति के अवसर उनके लिए उपलब्ध होते हैं। डाक सुरक्षा के लिये वे भीगते हुये थैला लेकर क्यों न जाँय, उनके लिये अन्य कर्मचारियों की तरह छाते तक की व्यवस्था नहीं है। न ही चिकित्सा की कोई सुविधा है, न आवासीय, जबकि समान काम के लिये समान वेतन के आधार पर इन्हें भी पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारी मान कर समस्त सुविधायें दी जानी चाहिए मेरी सरकार से मांग है कि अल्प बचत योजना में समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय सब पोस्ट आफिस के कर्मियों को युद्ध स्तर पर लगाना चाहिए ताकि साधारण किसानों, श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों को अल्प बचत के लिए प्रेरणा मिले, बचत कर अपने परिवार के पालन पोषण व राष्ट्रीय निर्माण में भागीदार बनें, महाजनी सकट से छुटकारा पावें, तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी घोषित कर उन्हें रेगुलराइज किया जाये, पदोन्नति के अवसर दिये जांय तथा अन्य डाक विभाग कर्मचारिलों के समान चिकित्सा स्वास्थ्य, वस्त्रों आदि की सुविधायें दी जाय।

(छः) मैसर्स मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैकचरर्स लि. कलकत्ता का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यु. लि. अधिग्रहण किया गया था। तब से यह उद्योग और संबद्ध मशीनरी के उत्पादन के मामले में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यु. लि. के कर्मचारी संघ (सीटु) तथा ससद के कई सदस्यों ने उक्त एकक का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने अथवा मेल

अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य बड़े उद्योग के साथ मिलाने की तुरन्त आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है।

महोदय, पिछली जनवरी मास में 'मैल' के एक तकनीकी अध्ययन दल ने इस उद्योग का दौरा किया था और बताया जाता है कि कामगारों और प्रबन्ध के बीच सत्यनिष्ठ सहयोग के कारण उसकी पुनरारम्भ योजना (रिवाइवल स्कीम) को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जाने के बाद उसने उद्योग मंत्रालय को एक अनुकूल रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

महोदय, यह उपयुक्त समय है जब सरकार को या तो इस एकक का राष्ट्रीयकरण करने अथवा मैल जैसे सरकारी क्षेत्र के किसी बड़े उपक्रम के साथ मिलाने के मामले में कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही थोड़े समय में इस प्रकार की उल्लेखनीय प्रगति की है।

इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे मोटर मशीनरी लि. कलकत्ता के बारे में शीघ्र निर्णय लें। मेरी यह भी माँग है कि संबन्धित मंत्री महोदय इस संबंध में सरकार का निर्णय बताते हुए यथा शीघ्र सदन में एक वक्तव्य दें।

(सात) संथाल परगना, बिहार के बीड़ी कर्मचारियों की दयनीय दशा

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार के अत्यन्त पिछड़ा जिला संथाल परगना में करीब चलीस हजार स्त्री-पुरुष और बालक बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। इनमें से 30 हजार देवघर अनुमंडल के हैं ये सैकड़ों गांवों में बिखरे हैं, इन समूहों का कोई मजबूत संगठन न होने के कारण कुछ एकाधिकारी बीड़ी कम्पनियाँ अनेक वर्षों से इन असंगठित मजदूरों का निमर्म शोषण भरपूर कर रहे हैं। बीड़ी मजदूरों को मात्र 3 रुपये से लेकर 4 रुपया प्रति हजार की दर से मजदूरी दी जाती है। पत्ता काटने से लेकर बीड़ी बनाने तक एक हजार बीड़ी बनाने में कम से कम 12 घंटे का समय लगता है। बीड़ी मजदूरों को जो भी मजदूरी दी जाती है वह भी नकद भुगतान नहीं दिया जाता है। घटिया किस्म का अनाज दिया जाता है। इसके कारण अनेकों मजदूर हमेशा तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहा करते हैं। सैकड़ों बीड़ी मजदर टी. बी. के शिकार होकर मौत के दिन गिन रहे हैं। अभी कुछ जगहों पर अधिकारियों की सांठ गांठ पर बीड़ी कम्पनियों ने अवैध तालाबन्दी करके मजदूरों के खिलाफ तेज हमला शुरू कर दिया है। लगभग 150 कारखानों में तालाबन्दी कर दी गई है, जिससे करीब 15 हजार बीड़ी मजदूर आज बेरोजगार बन भुखमरी के कगार पर हैं।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार बीड़ी उद्योग का सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर ले इससे जहां लाखों मजदूरों का शोषण बन्द होगा, वहीं उत्पादन शुल्क की चोरी बन्द हो जायेगी।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : मैं श्री पासवान का समर्थन करता हूं। यह एक सही मांग है।

श्री राम विलास पासवान : आप इस बात से सहमत हैं कि यह एक सही मांग है।

अनुदानों की मांगें, 1982-83—जारी

विदेश मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विदेश मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगा। श्री चन्द्रजीत यादव, आप कुछ बोल रहे थे।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय कब जवाब देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ठीक सायं 4 बजे जवाब देंगे। हमने कल पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : 10 घंटे दिये गये हैं। लेकिन केवल चार घण्टे बाकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपकी पार्टी के सदस्य ने नहीं बोला है तो आपको बोलने के लिए कहा जायेगा। लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं दिया है आप यह मेरे ऊपर छोड़ दें। आपको बोलने के लिए कहा जायेगा आप ने अपना नाम नहीं दिया है।

श्री राम विलास पासवान : मैं अपना नाम दे दूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि आज कल की विश्व की स्थिति का राष्ट्रीय मामलों तथा समस्याओं पर काफी प्रभाव पड़ता है आज-कल किसी को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाईयों तथा ताकतों, जो अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कार्य कर रही हैं से दूर रहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज समस्त विश्व हथियारों की दौड़ में भयंकर स्थिति में जकड़ा है। हथियारों की दौड़ पहले कभी इस स्तर पर नहीं थी जिस पर कि आज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से युद्ध में रस लेने वाले लोग लोगों की जानों से खेलने का प्रयास कर रहे हैं तथा नये-नये आजाद हुये देशों के सामाजिक आर्थिक विकास को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। हथियारों की दौड़ पूरे जोर पर है यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि वे देश भी, जहाँ की जनता तथा सरकार कोई युद्ध नहीं चाहती है वे देश जो हथियारों की दौड़ में विश्वास नहीं रखते और अपने समस्त संसाधनों को अपने विकास के कार्यों में लगाना चाहते हैं, उन्हें भी आज अपने रक्षा व्यय में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

मैं साम्राज्यवादी देशों की प्रवृत्ति को समझ सकता हूं जिसका सोचने का ढंग अलग होता है जो दुर्भाग्यवश किसी नये विश्व, के अस्तित्व में आने एक नए युग के आरम्भ होने की बात स्वीकार नहीं कर पाए हैं, वे अभी भी साम्राज्यवादी दार्शनिकता, बड़ी शक्तियों द्वारा छोटी शक्तियों पर उपनिवेशी शासन तथा अधिपत्य करने में विश्वास रखते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि भारत जैसे देश और वस्तुतः सभी विकासशील देशों को अपनी रक्षा तैयारी पर कहीं अधिक व्यय करने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक भयंकर स्थिति है जिसमें समस्त विश्व जकड़ा प्रतीत होता है जानबूझ कर अथवा अनजाने में अथवा मजबूरी के कारण प्रत्येक देश को अपने रक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ रही है।

लेकिन इसमें परस्पर विरोध है। जहाँ सरकारें अधुनातन हथियारों के उत्पादन करने में काफी जोरों पर लगी हैं' वहाँ सामान्य आदमी गम्भीर रूप से चिन्तित है। इस तरह साथ-साथ दो बातें हो रही हैं। सरकारें हथियारों पर अधिक से अधिक खर्च कर रही हैं। यद्यपि वे हथियारों की दौड़ की निन्दा करते हैं फिर भी, उन्हें अपनी रक्षा पर काफी अधिक खर्च करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर लोग अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इसके विपरीत अपनी आवाज उठाने के लिए एक संगठन बनाया है। यह एक अच्छा लक्षण है कि समस्त विश्व के शान्ति प्रिय लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है।

ऐसी परिस्थिति में भारत जैसे देश तथा आमतौर पर गुट-निरपेक्ष देशों के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वे यह पता लगाएं कि वास्तविक अपराधी कौन है, हथियारों की दौड़ के लिए कौन जिम्मेदार है ? ताकि जब हम कोई निर्णय लें अथवा कार्रवाई करें, तो हमें अपराधियों का पता हो। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आजकल तेजी से खराब होती जा रही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए, तेजी से खराब होती जा रही विश्व शान्ति के लिए सयुक्त राज्य अमरीका तथा उसके मित्र देश मुख्यालय जिम्मेदार हैं।

हमें एक बात याद रखनी चाहिये। संयुक्त राज्य अमरीका ने गुट निरपेक्षता के सिद्धान्त को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। संयुक्त राज्य अमरीका ने यह कभी नहीं चाहा है कि कोई नया आजाद हुआ देश मजबूत तथा आत्म निर्भर बन जाए। ऐसा नहीं है कि वे भारत के खिलाफ हैं बल्कि, क्योंकि वे यह महसूस करते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में रूस की फौजों के रहने की स्पष्ट निन्दा नहीं की है और इसलिए, वे हिन्द महासागर में आ गये हैं, वे पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं और हमारा घेरा डालने का प्रयास कर रहे हैं। यह पूर्णतया गलत है। मैं आपको एक प्रसिद्ध राजनीति आर्थिक लेखिका फ्रान्सिक फ्रेन्कवेल, जो अमरीका का नागरिक रही हैं, से पुस्तक आदि एक छोटा सा उदाहरण एक-महत्वपूर्ण उदाहरण दूंगा। उनका विश्लेषण क्या है ? उन्होंने लिखा है :—

"20 वीं शताब्दी के छटे और सातवें दशक के दौरान भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति"

"इस शब्द पर ध्यान दें गुट-निरपेक्षता"

"सोवियत संघ के प्रमुख को रोकने के अमरीकी प्रयासों के मार्ग में बाध्यक रहा।"

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुये)

अमेरिका के लोग चाहते हैं कि भारत गुट-निरपेक्ष नीति पर न चले क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत, अमेरिका का समर्थक बने और उसकी तरह हो जाय, क्योंकि उनका विचार है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के जन्म से निश्चिय ही शान्ति स्थापित होगी जो नवोदित शक्तियों के पक्ष में होगी क्योंकि यह आन्दोलन मूलतः साम्राज्यवादी विरोधी, उपनिवेशवादी विरोधी और जातिभेद विरोधी है। इसलिए वे इसको कभी भी पसन्द नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा :—

"भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरू में एशिया में सामाजवादी फैलाव के विरुद्ध 'स्थानीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने' के लिए सहयोग देने से मना कर दिया था, संयुक्त

राज्य अमेरिका को पाकिस्तान थाईलैंड और फिलिपिन्स जैसे कमजोर देशों के इर्द-गिर्द अपनी रक्षापंक्ति बनाने को मजबूर किया था। यही नहीं, श्री नेहरू ने गुट-निरपेक्ष के सिद्धान्त का नए कमजोर राज्यों की राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारने के लिए चतुराई से प्रयोग करके और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के हितों का संचार करके संयुक्त राज्य अमेरिका के अफ्रीकी एशियाई देशों में प्रभाव जमाने की नीति को और भी कमजोर बनाया। 1954 में अमेरिका की पाकिस्तान से हुई मैत्री (सन्धि) की वजह से भारत को गुट-निरपेक्ष नीति पर चलना मुश्किल हो गया। इस मैत्री ने कश्मीर के मामले पर चल रहे भारत-पाक संघर्ष को और भड़का किया···।"

इसलिए, शुरू से ही अमेरिका ने भारत जैसे देश जो स्वतंत्ररुप से कुछ मूल्यों, कुछ मूलभूत आदर्शों और नतियों के लिए लड़ रहे हैं और जो कि मूलतः नए आजाद हुए देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं; के उदय को पसन्द नहीं किया।

इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका में श्री रीगन के राष्ट्रपति बन जाने से विश्व की राजनीतिक स्थिति काफी विकट हो गई है। आज श्री रीगन एक अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की नीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। श्री रीगन तथा अमरीकी प्रसाशन को शस्त्रास्त्रों की होड़ के बारे में तब तक कोई चिन्ता नहीं हुई जब तक अमरीकी हथियार सबसे उत्तम होने के कारण एक देश को दूसरे के साथ युद्ध करने के लिए विवस कर सकते थे। वे विभिन्स देशों को हथियारों की सप्लाई करते हैं और तनाव और टकराव पैदा करते हैं। लेकिन अब वह देखते हैं कि ज्यादा नहीं तो उनके मुकाबले का एक अन्य राष्ट्र सोवियत संघ उभर कर सामने आया है। इसलिए उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। सोवियत संघ उनसे बेहतर है। आज यह एक माना हुआ तथ्य है कि सोवियत संघ एक शक्तिशाली राष्ट्र है और अपनी शक्ति के बल पर इसने स्वतंत्रता आन्दोलन में सहायता दी है। लेकिन सोवियत संघ निरस्त्रीकरण हथियारों और परमाणु हथियारों में कमी करने की ओर प्रयास कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के इरादे और अत्याधुनिक परमाणु हथियारों के निर्माण में लगा हुआ है।

अमरीकी शासन की योजना और नीति शायद यह है कि वे चाहते हैं कि उनके हाथ में एक बड़ी छड़ी रहे जिससे वे दूसरे देशों से अपनी बात मनवा सकें। यह सारे विश्व का अनुभव है कि जिन देशों को अमेरिका ने सहायता दी है, उनसे वह राजनैतिक प्रतिबद्धता की मांग की है। इस प्रकार उनकी सहायता के साथ शर्तें जुड़ी हुई हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि श्री रीगन की युद्धकारी नीति से विश्व को खतरा पैदा हो रहा है। परन्तु एक अच्छी बात यह है कि अमरीकी लोग इस नीति के विरोध में सामने आ रहे हैं। इससे मुझे उस समय की याद आ रही है जब सारे विश्व की जनता की आवाज को अनदेखी करके उसने वियतनाम पर हमला कर दिया था। उस समय अमरीकी के शान्ति प्रिय लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी आज मैं 200 से ज्यादा कांग्रेसजनों, 17 सिनेटरों, कई स्वैच्छिक संगठनों शान्ति प्रिय ताकतों, हजारों की तदाद में युवा लोगों द्वारा परमाणु हथियारों के उत्पादन, परीक्षण एवं प्रयोग के विरुद्ध आवाज उठाते और उस पर रोक लगाने की मांग करते देखता हूं तो मुझे उस समय की याद आ जाती है। श्रीमन, मैं यहां कहना चाहूंगा कि सोवियत संघ ने

पहल की है और राष्ट्रपति लियोनिद ब्रिजनोव के एस एस-20 को अपनी मर्जी से हटाने के प्रस्ताव का विश्व और यूरोप के सभी शान्ति प्रिय राष्ट्रों द्वारा स्वागत किया गया है। दुर्भाग्यवश अमरीकी नेताओं ने इस पर कुछ विपरीत प्रतिक्रिया व्यक्ति की है। मैं समझता हूं कि यह उचित समय है जब भारत को सोवियत संघ के इस प्रस्ताव के समर्थन में खुल कर सामने आना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि इन मामलों पर भी भारतीय सरकार चुप बैठी हुई है। मैं इसका कारण नहीं समझ पाया? उदाहरण के तौर पर यह एक राज्य के प्रधान द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख नीति सम्बन्धी वक्तव्य है। पिछले एक वर्ष में हथियारों में कमी और नए हथियारों के उत्पादन पर पूर्ण रोक के बारे में सोवियत संघ ने कई एक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने न्यूट्रोन बम का निर्माण किया है। मैं माननीय विदेश मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि: क्या हमारी सरकार ने स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि हां, हम न्यूट्रोन बम बनाने के विरुद्ध हैं और हम नये परमाणु हथियारों के निमार्ण के विरुद्ध हैं? पर आश्चर्य की बात है कि वे चुप हैं, मैं कहना चाहता हूं कि यह "शांत बैठे रहने की राजनीति" बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं है। मैं आपके उद्देश्य या आपके इरादे के बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस किस्म की "शान्त रहने की राजनीति" से गुजारा नहीं होगा और हमें शर्म को छोड़कर सुदृढ़ रवैया अपनाना चाहिए। नहीं तो इससे लाभ की बजाय नुकसान अधिक होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन मामलों पर भारत सरकार खुल कर सामने आये। मैं कहना चाहूंगा कि शान्ति आन्दोलन जो कि यूरोप, अमेरिका, एशिया के विभिन्न देशों और वास्तव में सारे विश्व में उभर रहा है, एक सराहनीय प्रयास है और मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार भी इस आन्दोलन को नैतिक सहयोग दे।

एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि पिछले दो कठिन वर्षों में भारत सरकार ने विदेश नीति का संचालन लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुये सफलता पूर्वक किया है। अनेक महत्वपूर्ण कदम जो पहले नहीं दिये गये थे वे अब उठाये गये हैं। भारत एक विशाल देश है, वह 68 करोड़ से अधिक आबादी वाला राष्ट्र है। भारत हमेशा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और उसने शान्ति और न्याय के लिए विश्व में हमेशा आवाज उठाई है। यहां के लोग साहसी और शान्ति प्रिय हैं। मुझे खुशी है कि पिछले दो वर्षों में कई एक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं व पहल की गई है जैसा कि, ओटावा सम्मेलन मेलबोर्न, सम्मेलन, कानकुन सम्मेलन और हाल ही में दिल्ली में हुई गरीब देशों के बीच बातचीत। प्रधान मंत्री और विदेश मन्त्री द्वारा उठाये गये कदमों के अलावा हमारे विदेश मन्त्रालय के अधिकारियों ने भी वास्तव में अच्छा कार्य किया है। उन्होंने संकटग्रस्त क्षेत्रों में जाकर, अधिकारी स्तर पर हमारे विचारों दृष्टिकोणों को रखा। विभिन्न देशों, खासकर गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकारी स्तरों पर उनकी प्रशंसा हुई है और हमारी नीतियों को भी सराहा गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं, यह शान्ति रहने की राजनीति है।

श्री चन्द्रजीत यादव: कई दफा शान्त' रहने की राजनीति अच्छी होती है, मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। पर कई दफा खुले रूप से भी चलना होता है। ऐसे समय में मुझे जवाहर लाल नेहरू की याद आती है। एक समय जवाहर लाल नेहरु सारे विश्व में साम्राज्यवादी-विरोधी

आन्दोलन के नेता माने जाते थे। ये वही व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत लाखों लोगों के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी आवाज उठाई इसलिए उनका असर अभी तक बाकी है। उस समय भारत पर अमेरिका का दबाव आज से कहीं ज्यादा था। अगर उस समय कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद झुक जाता। लेकिन नेहरू एक असाधारण व्यक्ति थे। उनमें क्षमता थी। उनकी कुछ मूल्यों और परम्पराओं में आस्था थी। इसलिए वे न केवल खड़े रह सके वरन उन्होंने साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन को भी बढ़ावा दिया।

इधर एक और अच्छी बात हुई है, जिसके लिए मैं भारत सरकार की प्रशंसा करना चाहता हूं। भारत सरकार ने राष्ट्रपति मितरां के नेतृत्व में समाजवादी फ्रान्स से मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये हैं। मैं समझता हूं आजके यूरोप में फ्रान्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस समय जब कि यूरोप प्रक्षेपणास्त्रों, अन्तर्महाद्वीप हथियारों और अन्य वस्तुओं की वजह से विवादस्पद क्षेत्र बनता जा रहा है राष्ट्रपति मितरां एक गुट-निरपेक्ष तथा तटस्थ व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की कोशिशें जारी करनी चाहिए।

आज हमारे देश के सामने आने वाली दो या तीन महत्वपूर्ण बातों के बारे में, मैं कुछ कहना चहता हूं। जहां तक भारत-पाक संबधों का प्रश्न है, आपने सदन में व्यक्त की गई भावनाओं को सुना है। हम सभी चाहते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध बनायें। लेकिन दुर्भाग्यवश हाल ही में पाकिस्तान से हमारे संबंध बिगड़े हैं और अधिक बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार अमेरिका के इशारों पर नाच रही है। यह दुर्भाग्य की बात है। अपने लोगों के जीवन को दाव पर लगाकर वे अत्याधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। इससे हमारे ऊपर भी भार आ पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस मामले में हमारे अनुभव अच्छे नहीं हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के हमले के शिकार बने हैं। शिमला समझौते की सबने सराहना की है। मैं समझता हूं कि वह भावना अभी भी बनी हुई है।

यह दुर्भाग्य की बात है मानव अधिकार आयोग में पाकिस्तान ने बेफजूल कश्मीर का मसला उठाया है, जिसके विरोध-स्वरूप हमारे विदेश सचिव का इस्लामाबाद दौरा रद्द कर दिया गया है। लेकिन विश्व में यह भावना नहीं फैलनी चाहिए कि हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों में खेल रहा हूं। मुख्य दोषी अमेरिका है जो कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। यह अमेरिका की चाल है कि वे अफगानिस्तान में अपने कदम जमाये। यह अमेरिका ही है जो हिन्द महासागर में जमा हुआ है। यह अमेरिका ही है जो नये-नये विवाद खड़े करके महायुद्ध का नया वातावरण तैयार कर रहा है। इसलिए हमें पाकिस्तान से अपने संबंधों के बारे में काफी सतर्क रहना है। दुर्भाग्यवश पिछले कुछ माह से समाचारपत्रों के जरिये से वार्ता हो रही हैं। पाकिस्तान को समाचारपत्रों से बात कहने दें, लेकिन हमारी सरकार समाचारपत्रों को बयान न दे। मैं समझता हूं कि वह समय आ गया है, जब हमारी प्रधान मंत्री पाकिस्तान से 'दोस्ती और सहयोग, की औपचारिक संधि के लिए हाथ बढ़ायें। हमें इस बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि ऐसा वातावरण तैयार नहीं है। भरतीय जनता ऐसा चाहती है। पाकिस्तानी जनता और आप-पड़ोस के देशों के

लोग यह चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारे संबंध सुधरें। अगर पाकिस्तान की ओर से इस संबंध में सही जवाब नहीं मिलता है तो पाकिस्तान नेताओं की कलाई खुल जायेगी।

किन्तु एक औपचारिक संधि के प्रस्ताव को समाचार पत्रों के माध्यम से न रख कर भारत की प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाना चाहिए था। फिर हमें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तानी नेताओं की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। चीन के प्रश्न के सम्बन्ध में···

सभापति महोदय : आप अब अपने भाषण को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : जी, हां।

यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि अनेक वर्षों के पश्चात हमने चीन के साथ बातचीत करनी आरम्भ कर दी है. मेरा विचार यह है कि हमें चीन के प्रयास का उत्तर देना चाहिए। यह अच्छी बात है। हम सदैव यह करते रहे हैं कि हम बातचीत में विश्वास करते हैं और हम बातचीत के द्वारा मामलों को निपटाने के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं। जब चीन के नेताओं ने यह बात समझ ली है कि भारत के साथ बात करने का यही उपयुक्त समय है, मैं यह सोचता हूं कि हमने सही रूप से चीन के प्रयास का उत्तर दिया है और हमें इसे जारी रखना चाहिए। किन्तु मैं यह चेतावनी देना चाहूंगा कि हम चीनी आक्रमण के शिकार रहे हैं। मुझे अभी भी इस बात के प्रमाण को देखना है कि क्या चीनी प्रयास वास्तव में ही सच्चा है और क्या वे भारत के साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए वास्तव में ही ईमानदार है। उनकी कुटनीतिक मुस्कानों से हमें उनके फन्दे की ओर मोहित नहीं होना चाहिये। अतः चीन से वार्ता करते समय हमें बहुत सतर्क रहना चाहिये।

मैं एक सुस्पष्ट प्रमाण देख रहा हूं कि अमरीका, चीन और पाकिस्तान इन तीनों देशों ने एक गठबन्धन बना लिया है। और यह एक खतरनाक गठबन्धन है। उन्हें अपनी ईमानदारी को सिद्ध करना है। हम उनके साथ बात कर रहे हैं, हमें सदैव ही सतर्क रहना चाहिए क्योंकि चीनी कुटनीति भारत और सोवियत संघ के साथ बात चीत को अमरीका पर दबाव डालने हेतु उपयोग करना चाहेगी और अधिकतम सौदा करना चाहेगी। अतः, मेरे विचार में भारत सरकार को उनके साथ बातचीत में पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए।

शायद एक सच्ची इच्छा से प्रेरित होकर मैं कहता हूं कि कई बार भारत सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह सोवियत संघ के अधिक निकट जा रहा है और इसके साथ ही मैं भारत सरकार के प्रवक्ताओं को कहते हुये, यही देखना हूं, "हम न तो सोवियत संघ के समर्थक हैं और न ही अमरीकी समर्थक। हम तो भारत समर्थक हैं।" हमसे प्रत्येक भारत-समर्थक हैं। मुझे भारतीय देशभक्ति में पूर्ण विश्वास है। विश्व स्थिति के सम्बन्ध में भारत और सोवियत संघ के एक जैसे कुछ आदर्श और विवेक हैं। उदाहरणार्थ हम दोनों विश्व शान्ति में विश्वास रखते हैं। हम साम्राज्यवाद विरोधी हैं। हम मुक्ति शक्तियों की सहायता करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुक्त हुये नये देश सामाजिक एव आर्थिक रूप से शक्तिशाली वनें। तव वे इस प्रकार रक्षात्मक कार्यवाही करने वाले क्यों वन जायें? शुरू से ही, जवकि काश्मीर का प्रश्न आया था अथवा गोआ की मुक्ति का प्रश्न आया था कि वंगला देश का प्रश्न उठा था अथवा हमारे विकास का कोई प्रश्न सामने आया और तारापुर तथा हमारे देश के अनेक अन्य

मुख्य परियोजनाओं के प्रश्न सामने आने पर भी अमरीका सदैव ही हमारे विरुद्ध रहा है और उसने कभी भी हमारा समर्थन नहीं किया। दूसरी ओर सोवियत संघ हमारा परीक्षित मित्र तथा एक सन्धिबद्ध राष्ट्र रहा है। मैं यह कहता हूं कि सोवियत संघ के साथ मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। यह किसी देश के आगे अपनी प्रभुसत्ता के सम्पर्ण करने का प्रश्न नहीं हैं। न केवल अपने पारस्परिक हित के लिए प्रत्युत विश्व समस्याओं का ससाधान करने तथा विश्व शान्ति को मजबूत करने के लिए भी सोवियत मित्रता भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत की मित्रता सोवियत संघ के लिए महत्वपूर्ण है।

मैं यह चाहूंगा कि विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण के हेतु विशेष अधिवेशन किये जाने से पूर्व इस बात पर विचार करें कि क्या भारत सरकार के लिए इस दृष्टिकोण को दृष्टिगत रख कर कुछ गुट-निरपेक्ष देशों के साथ एक अनौपचारिक बैठक करके बातचीत करना सम्भव है···जैसाकि हम दिल्ली में किसी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए अपनी सामान्य आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करने हेतु मिले थे, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम एक प्रभावी मामला प्रस्तुत कर सकें और हम निरस्त्रीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के अधिवेशन को अधिक लाभदायक तथा अर्थपर्ण बनाने के लिए सम्मिलित और संयुक्त प्रयास कर सकें, विशेषकर कि ऐसा इस बात को देखते हुये किया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गत अधिवेशन कोई अर्थपूर्ण परिणाम प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहा है।

हिन्द महासागर के प्रश्न के सम्बन्ध में अमरीका के दृष्टिकोण को सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं। इसके दबाव के कारण ही हमारे कुछ मित्र देश सम्मेलन बुलाने हेतु पहल करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं।

अत: सम्मेलन को वास्तव में ही अर्थपूर्ण बनाने के लिये दिल्ली में इस प्रकार की एक बैठक करना क्या सम्भव है ?

इन मामलों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार को अवश्य ही सोचना तथा कुछ पहल करना आवश्यक है।

विदेशों में स्थित हमारे मिशनों के सम्बन्ध में जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं किगत एक या दो वर्षों के दौरान हमारे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। किन्तु दुर्भाग्यवश अब हमारे अधिकांश मिशनों में इसी प्रकार की भावना, उसी प्रकार की प्रभाविकता देखने में नहीं आ रहीं है।

हम दिल्ली में कुछ विदेशी दूतावासों को श्रेष्ठ कार्य करते हुये देख रहे हैं।

किन्तु में देखता हूं कि विदेशों में अधिकांश भारतीय मिशन अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। उनके पास आवश्यक स्टाफ भी नहीं हैं। हमारे पास आवश्यक भवन भी नहीं हैं।

मैं एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए लिबिया गया था। लिबिया में 30,000 से 40,000 भारतीय रह रहे हैं। किन्तु वहां का स्टाफ बहुत ही अपर्याप्त है। वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। अधिकांश भारतीय मिशनों का यही हाल है।

मध्य पूर्व देशों तथा दूसरे देशों में अधिकांश भारतीय मिशनों में भी यही हाल है।

अतः, विदेश मंत्री जब विदेशों में अपने भारतीय दूतावासों के राजदूतों और अध्यक्षों को मिलने के लिए जाते हैं तो उन पर संबंधित देशों में भारत के लिए पहले से अधिक मैत्री की भावना को पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दें। यह पर्याप्त नहीं हैं कि वे केवल पत्रों के उत्तर देने और सहायता करने तथा सम्मेलनों को आयोजित करने का नित्यक्रम सम्बन्धी कार्य आदि ही करते हैं। उन्हें भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए लोगों को पहले से अधिक आधार बनाने के लिए सहायता करनी चाहिए।

महोदय, शान्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यह लोगों के लिए एक अत्यन्त मौलिक मामला है और संसार को इसकी आवश्यकता है। अन्यथा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और इतिहास की सभी उपलब्धियां और लाभ नष्ट हो जायेंगे। अमरीका की इस प्रकार की विक्षिप्त तथा पागल नीति को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह उपयुक्त समय है कि भारत को अवश्य ही शान्ति प्रिय लोगों के हित का समर्थन करना चाहिए उसे अवश्य ही उन सभी शक्तियों के हित का समर्थन करना चाहिए जिनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा खतरा पैदा किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहता हूं और मुझे आशा है। कि विदेश मंत्री इस बारे में आवश्यक निर्णय लेंगे।

अभी निकट भविस्य में विदेश मन्त्री एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने के लिए साहप्रस जाने वाले हैं, मैं उनके लिए शुभ कामना करता हूं।

मैं जानता हूं कि भारत इरान-ईराक संघर्ष को समाप्त कराने में पहल करेगा।

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : मैं कुवैत जा रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव : हमारे माननीय मत्री को इन मामलों पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला है। शायद उस समिति की बैठक भी वहां हो रही है।

मुझे आशा है कि विदेश मन्त्री अपने मिशन में सफल होगें और भारत अन्तर्राष्ट्रीय मामले में प्रभावी भूमिका निभाता रहेगा।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) : मंत्रालय की माँगों का समर्थन करने के साथ साथ मैं उपलब्ध कम समय के भीतर कुछ बातें कहना चाहूंगा।

इस वाद विवाद में माग लेने वाले लगभग सभी माननीय सदस्यों ने भारत-पाक संबंधों का उल्लेख किया है। यह हमारी विदेश नीति तथा रक्षा नीति निर्धारण करने के लिए एक अत्यन्त ही निर्णायक कारण है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान ने सदैव ही पश्चिमी सहयोग पद्धति के भीतर अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है जबकि भारत ने गुट निरपेक्षता का मार्ग चुना है।

वास्तव में पाकिस्तान को आन्तरिक वाह्यताओं ने भी उसे कुछ समस्याओं का सैनिक समाधान पाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जिनके लिए सहयोग और विवेक की भावना से ही अधिक लाभकारी परिणाम निकल सकते थे।

अभी-अभी चन्द्रीत यादव ने हमारी तत्काल सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेखा किया है। यह

सच है कि इसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान भारी परिवर्तन किया जा रहा है, 1979 में ईरान के शाह के पतन हिन्द महासागर में अमरीकी नौसैनिक अड्डे के विस्तार से अफगानिस्तान में इसके हस्तक्षेप को और पाकिस्तान को अमरीका द्वारा भारी मात्रा में शस्त्रों की सप्लाई से हमारे चारों ओर एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। मई 1981 में राष्ट्रपति रीगन ने पाकिस्तान को अपनी सैनिक नीतियों (स्ट्रैटोर्जक कन्सेंसस) को एक भाग बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने की घोषणा की है। यह एक ऐसी नीति है जिससे अमरीका को खाड़ी के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध वर्जन संधि का प्रस्ताव जिसकी यहां चर्चा की गई है, उस विवरण के अन्तिम पैरा में किया गया था जिसमें गत सितम्बर में पाकिस्तानद्वारा भारी मात्रा में अमरीकी सैनिक सहायता स्वीकृत की गई थी स्वाभाविक है कि भारत विवरण के उस भाग को कोई महत्व नहीं देता और यह हर भारतीय की नजरों में शक पैदा करता है। हमारे अनुभव इस संदेह की पुष्टि भी करते हैं क्योंकि स्वाधीनता बाद पाकिस्तान ने हम पर तीन बार अक्रमण किया है। यह और भी सदेह जनक हो जाता है क्यों कि पाकिस्तान ने युद्ध वर्जन संधि का बार-बार विरोध किया है और इस विचार का ही मजाक उड़ाया है। यह एक और कारण से भी संदेहजनक है क्योंकि यह प्रस्ताव उस समय आया है जिस समय अमरीकी संसद पाकिस्तान को एफ 16 लड़ाकू विमानों की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार कर रही थी। लेकिन वर्तमान शुरुआत में हमें विगत को भूलना भी ठीक है है। आज भी जबकि एक ओर भारत और पाकिस्ता लम्बे समय से चले आ रहे अपने विवादों को सुलझाने के लिए वार्ता कर रहे हैं। इस दूसरी ओर पाकिस्तान एफ 16 विभागों को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। और गुप्त रूप से वह परमाणु हथियार भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ये लड़ाकू विमान शायद ही उसकी पश्चिमी सीमा के लिये प्रयोग में लाये जाएं। यदि उनका इस्तेमाल किया भी गया तो वह भारत के विरुद्ध ही किया जायेगा।

हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने हमारे उच्चायुक्त की कुछ टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, आधुनिकतम हथियार प्राप्त करने के अधिकार का दावा किया है। प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें यह अधिकार है या नहीं। दर असल यह बात संसार के हर अन्य देश के लिए सही है परन्तु यह मसला केवल इसी संदर्भ में उठाया जा रहा है कि इससे पूरे क्षेत्र में शांति को खतरा है और युद्ध वर्जन पाक ने का प्रस्ताव किया है। और यह निश्चित है कि किसी भी देश, संधि द्वारा अपनी अक्रामक क्षमता में वृद्धि करने के अपने जोरदार प्रयासों और भविष्य में सुनिश्चित शांति के लिए वार्ता करने में कोई तालमेल नहीं हो सकती।

स्टाक होम अन्तराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार जिन्हें विस्तार से मैं यह बताने की आवश्यकता नहीं समझता, यह पता चलता है कि पाकिस्तान का सैनिक बजट पर खर्च, भारत के रक्षा बजट से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का रक्षा व्यय भारत के रक्षा पर होने वाले व्यय का प्रति व्यक्ति औसत ढाई गुने से भी अधिक है और पाकिस्तान अपने कुल राष्ट्रीय उत्पादन का सैनिक व्यय पर भारत के मुकाबले डेढ़ गुने से भी अधिक खर्च कर रहा है। यदि वार्ता में गम्भीरता लानी है तो वैध आत्म रक्षा को परिभाषित करना पड़ेगा। पाकिस्तान का सैनिक व्यय पिछली दशाब्दि के दौरान 400 प्रतिशत बढ़ा है और उन्होंने अपनी सैनिक

शक्ति बढ़ाकर दो गुनी कर ली है यदि युद्ध को रोकना है तो युद्ध के हथियारों में भी कमी करनी पड़ेगी या कम से कम उन्हें वर्तमान स्तर तक ही रखना पड़ेगा यह हमारी शांतिवार्ता के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण और सार्थक शर्त है।

शिमला समझौता हमारी अच्छे सम्बन्धों में एक ऐतिहासिक विन्दु है। इसमें द्विपक्षीय वार्ता के सिद्धान्त तथा शर्त को प्रयोग किए जाने पर बल दिया गया है। हमें यह भी विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भारत के साथ शांतिपूर्ण एवं सहयोग पूर्ण सम्बन्धों के इच्छुक हैं। लेकिन यह धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए और न ही फैलाई जानी चाहिए कि भारत ने सद्भावना और मित्रता के बढ़े हुए हाथ को ठुकरा दिया है क्यों कि इससे भारत क प्रति परम्परागत ईर्स्यालु लोगों को भारत के प्रति घृणा फैलाने का अवसर मिलेगा हमें शिमला समझौते से कुछ कदम और आगे बढ़ना चाहिए और इसका सबसे अच्छा और सुनिश्चित ढंग यही है कि हम हथियारों की दौड को वर्तमान स्तर पर ही छोड़ दें और इनमें और भी कमी करने के लिए व्यापक एवं महत्वपूर्ण वार्ता शुरू करें।

बुनियादी बात यह है कि कूटनीतिक वातावरण, गुट निरपेक्षता, द्विपक्षीयवाद और शस्त्रसेनाओं के निर्धारण के मामले में भारत और पाक की अनुभूति एवं दृष्टिकोण में भारी अन्तर है।

पाकिस्तान की सुरक्षा एक बार फिर जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने यहां बताया भी है, एक बड़े गुट का अंग दिखाई देती है जो हिन्द महासागर से होती हुई एटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है।

पाकिस्तान को अति आधुनिक हथियारों से लैस करने का अमरीकी कार्यक्रम इस क्षेत्र में अमरीकी कूटनीतिक आवश्यकताओं के प्रति पाक चाटुकारिता का परिणाम है युद्ध वर्जन कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में इन दृष्टि कोणों के अन्तर को पूरी तरह से समाप्त न किया जाये और यदि पूरी तरह से समाप्त न भी हो तो भी कम से कम पर्याप्त मात्रा में कम हो कर भी दिये जाये। दोनों ही देशों को सर्व प्रथम पारस्परिक हितों के प्रति आपसी समझ बूझ पैदा करनी चाहिये। अन्यथा, यह वार्ता गूंगे और बहरों की वर्ता के समान होगी और आपसी सम्बन्धों की खाई वैसी की वैसी ही रहेगी।

भारत ने पाकिस्तान की सुरक्षा और अभेदता के प्रति अपने आश्वासन की ठोस रूप से घोषणा की हुई है। और इसका इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि भारत ने 1965 और 1971 की लड़ाईयों के दौरान जीते हुए क्षेत्रों को पाकिस्तान को तत्काल वापस कर दिया था। हमारे विदेश मंत्री ने बार-बार यह बात दोहराई है कि भारत का हित पाकिस्तान के अलग रहने उसकी एकता उसकी स्थिरता और उसकी स्वतंत्रता में है।

हमारी यह धारणा है कि यद्यपि पाकिस्तान युद्ध की विजय प्राप्त नहीं कर सकता लेकिन किन्हीं दवाबों में आकर या गल्त फहमी में युद्ध छेड़ सकता है...

श्री राम गोपाल रेड्डी : अंतरिक परिस्थितियों के कारण।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न केवल हथियारों की इस

अंधी दौड़ को रोका जाए बल्कि पाकिस्तान को अपनी बढ़ती हुई वचन बद्धता से भी अलग होना चाहिए और सभी मामलों में गुट निरपेक्षता का मार्ग अपनाना चाहिए।

मैं भारत सरकार के प्रयासों का पूर्णतया समर्थन करता हूं और मुझे यह विश्वास है कि यह वार्ता शिमला समझौते से और भी आगे बढ़ेगी और युद्ध वर्जन न सन्धि के प्रस्ताव में जीवन का संचार करेगी तथा दोनों देशो के बीच मैत्री के एक नये युग का प्रारम्भ करेगी या फिर यह कार्य केवल समय बिताने के लिए ही लिया जा रहा है ताकि तब तक उसे हथियार मिल जायें और उस समय संसार पूरी तरह से उसके असली रूप को पहचान लेगा।

कुछ ऐसे लोग वहाँ हैं जो राष्ट्रपति जिया के कुछ कहने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान की हर कार्यवाही में भ्रांति की ललक मिलती है। यदि ऐसा हो जाये तो हमें बहुत खुशी होगी लेकिन युद्ध वर्जन सन्धि प्रस्ताव महत्वपूर्ण एवं सम्बन्धित मसलों को सुलझाने के लिए ही कियाजना चाहिए न कि निरर्थक और थोथी बातों के लिए।

सभापति महोदय मेरा दूसरा मुद्दा है जिस पर में जोर देना चाहता हूं कि हमें अपने सभी साधनों और कूट नीतिक क्षमताओं को अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने और आपसी सहयोग को बढ़ाने में लगाने चाहिये। न केवल इसी उप महाद्वीप के विदेशों से सम्बन्धित है बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तथा अफ्रीकी देशों से भी सम्बन्धित है हमारी प्रधाक मंत्री और हमारे विदेश मंत्री द्वारा किये गए विदेशी दौरों से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है लेकिन इस दिशा में अभी और भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। हमारे पड़ौसी देश यदि भारत के साथ और गहरे सम्बन्ध बनाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि हमारे पडौसी देशों में कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं और हमारे विशाल भाईचारे के दृष्टिकोण की वजह से वे हमारे मिलते हैं। शायद ही इस बात का कोई प्रमाण मिल सके। यह धारणा इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ौसी देशों के कुछ शासन अध्यक्ष इसबात से चिन्तित हैं कि कहीं उनकी शासन प्रणाली की सापेक्ष स्थिरता पर हमारा प्रभाव न पड़ जाये। ये आतंक इस देश के बाहर की शक्तियों द्वारा फैलाया गया है जिनके साथ उन देशों के गहरे सम्बन्ध हैं। यह सत्य है कि भारत के उपनिशवाद से छुटकारे ने एशिया और अफ्रीका की सभी उपनिदेशी राष्ट्रों को स्वतंत्रता दिलाने में सहायता पहुंचाई है। इतना होने पर भी कोई पड़ौसी देश ऐसा एक भी उदाहरण नहीं बता सकता जहां इस क्षेत्र में भारत ने अपना अधिपत्य इस्तेमाल किया हो।

हमें उनके सामने यह स्पस्ट करना पड़ेगा कि हम अपनी जैसी शासन पद्धति उन पर नहीं थोपेंगे और वे अपने ढंग से अपना शासन चलाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होंगे।

दक्षिणी-पूर्व एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ हमारे बहुत पुराने सम्बन्ध हैं। भारत अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति के बल पर उन देशों के साथ अपने सम्बन्धों और भी प्रगाढ़ और सुदृढ़ बनाने के लिये और उन्हें और भी निकट लाने के लिए कहीं अधिक व्यापक कार्यक्रम तैयार कर सकता है। संसार के मामलों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए भविष्य में विदेशों से हमारे सम्बन्ध भूतकाल से भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। इसमें हमारा भविष्य भी निहित हैं।

सभापति महोदय, एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करुंगा। मंत्रालय की

रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बाहरी वातावरण में निरंतर गिरावट आती जा रही है आज संसार बड़ी महा शक्तियों के आपसी टकराव के पुन: प्रारम्भ हो जाने से और परम्परागत तथा परमाणु दोनों ही प्रकार के हथियारों की भारी वृद्धि और संसार के अनेक भागों में उनके फैलाव से आतंकित है संसार को नरक की आग में धकेला जा रहा है। युद्ध के नये हथियारों का आविस्कार किया जा रहा है और रासायनिक एवं इसी प्रकार के अन्य विनाशकारी हथियार ससार भर में फैलते जा रहे हैं।

संसार आज एक नकारात्मक आतंक की तराजू पर जीवित है। अमरीका संसार को हमेशा ही वाशिंगटन मास्को संघर्स के चश्मे से देखता है। यह स्वयं को संसार को सुव्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी मानता है और संसार उनके साथ में ही रहता है तथा उन्हें भी साथी बनाता है जो सोवियत रुस विरोधी होते हैं। एक सीमित परमाणु युद्ध की व्यवहार्यता पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

श्रीमान्, हमें यह जानकर खुशी है कि सारे यूरोप में जो वर्तमान युद्ध-विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं वे वहां बढ़ते हुए तनाव के प्रति गंभीर रोष की तीव्र अभिव्यक्ति हैं क्योंकि उन देशों में परमाणु हथियारों के वृहत भंडार हैं जिन पर किसी का वश नहीं है। अमरीका में भी परमाणु युद्ध के खतरों के प्रति फिर से चेतना जागृत हुई है न केवल यूरोप के देशों में बल्कि अमरीका में भी रीगन प्रशासन पर जनता का दबाव पड़ रहा है कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के बारे में रूस के साथ बातचीत की जाये। अमरीका में ऐसी बातें सुनी जाती हैं मैं उद्धृत करता हूं :

"रीगन ने न केवल रूसियों को डरा दिया है बल्कि अमरीकियों को भी डरा दिया है।"

टाइम मैगजीन के 29 मार्च के अंक में एक लेख 'थिंकिंग अबाऊट दि अनथिंकेबल' (अविचारणीय मामले पर विचार) को पढ़ने से पता चलता है कि अमरीका में परमाणु युद्ध के विरुद्ध कितना रोष है। आज सुरक्षा के यह अर्थ लगाये जाते हैं कि अधिकाधिक परमाणु हथियार रखे जाएं और कोई देश तभी दवेगा जब दूसरे देश के पास उससे अधिक हथियार होंगे।

श्रीमान्, हमारे पास ही हिन्दमहासागर को तनाव तथा युद्ध का क्षेत्र बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र के किसी भी देश में थलसेनाओं को पहुंचा सकने के उद्देश्य से दिएगो गार्शिया के सैनिक अड्डे को विस्तृत तथा मजबूत बनाया जा रहा है। विद्यमान अड्डों को बढ़ाया जा रहा है और नये अड्डे मिश्र, सोमालिया, कीनिया, ओमन, आस्ट्रेलिया और संभवत: श्रीलंका में बनाये जाने की संभावना है। विकास का जो दांचा बनाया गया है उसमें भूमध्यसागर में अमरीका की नौ सेना तथा वायु सेना की शक्ति को लाल सागर, अरब सागर और हिन्द-महासागर के रास्ते प्रशांत महासागर में स्थित उसकी शक्ति से जोड़ दिया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र मानने की घोषणा की है लेकिन अमरीका इससे पीछे हट रहा है और इसके लिए अपना अलग दृष्टिकोण अपना रहा है।

श्रीमान्, अमरीका और रूस ने हाल ही में दो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकाशित किए हैं। अमरीका ने 'सोवियत मिलिटरी पावर' और रूस ने 'थ्रेन्स दे थ्रेट टु पीस' प्रकाशित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें एक दूसरे की सैन्य शक्ति दर्शायी गई है इन दस्तायेजों को

देखने से पता चलता है कि हथियारों की होड़ तथा सैनिक और टेक्नालाजी के संबन्ध में एक दूसरे से अधिक विकसित होने की अन्धाधुन्ध होड़ जारी है और इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हथियारों की यह होड़ रुकने वाली नहीं है, आज लगभग बराबरी की जो स्थिति है उसे और हथियारों की अनिवार्य आवश्यकता के बहाने बिगाड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्रीमान्, क्या भारत इस स्थिति में विश्व स्तर पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ? पंडित नेहरू और हमारी प्रधान मंत्री ने हमारी विदेश नीति को हमारे भौगोलिक और राजनीतिक हितों के आधार पर बनाई है और इन्हें उच्च आदर्शवाद के साथ मिला कर सामने रखा है। दुर्भाग्यवश अमरीका भारत को रूस का समर्थक समझता है—जैसाकि इन दस्तावेज से स्पष्ट है—लेकिन क्या हम वास्तव में रूस समर्थक हैं ? मैं न केवल यहां रहने वाले बल्कि विदेशों में रहने वाले लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रारम्भ में भारत ने पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए पश्चिम की ओर रुख किया था लेकिन परिणाम यह हुआ कि पश्चिम की योजनाएं इसके प्रतिकूल थीं। डल्स अब नहीं रहे लेकिन यह बात दुर्भाग्यवश अभी तक विद्यमान है। अमरीका ने चीन भारत युद्ध द्वारा मिले अवसर को भी गंवा दिया। रूस कठिनाई की हर घड़ी में हमारे साथ रहा है और हमारी मित्रता दिन पर दिन गहरी होती गई है. फिर भी, अरब गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के अग्रणी देशों में से है और भारत निर्णय लेने तथा कार्य करने में स्वतन्त्रा को गुट-निरपेक्षता का निचोड़ मानता है। भारत निरस्त्रीकरण और शांति की नीति से वचन बद्ध है और इससे हटने वाला नहीं है हमारी माननीय प्रधान मंत्री ने बार-बार यह बात दोहराई है कि शांति अविभाज्य है तथा इसे अलंकनीय बनाया जाना चाहिए।

सारे विश्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जन-जीवन समाप्ति के कगार पर खड़ा है। कुछेक के पक्षपात पूर्ण रुख को छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है और शांति का रास्ता अपनाने वाले देश के रूप में सारे विश्व में इसका नाम है। मेरा आणविक मिसाइलें लगाने पर राष्ट्रपति ब्रिजनेव ने आणविक मिसाइलों पर एकतरफा रोक लगाने की जो घोषणा की है उससे उनकी हथियारों की होड़ को रोकने के लिए परिचालिक इच्छा का पता चलाना है। यूरोपियन और कैनेडियन मंत्रियों की पिछली मंत्री स्तर की बैठक में निर्णयानुसार अमरीका से आग्रह किया गया है कि वह हथियारों की होड़ को रोकने के लिए बातचीत शुरू करने की तारीख की घोषणा करें। इस कार्य में किसी भी विकसित देश की तुलना में भारत तथा अन्य विकासशील देशों का योगदान अधिक है निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है। अन्तराष्ट्रीय मंच पर भारत का स्थान प्रभावशाली है सारा विश्व श्रीमती गाँधी की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में देखता है और मानता है कि इनमें महान कूटनीतिज्ञ के गुण तथा किसी बात पर किसी को राजी करने की शक्ति है। विश्व भर के नेताओं ने उत्तर-दक्षिण के देशों की बातचीत करवाने के लिए एक समन्वित दृष्किोण अपनाने के लिए भारत द्वारा पहल करने का स्वागत किया है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि भारत विश्व के देशों में नेतृत्व की भूमिका अदा कर रहा है और यह विश्व के महत्वपूर्ण देशों में से एक हो जाएगा।

मैं आशा करता हूं कि युद्ध और शांति के मामलों में और अधिक बलपूर्वक पहल की

जायगी। अपने उत्कृष्ट नेतृत्व के बल पर भारत दुनिया के देशों के मामलों में और अधिक बड़ी भूमिका अदा करेगा प्रत्येक भारतीय महसूस करता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में और हमारे योग्य तथा सुविज्ञ विदेश मंत्री की सहायता से भारत ऐसी भूमिका निभाने के लिए पूर्णतः तैयार है। हम पंडित नेहरू के समय के गौरवशाली दिनों को याद करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत विश्व के लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध रहेगा।

सभापति महोदय, हमारे विदेश मंत्री आज विदेश रवाना हो रहें हैं। मैं उनकी यात्रा की सफलता की कामना करता हूं और हम आशा करते हैं कि शांति, निरस्त्रीकरण और विश्व में नई व्यवस्था बनाने के लिए वे देशों की राजधानियों में बुलाये जाते रहेंगे।

सभापति महोदय : श्री उन्नीकृष्णन ने अनुरोध किया है कि उन्हें बोलने का समय दिया जाए क्योंकि फिर उन्हें संसदीय समिति की बैठक में जाना है। अतः मैं उनका अनुरोध स्वीकार करता हूं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वाडागरा) : श्रीमान् आपके निर्देशानुसार मैं यथासभव सक्षेप में तथा महत्वपूर्ण बातों पर ही प्रकाश डालूंगा।

सभापति महोदय : आप यह न समझें कि सभापति कंजूस है लेकिन मुझे काफी संख्या में सदस्यों को बोलने का अवसर देना है। इसीलिए संक्षेप में कहने के लिए अनुरोध किया गया है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : श्रीमन् मैं जानता हूं विदेश मंत्रालय की मांगों पर हो रही इस चर्चा में कभी-कभी ही यह अवसर मिलता है कि भारतीय कूटनीति तथा विदेश नीति पर विस्तृत चर्चा की जाये। श्रीमान् वास्तविकता यह है कि या तो हमें ऐसा अवसर मिलता ही नहीं या मिलता है तो कुछ चर्चा नहीं हो पाती है जैसा पहले एक बार हुआ था। 15 वर्ष पहले यह पद्धति थी कि इस सभा में प्रत्येक सत्र में विदेश नीति पर चर्चा होती थी, चाहे वह मंत्री महोदय के किसी प्रस्ताव पर ही हो। मेरे विचार में यह प्रथा बहुत अच्छी है मैं यह नहीं भूला हूं कि आपकी एक परामर्शदात्री समिति है लेकिन उसका क्षेत्र सीमित है, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जबकि विश्व में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इस सभा को विश्वास में लिया जाए और न केवल विश्वास में लिया जाए बल्कि इन गम्भीर मामलों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए।

आज हम यह चर्चा बहुत तेजी से बढ़ती हुई स्थिति में कर रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत गतिशील है, जब डेटान्ट की शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं और शांति की संभावनाएं, जो हमारा लक्ष्य है दूर भागती दिखाई देती हैं। श्रीमान् विश्व में इस बिगड़ती हुई स्थिति की अधिकतर जिम्मेदारी अमरीका के राष्ट्रपति रीगन की होनी चाहिए जो कि एक ओर तो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ाकू देश जैसी प्रवृत्ति दिखा[illegible] चले जा रहे हैं और दूसरी ओर अपने आक्रामक उद्देश्यों का खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा मध्य अमरीका में अलसल्पाजीर में देखा गया अथवा निकार गुआ में या हमारे नजदीक पाकिस्तान में देखा गया।

कल तथा आज की चर्चा को सुनकर मुझे लगा है कि कुछ लोग तो अमरीका के इस रवैये पर आश्चर्य चकित थे। श्रीमान्, यही रवैया शांति प्रिय लोकतंत्र के मिथ को प्रोत्साहन देता

हैं। स्पष्ट तथा सरल तथ्य यह है कि कुलीनतंत्र के सैनिक औद्योगिक मिश्रण से वाशिंगटन के नीति निर्णायकों पर प्रभाव पड़ता है और विश्व भर में उनके हित अमरीकन नीति में झलकते हैं। चाहे वह कान्फरेन्स आन दि लाज आफ दि सीज के प्रति अपनाया गया रवैया हो या खाड़ी में या ईरान या दक्षिण पूर्व एशिया के प्रति हमारे पड़ौस में या दक्षिण अफ्रीका में नामीबिया के प्रति अपनाया जाने वाला रवैया हो, श्रीमान्, हर मामले में उनका दृष्टिकोण एक ही रहा है इसीलिए वे कहते थे कि जिसमें जनरल मोटर्स की भलाई है उसी में अमरीका की भलाई है। अभी तक वही रवैया चल रहा है चाहे लेटिन अमरीका हो या दक्षिण अफ्रीका या कोई और देश अमरीका की विश्व नीति इसी आधार पर बनती है और कार्यान्वित की जाती है, तो इससे हमें चौंकना नहीं चाहिये। अतः श्रीमान्, हमारे मूलभूत राष्ट्रीय हितों और हमारे सुरक्षा के वातावरण की चर्चा करते हुए और राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की नीति की दृष्टि से हमें इस जरूरी तथ्य को ध्यान में रखना होगा और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा अपना नुकसान होगा।

प्रश्न यह नहीं है, जैसाकि उदारतावादी नीति के समर्थक हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, कि हम अमरीका की तरफ झुकते हैं या रूस की तरफ जैसाकि भारत की विदेश नीति के समालोचकों द्वारा प्रायः बात उठाई जाती है वर्तमान स्थिति के बारे में सत्य यह है कि भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित और अन्य विकासशील देशों के हित तथा अमरीका के हित एकदम विपरीत हैं। यह विवाद काफी समय से है और मैं इसे दो बड़ी ताकतों की वर्तमान विपरीत स्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण समझता हूं। इसीलिए विकास के लिए मिलने वाले अन्तर्राष्ट्रीय संसाधनों से अधिकतर विकसित या पश्चिमी देशों को मिलाते हैं।

ऐसी स्थिति में भारत या किसी अन्य विकासशील देश का क्या रवैया होगा? मैं फिर कहता हूं कि प्रश्न किसी तरफ झुकने या किसी गुट में शामिल होने का नहीं है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय हितों की मांग है कि हम नव-उपनिवेशवाद की ताकतों के विरुद्ध अपने संघर्ष को जारी रखें और अपने राष्ट्रीय स्वातंत्र संघर्ष—साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को पूरा करने के लिए संघर्ष जारी रखें। यदि यह मूल बात गुटनिरपेक्षता की हमारी नीति में शामिल नहीं की जाती तो मेरे विचार में तो यह गुटनिरपेक्षता ही नहीं रहेगी। जैसा की अधिकतर लोग मानते हैं। गुट-निरपेक्षता संतुलन बनाने की कोई ट्रिक या कोई मंत्र या सर्कस जैसी चीज नहीं है निस्संदेह कुछ मामलों में कार्यवाई करने के लिए हमें कुछ हद तक वस्तुपरकता रखनी होती है लेकिन इसे हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। गुटनिरपेक्षता की हमारी विदेश नीति विश्वशांति के हमारे राष्ट्रीय हित प्राप्ति के उद्देश्य में भी है तथा इस संबंध में हम यह नहीं भूल सकते कि कुछ ताकतें हमारे विरुद्ध हैं क्योंकि वह सिद्धान्त हमारे हितों के विरुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाना हमारी गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के आवश्यक अंग हैं, अतः हमारे लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इस तथ्य पर और आगे विचार करें तो हमें पता चलेगा कि उनके तथा हमारे हित एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए आज दक्षिण एशिया तथा हिन्दमहासागर में भारत के राष्ट्रीय हित को सबसे बड़ा खतरा अमरीका तथा उसकी नीतियों से हैं।

महोदय, मैं आपका तथा सभा का ध्यान 'रैंड कारपोरेशन' के प्रो. गुई पारकर द्वारा

किये गये अध्ययन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिन्हें वाशिंगटन में अमरीकी नीतियों के समर्थक के रूप में जाना जाता है, तथा जिन्होंने अपने उपर्युक्त अध्ययन में अमरीका के साम्राज्यवादी हितों की शर्मनाक ढंग से हिदायत की है। प्रो. गुई पारकर के अनुसार—

"नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संघर्ष राजनीतिक प्रभुता के पुनर्वितरण की माँग है।"

तथा,

".....अमरीका को औद्योगिक राष्ट्रों के द्वारा गैर-रूसी खतरों के प्रति समर्पित ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए।"

राष्ट्रपति रीगन द्वारा अपनी विदेश नीति के संचालन में अपनाई जाने वाली महत्वपूर्ण नीतियों का यही सार है। वह कौन से संघर्ष की बात कर रहे हैं? यह कुछ वर्ष पूर्व की स्थिति थी। तत्पश्चात हस्तक्षेप के रूप में विशेषरूप से हिन्द महासागर में अपने सैन्य बल को भेजने का सिलसिला शुरू हो गया, अतः हमारी सुरक्षा के राष्ट्रीय हितों की तुलना में उन्होंने अपने सैन्य बल के लिए एक व्यापक आधार तैयार कर लिया है।

यह विशाल सैन्य दल भेजने का क्या अर्थ है? मैं अमरीका के कुछेक समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि यह सैन्य बल कहाँ स्थित है? इसमें से अधिकांश हिन्द महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है अथवा वहाँ होने वाला है तथा खाड़ी के माध्यम से हिन्द महासागर में इसकी गतिविधियाँ यदि तटवर्ती राष्ट्रों के हितों के प्रति खतरा नहीं है तो और क्या है? अमरीका के रक्षा सचिव, श्री वैनबर्गर ने अपने रक्षा सम्बन्धी 5 वर्षीय कार्यक्रम हेतु अमरीका के रक्षा बजट में 107 ट्रिलियन डालर व्यय की बात कुछ दिन पहले की थी। (व्यवधान) यह राशि कई करोड़ रुपयों के बराबर है। मैं एकदम गणना करके आपको नहीं बता सकता। मैं दोहराता हूं कि यह राशि 1.7 ट्रिलियन डालर है। श्री वैनबर्गर ने यह स्वीकार किया है कि यह राशि बहुत विशाल है तथा इसे खर्च करने का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन है। इसका बहुत बड़ा भाग अमरीकी नौसेना के लिए है तथा यह धनराशि हिन्द महासागर में नौसैनिक बेड़ों की उपस्थिति पर खर्च की जानी है। इसीलिये वे पाकिस्तान में मकारान तट तथा बलूचिस्तान सीमा पर ग्वादार पत्तन में अपने अड्डे बनाना चाहते हैं। यह हमारे हितों के विरुद्ध है। हमारे सम्मुख प्रश्न यह है कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिये। वास्तविक स्थिति यह है कि अमरीका हिंद महासागर के तटवर्ती देशों की सीमाओं पर युद्ध का एक नया आतंक उपस्थित कर रहा है तथा दुर्भाग्यवश इसमें हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान भी शामिल है तथा हमारी विदेश नीति एवं कूटनीति को हमारी सुरक्षा के प्रति इस नये खतरे से सावधान रहना है।

अतः हमें हिन्द महासागर से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प के क्रियान्वयन की माँग पूरी गम्भीरता से करते रहना चाहिए तथा पाकिस्तान एवं चीन से अपने सम्बन्धों का मूल्यांकन अमरीका के इस अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र के सन्दर्भ में उनके सम्बन्ध के साथ करना चाहिए; तथा हमें यह हमेशा याद रखना चाहिये चाहे वह पाकिस्तान के साथ युद्ध वर्जन समझौते की स्थगित वार्ता से सम्बन्धित हो या चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने की बात हो। यदि आप अमरीका एवं पाकिस्तान के सम्बन्धों का अध्ययन इस पृष्ठभूमि के आधार पर करेंगे तो आप पायेंगे कि यह इस उप-महाद्वीप के विभाजन के समय से ही शुरू हो चुका था। उस समय

यह सिद्धान्त पूर्वोत्तर सीमान्त प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल सर ओल्फ केरो, द्वारा प्रतिपादित किया गया था तथा उसने अपने इस महान कार्य-निश्चय ही वह महान व्यक्ति था चाहे उसने हमारे विरुद्ध लिखा था—जिसे वह 'शक्ति का स्रोत' कहा करता था—के बारे में कहा था कि जो भी पश्चिमी पाकिस्तान तथा विशेष रूप से अरब सागर तथा खाड़ी के प्रवेश-मार्ग, अर्थात् बलूचिस्तान के तटवर्ती प्रान्त पर नियंत्रण करेगा, वही भविष्य में विश्व पर नियंत्रण करेगा। ओल्फ केरो के इस ब्रिटिश सिद्धान्त में, जिस पर अमरीका रक्षा विभाग ने 1950 तथा 1960 के दशकों में लगातार अपना ध्यान केन्द्रित रखा था तथा 'सीटो' एवं ऐसे अनेक संगठनों का गठन किया था। पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक शासन के प्रति पश्चिमी देशों की लगातार रुचि आकस्मिक नहीं है।

पाकिस्तान पूरी तरह से अपनी स्वतन्त्र भूमिका नहीं निभा सकता। उसे अपने मालिक की इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है। उसके सम्बन्ध भारत तथा सोवियत संघ के स्वतन्त्र मैत्री सम्बन्धों जैसे नहीं हैं। भारत-रूस सम्बन्ध न केवल मित्रता अपितु परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। परन्तु ऐसी स्थिति अमरीका अथवा चीन के साथ पाकिस्तानी-सम्बन्धों की नहीं कही जा सकती।

साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अमरीका-चीन के हित एक समान हैं। इसीलिये श्री हेग ने कम्पूचिया के सम्बन्ध में चीन की स्थिति को मान्यता प्रदान की है।

अफगान विद्रोहियों को हथियार भेजने में चीन अमरीका से सहयोग करता है। अतः अमरीका द्वारा हिन्द महासागर में हस्तक्षेप हेतु उसमें नौसैनिक बेड़े की उपस्थिति तथा दिएगो गार्शिया में थलसैनिकों के उतारने हेतु उसके विकास एवं पाकिस्तान को भरपूर शशस्त्र सहायता और खाड़ी के देशों एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में संभावित हस्तक्षेप की भूमिका को हमारे नीति-निर्माताओं द्वारा भारत को घेरने के प्रयास के रूप में देखना चाहिये। इसलिए हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते। विदेश नीति का संचालन विभिन्न देशों अथवा एक दूसरे देश के साथ आपसी सम्बन्धों का संचालन मात्र ही नहीं है। गुट निरपेक्षता तथा शान्ति की नीति के अनुपालन में भारत को अपनी भूमिका पुनः सक्रिय करनी होगी क्योंकि हमें अपने सुरक्षा सम्बन्धी हितों का ध्यान रखना है तथा इसके लिए हमें अपनी सेना को तैयार रखना है और अपनी प्रभुसम्पन्नता की रक्षा करनी है अतः हम नहीं भूल सकते कि हमारा आधारभूत लक्ष्य शान्ति प्रयासों को बनाए रखना है।

सभापति महोदय : आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : मैं अभी इसे समाप्त करता हूं।

अतः मैं विदेश मन्त्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमें निरस्त्रीकरण के वार्तालाप में पहले के समान, जब हम जवाहरलाल नेहरू तथा कृष्णमेनन के नेतृत्व में सक्रिय रूप से सम्बन्द्ध होते थे, वैसे ही अब पुनः सम्बद्ध होना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रो. मिर्डलसीन मैम्ब्रिज जैसे भारत के बहुत बड़े मित्र ने मुझे कहा था कि "मुझे खेद है कि निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित वार्तालाप में भारत पहले जैसी रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है, चाहे यह संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा किसी अन्य मंच की बात हो।" अतः मुझे आशा है कि संयुक्त राष्ट्र

संघ के आगामी निरस्त्रीकरण सम्बन्धी विशेष सत्र के दौरान आप इस स्थिति को ठीक करेंगे तथा यदि इस सम्मेलन में प्रधान मंत्री स्वयं उपस्थित हो सकें तो समस्त विश्व को भारत द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी हो सकेगी। और यदि हम साम्राज्यवाद विरोधी नीति के विरुद्ध अपनी सुरक्षा सम्बन्धी हितों के प्रति दृढ़ रह कर इस दिशा में किये गए प्रयासों को जारी रखेंगे तो इससे हमारी विदेश नीति को अन्तर्राष्ट्रीय आभास प्राप्त होगा। मैं अन्तर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विचार धाराओं, जो हमारी सुरक्षा सम्बन्धित है, की बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं चाहता हूं कि विदेश मन्त्री को मध्य अमरीका की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना चाहिए तथा निकारागुआ और एलसेल्वाडोर के महान स्वतन्त्रता सेनानियों के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए, जैसा कि राष्ट्रपति मित्तरेन्ड ने किया है, चाहे यह बात हमारे पड़ोसी देशों के सन्दर्भ में हो अथवा दूरस्थ लेकिन अमरीकी देशों के बारे में। इस छोटे से विश्व जहां कहीं मानवीयता एवं स्वतन्त्रता का दमन किया जाता हो, हमें उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री अमरीका द्वारा अंगोला पर जारी आक्रमण की निन्दा करेंगे तथा पोलिसाटियो सरकार को मान्यता प्रदान करेंगे, जिसके साथ हमें मैत्री संबंध स्थापित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीमित युद्ध तथा 'क्लीन बम' के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। 'क्लीन' शब्द से हमें भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे नहीं पता कि इसका कोई क्षेत्रीय अर्थ है अथवा नहीं। परन्तु वह चाहे जो भी हो, हमें 'क्लीन' शब्द से गुमराह नहीं होना चाहिए। हमें सीमित युद्ध, परमाणु हस्तक्षेप तथा तथाकथित 'क्लीन बमों' के खतरों के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाते रहना चाहिये।

मुझे पता है कि विदेश मन्त्री को भूगोल के अतिरिक्त इतिहास का भी ज्ञान है। उन्हें मन्त्रालय में तथा हमारे विभिन्न दूतावासों में सक्षम तथा कर्मठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त है। मैं उन असंसद सदस्यों में से नहीं हूं जो यह कहते हैं कि हमारे विदेश-स्थित अधिकारी कुछ काम नहीं करते। वे प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। यदि हमसे कोई विदेश में उनसे पर्याप्त सहयोग नहीं प्राप्त कर सकता तो उसे उनमें कोई दोष नहीं निकालना चाहिए। मेरा अनुभव यह है कि उनकी सेवा सदा प्राप्त होती हैं। परन्तु जैसा कि श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा था, लीबिया तथा खाड़ी के देशों में कुछ समस्याएं हैं। यदि आप हमारे कुछ दूतावासों में जाते हैं—मुझे विश्वास है कि आप अवश्य जायेंगे—तो आपको वहां के कर्मचारियों से भी मिलना-जुलना चाहिए। उनके पास कुछ भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मुझे आशा है कि विदेश मन्त्री वित्त मन्त्री के साथ अपने प्रभाव का प्रयोग करेंगे। केवल यही काफी नहीं है कि वित्त मन्त्री इसमें व्यक्तिगत रुचि लें। उन्हें अनुभाग अधिकारियों तथा निम्न कर्मचारियों सहित सभी को इस दिशा में निर्देश देना पड़ेगा।

हमारे राष्ट्रीय हित साधन के लिए राजनयिक गतिविधियों का संचालन एक काफी खर्चीला कार्य है और संसद उसकी अनुमति देने में संकोच नहीं करेगी। लेकिन वित्त मन्त्रालय के अनुभाग अधिकारियों को यह निर्णय करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए इस मामले पर आपको कार्यवाही करनी होगी। चाहे

इस मामले का समम्बन्ध विदेश स्थित कार्यालय के भत्ते का हो, या अपने काम के लिए भवन आदि खरीदने का; अपनी क्षमता के भीतर जो कुछ भी आवश्यक हो, वह किया जाना चाहिए।

मैंने पहले यह कहा है कि उन्हें उन ऐतिहासिक शक्तियों की समझ है जो आज सक्रिय हों मैं तो यही आशा करता हूं कि उनके मित्रों में से कुछ सहयोगी उनको उन बातों के विषय में बेजरूरत कुछ ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिनसे इनकी अड़चनें बढ़ जाएं और जो नहीं कहनी चाहिए जैसा कि हाल ही के मामले में इस सभा को महान शक्तियों के बारे में—

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : हिटलर !

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आपने मुझे उसकी भी याद दिला दी है। इससे उनके लिए अड़चनें ही पैदा हो सकती हैं।

श्री जेवियर अराकल : (एर्णाकुलम) मुझे इस बात की खुशी है कि सभा के दोनों पक्षों की ओर से हमारी विदेश नीति का समर्थन किया गया है। यदि आप हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषणों तथा वर्ष 1981-82 की वार्षिक रिपोर्टों को भी देखते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम असुरक्षित दुनियां में रह रहे हैं। अतः यह प्रश्न उठता है कि इस सम्बन्ध में भारत द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका क्या है ! यदि आप वार्षिक रिपोर्ट को देखें तो यह स्पष्टरूप से कहा गया है कि विश्व के खतरे का केन्द्र अब योरुप से हट कर एशिया में आ गया है। यह इस क्षेत्र में रहने वालों के लिये एक गम्भीर चेतावनी है। मैं यह आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गयी सुस्पष्ट तथा निर्णायक कार्यवाही की हम सभी सराहना करेंगे।

मेरे विचार से चार पड़ौसी देश हैं जिनके साथ सम्बन्धों को सुदृढ़ किया जाना है, उनकी पुनरीक्षा की जानी है तथा उन्हें उनमें और अधिक सुदृता लाना है।

पाकिस्तान तथा इसके साथ हमारे सम्बन्धों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमारी प्रधान मन्त्री ने कहा है कि युद्ध हो अथवा न हो हम पाकिस्तान के साथ विनाशकारी युद्ध के मार्ग पर नहीं चलेंगे।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : संधि हो अथवा नहीं।

श्री जेवियर अराकल : जी हाँ धन्यवाद। लेकिन प्रश्न यह है कि हमें यहाँ से किस दिशा में अग्रसर होना है। हम पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध कैसे बना सकते हैं। यह कहा गया है कि अपने पड़ौसी देशों से वैसा ही प्रेम करो जैसा स्वयं अपने आप से। मनोवैज्ञानिक राजनैतिक अथवा आर्थिक कारण हो सकते हैं। जिनसे उनकी भय की मनोवृत्ति बनी है। पाकिस्तान के डर को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? मैं एक सुझाव देता हूं। यदि आवश्यकता पड़े तो पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को ठीक करने के लिये अच्छा वातावरण पैदा करने की दिशा में हमें खुद आगे आकर हाथ बढ़ाना चाहिए। वीमा की औपचारिकताओं पर फिर से विचार करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि वर्तमान नियमों के अनुसार केवल वही व्यक्ति पाकिस्तान जा सकते हैं जिनके वहाँ रिश्तेदार रहते हैं। यदि हम इस नियम में कुछ छूट दें और ज्यादा व्यक्तियों के आने जाने की अनुमति दें तो इससे हमको बहुत फायदा होगा।

प्रत्तिवेदन के प्रथम अध्याय की शुरूआत अफगानिस्तान से की गयी है। अब

अफगानिस्तान की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। यह प्रश्न उठना स्वभाविक है कि अगली कार्यवाही क्या होगी ? अध्याय प्रथम के प्रारम्भ में कहा गया है :—

"भारत ने अफगानिस्तान की आजादी को बनाये रखने, प्रभुता, प्रादेशिक अखण्ड तथा गुट निरपेक्षता स्तर के आधार पर अफगानिस्तान की समस्याओं के राजनैतिक हल में सहायता देने के लिये भरसक प्रयास किये।"

अतः जो व्यक्ति इस क्षेत्र के आस पास रहते हैं वे यह स्वाभाविक रूप से प्रश्न करेंगे : "इस सम्बन्ध में भारत इससे अधिक क्या कर सकता है ?"

मैं यह चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री महोदया तथा विदेश मन्त्री महोदय इस मामले में और कार्यवाही करें तथा यह देखें कि उस क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये जाएं। यदि वहां विदेशी फौजी टुकड़ियाँ हैं उन्हें भी वापस लौटना पड़ेगा।

इसी प्रकार भूटान, बर्मा तथा नेपाल में भी हमारे प्रयासों में वृद्धि करनी होगी। जब तक इस क्षेत्र में हम अच्छे सम्बन्ध स्थापित नहीं करते हैं जैसा कि इस प्रतिवेदन में बताया गया है। तब तक विश्व खतरे के इस केन्द्र का विस्फोट हो सकता है। अतः ये वह क्षेत्र है जिनके सम्बन्ध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यदि आप दक्षिण में थोड़े और नीचे देखें तो आपको पता लगेगा कि श्री लंका की स्थिति पर भी सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यह वह भाग है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस क्षेत्र में एक नया खतरा भी है जिसका मुकाबला गुटनिरपेक्ष शक्तियों से किया जाना चाहिए। मैं यह चाहता हूं कि इस भाग में इस सम्बन्ध में एक उचित, निश्चयात्मक कार्यवाही की जाये।

प्रतिवेदन के अध्याय चौदह में यह उल्लेख किया गया है कि जहां तक पारपत्र का संबंध है इससे 888.93 लाख रुपये राजस्व मिलता है और इस पर 162.02 लाख रुपये खर्च होते हैं। अन्य शब्दों में आमदनी खर्चे से 9 करोड़ रुपये अधिक है। सरकार ने उस रुपये से क्या किया है। क्या सरकार विद्यमान क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालयों को सुविधाएं उपलब्ध कर रही है ? जहां तक कोचीन पारपत्र कार्यालय का सम्बन्ध है, मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि वहां से पारपत्र प्राप्त करने में हफ्तों लगते हैं। वहां पर्याप्त पारपत्र किताबें उपलब्ध नहीं हैं तथा वहाँ कार्य करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं हैं। आजकल पारपत्र के लिये आवेदन पत्रों को संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्यों से अधिक प्रमाणित करना पड़ता है। यह अधिकार स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी क्यों नहीं दिया जा सकता ? मेरे विचार से अधिप्रमाणित करने के मामले में यह छूट मांगी गयी है।

श्रीमन, यदि आप पृष्ट 57 पर पैरा को और नीचे देखें तो आप देखेंगे कि 3067 भारतियों को सहायता दी गयी थी जो विदेशों में असहाय थे। 630 भारतीय भी बेसहारा थे। आप यह अनुमान लगायें कि विदेशों में भी भारतीय बेसहारा थे जो विदेश विभाग से वहां सहायता की याचना कर रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग को परेशानी में डालने वाला कारण 814 व्यक्तियों की मौत से सम्बन्धित है। मृत्यु के 814 मामलों में से केवल 114 व्यक्तियों के मामलों में क्षतिपूर्ति के दावों को तय किया गया है। शेष मामलों के सम्बन्ध में क्या हुआ ? उनकी देख-

भाल कौन कर रहा है ? जब विदेशों में मृत्यु होती है तो वहां उनका क्या किया जाता है। इस मंत्रालय को इस मामलों को ध्यान में रखना चाहिए।

आप पृष्ट 85 पर परिशिष्ट नौ को देखें तो उसमें यह बताया गया है—

मुख्यालय तथा विदेशी मिशन तथा पदों के सम्बन्ध में उपर्युक्त उल्लेख किये गये व्यय में विदेश प्रचार कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के ऊपर खर्च किया गया व्यय भी शामिल है जो इस मंत्रालय के व्यय का लगभग 9 प्रतिशत बैठता है।

इसके लिये कुल खर्च का केवल 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उससे यह पता लगता है कि हमारे विदेशी दूतावासों तथा मिशनों में कितनी दुदर्शा है। अतः इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने दूतावासों में समुचित कर्मचारी, सुविधाएं नहीं देते तथा प्रचार नहीं करते तब तक विदेशों में हम भारत की ठीक छवि कैसे बना सकते हैं। इस पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, इस मंत्रालए के लिये कुल 15,442.25 लाख रुपये की मांग की गयी है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 155 करोड़ रुपये। उसमें से केवल 9 प्रतिशत इसके लिये निर्धारित किया गया है। (**व्यवधान**) यह धनराशि बहुत ही कम तथा तुच्छ है। यह इस सभा में उल्लेख करने योग्य नहीं है। यह वे मामले हैं जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। जैसाकि मैंने पहले कहा है। हमारी विदेश नीति को राष्ट्रीय नीति से पृथक नीति नहीं समझा जा सकता हैं। इसे हमारे विश्व शान्ति के उद्देश्यों से मेल खाना चाहिए, मैं फिर मंत्री महोदय तथा सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने शान्ति, सुरक्षा तथा विश्व विशेषतों से हमारे क्षेत्र के चारों ओर शान्ति की दिशा में ये रचनात्मक कदम उठाये हैं।

इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रामविलास पासवान।

श्री राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : श्रीमन, मेरा नाम कल सूची में था।

सभापति महोदय : सूची में बहुत ज्यादा नाम हैं।

श्री राम गोपाल रेड्डी : कल मुझे बुलाया जाना था। श्री चन्द्रजीत यादव ने मुझे यह बताया था कि दो वक्ताओं के बाद मेरा नाम आयेगा। लेकिन अब बहुत वक्ता बोल चुके हैं। अब मेरा नाम सूची में नीचे हो गया है। यह एक गम्भीर बात है।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : आपका नाम लेवी चीनी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये रख दिया गया है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : कृपया यह देखिये कि मेरा नाम सूची में है। (**व्यवधान**) यह ठीक नहीं है। मेरा नाम दूसरी जगह कैसे रखा जा रहा है ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं हिन्दी में बोलूंगा और मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कम से कम यह अपने मंत्रित्वकाल में यू. एन. ओ. की भाषा में हिन्दी का इन्टरप्रीटेशन शामिल करवा दें। और मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था जिसका जवाब आया कि ऐसा करने में कुछ करोड़ रु० का खर्चा है। तो देश के आत्म सम्मान के लिये, जहां दूसरे मुल्कों की भाषा वहां चलती है, अपनी राष्ट्रभाषा को भी वहां रखना चाहिये चाहे उसके लिये आपको 2 करोड़ नहीं और अधिक करोड़ रु० भी खर्च करना पड़े। जब इतना डिफेंस

पर खर्चा कर रहे हैं, दूसरी चीजों पर खर्चा कर रहे हैं, आज जो हथियार मंगाते हैं दो दिन के बाद वह आउट डेटेड हो जाते हैं, तो उस पर करोड़ों रु० खर्च करते हैं, तो अपने मुल्क की भाषा के ऊपर जिससे वह यू. एन. ओ. में एक स्थान ग्रहण करे उसके लिये चाहे जितना खर्च करना पड़े मंत्री महोदय इसको करें। और जब आप करेंगे तो उसका एक दूसरा इम्पैक्ट होगा। दूसरे लोग आपके स्थान पर आकर हिन्दी के सम्बन्ध में करेंगे तो उसका वह महत्व नहीं होगा जितना उसका होगा जो आप करके जायेंगे।

जहां तक विदेश मंत्रालय का सम्बन्ध है, विदेश नीति का जो आधार है, इसके दो मुख्य आधार हैं। एक आधार है कि हमारे पास भौतिक सामग्री कितनी है ? हमारे पास साज-सामान, हथियार और लड़ाकू विमान, व ताकत कितनी है ? तो एक हमारे पास भौतिक ताकत है, और दूसरा विचार की ताकत होती है। तो हमारे पास वैचारिक शक्ति कितनी है ?

इसका एक्सेपरीमैंट हमने आजादी से पहले किया था। उस समय हमारे पास हथियार नहीं थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिये। छुटपुट तरीके से लोग लड़ते थे, लेकिन हमने वैचारिक क्रांति को इतना तीव्र कर दिया कि अंग्रेजो को झक मारकर इस देश को छोड़ना पड़ा। उस दृष्टिकोण से भी एनेलाइज करें कि आपके पास पूरे वर्ल्ड को मौबिलाइज करने के लिये क्या हथियार हैं ? भौतिक हथियार की शक्ति के सहारे भी अपने को कायम कर सकते हैं। आज हम क्या उस स्थिति में हैं कि इस वैचारिक क्रांति को पूरे संसार में फैला सकें ?

तीन तरह के विचार काम कर रहे हैं। एक पूंजीवादी मुल्क हैं जो अपने विचार को फैला रहे हैं पूरे संसार में, दूसरे कम्यूनिस्ट कंट्री हैं जो अपने विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। तीसरा नया पैट्रो डालर वाला मामला आ गया है। कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपने तरीके से अपने विचार को रखना शुरू कर दिया हैं। लेकिन क्या हमारे पास भी अपना कोई विचार है ? जो आपका विचार है, वह दिनों-दिन सशक्त होता जा रहा है या महत्वहीन होता जा रहा है, यह विचारने का मुद्दा है।

अभी तक वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में हमने जो रास्ता अपनाया हैं, उसमें मेरी समझ में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि आज हथियारों की होड़ लगी हुई है, और यह होड़ इतनी लगी हुई है कि आज पूरी मानवता का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। अगर यही हालत रही, तो कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि या तो इन्सान लड़ाई को समाप्त कर देगा या लड़ाई इन्सान को समाप्त कर देगी। दो ही रास्ते हैं या तो हम इस लड़ाई को खत्म कर दें अगर हम यह नहीं करेंगे तो लड़ाई पूरे मानव को खत्म कर देगी।

हमारे चारों तरफ की जो स्थिति है, जो पड़ोसी देश हैं, उनमें हथियारों की होड़ लगी हुई है। लगता है कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। आपके बगल में पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान का मामला है। दो दिन पहले बंगला देश में मिलेट्री ने टेक-ओवर कर लिया, उधर नेपाल का मामला है। तो बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान चारों तरफ की परिस्थिति को आप देखें तो स्थिति भयावह है और इसी स्थिति में हमको निर्णय करना है। हिन्द महासागर के सम्बन्ध में, पता नहीं हमारे कौन से साथी बोल रहे थे, हमें एक समझ में नहीं आती है कि जब हम किसी चीज पर नान-एलाइनमैंट की बात करते हैं, तटस्थता

और गुट-निरपेक्षता की बात करते हैं तो हमको देखना चाहिये कि गुट-निरपेक्षता क्या है। रंगा साहब यहाँ बैठे हैं, हमको कोई दो थप्पड़ मार रहा है और हम बैठे हैं तो रंगा साहब कह रहे हैं कि हम गुट-निरपेक्ष हैं। आखिर गुट निरपेक्षता का क्या मतलब है ? भारत ने काश्मीर के सवाल को उठाया था, बगला देश के सवाल को उठाया था। कितने देशों ने हमारा साथ दिया ? तो फिर गुट-निरपेक्षता का क्या मतलब है ?

हिन्द महासागर में दोनों महाशक्तियों की होड़ चल रही है। एक तरफ अमरीका ने डियगो-गर्सिया में अपना सैनिक अड्डा बनाया है और सऊदी अरब, केन्या, सोमानिया और मिश्र में उसका प्रभाव है, और दूसरी तरफ दक्षिण यमन, इथियोपिया, एडन और अफ्रीका के कई भागों में रुस का प्रभाव है। इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा ? हमको, और दूसरे देशों को भी भुगतना पड़ सकता है।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बहुत चर्चा हो रही है। हम पाकिस्तान को अमरीका द्वारा मिलिटरी एड देने की निन्दा कर रहे हैं, और करनी चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में हमारी क्या पालिसी है ? यह सही है कि रूस हमारा मित्र राष्ट्र है। दुर्दिन में, जोखम के समय, उसने हमारा साथ दिया है। लेकिन क्या हम दबी जुबान से भी सही बात नहीं कह सकते ? इसमें दोस्ती के लिए कहां खतरा पैदा उत्पन्न होता है ? क्या हमारी नीति यह है कि हम एक को दोस्त बनाएं और दूसरे को दुश्म बना ले ? दोस्ती का आधार क्या है ? इटली में पीसा का मिनार है—लीकिंग टावर आफ पीसा। उसकी तरफ हम झुक रहे हैं—कभी इधर झुकते हैं और कभी उधर झुकते हैं।

मेरे जैसा आदमी तो यह सोचता है कि हमारे लिए दोनों पावर्ज खतरनाक हैं। हमें तो जज करना होगा कि हमारा नैशनल इंट्रेस्ट क्या है। डिफेंस की डिमांड्ज पर बोलते हुए भी मैंने कहा था कि हमारे सामने हमेशा अपना राष्ट्रीय हित होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर स्वयं हमारा साथ दे रहा है, तो जम कर उससे सहायता लीजिए, जितनी प्रशंसा करना चाहते हैं, कीजिए। लेकिन अगर किसी दिन हमारे राष्ट्रीय मुद्दों पर कोई दुसरा मुल्क हमारी सहायता करे, तो क्या हम स्वयं से दुश्मनी कर लेगे ? यह क्या नीति है ? यह नहीं होना चाहिए कि आज हम रशा से दस्ती कर रहे हैं, तो कल हम अमरीका से दोस्ती कर लें और रक्षा को कह दें कि आप हमारे दुश्मन हैं। इस नीति को छोड़ना चाहिए

हमारे बगल में चीन है। यह बहुत खुशी की बात है कि कुछ दिनों से उसने कोई वितंडावाद उत्पन्न नहीं किया है। लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि आप राजनीति करते हैं और वह भी राजनीति करता है। वह एक विस्तारवादी नीति चला रहा है। आपको मान कर चलना पड़ेगा कि उसकी प्रतिस्पर्द्धा और होड़ रहेगी - लेकिन उसके बावजूद आपको उसके साथ समझौता करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : बहुत अच्छे।

श्री राम विलास पासवान : कौटिल्य ने, चाणक्य ने, अर्थ-शास्त्र में कहा था कि जो राजा पड़ोसियों द्वारा विश्वास-घात किए जाने की शिकायत करता है, वह सर्वथा अयोग्य है। हम अपनी रण-नीति तय करें और दूसरे देश अपनी रण-नीति तय करेंगे।

कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि जब हम लोगों की सरकार थी, तो सब पड़ौसी देशों के साथ हमारा रिस्ता अच्छा था। लेकिन आज हमको सब दोस्त दुश्मन नजर आते हैं।

पाकिस्तान के साथ हमारे दो तीन बार युद्ध हो चुके हैं। 1947 में एक साल तक युद्ध चला। पता नहीं युद्ध विराम क्यों हो गया उसके क्या कारण थे ? क्या सरकार पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा या नेतृत्व की कमजोरी रही, और वह क्यों रही ? जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली, तो दुर्भाग्य से हमें लिमिटेड इंडिपेंडेंस मिली। जन्म के साथ ही कश्मीर का मुद्दा जुड़ गया। 1947 में हम उस मुद्दे को हटा सकते थे लेकिन हम उसको यू. एन. ओ. में ले गए। फिर उसके बाद 1965 में युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध इसलिए हुआ कि 1962 के युद्ध के बाद दिमाग में यह बात आ गई थी कि हिन्दुस्तान का मारल डाउन हो गया है। कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं लेकिन एक कारण यही था जिसके कारण भारत के विरुद्ध युद्ध किया गया। इसलिए आपको इस बारे में ठीक से सोचना पड़ेगा और इसका ठीक से पोस्ट-मार्टम करना पड़ेगा।

इसी तरह से आप देखिए कि तत्कालीन चीन के प्रधान मंत्री, श्री चाऊ एन. लाई के साथ क्या हो रहा था और 1962 में क्या हो गया ? 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और वर्ल्ड में अपना तीसरा स्थान कायम कर लिया। दूसरी ओर हम अभी भी कंगाल मुल्क बने हुये हैं। बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कंगाल मुल्कों में हम भी शामिल हो गये।

(व्यवधान)

इसी लिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ हमें अपने सम्बन्ध बनाने चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि आपके पास वायस नहीं है या आपके पास शक्ति नहीं है लेकिन जो हमारे छोटे-छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ आप जब तक मित्रता स्थापित नहीं करेंगे तब तक आप कोई शक्ति नहीं बन सकते हैं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में आपस में झगड़ा होता रहेगा और दोनों सुपर पावर्स अपना काम करती रहेंगी। इसलिए अगर आपको कोई शक्ति बनना है तो पहले घर के झगड़ों को समाप्त कीजिए। अगर घर में आग लगती है तो मामला बहुत बिगड़ जाता है। (व्यवधान) इन्टर्नल मामले से मेरा मतलब है जो हमारा पूर्वोत्तर भाग है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, या मनीपुर है। नागालैंड में तो परमानेन्ट डिस्टरबेन्स चलता है और अब मिजोरम में भी वही होने जा रहा है, मनीपुर में भी वही होने जा रहा है। असम की समस्या अभी तक साल्व नहीं हो पाई है। खालिस्तान का मामला भी बनता जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि विदेश नीति पर इन बातों का असर नहीं पड़ेगा ? जरूर पड़ेगा ? आप इसको केवल घरेलू मामला ही नहीं समझिये आप अपने पड़ोसी देशों की ओर देखिए, उनमें से ऐसे बहुत से देश हैं जोकि आपके दोस्त हो सकते हैं। इस प्रकार से ही आप विस्तारवादी नीति को रोकने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं वे हमारे ऊपर क्यों लांछन लगाते हैं—इसको आप सोचिए। अमरीका के संबंध में कहा जाए तो ठीक है, रूस के संबंध में कहा जाए तो भी ठीक है लेकिन हमारे ऊपर भी उनको विश्वास क्यों नहीं है ? वे क्यों नहीं सोचते कि हिन्दुस्तान उनका दोस्त है ? आप पाकिस्तान को विश्वास दिलाइए और कहिए कि आप अमरीका को छोड़िये, तुम्हारे ऊपर अगर कोई युद्ध होगा तो हिन्दुस्तान तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप को पाकिस्तान से ऐसा कहना चाहिए क्योंकि आप बड़े भाई हैं। ठीक है, अगर वह नहीं मानता

है तो न माने। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी जमीन को छोड़ दीजिए, एक-एक इंच जमीन जो पाकिस्तान या चीन के कब्जे में है, उसको जब तक भारत सरकार वापिस न ले ले तब तक चैन न ले। यह सब तो होना चाहिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी ओर आप कोई प्रयास ही न करें। आज हिन्दुस्तान में विभिन्न पोलिटिकल पार्टीज हैं उनमें आपस में कंट्राडिक्शन हैं लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें हम सभी एक हैं। जहां तक राष्ट्रीयता की बात है, हम सभी एक हैं उसी तरह से चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा जमीन जायदाद का झगड़ा जलेगा, हम कोई काम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके ऊपर कोई बाहरी शक्ति हमला करेगी तो कम से कम भारत एक ऐसा मुल्क है जो आगे बढ़कर उनकी मदद करने के लिए आयेगा। लेकिन यहाँ तो हमारे सामने प्रश्नवाचक लगा हुआ है। हम भी पार्टी बन जाते हैं इसके लिए हमारे दूतावास क्या क्या करते हैं? विदेशों से जनमत तैयार क्यों नहीं करते हैं? हम लोग बहुत से मुल्कों में गये जहां साइन बोर्ड तक गायब हो जाता है विभिन्न देशों में जो दूतावास होते हैं उनका कर्त्तव्य पब्लिक ओपीनियन फार्म करना होता है लेकिन हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां नान-एलाइण्ड देशों का सम्मेलन हुआ, उसमें दो ईशूज उठाये गये थे और दोनों ही ईशूज पर हमें अपने ड्राफ्ट को अमेंड करना पड़ा। हमारे ही घर में गुट-निरपेक्ष राज्यों का सम्मेलन हुआ, लेकिन यहां भी हम अपनी गुट-निर्पेक्षता की नीति को लागू न कर सके, अमेण्ड करते हैं। आप को याद होगा--अफगानिस्तान और कम्पूचिया का मामला था हालाँकि हम कम्पूचिया के लिये तैयार हैं कि रिकगनीशन होना चाहिए और उसको मिला भी, लेकिन आप को अपने ही ड्राफट को अमेण्ड करना पड़ा, जब कि हम अपने को गुटनिर्पेक्ष देशों का लीडर कहते हैं.....

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अकेले पड़ गये।

श्री राम विलास पासवान : अकेले तो आल इण्डिया इंस्टीकूट के मामले में हो गया। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आप से आग्रह करूंगा—हमारे डा. लोहिया ने कहा था—

"हमको दो गुटों का विकल्प नहीं बनाना चाहिए।"

इसलिए नेशनल इन्टरेस्ट को सामने रखिये, अपने राष्ट्रीय हित को, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता को, राष्ट्रीय आइडियोलाजी को सामने रख कर काम कीजिए। मुझको खुशी है—आज आप के साथ रशिया है या मान लीजित—चाइना हो, जो भी प्रगतिशील शक्तियाँ साथ देती हैं, वह अच्छी चीज है लोकन हम को भूत की अनुभूति से चो भविष्य का रास्ता है उसको तय करने के लिए नीति निश्चित करनी चाहिए।

हमारी प्रधान मंत्री जी लन्दन गई, वहां पर "फैस्टीवल आफ इण्डिया" मनाया गया है, उससे भारत का क्या नाम ऊंचा हो रहा है? प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, रोज टेलीविजन पर आ रहा है। लेकिन हम आई. एम. एफ. से लोन ले रहे हैं, कर्जदार हैं, हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो रही है और विदेश में हम फैस्टीवल मना रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं—आप आर्थिक मोर्चे को सुदृढ़ कीजिए, आर्थिक पैमाने को सुदृढ़ कीजिये, जब हम आर्थिक जगत में सुदृढ़ हो जायेंगे तब हम संसार के सामने अपना सिर ऊंचा करके चल सकेंगे। हमारा जो आन्तरिक मामला है उसको सुदृढ़ कीजिए, पड़ौसी राष्ट्रों के साथ आप मित्रता का

हाथ बढ़ाइये, मित्रता का हाथ बढ़ाने के साथ-साथ नेशनल इन्टरेस्ट को सामने रख कर अपनी रण-नीति तय कीजिए। धन्यवाद।

श्री के. पी. कोडियन (अडूर) : सभापति महोदय मैं प्रतीक्षा करता हूं। मुझे श्री चन्द्रजीत यादव ने यह आश्वासन दिया था कि आज बोलने वालों में मेरा दूसरा नम्बर है। इस सम्बन्ध से क्या हुआ ?

सभापति महोदय : विदेश मंत्री महोदय 4 बजे बोलेंगे।

विपक्ष के नेताओं में प्रत्येक को 12 अथवा 10 मिनट दिये गये हैं। अतः मैं उन्हें अवसर दे रहा हूं।

श्री पी. के. कोडियन : हम यह देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिल्कुल गम्भीर है। हम सभी उस प्रश्न से सहमत हैं।

लेकिन वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में मुख्य प्रश्न युद्ध तथा शान्ति का प्रश्न है।

सम्पूर्ण मानव जाति का भविष्य खतरे में है। इस खतरनाक स्थिति के लिए मुख्य जिम्मेदारी अमेरिका की है। अमेरिकम समाजिक छेड़ छाड़ की नीति अपना रहा है, विशेषकर राष्ट्रपति रीगन के नेतृत्व में, अमेरिका ने रूस के साथ खुले टकराव की नीति और शस्त्रों की होड़ की नीति और एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के राष्ट्रीय स्वतंत्रा आन्दोलन के लिये खुले खतरे की नीति अपनाई है ; उसने दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के साथ सैनिक समझौते भी किए हैं और हमारे पड़ौसी देश, पाकिस्तान को बहुत बड़ी मात्रा में आधुनिकतम हथियार भी दिये हैं, इसने हिंद महासागर में सैनिक अड्डे बनाने की निति अपनानी शुरु कर दी है। इन्हीं नीतियों के कारण ही यह खतरनाक स्थिति पैदा हुई है।

इसके अलावा, आज हम देखते हैं कि जहां लोग देश की स्वतंत्रता के लिए देश के मुक्ति आंदोलनों को अपने बल पर लड़ रहे हैं, अमेरिका ने उनका विरोध किया है जैसाकि हमें आल साल्वडोर और लेटिन अमेरिका देशों से पता चतता है। उसने निगुणा निकारगुणा में हस्तक्षेप करने की खुले रूप से चमकी दी है। उसने क्यूबा और अन्य स्वतंत्र विकासशील लेटिन अमेरिकी देशों को भी खुली धमकी दी है। अफ्रीका में हम देखते हैं कि उसने शर्मनाक ढंग से दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया है, इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण अफ्रीका की मदद कर रहे हैं ताकि वे हाल में स्वतंत्रता हुंए अंगोला जैसे देशों पर आक्रमण करें · राष्ट्रपति रीगन के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति रूस से खुले आक्रमण और खुले टकराव की नीति है। वे राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा समय-समय पर किये गए शांति प्रस्तावों की परवाह नहीं करते, इसका उदाहरण यह है कि रूस के पश्चिमी हिस्से से एस. एस. 20 मिसाईलों को हटाने के प्रस्ताव पर विचार किये बिना ही रीगन प्रशासन ने उसे अस्वीकृत कर दिया।

अतः श्री रीगन के नेतृत्व और मार्गदर्शन के अंनर्तगत अमेरीका द्वारा पालन की गई पागलपन की नीति के कारण आज हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जहां विश्व धर्मो-न्युक्लीयर विध्वंस के कागार पर खड़ा है। इस विकट परिस्थिति में जबकि समग्र मानवता भविष्य खतरे में है, शांति को खतरा है और सारे संसार को धर्मो-न्यूक्लीयर विध्वंस के

खतरे का सामना करना पड़ रहा है, भारत देश ने विगत में ी युद्ध और हमले के खिलाफ आवाज उठाई है अत: भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है। कि वह शांति की और शांति संबंधी ताकतों का खुले आम समर्थन करे और अमेरिका की आक्रमनकारी नीतियों का विरोध करे। यह हम पर रूस के पक्ष में या अमेरिका-विरोधी होने का दोष लगाने का प्रश्न नहीं है। यह मनुष्य जाति और उसकी संस्कृति और समग्र मानवता की सुरक्षा का प्रश्न है। इसलिए भारत सरकार को युद्ध और शाँति जैसे माममों पर और खुले स्पष्टवादी रूप से सामने आना चाहिये और इस सम्बन्ध में भारत को राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा किए गए प्रस्तावों का समर्थन करना चाहिए।

हमारे क्षेत्र के बारे में, मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ-साफ उल्लेख किया गया है कि हमारी सुरक्षा का माहौल बिगडने के कारण हमारी आजादी और राष्ट्रीय अखंडता को बहुंत खतरा हो गया है। ऐसी स्थिति के पैदा होने के क्या कारण हैं ? इसका कारण अमेरिका की भारत पर दबाव डालने और भारत को जान बूझ कर धमकी देने की नीति हैं। अमेरिका ने भारत को शांति और गुट-निरपेक्षता की नीति का पालन करने, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करने, भारत को राष्ट्रीय युक्ति आन्दोलनों का समर्थन करने, भारत को उन देशों के पक्ष में जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं अपनी आवाज उठाने और भारत को नई उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ उपनिवेश-विरोधी समर्थन कमी नहीं करने दिया। अमेरिका का भी इन नीतियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अत:एव, आज अमेरिका न केवल रूस विरोधी तथा कथित नीति का ही अनुसरण कर रहा बल्कि भारत जैसे तृतीय विश्व के देश जो शांति और गुट निरपेक्ष सम्बन्धी अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण कर रहे हैं, उन देशों के संबंध में विरोधी नीति अपना रहा है। इसलिए, आकिस्तान को अधिक मात्रा में हथियार देकर, वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यवस्त करना चाहते हैं और हमारी अर्थ व्यस्था पर और बोझ डालना चाहता है, देश की अर्थव्यवस्था के इस भार को दूर करने के लिए, वह आशा करते हैं कि हम उनके पास और अन्य पश्चिमी देशों के पास या तो सरकार माध्यम से अथवा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जायें और उनके सामने हाथ पसारें ताकि पश्चिमी देशों पर हमारी निर्भता बनी रहे। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आत्म-निर्भर बनाने में बाधा पड़ती है। इसलिए, यह बात भी अमेरिका के विरूद्ध है कि हम अपना संघर्ष जारी रखें। हमें केवल पाकिस्तान से ही नहीं निपटना, है जैसाकि बहुत से माननीव सदस्यों ने कहा है। पकिस्तान केवल एक पराश्रित देश है। इस क्षेत्र में केवल अमेरिका ही हमारा मुख्य शत्रु है। इसलिए, क्षेत्र सम्बन्धी अपनी नीति बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सभा पति महोदय : आपने दस मिनट ले लिए हैं। मैं विरोधी पक्ष के सभी सदस्यों को बोलने का समय दे रहा हूं और मैं कांग्रेसी सदस्यों को नहीं बुला रहा हूं। कृपया इसे अब समाप्त कीजिए।

श्री पी. के. कोडियन : महोदय, यह अमेरिका ही या जिसने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के नियोजित सम्मेलन को वेकार कर दिया। यह सम्मेलन 1981 में कोलम्वों में होना था।

अमेरिका ने इसको निष्फल बना दिया। चूंकि मेरे पास समय का अभाव है। इसलिए इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं माननीय सदस्यों से दृढ़तापूर्वक आग्रह करूंगा कि हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहियें ताकि हिन्द महासागर सम्मेलन आयोजित हो सके चाहे अमेरिका इसमें भाग ले या न ले। (व्यवधान) यदि हम अमेरिका को ऐसे करने देते हैं, निकट भविष्य में हम इस सम्मेलन का आयोजन नहीं करते, तो इसे आयोजित करना भी संभव नहीं है। कम से कम तटवर्ती देशों को हिन्द महासागर में सैनिक अड्डों से लड़ने के लिये तैयार किया जाना चहिए।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इसका खुले रूप में विरोध करना चाहिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाए थे। अफ्रीका और अन्य देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों की सहायता करने के सम्बन्ध में प्रभाव शाली कदम उठाने के लिए मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है जब अधिक प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहियें इस सम्बन्ध में उन लोगों को जो नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका में आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और रंग भेद की घृणित नीति के विरूद्ध लड़ रहे हैं, कारगर सहायता दी जानी चाहिए। हमें साल्वडोर या निकारामुवा और अन्य क्षेत्रों तथा लेटिन अमेरिका के केरिबीयन इलाकों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप का खुल्लम-खुल्ला विरोध करना चाहिए। मैं इसे अब खत्म कर रहा हूं। अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे खाड़ी के देशों में हमारे प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं की ओर और ज्यादा ध्यान दें मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम केरल के संसद सदस्यों को इस सम्बन्ध में समय-समय पर बहुत सी शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें दुर्व्यवहार की हैं जिसमें पुलिस की यंत्रणा बधुआ मजदूरी इत्यादि शामिल हैं। (व्यवधान) इसके लिए दलाल भी उत्तरदायी हैं। जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उससे निपटा जाना चाहिए और इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : श्री राम गोपाल रेडडी आप केवल पांच मिनट ही लीजिए।

श्री राम गोपाल रेडडी : (निजामाबाद) : ठीक है, महोदय, मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, विदेश मंत्री जी द्वारा सदन को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सही रिपोर्ट है। अपने समग्र शैक्षिक जीवन में वे बगैर पढ़े ही प्रथम आते रहे। विश्वविद्यालय में भी वे प्रथम रहे। (व्यवधान) मैं एक मामले के बारे में कहना चाहूंगा। वह है अनाक्रमण संधि। पाकिस्तान ने ही भारत पर चार बार हमला किया था और इसलिए वे ही अनाक्रमण संधि की घोषणा करें। हम इसमें खामखाह क्यों आएं। भारत को यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान से युद्ध नहीं करेंगे। हमने पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं किया। वास्तव में, हमें मजबूर होकर अपनी रक्षा करनी पड़ी एक बात तो यह हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अभी—अभी एक माननीय सदस्य ने पारपत्रों के बारे में कहा। एक साल में 353,501 पारपत्र जारी किए गये थे। पिछले रिकार्ड की तुलना में दुगने से भी ज्यादा जारी गये थे। क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारियों और अन्य अधिकारियों द्वारा बहुत तेजी से किया गया था। विदेश मन्त्रालय किफायती मन्त्रालय बन गया है। हमारे बहुत से लोगों

को उचित जांच और सही समझौते के अंतर्गत विदेशों में जाने दिया जाता है। हमारे मिशन इन लोगों की बहुत मदद कर रहे हैं प्रतिवर्ष हमारे देश को 2500 से 3,000 करोड़ रु० तक की आय होती है। मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस बात पर ध्यान दें कि हमारे लोगों के लिए और बाजरों का पता लगाया जाये और उन्हें वहां भेजा जायें। जो लोग हमारे देश में काम पर नहीं लगे हुए हैं वे बहुत पैसा कमा रहे हैं और हमारे देश में मूल्यवान विदेशी मुद्रा ला रहे हैं।

महोदय, विदेशों में हमारे मिशनों के बारे में यह गलत धारणा है कि वे लोग बहुत मजे में हैं। हमारे 29,000 करोड़ रु० के बजट में से विदेश मंत्रालय के लिए 188 करोड़ रु० की राशि आंवटित की गयी है। इसमें भूटान, नेपाल और अन्य देशों को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है। वास्तव में सरकार के पास विदेशी मिशनों के लिए केवल 63 करोड़ रु० की राशि बची है। इसी 63 करोड़ रु० में बहुत से मिशन चल रहे हैं। मैं विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बजट में कुछ वृद्धि करें और कम से कम इसे 100 करोड़ रुपये कर दें।

महोदय, गत वर्ष मैंने माननीय मत्री जी से हमारे लोगों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया था और उन्होंने ये सुविधाएं प्रदान की हैं। कुछ और सुविधाओं की जरुरत है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस अवधि में वे सुविधायें प्रदान करेंगे।

महोदय, इस वर्ष हमारे पार पत्र कार्यालयों ने 13 करोड़ रुपये कमाए हैं। मैं चाहता हूं कि पारपत्र कार्यालयों में और अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जाने चाहिए ताकि लोग असमाजिक तत्वों के हाथों में न पड़े और खामखाह 300 रू० से 400 रू० उनको न दें। माननीय मंत्री जी ने पारपत्र के सम्बन्ध में विधान सभा के सदस्यों और संसद सदस्यों को शक्तियां दी हैं और ये शक्तियाँ पर्याप्त हैं और इससे विधान समा के सदस्यों और संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

श्री रतनसिंह जारदा (बम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने हमारी विदेश नीति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये हैं उनमें से कुछ सदस्यों ने सोवियत समर्थक पक्ष लिया है अथवा कुछ ने सोवियत-विरोधी। कुछ माननी सदस्यों ने भारत-समर्थक पक्ष में भी लिया है। महोदय, भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए करना होगा और तीन मूल प्राथमिकताओं के आधार पर इसे प्रतिपादित करना होगा। वे तीन प्राथमिकताएं हैं :

1. आंतरिक प्रगति
2. क्षेत्रीय स्थिरता; और
3. विश्व शान्ति तथा शक्तिशाली और अविकसित राष्टों के बीच समानता के आधार पर सम्बन्ध।

भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता से पूर्व हमारे रवैये की देन है जिसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशवाद का विरोध तथा अधिनायकवाद का विरोध था और जिस का आधार विश्व शांति तथा समुची मानवता की प्रगति है।

सौभाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस महापुरुष ने हमारी विदेश नीति बनाई वह थे

जवाहर लाल नेहरू जिनका विश्व में बहुत सम्मान था। उन्होंने गुट-निरपेक्षता के दर्शन को विश्व के समक्ष रखा और बड़ी दृढ़ता से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका पालन किया। 1955 में बाऊंडिंग में जब कि विश्व के मानचित्र में एशिया और अफ्रीका गौवपूर्ण ढ़ग से उदय हुआ था उस समय पं. जवाहरलाल नेहरू ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनका सर्वत्र मान किया जाता था और सब मार्गदर्शन के लिए उनकी ओर देखते थे। अफ्रीकी-एशियाई देशों के लोग 1955 के आसपास उन्हें विश्व के इस भाग की नैतिकता का निर्माता समझते थे। भारत ने कोरिया में युद्ध-विराम कराने में योगदान दिया और इसके प्रयासों से इंडो-चीन युद्ध का विनाश रुका। हमने लोकतन्त्रात्मक गणराज्य चीन को विश्व समुदाय में समुचित स्थान दिलाने का प्रयास किया और उससे अफ्रीका-एशियाई देशों में स्वतंत्रता को बल मिला तथा निरस्त्रीकरण और आणविक अस्त्रों पर प्रतिबन्ध लगाने के अभियान में तेजी आयी। इससे हमें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में काफी सम्मान प्राप्त हुआ।

जवाहरलाल जी के समय में भारत का बहुत अधिक सम्मान था महोदय, मुझे चिन्ता है कि हम किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू न बनने के अपने उद्देश्य से धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पहल करना और अपनी बात दृढ़तापूर्वक पेश करना छोड़ दिया है। हम एक उस नौका के समान हो गये हैं जिसे कोई शक्तिशाली लहर किसी भी ओर ले जा सकती है। इस समय हमारी विदेश नीति अस्पष्ट है।

महोदय, आज की स्थिति में (क) जब शस्त्रास्त्रों के लिए अन्धी होड़ लगी हुई है और (ख) महाशक्तियों की शत्रुता बढ़ती जा रही है तथा विश्व में अनेक स्थानों पर मुठभेड़ हो रही हैं, गुट-निरपेक्षता का सिद्धान्त पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

सयुक्त राज्य अमरीका ने, डल्लस द्वारा प्रतिपादित विदेश नीति जिसे मकार्थीन नीति या प्री-वियतनाम पालिसी कहा जाता है, अपनाई हुई है। सोवियत सघ भी अमरीका जैसी नीति पर ही चल रहा है। वह भी सामरिक महत्व के स्थानों पर अपने सैनिक मित्र बना रहा है जैसा कि हमने बड़े दुख के साथ (एक) अफगानिस्तान (दो) पौलेंड और (तीन) कम्प्यूचिया में देखा। धीरे-धीरे महाशक्तियों की इस मुठभेड़ से गभीर स्थिति पदा हो गयी है और वे शीतयुद्ध से वास्तविक युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। इस युद्ध में चाहे वे परोक्ष रूप से शामिल न हों तथापि इसके परिणाम गम्भीर होंगे और मानवता के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की निरस्त्रीकरण सबंधी समिति ने 1980 के अपने प्रतिवेदन में कहा है। वर्तमान परिस्थितियों का यही तकाजा है कि गुट-निरपेक्षता की नीति को बड़ी दृढ़ता से क्रियन्वित किया जाये।

हमारे पास नैतिक बल है। महात्मा गांधी की नैतिक शक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए और हमारी नीति में परिलक्षित होनी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी नीति महाशक्तियों की सैनिक शक्ति पर आधारित होती जा रही है जैसा कि हमने अफगानिस्तान के मामले में देखा।

दिसम्बर, 1980 में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में लगभग 100 गुट-निरपेक्ष देशों ने भारत पर दवाव डाला कि वह अफगानिस्तान से रूप द्वारा सेना हटाये जाने की मांग सम्बन्धी ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे। अन्त में 3 म. पू. पर भारत ने बहुत हिचकिचाहट के

साथ उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे हमने अधिकांश गुट-निरपेक्ष देशों में अपना विश्वास खो दिया है।

हाल में फरवरी, 1982 में जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार सम्मेलन में पोलैंड में सैनिक शासन की भर्त्सना करने सम्बन्धी संकल्प पेश किया गया तो भारत ने छह समाजवादी देशों और सोवियत संघ के साथ उस संकल्प के विरोध में मत दिया। वह संकल्प 13 के बदले 19 मतों से पास हुआ। भारत उन देशों में था जिन्होंने इसका विरोध किया था। पाकिस्तान जैसे देशों ने जहां सैनिकशासन है मतदान में भाग नहीं लिया। साइप्रस और जौर्डन जैसे कई गुट-निरपेक्ष देशों ने भी मतदान में भाग नहीं लिया। भारत भी मतदान में भाग लिये बिना रह सकता था।

गुट-निरपेक्षता के आदर्श से दूर हटने और इसे तिलांजलि देने की हमारी प्रवृत्ति से हमारा सम्मान निरन्तर गिर रहा है।

हमने कम्प्यूचिया में हेंग समरीन की सरकार का समर्थन किया। सोवियत सेना की सहायता से वियतनाम के 18 डिविजनों ने फोम फोन पर आक्रमण किया और देखते ही देखते पोल पोट की सरकार का तख्ता उलट दिया तथा हेंग समरीन को सत्तारूढ़ कर दिया। हेंग समरीन सोवियत संघ का एजेंट है। परन्तु जैसे ही श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई उन्होंने हेंग समरीन की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी विदेश नीति में महाशक्तियों के प्रति परिवर्तन आ रहा है। हमने उस सर्वमान्य सिद्धान्त को छोड़ दिया है जिसके अनुसार उसी सरकार को मान्यता दी जाती थी जिसे उस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार प्राप्त हो।

हमारी विदेश नीति के गुट-निरपेक्षता के वास्तविक सिद्धान्त से दूर होते जाने के कारण गुट-निरपेक्ष देशों में भारत का सम्मान समाप्त होता जार हा है।

अब मैं निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। गत तीन वर्षों में शस्त्रास्त्रों पर खर्च 350 बिलियन डालर से बढ़कर 500 बिलियन डालर से अधिक हो गया है। जहां सैनिक खर्च बढ़ा है वहां सरकारी विकास अभिकरणों पर खर्च कुल राष्ट्रीय आय के 0.35 से घटकर 0.32 रह गया है। दस वर्ष पहले विकसित देशों ने यह वचन दिया था कि वह विकासशील देशों को उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.7 प्रतिशत सहायता के रूप में देंगे परन्तु दस साल पहले निश्चित किए गए इस लक्ष्य को प्राप्त करने की बजाए उनकी सहायता कम होती जा रही है जो इस समय आधी से भी कम रह गयी है। इसके परिणामस्वरूप समृद्ध और निर्धन देशों के बीच खायी बढ़ती जा रही है।

1978 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण सम्बन्धी सम्मेलन में हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देशाई ने स्वयं भाग लिया था। इससे सिद्ध होता है कि भारत ने उस समय निरस्त्रीकरण को कितना अधिक महत्व दिया था। उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था और आणविक अस्त्रों को पूर्णतः समाप्त करने की अपील की थी। हालांकि भारत की आवाज कमजोर थी परन्तु उसमें दृढ़ नैतिक शक्ति थी। उसके उपरान्त 25 प्रधान मन्त्रियों ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भाग लिया। इससे आणविक अस्त्रों को समाप्त करने और हथियारों की अन्धी दौड़

को रोकने के बारे में जागृति पैदा हुई। उस समय वियना में सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि हुई जिस पर आणविक हथियारों के प्रयोग पर कुछ सीमा तक प्रतिबन्ध लगाने के लिए ब्रेझनेव और कार्टर ने हस्ताक्षर किये। निरस्त्रीकरण के पक्ष में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। यह भारत की सफलता का द्योतक है।

दुर्भाग्यवश हमारी वर्तमान सरकार की भूमिका बहुत भीरुतापूर्ण है। वर्तमान सरकार ने निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं की है हमारी सरकार को, प्रधान मन्त्री को या विदेश मन्त्री को महात्मा गांधी के देश में पांच महत्वपूर्ण नेताओं जैसा कि ब्रेझनेव, रीगन, थैचर, मित्तरेड और कनाडा के प्रधानमन्त्री का सम्मेलन बुलाना चाहिए और उन्हें शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए था जिससे आणविक हथियारों की वृद्धि को रोका जा सके, वर्तमान हथियारों को धीरे-धीरे समाप्त किया जा सके और परम्परागत हथियारों को भी घटाया जा सके।

1960 में शीत युद्ध के समय जबकि पूर्व जर्मनी और पश्चिम जर्मनी के बीच युद्ध का खतरा था, नेहरू और नासिर ने इस प्रकार के पग उठाये थे। ऐसी पहल इस समय क्यों नहीं की जा सकती ? भारत अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि सोवित संघ से 150 मिराज विमान खरीद कर भारत भी हथियारों की दौड़ में विश्वास करता रहा है ··(व्यवधान)। मैं किसी के आदेश पर नहीं बोल रहा हूं। हमें पहल करनी चाहिए तथा मैं विदेश मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि हमें इस प्रकार की पहल करनी चाहिए।

चूंकि मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं कतिपय अत्यधिक महत्व के मामलों का ही उल्लेख करना चाहूंगा।

वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बिगड़े हैं। हमने अपने स्थापित मूल सिद्धान्तों को छोड़ दिया है और पाकिस्तान के साथ समारे सम्बन्धों में यह बात अधिक दृष्टिगोचर हुई हैं।

महोदय, हमारी सरकार की एक विदेश नीति है और एक पाकिस्तान नीति है। गलत फहमी की खाई पाटने के बजाय हम उप-महाद्वीप में विदेशियों की उपस्थिति से पूर्णतः परिवर्तित हुई परिस्थितियों में वास्तविकताओं को स्वीकार करने से हटपूर्वक मना करते हैं।

अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों की उपस्थिति उनके द्वारा स्वतन्त्रता सैनानियों पर बम बरसाये जाने जहरीली गैस का प्रयोग किए जाने पर हमारी सरकार ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कितना विरोधाभास है नेहरू ने उस समय तीव्र विरोध प्रकट किया था जबकि स्वेज नहर पर आक्रमण किया गया था। परन्तु खरगोश बब्बर शेर की तरह दहाड़ कैसे सकता है। जब रूसी सैनिकों ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया तब पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि क्या पाकिस्तान पर आक्रमण की स्थिति में भारत पाकिस्तान का करांची, इस्लामाबाद साथ देगा ? और लाहौर में साधारण आदमी यह सवाल पूछ रहा था। यह मनोवैज्ञानिक क्षण था।

जब अफगानिस्तान में रूसी सैनिकों ने प्रवेश किया था तब मैंने माननीय मंत्री से पूछा था कि क्या आप इस आशय का वक्तव्य देने को तैयार हैं कि यदि पाकिस्तान पर आक्रमण

किया जायेगा तो भारत पाकिस्तान का साथ देगा। परन्तु उस समय माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया था वह बहुत ही निराशापूर्ण था। उसमें पाकिस्तान के प्रति विद्वेष था और उससे उप-महाद्वीप में विदेशियों की उपस्थिति से उत्पन्न हुई नई स्थिति का आभास नहीं होता था।

जब श्री मोरार जी देसाई ने यह वक्तव्य दिया था कि पाकिस्तान पर मुसीबत आने पर भारत उसका साथ देगा तब अनेक लोगों ने उनके इस रुख की बुद्धिमत्ता को नहीं पहचाना था और उन्होने तो उनकी देश भक्ति तक पर संदेह किया था जब पाकिस्तान ने अमरीका से बड़े पैमाने पर शस्त्र लेने के लिए प्रयास कर रहा था तब हमारी सरकार ने बड़ा शोर मचाया था और हमारी प्रधान मंत्री ने कहा था कि सम्पूर्ण वातावरण पर विपदा के बादल मंडरा रहे हैं।

हम पाकिस्तान द्वारा अमरीका से 3000 मिलियन डालर की सैनिक और आर्थिक सहायता लिए जाने और एफ-16, एम-62 टैंक होविटजर, राडार तथा विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र जैसे अत्याधुनिक शस्त्र लिए जाने का बराबर विरोध करते रहे हैं। यह प्रचार लगातार किया गया। परन्तु एक दिन विदेश मंत्री ने पाकिस्तान यात्रा के दौरान उनसे सहमति प्रकट की। उनके शब्दों को नीचे उद्धृत करता हूं :

"प्रत्येक देश का आत्म रक्षा के लिए शस्त्र प्राप्त करने का प्रभुता-सम्पन्न अधिकार है, दोनों पक्ष इससे सहमत हैं।"

महोदय, मैं नीति में जो विरोधाभास है, उसे दिखा रहा हूं। एक ओर हम शस्त्रों की दौड़ पर आक्रमण करते हैं और दूसरी ओर हम उस पर सहमत होते हैं।

इसके बाद आता है जनरल जिया का 'युद्ध नहीं' समझौता। इस समझौते पर प्रतिक्रिया के रूप में हमने अपरिपक्वता का परिचय दिया। पाकिस्तान से युद्ध के समय हम जीते, परन्तु उनसे 'युद्ध नहीं' समझौते के प्रस्ताव के संदर्भ में हम हार गये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए। आप अपने दल के समय से अधिक समय ले रहे हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, मैं समाप्त ही कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी मध्य में ही हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, आप उनसे या तो यह कह दीजिए कि वह अपना शेष भाषण सभा-पटल पर रखें या फिर उन्हें बिना व्यवधान के बोलने दीजिये।

श्री रतन सिंह राजदा : यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं अपना भाषण सभा पटल पर रख दूं तो मैं उन्हें अनुग्रहीत न कर सकूंगा।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वे आपको न टोकें।

श्री रतन सिंह राजदा : परन्तु आप बीच में टोका-टोकी न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे अगले वक्ता को बुलाना पड़ेगा।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं अपना दायित्व पूरा कर रहा हूं। यदि आप ऐसे टोकते रहेंगे तो मैं अपनी बात पूरी कैसे कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से समाप्त करने के लिए कह रहा हूं। मैं व्यवधान पैदा वहीं कर रहा हूं बल्कि आपका मार्ग दर्शन कर रहा हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : इससे सम्बन्धों का संकट पैदा हो गया है और जनरल जिया ने अपना प्रस्ताव देकर अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं। अब हमने अनिच्छा से ही सही 'अनाक्रमण समझौते' को स्वीकार किया है और इस प्रकार से हमने अपनी साख और प्रतिष्ठा खोई है। अपरिपक्व कूटनीति के कारण हमें अपनी साख और प्रतिष्ठा खोनी पड़ी यदि हमारा विचार था कि जनरल जिया के इरादे नेक नहीं हैं तो बातचीत की मेज पर हमें आगाशाही के सामने अपना, अनाक्रमण सन्धि' का प्रस्ताव रख कर उसकी जाँच करनी चाहिए थी। इसके विपरीत पाकिस्तान ने अपना प्रारूप तैयार कर लिया था जबकि भारत ने कहा कि उसने अभी प्रारूप तैयार नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय, बस अन्तिम बात है। भारत सरकार ने एक महाशक्ति की ओर झुकने के लिए जानबूझकर ऐसी पूर्णकल्पना की थी। श्री भगत ने पाकिस्तान में सैनिक शासन की कटु आलीचना की थी (**व्यवधान**) मैं इसे छोड़ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या मैं आपकी मदद करूं।

श्री रतन सिंह राजदा : जहां तक हमारी चीन संबन्धी नीति का संबन्ध है, मैं चाहता हूं कि हमें यह सुनिश्चत करना चाहिये कि चीन का प्रतिनिधि मंडल अवश्य आये और हम बातचीत जारी रखे हैं।

एक व्यापक केन्द्रीय आधार होना चाहिए जिससे दोनों देश वाग्पटुतापूर्ण भाषा और सामरिक महत्व के अल्पावधि लाभों से ऊपर उठ सकें। समय की मांग यह है कि वे निश्चित मुद्दों के प्रति अपने-अपने दृढ़ आग्रहों को छोड कर नये क्षेत्रों में पहल करें जिससे पूरे उप-महाद्वीय की भावना सामने रहे और उसी दृष्टि से नीतियां और लक्ष्य तय हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री शिव कुमार सिंह बोलेंगे। उसके बाद श्री मेहता बोलेंगे। और 4.30 म. प. पर माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री शिव कुमार सिंह (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में जो आशंका प्रकट की गई है कि भारत ने विगत 20 वर्षों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का जो ढ़ांचा खड़ा किया है उसके ढह जाने का वातावरण बन गया है, यह आशंका ठीक प्रतीत होती है क्यों कि विश्व में व्याप्त तनाव का केन्द्र बिन्दु भी अब यूरोप से हट कर एशिया में आ गया है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमानों के दिए जाने के कारण हमारे उपमहाद्वीप में एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है पाकिस्तान यह विमान यह बहाना करके प्राप्त कर रहा है कि एसिया की फौजें उसके पड़ोस अफगानिस्तान में आ गई हैं और उससे

उसे खतरा उत्पन्न हो गया है। आज पाकिस्तान दोनों हाथों से लड्डू बटोरने की कोशिश कर रहा है। एक ओर इस बहाने से वे आधुनिकतम हथियार प्राप्त कर रहा है और दूसरी ओर उसे इनके लिये अपना स्वयं का धन नहीं लगाना पड़ रहा है वह अरब कन्ट्रीज से पैसा लेकर यह सब कुछ कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एफ-16 विमानों का मुख दिल्ली और विशाखापत्तनम आदि नगर होंगे न कि काबुल या ताशकंद।

उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में आज एक अराजकता की स्थिति है। जब से 1977 से जिया साहब शासन में आये हैं उनके आने के बाद से यह अराजकता की स्थिति और भी उत्पन्न हो गयी है। वहां के युवकों में रोष है। वहाँ के युवकों का संगठन अल जुल्फिकार के कार्यकर्त्ताओं को सफाया किया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। बेगम नुसरत भुट्टो को नजरबन्द कर दिया गया है। इसी तरह से बेनजीर भुट्टो को भी जेल में रखा हुआ है नेशनल एलाएंस के अध्यक्ष असगर खाँ को जेल में बन्द किया हुआ है। वहाँ पर बिलोचिस्तान, पख्तुनिस्तान और सिंध प्रांत जालिम जिया के चंगुल से आजाद होने को तड़फ रहे हैं। उनको शक्ति से दबाया जा रहा है। इस तरह का वातावरण पाकिस्तान में बना हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि नौ बार पेक्ट का एक मीठा, सुखद नारा दिया गया है यह पाकिस्तान की हिन्दुस्तान को दूसरे देशों की नजरों में गिराने की चाल है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे देश में एक बहुत ही सुयोग्य प्रधान मंत्री शासन कर रही है और हमारे विदेश मत्री जी बहुत लायक हैं। वे बड़ी मुस्तैदी से अन्तराष्ट्रीय स्थिति पर और दुनिया में हो रही हलचल पर दृष्टि रखे हुए हैं। बहुत ही शान्ति और निश्चिंतता के साथ अपने देश के हितो को देखते हुए कदम बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान पर रूस की फौजें दाखिल होने के समय ही हिन्दुस्तान ने आश्वासन दे दिया था कि वह कंधे से कंधा मिला कर उसके साथ खड़ा रहेगा। श्री राजदा साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमने अफगानिस्तान को आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत होने के लिए हमेशा उसकी मदद की है और जब अफगानिस्तान में रूसी फौजें दाखिल हुई तभी हमारे विदेश मंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि सीमित संख्या में और सीमित उद्देश्य के लिए और सीमित समय के लिए वे हैं श्री राजदा का जो दावा है वह बिल्कुल लचर है। इससे बढ़ कर और कैसे अपनी स्थिति को हम साफ कर सकते थे, और कितने स्पष्ट रूप में सामने रख सकते थे।

आज दुनिया दो धडी के बीच में बंटी हुई है। अमरीका और रूस दुनिया को अपने इशारों पर चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि एक निर्गुट देश के रूप में हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका के एक सेवक के रूप में आज है। जिस तरह से और जिस ओर वह उसको इशारा करता है, उस ओर पाकिस्तान आगे बढ़ता है। रूस से हमारे संबंध मित्रता के संबंध है, सेवक और मास्टर के संबंध नहीं है। भारत आज सभी तरफ से घिर गया है, दक्षिण पूर्व की सीमायें हों, दक्षिण पश्चिम की सीमायें हों और दक्षिण की सीमायें हों सभी तरफ से वह घिरा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे देश पर जब हम आर्थिक रूप से उठने और दौड़ने की तैयारी कर रहें हैं, हमारे कदमों को रोकने की कोशिश कर रही है। मुझे खुशी है कि उनकी इन चालों को हमारे लायक विदेश मंत्री कामयाब नहीं होने दे रहे

हैं। आगे भी वह कामयाब नहीं होने देंगे, यह मेरी आशा है। भारत की असली ताकत भारत के किसान, मजदूर, उद्योगपति और देश का हर आदमी है। जब-जब देश पर संकट आया है, सब एक जुट हो कर खडे हो गये हैं। तीस साल से हमारी विदेश नीति आम राय से, आम सहमति के आधार पर चली है लेकिन मेरा आरोप है कि आज कुछ विरोधी पक्ष के लोग देश में घूम-घूम कर ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो रीगन और भुट्टों अपने देश में बोलते थे या बोलते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके और ऐसे शब्द बोल कर जनता पार्टी के लोग यहां के वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इस प्रकार से हमारी सरकार को सतर्क रहना चाहिए और अपने देश के हितों को सामने रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इन शब्दों के साथ विदेश मंत्रालय की जो मांगें मंत्री महोदय ने पेश की हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं।

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : हमारी विदेश नीति की दिशा आज से नहीं स्वतंत्रता के बाद से नहीं, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही तय हो गई थी, इसके मौलिक आधार क्या हो, इसकी दिशा क्या हो वह तभी निर्धारित हो गया था। तीसरे दशक में जब स्वर्गीय डा. राम मनोहर लोहिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विदेश सचिव थे तो उन्होंने भारत की विदेश नीति पर एक मसौदा तैयार किया था जो विदेश नीति की रीढ़ बनी। चूंकी यह विदेश नीति हमारे देश के हितों के अनुकूल थी इस वास्ते इसको हमने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अपनाया और इसी विदेश नीति से प्रभावित हो कर साम्राज्यवाद विरोधी और रंगभेद विरोधी नीति पर हम चले। पिछले चार दशकों से हम इसी विदेश नीति पर चलते आ रहे हैं। किन्तु हाल के कार्यकलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि जितनी मुस्तैदी दिखानी चाहिये थी और जितनी पहल करनी चाहिये वह नही हो रहा है। फलतः मनोवांछित फल नहीं मिल रहा है। 1981 की विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में इसे स्वीकार भी किया गया है और पेज 1 में लिखा है कि सम्बद्ध देशों की नीतियों और उनकी घोषणाओं में यद्यपि कभी कभी लचीलेपन के संकेत नजर आये लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। आज भारत की विश्व के रंगमंच पर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। कारण क्या है ? हमारी सब को खुश करने की नीति परिणाम है कि कोई हमसे खुश नहीं हैं।

हम एक बड़ी जनसंख्या वाले बड़े देश हैं। हमारी एक प्राचीन और सम्पन्न संस्कृति है और वैभवशाली अतीत है। स्वाभाविक है कि हमारे पड़ौसी छोटे राष्ट्र हमारे प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। दक्षिण दक्षिण/संवाद में हमने नैपाल को न बुलाकर उनको असंतोष का पर्याप्त कारण दिया है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम का लम्बा इतिहास है इसलिये स्वतंत्रता के बाद नवोदित और अपेक्षाकृत छोटे देश हमारी और आशापूर्ण नजरों से देख रहे थे। किन्तु क्या उनकी यह आशायें पूरी हुई ? क्या हमसे वह संतुष्ट हैं। आज हम उनकी अपेक्षाओं के अनुसार खरे नहीं उतरे। उन्हें हमारी ओर से निराशा ही मिली, खासकर हमारे निकटता पड़ोसी हमसे असंतुष्ट रहे। यही कारण है कि बंगलादेश भी हमसे असंतुष्ट हैं।

महोदय, राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। दोस्त और दुश्मन की पहचान पारस्परिक हित के आधार पर होती है तथा रक्षा और आर्थिक नीति के आधार पर होती है। डा. लोहिया ने एक बार कहा था कि सफल विदेश नीति और रक्षा नीति के लिये

किसी भी देश की दो सीमायें समझी जानी चाहिये, एक अपनी और एक पड़ौसी देश की। पड़ौसी की सीमा पर अगर कोई भी हलचल हो तो हमें सावधान हो कर सजग हो कर उचित कदम उठाना चाहिये।

जब अफगानिस्तान में राजनीतिक सरगर्मी तेज थी हम चुप रहे। पौलैंड के प्रश्न पर भी आरम्भ में हम चुप रहे। और बाद में जो कुछ भी कहा उसका प्रभाव उन लोगों के ऊपर अच्छा नहीं पड़ा जो किसी देश के आन्तरिक मामले में दूसरे देश के हस्तक्षेप का बुनियादी तौर पर विरोध करते रहे हैं।

रिपोर्ट में ईराक के नाभिकीय भट्टी पर इजराइल के हमले की जिस तीव्रता से निन्दा की गई है क्या उसी तरह से पोलैंड और अफगानिस्तान के बारे में आपने कहा है ? आप रिपोर्ट देखें लिखा हैं, हमने ईराक को नाभिकीय भट्टी पर इजरायली आक्रमण को निर्लज्ज दुस्साहस, खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप और आक्रमण कह कर उसकी सख्त निन्दा की इजरायल द्वारा गोलन-हाइट्स के अधिकृत प्रदेश को जबरन अपने क्षेत्र में मिला लेने की अत्यधिक उत्तेजनात्मक और आक्रमक कार्यवाही की भी भारत ने ऐसे ही कठोर शब्दों में निन्दा की। किन्तु पोलैंड के मामले पर हम कहते हैं :

"जहां तक पोलैंड की स्थिति का प्रश्न है, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत किसी भी देश के आन्तरिक मामले में किसी भी तरह के बाहरी हस्तक्षेप के हमेशा विरुद्ध रहा है और आज भी है। हम इस ओर से आश्वस्त हैं कि पोलैंड की समस्यायें वहां के लोग खुद-ब-खुद सुलझा सकते हैं।" आप तुलना कर लें क्या दोनों में एकता है ? इससे हमारी छवि धूमल हुई है। पश्चिम दक्षिण एशिया के देशों में हम केवल रूस समर्थक ही नहीं बल्कि पिछलग्गू समझे जाने लगे हैं। कम्पूचिया के प्रश्न पर उत्तर कोरिया भी चुप था। मगर हमने केवल समर्थन दिया वरन असफल वकालत भी शुरू की। आस्ट्रेलियन पत्रकार माइकल रिचडसैन को प्रधान मंत्री ने भेट वार्ता में कहा जो 25 सितम्बर, 1981 के ईन्टर्न इकोनौमिक्स रिव्यू में प्रकाशित हुआ :

> "थाई देश की सेनाएं कम्पूचिया में थी" 'उनका कहना यह है'। वहां सेना है और यदि वहां ऐसा हस्तक्षेप न होता तो इसकी आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि वियतनाम के लिए यह संभव नहीं था कि वह अपने लोगों को वहां रख सकता।"

स्वाभाविक है कि इसकी थाइलैंड में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उसका हमारी ओर से कोई माकूल उत्तर नहीं दिया गया, यही कारण है हमारा रूस का पिछलग्गू समझे जाने का। प्रधान मंत्री को तो अपनी छवि निखारनी है, देश के बारे में कोई कुछ सोचे, उसकी उनको चिंता नहीं है। इस कारण आन्तरिक समस्याओं को सुलझाना उनके लिये मुश्किल है, वह उनका बाह्यकरण करती जा रही है, चाहे उसका परिणाम देश के हित में हो या अहित में हो।

हथियार उत्पादक राष्ट्र घातक हथियार का उत्पादन कर निर्यात बढ़ाने के लिये विश्व में तनाव पैदा करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध का वातावरण तैयार करते हैं, जिससे उनके हथियारों का निर्यात हो। इसके उचित विरोध के अभाव में हमारी साम्राज्य विरोधी छवि धूमिल हुई है।

ऐसे प्रश्न जो हमारी आजादी और सुरक्षा से जुड़े हैं जो चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा-विवाद, हिन्द महासागर में सामरिक अड्डा, इन प्रश्नों को उठाने पर दुनिया का कोई भी देश हमारा साथ नहीं देता। हम सबसे अलग-अलग पड़ जाते हैं। हमारे निकटतम पड़ोसी भी हमारा साथ नहीं देते हैं। यह हमारी वैदेशिक नीति की असफलता है। या तो हम समझा नहीं पाते या और किसी कारण लोग हमारा साथ नहीं देते। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे हमें पड़ोसियों का समर्थन मिले।

अभी कल का समाचार है, "हिन्दुस्तान टाइम्स में लिखा है—

मनिला बैठक में भारत के उद्देश्य 'पर संदेह किया गया" वहाँ पर भारत की ओर से एक संशोधन पेश किया गया और उस संशोधन की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह भी सुनिये—

"यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऊमादो महलर 'एम' बो ने, जो भारतीय संशोधन पर नाराज थे और प्रत्यक्षतः अपना संतुलन खो बैठे थे, कहा कि भारतीय रूख विकासशील देशों के लिए नकारात्मक, असहयोगपूर्ण तथा वस्तुस्थिति को नजर अन्दाज करने वाला है।

डायरेक्टर जनरल ने तो यहाँ तब कह दिया था कि यह संशोधन भारत ने किसी गुप्त मंशा से पेश किया है जिसका पता लगाया जाना चाहिए बंगलादेश, नेपाल, वियतनाम, पाकिस्तान, चीन, ईरान और अन्य कई देशों ने भारत के पक्ष का विरोध और श्री एम' बो का समर्थन किया। कड़े विरोध के कारण भारत ने अपना संशोधन वापस ले लिया और एक छोटे ग्रुप ने सकल्प का मसौदा भारतीय संशोधन को सर्वथा त्यागते हुये पुनः तैयार किया।"

अन्त में मैं अपने चीन और पाकिस्तान के सीमा-विवाद की चर्चा करूंगा। कोई भी प्रबुद्ध भारतीय चाहेगा कि चीन और पाकिस्तान से अपने सम्बन्ध जल्द-से-जल्द सामान्य हों। दुनिया में एक-तिहाई जनसंख्या के प्रतिनिधि मिल-बैठ कर दुनिया के विषय में अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण स्थिर कर सकें, इसके लिये आवश्यक है कि भारत और चीन दोनों समझौते के लिये आगे बढ़ें और सहमति वाले क्षेत्र की पहिचान करें। पिछले साल चीन का जो प्रस्ताव आया था, उसका निष्कर्ष निकाले, उस पर मनन करें।

सीमा विवाद सुलझाने से चीन यह नहीं कह सकता कि तिब्बत सिक्किम सीमा इस समझौते की परिधि में नहीं आता। वह सिक्किम के विलय को भी स्वीकार कर लेगा। दूसरा फायदा हमें यह होगा कि चीन की विदेश नीती काश्मीर के विषय में हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रही है, उसमें हमारे पक्ष में एक मोड़ आएगा। किन्तु हमें इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए। चीन और पाकिस्तान की विदेश नीति बहुत कुशलता से संचालित होती है। हमारी तरह से वे लोग अलग-अलग नहीं पड़े हुए हैं। इस लिए जब हम उनसे बात करें, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम उनके चकमे में न आ जाएं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अलग-थलग पड़ने और हमारी बात सही रूप में दूसरी जगह न पहुंचने का एक बहुत बड़ा कारण है हमारे दूतावासों का उचित रूप से कार्य न करना और उनके द्वारा हमारे विचारों के प्रचार-प्रसार की उचित व्यवस्था न होना। विदेशों में जो भारतीय रहते हैं या जाते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसके बारे में विदेश मन्त्री

को पता ही होगा। विदेशों में हमारे दूतावासों में जो लोग जाते हैं, वे केवल इस बात की चिंता न करें कि उनका कैरियर; भविष्य, क्या होगा, बल्कि वे देश के हित में सोचें।

इन शब्दों के साथ में अपना कटौती-प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मंत्री बड़ी बुद्धि और ज्ञान से बोलते हैं और उनमें यह लगता है कि वह अपनी गलत बात को भी चतुराई से सही सिद्ध कर सकते हैं। अपने देश में फौज पर कम खर्चा हो, भारत के गरीबों पर बोझ न लादा जाए और गरीबों के पेट में अन्न जाए, इसको शुद्ध साफ विदेश नीति माना जाता है। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग हैं, उनके पेट पर ठोकर मार कर उनके पैसे को फोज और हथियारों पर खर्च किया जाए, वह विदेश नीति नहीं है, बल्कि यह दब्बू, कायर और लड़ाकू नीति है। (**व्यवधान**)

यदि हम विदेश नीति को सफल करना चाहते हैं, तो भारत को मन बनाना पड़ेगा कि बंगलादेश और पाकिस्तान हमारे भाई हैं। पहले उनको भाई मानना पड़ेगा। ये भारत के अंग थे और भारत को एक होना है-हिन्दुस्तान। (**व्यवधान**) मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री जी मन बनाएं और कोई मजबूतत कदम उठाएं। नमूने के तौर पर वह भारत, पाकिस्तान और बंगलादेश में पासपोर्ट के वगैर आना-जाना शुरू करें। हमारे रीतिरिवाज और नीति सब आपस में मिलते हैं।

मैं चाहूंगा कि विदेशों में आपने ये जो सफेद हाथी बांधे हुए हैं-एम्बेसेडर और दूतावास, इन फिजूल खर्च, आवारा शाही टोलों को बन्द करें। वे देश का कोई फायदा नहीं करते। अच्छा है कि उनकी जगह एक एक मंलग बिठा दें।

मैं श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को कहूंगा कि याद रखना 1962 के चीन के हमले को। यह ठीक है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में चीन ने हमला किया। उन्हीं के जमाने में शायद काश्मीर की समस्या ज्यादा उलझी। लेकिन कम से कम इस सदन का इतना अखलाख था कि इसने खड़े हो कर यह प्रण किया था कि भारत की जो जमीन किसी विदेशी के कब्जे में है, हम उसे छीन न सकें, लेकिन हम उसपर विदेशी का कब्जा न मानेंगे। मुझे शर्म आती है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे लोग विदेशी मुल्क का पासपोर्ट ले कर गए। वह सदन की मर्यादा का भंग किया है। मैं उसे देशभक्ति नहीं मानता।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने पासपोर्ट भारत से और वीसा चीन से लिया था।

श्री मनीराम बागड़ी : यह बिल्कुल देश के हित की बात नहीं है, अनहित की बात है क्योंकि पार्लियामैन्ट ने एक मर्यादा रखी थी कि हमारे देश की चीज है और इन्होंने पासपोर्ट लेकर ताईद कर दी है। ये तो उनके दलाल हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री उत्तर देंगे।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, एक बात यह है कि राज्य सभा के लोग भाग्यशाली हैं क्यों कि उनके बीच राजनारायण नहीं हैं परन्तु हमारे बीच में एक है। (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री अफगानिस्तान के सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे।

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिन्ह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में 26 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। उन्होंने जो सुझाव दिये हैं और वाद-विवाद का स्तर जो उच्च स्तर बनाये रखा है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, जहां तक सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सम्बन्ध है, सभा के सभी पक्षों के सदस्यों ने उस बारे में न्यूनाधिक रूप से समान चिन्ता व्यक्त की है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए भी बात एक ही कही गई है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि सम्पूर्ण मानवता के विरोध के बावजूद, जो इस प्रवृत्ति की दिशा बदल सकते हैं वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। यह न केवल खतरनाक है बल्कि यह हास्यास्पद भी लगता है कि जब संसार में पहले से ही इतने अधिक शस्त्रास्त्र हैं जो इस विश्व को एक बार नहीं बल्कि कई बार नष्ट कर सकते हैं, फिर भी अधिकाधिक शस्त्रों के लिए चाह बनी हुई है। हम सभी के सामने अभी उचित दिशा में सोचने वालों के सामने, शान्ति चाहने वाले सभी के सामने, मानवता का सर्वनाश न चाहने वाले सभी के सामने यह एक बड़ा प्रश्न है जिस पर विचार करना होगा। इस विषय पर यदि कोई अन्तिम बात कही जा सकती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वयं महासचिव ने इस बारे में कुछ कहा है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से है, जिससे विकास और शस्त्रीकरण में एक सह सम्बन्ध स्थापित होता है। हम इन दोनों विषयों पर अलग-अलग विचार करते रहे हैं जबकि वास्तव में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है इन दोनों के बीच सह-सम्बन्ध। इन दोनों पहलुओं में सह-सम्बन्ध स्थापित करने के लिए यह एक सफल और प्रशंसनीय प्रयास है। विश्व में प्रत्येक विचारवान व्यक्ति के लिए यह सबक है, एक लक्ष्य है। यह सह-सम्बन्ध निम्न प्रकार हैं :

"इस जांच-रिपोर्ट में दृढ़तापूर्वक यह सुझाव दिया गया है कि या तो विश्व एक विशिष्ट उत्साह से शस्त्रों की होड़ में लगा रह सकता है या वह और अधिक स्थिर अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में रहते हुए एक स्थिर एवं संतुलित सामाजिक तथा आर्थिक विकास की ओर एक सुनिश्चित एवं सुविचारित गति से बढ़ सकता है।"

और भी यह महत्वपूर्ण यह है :

"दोनों बातें वह एक साथ नहीं कर सकता। यह मान लेना चाहिए कि शस्त्रों की होड़ तथा विकास में न केवल संसाधनों की दृष्टि से बल्कि प्रवृत्तियों और अनुभवों की व्यापक दृष्टि से भी प्रतिस्पर्धा का सम्बन्ध है। इस रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष है कि शस्त्रीकरण और विकास में एक प्रभावपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।"

यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जिसने इस विषय पर अब तक के सभी सिद्धान्तों की असत्यता को प्रदर्शित किया है। यह सोचा गया था कि जेय युद्ध सम्भव है। यह भी सोचा गया था कि एक सीमित परमाणु युद्ध सम्भव है और मानवता सर्वनाश से बच सकती है। यह भी सोचा गया था कि विकास और शस्त्रीकरण दोनों ही सम्भव हैं। इस रिपोर्ट से जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की ओर से आई है और जो विषय जांच-पड़ताल की दृष्टि से एक निष्पक्ष दस्तावेज है, अब तक के सभी विश्वासों और पुराने विचारों की कलई खुल गई है। यह गुण की दृष्टि से एक नई स्थिति है जिस पर विचार करना अनिवार्य है। हम नहीं चाहते हैं कि अनिश्चितता का यह वातावरण बना रहे। तीन प्रकार की स्थितियां होती हैं—युद्ध की

स्थिति, शान्ति की स्थिति और शीत युद्ध की बीच की स्थिति—आज यह तीसरी स्थिति ही दिखाई देती है। जब हम कहते हैं कि आज शीत युद्ध का वातावरण है तो इसका अर्थ होता है कि न तो युद्ध है और न शान्ति है बल्कि एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसमें युद्ध जैसा तनाव, भय और अनिश्चितता है और जिसमें निर्णय लिया जाना सम्भव है। यह खतरा ऐसे वातावरण में हमेशा बना रहता है कि कहीं यह शीत युद्ध गोलाबारी के युद्ध में न बदल जाये और ऐसा हो जाने पर हमारे सामने कोई अन्य विकल्प नहीं रहेगा अतः भारत में हमारे विचारकों के अनुसार शान्ति का मतलब केवल युद्ध या लड़ाई का न होना मात्र नहीं है। भारत में शान्ति की संकल्पना सदा ही धनात्मक, व्यापनक और पूर्ण रही है। शान्ति से तात्पर्य श्मशान की शान्ति नहीं है। शान्ति का मतलब चुप्पी भी नहीं है। दूसरे शब्दों में शान्ति का अर्थ मेल मिलाप है। यह शान्ति का रचनात्मक पहलू है, शान्ति का रचनात्मक प्रदर्शन है। यह ऐसी शान्ति है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ ताल-मेल बैठाता हुआ चलता है, जिसमें आस्तिक भगवान में और नास्तिक ब्रह्मांड में तन्मय होकर रहता है। समन्वय या तालमेल की यह भावना ही शान्ति का रचनात्मक पहलू है। जो वास्तविक राजनीति में अभ्यस्त है, उनको ही लिए यह शीत युद्ध अच्छा लगता है।

किन्तु किसी भी भारतीय और शायद विकासशील देश के किसी व्यक्ति के मन में यह बात आती है कि वह अपनी विशाल सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के लिए, जिसे दूर करना पहली बार उसका उतरदायित्व बन गया है किन्त पहली बार अवसर मिलने पर वह बेबस महसूस करता है, क्या कर सकता है। इसीलिए वह शीत युद्ध से घृणा करता है। यह स्थिति विक सशील देशों के लिए घातक है। हमें यह चीज पसन्द नहीं है। कुछ अन्य देशों की तो यह इच्छा हो सकती है कि शीत युद्ध चलता रहे ताकि तनाव बना रहे। किन्तु भारत तथा अन्य विकाशसीलदेशों की ऐसी नीति कभी नहीं हो सकती।

यही कारण है कि हमें आपसी मैत्री बढ़ाने के लिए प्रयास करना होगा। हमें उन देशों के साथ मैत्री बढ़ानी होगी जिनकी व्यवस्था, विचारधारा तथा सपूर्ण वातावरण भिन्न है तथा जो विकास के भिन्न चरणों में हैं। ऐसी सभी देशों के बीच मैत्री होनी जरूरी है। यही हमारा उद्देश्य है और इसी को हम गुटनिरपेक्षता कहते हैं।

गुटनिरपेक्षता का हमें उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए। गुटनिरपेक्षता का अर्थ गुटों से अलग रहना नहीं है। क्योंकि इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है इसलिए इसका कभी कभी उल्टा अर्थ निकाल लिया जाता है। किन्तु हमने भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य गुटनिरपेक्ष देशों ने धीरे धीरे इसके अर्थ की व्याख्या कर दी है। हमें इसका निश्चित अर्थ समझना है। आज विश्व के सब देश इसी नीति की बदौलत जीवित हैं। यह नीति अकारण ही नहीं बनायी गयी है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप मिलजुल कर रहिए। जीवित रहने का यही एक मात्र तरीका है। यदि दूसरों का अस्तित्व मिटा दिया जाए तो आप अकेले नहीं रह सकते हैं। ऐसा दृष्टिकोण आधुनिक युग में नहीं अपनाया जा सकता। गुटनिरपेक्षता का यही उद्देश्य है। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से तात्पर्य है कि प्रत्येक देश के लोग सहजीवन व्यतीत करें चाहे उनकी विचारधारा, शासन प्रणाली तथा अपनी कोई विशेषताएं हों। अतः आज गुटनिरपेक्षता न तो केवल विचारपद्धति है और न ही केवल

नीति बल्कि जीवन का निचोड़। यह किसी एक राष्ट्र या व्यक्ति का जीवन नहीं है अपितु सम्पूर्ण विश्व का जीवन है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है यह बात सच है कि गुटनिरपेक्षता की अपनी विशेषताएं हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और यदि उनमें कोई परिवर्तन किया जाता है तो गुटनिरपेक्षता वास्तव में गुटनिरपेक्षता नहीं रह जाती। इसकी विशेषताएं ये हैं कि यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और अब नव-उपनिवेशवाद का विरोध करता है। गुटनिरपेक्षता की कई विशेषताएं हैं किन्तु हमें उनमें से केवल उन्हीं को अपनाना है जो आज की कसौटी पर खरी उतरें। अत: हमारे लिए पांच अंधे व्यक्तियों और हाथी की कहानी की तरह इसके सिवाय और कोई चारा भी नहीं रह जाता। अत: गुट निरपेक्षता के कई अर्थ लगा लिये जाते हैं। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे किसी सिद्धान्त में उलझना है बल्कि इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच यह एक चर्चा का नाजुक विषय बन गया है।

दोनों देशों के गुटनिरपेक्षता के बारे में क्या विचार है ? क्या हमारे भी ऐसे ही विचार हैं ? यदि ऐसा है तब तो आधा काम पूरा हो गया। उसके बारे मैं बाद में चर्चा करूंगा। इसका इस समय मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि यह विषय अब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। एक दूसरे का पड़ोसी होने के नाते गुटनिरपेक्षता के प्रति दोनों का समान दृष्टिकोण होना चाहिए। पड़ोसी होने के नाते तथा एक दूसरे की नीतियों के परिणामों को समझते हुए हमें समान धर्मनिरपेक्षता को व्यवहार में लाना होगा। हमारे लिए इसका बहुत महत्व है।

गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करते समय हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश से भिन्न देश गुटनिरपेक्षता का विकृत अर्थ लगाते थे। बार बार हमें कहा जाता था कि हम अवसरवादी हैं तथा हमारी कोई नैतिकता नहीं है। गुटनिरपेक्षता को असफल बनाने के लिए गुटनिरपेक्षता के लिए हर प्रकार के शिक्षणों का प्रयोग किया जाता था। मैं एक बड़े दिलचस्प शब्द-प्रयोग का उल्लेख करना चाहूंगा जिसे शायद इसके प्रयोगकर्ता ने तो आलोचना की दृष्टि उसका प्रयोग किया था किन्तु जो आकस्मिक परिस्थतियों में बिल्कुल उपयुक्त बन गया है। उसने कहा था—"गुटनिरपेक्षता वह नीति है जिसके अन्तर्गत एक कमजोर राष्ट्र अपनी शक्ति में अनुपात से अधिक प्रभाव चाहता है।" यह चीज बहुत दिलचस्प है। इसका मजाक उड़ाया जाता था किन्तु यह बात सच है। और यह सच हो भी क्यों न ? इस समय 156 से अधिक देश हैं तथा हम प्रत्येक देश की प्रभुसत्ता किसी अन्य देश की प्रभुसत्ता के समान मानते हैं। प्रभुसत्ता का देश के आकार या उसकी शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात उपयुक्त ही है कि उपनिवेशवाद को खत्म करने की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, जो पूरी होने ही वाली है, देश का प्रभाव उसकी शक्ति से नहीं आंका जाएगा। गुटनिरपेक्षता का संक्षेप में यही अभिप्राय है।

इसका क्या कारण है स्वाधीनता प्राप्त करने के तुरन्त पश्चात् प्रत्येक देश गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल होना चाहता है ? वे देश 10, 15 या 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करके यह देख सकते हैं कि क्या उनका हित गुटों से बाहर रहकर या किसी एक गुट में मिल कर पूरा हो सकता है। वे ऐसा कर सकते हैं। किन्तु हमारा गत बीस वर्षों का अनुभव यह बताता है कि स्वाधीनता

प्राप्त करने के या दो वर्ष के भीतर और कभी कभी तो कुछ महीनों के भीतर या कुछ दिनों के पश्चात् ही वे गुटनिरपेक्ष देशों के खेमें में आ गए थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया ? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद प्रत्येक देश ने यह सोचा कि स्वतन्त्रता को बचाने के लिए, उसे बनाये रखने के लिए एक मात्र रास्ता यही है कि गुटनिरपेक्ष देशों के खेमें में आ जाओ। उन्होंने उन देशों की स्थिति देख ली थी जिन्होंने एक अथवा दूसरा गुट अपना लिया था। अत: उनका गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य बनना स्वाभाविक ही था।

यह एक ऐसी बात है जो प्राय: समझ में नहीं आती आज यदि गुटनिरपेक्षता युद्ध और शांति के मूल प्रश्न के बारे में कोई समस्या है तो उसका कारण यह है कि गुटनिरपेक्षता आन्दोलन को अच्छी तरह से समझा नहीं गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव ने आज सुबह एक लेख का हवाला दिया था जिसमें यह लिखा है कि :

"पंडित नेहरू शांति के दूत थे क्योंकि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के नाम पर उन्होंने विश्व के इस भाग में कतिपय सम्बन्ध उत्पन्न नहीं होने दिए।"

इसका श्रेय पंडित नेहरू को जाता है। इसका श्रेय गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को भी जाती है क्योंकि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने बहुत से अन्तराल उत्पन्न कर दिए हैं कि गुट एक दूसरे के सटे हुए नहीं हो सकते। यदि बम्बई, कराची या कोचीन उपलब्ध होता तो डाइगो गारशिया की क्यों जरूरत पड़ती। अत: यह बात स्पष्ट हो गई है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने युद्ध या युद्ध के वातावरण तथा गुटों के आपसी मत भेदों को रोकने का अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया है। अत: गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने से युद्ध का छिड़ना कठिन हो गया है। गुटनिरपेक्ष देश होने के नाते हम भी ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।

हम यह शस्त्रास्त्रों की शक्ति से नहीं कर रहे है। हम शांति कायम करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते। गुरनिरपेक्ष आन्दोलन ने कभी यह दावा नहीं किया है कि वह शक्ति से युद्ध रोकेगा। शक्ति तो केवल जनमत में है। शक्ति तो अखलाकी तौर पर किसी को मनाने में है।

जिनको अखलाकी शब्दों से चिड़ है उन्हें मैं यह बताना चाहता हूं कि इस शक्ति का कोई दूसरा नाम नहीं है।

भारत अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है यह बात अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के रवैये से सिद्ध हो जाती है।

एक बहुत ही सुन्दर कामना है जिसके अनुसार "कोई व्यक्ति कैसा है उसका अन्दाजा उस बात से लगाया जाता है जो उसके बारे में उसके जोड़ीदार कहते हैं।"

समानानां उन्तम श्लोकोअस्तु।

ऐसी शुभ कामना अपने कृपापात्रों के लिए की जाती है अर्थात्—"भगवान आपका अपने जोड़ीदारों में मान बड़ाए"

यदि यह शुभकामना किसी बड़े आदमी द्वारा की जाए तो इससे कृपापात्र को संरक्षण मिलता है। और यदि किसी छोटे आदमी द्वारा की जाए तो इसे चापलूसी समझिए।

इसका सार यह है कि आपके जोड़ीदार आपको कैसा समझते हैं अर्थात भारत को गुटनिरपेक्ष देश किस नजरिए से देखते हैं।

मैं इस बारे में तो कुछ उल्लेख नहीं करना चाहूंगा कि गुटनिरपेक्ष देशों के बाहर भारत को किस नजरिए से देखा जाता है किन्तु निस्सन्देह इस बात का बहुत महत्व है कि गुटनिरपेक्ष देशों की नजर में भारत कैसा है।

में यह बात अपनी मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं किन्तु हकीकत यह है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आन्दोल में एक गुटनिरपेक्ष देश की हैसियत से अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभायी है। जिस प्रकार हमने दूसरे देशों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है वह कार्य निश्चित रूप से प्रभावकारी रहा है तथा आंदोलन ने जो कुछ भी किया है चाहे वह कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया हो या अन्यथा हमने उसमें सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

हमें इस पर गर्व है तथा हम समझते हैं कि हमने अपनी भूमिका अच्छी तरह स निभायी है।

इस मामले में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने कोई कार्य किया या उसके बारे में कुछ कहा हम उस के प्रति बहुत सतर्क रहे। हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सभी क्रियाकलापों में अग्रनीय रूप से कार्य किया।

कल किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि हम अधिक क्रियाशील नहीं रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हम पहल करने के मामले में कुछ ढीले रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि ऐसी बात नहीं है। क्रियाकलाप एक सापेक्ष चीज है। इधर-उधर दौड़धूप करना तथा कुछ कार्य न करने का काम क्रियाशीलता नहीं है। कुछ देश ऐसा करते हैं। वे हलचल करते रहते हैं परन्तु महत्व इस बात का है कि उस का परिणाम क्या निकलता है। दूसरी ओर कुछ कार्य ऐसे किये जाते हैं जिनका कुछ परिणाम निकलता है। कभी-कभी तो आप को पहले कुछ कह कर फिर चुप रहना पड़ता है। किन्तु कुछ अवसरों पर कुछ न कहने से अच्छे परिणामों की उमीद लगायी जा सकती है। ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए ? क्या हमें संकल्प पारित करके चुप हो जाना चाहिए ? या इस से बेहतर यह है कि हम कुछ न कहे क्योंकि कुछ न कहने से वास्तव में आप अच्छा कर रहे हैं। यह विकल्प कई बार बहुत से देशों तथा बहुत से देशों की सरकारों को दिया जाता है मैं आपको आश्वासन देता हूं कि परिणाम-प्रधान कार्य के हित में, अच्छा कार्य करने के हित में, किसी मामले पर अधिक प्रभावकारी होने की दृष्टि से, हमें संपूर्ण क्रियाकलाप को जिसके अन्तर्गत घोषनाएं, वक्तव्य, कार्यवाहियां और दृष्टिकोण भी आते हैं ध्यान में रखना होता है।

इन्ही सब चीजों के आधार पर ही किसी देश व सरकार का मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए अगर आप इस दृष्टिकोण से देखे तो चाहे वह गुटनिरपेक्ष देशों का समूह हो या सम्पर्क स्थापित करने का मामला अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कोई और मसला हो, मैं तो यही कहूंगा कि इन सभी मामलों में बहुत अधिक सक्रिय और अगुआ देश रहा है।

महोदय, अब मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में भारतीय गतिविधि, के सम्बन्ध में चाहे वह आंदोलन से सम्बन्धित हो अथवा विश्व के आम मसलों से, बात कुछ कहूंगा।

कुछेक मुद्दे खासतौर पर उठाए गये थे। जैसे एक तो ईरान और इराक के बीच संघर्ष और दूसरा नाम्बिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की समस्या, अफगानिस्तान आदि आदि। मैं संसद के दोनों सदनों में इन सभी मुद्दों पर मैं कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं। परन्तु इन सभी पर दोबारा स्थिति स्पष्ट करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इससे रिकार्ड अद्यतन रहता है।

सब से पहले मैं ईरान-इराक मसले पर कुछ कहना चाहता हूं। यह बहुत खेदजनक स्थिति है कि दो गुटनिरपेक्ष देशों के बीच युद्ध हो रहा है। इसका कुछ तात्पर्य है। यह केवल दो देशों के बीच का युद्ध नहीं है परन्तु इसके परिणाम गहरे हैं क्योंकि इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बदनामी होती है। बहुत से आलोचकों को इस आंदोलन की बुराई करने का मौका मिल गया और उन्होंने इस आंदोलन की बुराई करने के लिए मौके का फायदा उठाया। इन्होंने इस आंदोलन को एक धोखा बताया क्योंकि जब कोई आंदोलन शांति में विश्वास रखता है और उसके दो सदस्य देश युद्धरत हों तो वह कैसी गुटनिरपेक्षता है? यह कैसी शांति स्थापना है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है।

यह सही है कि इस युद्ध से आंदोलन की इमेज को क्षति पहुंची है परन्तु युद्ध को उचित न ठहराते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आलोचना भी सही नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों ने यह कभी नहीं कहा कि उनमें आपसी मतभेद नहीं हैं। वह अखण्ड नहीं है। एक आंदोलन जिसमें 100 देश हैं—95 से अधिक देश—इनमें सभी विचारधाराओं, प्रणालियां तथा सभी तरह के आपसी सम्बन्ध हैं। ऐसे आंदोलन में किसी भी समय यह आशा नहीं की जा सकती कि देशों में आपसी मतभेद नहीं होंगे। ऐसी स्थिति तो संभव नहीं है। यदि ऐसा होता है तो वह अपने आप में एक आदर्श होगा। हम सभी चाहते हैं कि ऐसा हो। परन्तु जब कभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की या कुछ ऐतिहासिक परिवर्तनों की बात आती है जिससे कि देशों के बीच मतभेद होते हैं चाहे वह गुटनिरपेक्ष देश हों या गुट में सम्मिलित या अगुटनिरपेक्ष देश-उन के बीच संघर्ष की कुछ स्थितियां दुर्भाग्यश उठ सकती हैं। इन सभी स्थितियों से हमें निपटना होता है और यह प्रयत्न करना होता है कि सघर्ष जल्दी से जल्दी समाप्त हो। भारत यही प्रयत्न कर रहा है। वस्तुतः मैं यह बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इराक-ईरान युद्ध और विवाद का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसकी हमने पूरी तरह जांच न की हो अथवा शांति होने की स्थिति में हम जिस पर पूरी तरह से तैयार न हों। हुआ यह है कि अभी शांति के लिए कोई तैयार नहीं है। जब तक ईरान-इराक स्वयं नहीं चाहेंगे कि कोई हाल निकले तब तक मेरे हल निकालने से क्या होगा। उनके भी अपने-अपने कारण हैं। उन दोनों को या उनमें से किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। आज यह स्थिति है कि दोनों की आपसी बात-चीत के लिए तैयार करने, दोनों देशों के दौरों के बावजूद, चार विदेश मन्त्रियों की जो गठित समिति, जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है तथा अन्य निकायों और व्यक्तियों से मिलने के बाद जो इसी कोशिश में लगे हुए हैं जैसे स्वीडन के श्री ओल्फ पाल्य तथा इस्लामिया कान्फ्रेंस की अन्य व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभी शांति स्थापित करने का ठोस कदम उठाए जाने की स्थिति पूरी तरह तैयार नहीं हैं। हमने कई विकल्प कई मार्ग निदेश सामने रखे हैं जिनसे समस्या का समाधान हो सकता है।

हमने दोनों देशों से विचार विमर्श किया है; हमने युद्ध विराम तथा फौजों की वापसी की सम्भावना पर भी विचार किया है हमने कांजों की वापसी की सम्भावना पर

भी विचार किया है। कि यह कार्य कैसे सम्पन्न हो सकता है। हमने इस संभावना पर भी विचार किया है कि रात-अल-अख को ऐसी अवस्था में भी रखा जा सकता है जिसमें कि आधिपत्य के प्रश्न की समस्या नहीं उठेगी। इन सभी संभावनाओं पर विचार किया जा चुका है। हम इस विषय पर पिछले 130 वर्षों से उपलब्ध सभी दस्तावेजों-ऐतिहासिक, कानूनी संवैधानिक, लीग आफशंस की पृष्ठभूमि-पर सही पहलुओं पर विचार कर चुके हैं। परन्तु आज प्रश्न यह है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि अगला कदम उठा सके और यही हमें रुकना पड़ता है। आखिर-कार यह दो अलग-अलग प्रभुसत्ता वाले देशों के बीच का मामला है और कोई भी उन दोनों को या उन दोनों में से किसी एक पर जोर नहीं दे सकता कि वह कुछ सुझाव मान लें। परन्तु अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि दोनों देशों ने इन प्रयत्नों का स्वागत किया है। उन्होंने विकल्प स्वीकार करने की सहमति दे दी है; वह यही कहते हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का स्वागत है और वह इसके दल से बातें करने को तैयार हैं। हम एक से अधिक बार ऐसा कर चुके हैं। वास्तव में यहसब इस हद तकहो चुका है कि हम जब तक आश्वस्त नहीं हो कि। कुछ हो सकता है या हमारे दौरे का कुछ परिणाम निकलेगा तब तब हम अगला दौरा नहीं कर सकते इस लिए हम एक दूसरे से बराबर सम्पर्क बना हुए हैं। यह देखते हुए कि इस हल द्वारा काफी तैयारी और कोशिश की जा चुकी हैं परन्तु हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि दूसरा दौरा कर सकें अथवा समस्या के समाधान की कोशिश कर सक न ही यह बता सकते हैं कि इस प्रकार से समाधान हो सकता है। ऐसी खेदजनक स्थिति का हमें सामना करना पड़ रहा है हमें इसे सुधारना है। जब में गुटनिरपेक्ष देशों के समूह की बैठक के लिए अगले तीन चार दिनों में कुवैत जाऊंगा तो पिछले हफ्तों की स्थिति पर फिर से पुनरीक्षा की जायेगी और यदि कोई विकल्प होगा या किसी और दौरे की गुंजाइश होगी तो मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अवश्यक ऐसा करेंगे। अब इसमें थोड़े ही दिन बचे हैं और देखिए यदि कुछ समाधान निकल पाया तो अच्छा होगा। हम सब की यही इच्छा है कि यह दोनों देश जोकि भारत के मित्र हैं तथा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सदस्य हैं वह इस लम्बे युद्ध के घातक अनुभवों से बच सकें।

महोदय दूसरा मुद्दा नाम्बिया का है। एक अस्पष्ट सुझाव यह था कि हमें नाम्बिया के लिए जितना करना चाहिए हम उतना नहीं कर रहे हैं, तथापि जितना हमने अंगोला के लिए किया था उतना इनके लिए नहीं किया है। ऐसी तुलना काफी कठिन है। यह तो ऐसा ही है कि दांयी और बांयी आंख की तुलना करना कि उसमें से कौन सी चाहिए। ऐसी तुलना ठीक नहीं है। हमने अंगोला के लिए काफी कुछ किया था और विभिन्न परिस्थितियों में नाम्बिया के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं तथा जो कुछ भी हम उनके लिए कर रहे हैं यह उससे काफी भिन्न है जो हमने अंगोला के लिए किया था। इसलिए कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय अभी हाल ही में सेक्रेटरी जनरल द्वारा एक भारतीय का चुनाव नाम्बिया के यू एन. कमिश्नर के पद के लिए हुआ है। जिस व्यक्ति को इस का सारा काम सौंपा गया है वह आखिरकार भारतीय है। वह हमारे अधिकारी हैं—वह भारत के वरिष्ठ राजनयिक हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनका क्या नाम है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : श्री मिश्र। महोदय हम नाम्बिया को उनको एकमात्र प्रतिनिधि स्वैयो द्वारा आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। अब मैं इन सब में बिवरण में नहीं जाऊंगा कि

कितने डालर आदि दिए गए हैं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने यू. एन. फंड फॉर नाम्बिया यू. एन. इंस्टीट्यूट ऑफ नाम्बिया। स्पेशल नान अलाइन्ड फंड फोर नाम्बिया के वित्तीय सहायता दवाइयां और करबलों का दान और नई दिल्ली स्थित स्वैयों मिशन को काफी आर्थिक अनुदान दिया है। इन सभी में हमने नाम्बिया के लिए काफी कुछ किया है और आवश्यकता पड़ने पर हम इससे अधिक सहायता भी करने को तैयार हैं। अभी हाल ही में स्वैपों के प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। मैं जब लुसाका गया था तब भी उनके प्रतिनिधि मुझे मिले थे और मैंने उनसे स्पष्ट कहा था कि नाम्बिया के लिए जो मदद आवश्यक होगी हम करने को तैयार हैं। उनके प्रतिनिधि दिल्ली आकर बातचीत कर सकते हैं और उनके संघर्ष के लिए जो भी आवश्यक होगा भारत जरूर करेगा।

महोदय, भारत में नाम्बिया के बहुत से छात्र हैं जो यहां शिक्षा तथा ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। यदि और सीट चाहिए या अधिक शैक्षणिक सुविधाएं चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हम नाम्बिया के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम कि हम और क्या कर सकते हैं क्योंकि नाम्बिया में स्थिति बहुत जटिल है और कोई अन्य देश क्या कर सकता है यह हम नहीं जानते। उन पर बमबारी की जा रही है, उनका अस्तित्व मिटाया जा रहा है। उस देश पर अमानुषिक और बर्बर अत्याचार हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं ? एक बाहरी देश कुछ डालर या कुछ सीटें ही दे सकता है जो काफी नहीं हैं। परन्तु ऐसी स्थिति में यही किया जा सकता है। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि काफी कुछ किया जा रहा है तो हमें नहीं मालूम कि कितना और किया जा सकता है। ऐसी स्थिति इस समय है।

हमें देखना होगा कि और क्या किया जा सकता है और जो आवश्यक होगा हम वह करने को तैयार हैं। यही हमारा दृष्टिकोण है और यही हमारी स्थिति है जो किसी समय विशेष पर किसी भी मामले से अधिक महत्वपूर्ण है। आज नाम्बिया उपनिवेशवाद का गढ़ है। जिसे संसार को एक होकर समाप्त करना होगा। इसमें किसी सीमा की तो बात ही नहीं है। जो आवश्यक होगा किया जाएगा।

महोदय, अरब-इजराइल के प्रश्न पर सदस्यों ने ठीक ही कहा था कि पैलिस्टीयन जनता के खिलाफ इजराइल द्वारा की जाने वाली कार्यवाही और उस प्रश्न पर हमारा नजरिया हमेशा से ही बिल्कुल स्पष्ट रहा है। गुट निरपेक्ष जूटो की आगामी बैठक इस पर बड़ी बारिकी में बहस होगी और जो भी निर्णय किया जाएगा उसे भारत बड़ी सहजता से तुरन्त ही लागू करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके सामने कोई अड़चन नहीं आएगी। इस समस्या पर भारत का मामला जैसाकि सभी सदस्य जानते हैं, बहुत स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र को यह अधिकार नहीं है कि वह उस क्षेत्र पर जबरन अधिकार कर कब्जे में नहीं रख सकता जो कि उसका नहीं है। सभी को यह अधिकार है कि वे यह निश्चिय कर सकें कि किस प्रकार की सरकार उन पर शासन करे। मान्यता प्राप्त सीमा क्षेत्रों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और सभी राष्ट्रों को यह अधिकार है कि वे ऐसे सीमा क्षेत्रों में शांति से और सुरक्षित रह सकें बिना बल का उपयोग किए बातचीत से ही एसे सभी विवाद समाप्त किए जाने चाहिएं, महोदय इन प्रश्नों के कारण उत्पन्न इस अवस्था में मैं एक

सामान्य वक्तव्य देना चाहता हूँ कि अमुक अमुक व्यक्ति के अमुक अमुक बयान के बारे में आपने क्या कहा था—जैसे मेरा काम सिर्फ बयानों की जवाबी कार्रवाई करना ही रह गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे अपने रचनात्मक प्रस्ताव हैं, प्रत्येक समस्या के बारे में एक रचनात्मक रवैया है। भारत निःशस्त्रीकरण में विश्वास रखता है। मध्यपूर्व प्रश्न के बारे में भारत का एक रवैया है। इनमें से अनेक मामलों के बारे में भारत का अपना एक निश्चित तर्क है। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी का अनुसाशन करने और उसका थोड़ा बहुत समर्थन करने या थोड़ा बहुत मतभेद रखने में खतरा रहता हैं, क्योंकि वह केवल आंशीक ही तो होगा। चूंकि आपका अपना एक रवैया है, यदि आपकी उसकी तुलना करना चाहे और किसी से सम्बन्ध करना चाहे, तो आप जरूर गलती करेंगे। अनेक मामलों में ऐसी असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा है। अपने मित्रों को भी हमें थोड़ा अप्रसन्न करना पड़ा है और यह कहना पड़ा है, किन्तु जी हां, हम सामान्यतः आप से सहमत हैं, किन्तु हमारी अपनी भी कोई नीति है और इसलिए हम आपकी नीति का शब्दशः समर्थन नहीं कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ऐसा कई बार हुआ है और यह तो होगा ही। हमारा देश एक गुट-निरपेक्ष देश है। अनेक मामलें हमें यह पता लगेगा ही कि हम किसी एक राय पर दूसरी राय अथवा दोनों राय मे सहमत नहीं है। और इसलिए हमें दोनों को ही यह कहने में समर्थ होना ही पड़ेगा कि जिस मामले के बारे में भारत की एक रचनात्मक स्वतःपूर्ण, व्यापक नीति है उनके लिए हमें यह वही कहा जाना चाहिए कि हमें अपने से अलग हट कर किसी नीति विशेष से इस हद तक सहमति व्यक्त करनी चाहिए अथवा हमें उसका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यह उचित नहीं है। उदाहरण के लिए फाहद योजना को ही लीजिए। हमने अपका स्वागत किया। किन्तु उसका क्या हुआ ? मुई युक्त गबाह सुस्त। यही तो होगा ही। हम नहीं चाहते कि ऐसा फिर हो। हमने फाहद योजना का विरोध नहीं किया था। हमने उसका समर्थन किया था किन्तु उसका समर्थन करने के बावजूद भी उसका हश्र हुआ वह हमारे नियन्त्रण से बाहर था। आप जब किसी एक दृष्टिकोण से अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं तो और अधिक चतुराई और उदारता तथा विकल्प कुछ भी उपलब्ध नहीं रहता है, और यही कारण है कि जब इस प्रकार का कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो विकासशील स्थिति को ध्यान में रखना होता है और हमने अपने विकल्प बनाए रखे हैं। आज जो हम रवैया अपना रहे हैं या बिअफा समर्थन कर रहे हैं वह अच्छा हो सकता है। किन्तु यदि यह विकल्प अंततः स्वीकार न किया जाए, यदि इससे कोई शुरूआत न हो पाए तो हम क्या करें ? हम वास्तव में यह नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा रवैया अपनाएं जिस पर दृढ़ रहने से कोई बेहतर शुरूआत से हो सके और बाद में हम ऐसी स्थिति में फंस जाएं कि कुछ भी न कर सकें। अतः जहां कहीं ऐसा समर्थन का आवश्यक हो वहां सामान्यतौर समर्थन करते हुए हमें इस तरह की उदारता बनाए रखनी होगी।

अब मैं एक स्थायी—जो कम से कम इस समय जो स्थायी है—उस अफगानिस्तान की समस्या का उल्लेख करूंगा। डा. स्वामी मुझसे पहले से ही पूछ रहे थे कि क्या मैं इस बारे में कुछ कहूंगा। मैं जो कुछ भी कहूंगा वह दोहराई बात ही होगी। अतः मैं केवल उनकी याद्दाश्त को ताजा करूंगा, मैं अपने उस वक्तव्य में से पढ़ कर सुनाऊंगा जो कि अफगानिस्तान में सोवियत सेना के प्रवेश करने के छः माह के भीतर मैंने संसद में दिया था। मैं मास्को गया था मुझे वहां कई घंटों तक इसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर मिला था। उसके बाद मैंने

संसद में वक्तव्य दिया था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी अप्रसन्नता भी व्यक्त की थी। किन्तु हम इसी वक्तव्य पर दृढ़ हैं। मैं इसे जितनी बार भी आवश्यक हो उतनी बार दुहराऊंगा क्योंकि यही हमारा रवैया है। महोदय, मैंने कहा था–

"इस समस्या के प्रति हमारा रुख इस प्रकार है :

हम किसी भी देश में विदेशी सेना की उपस्थिति का विरोध करते हैं। सोवियत संघ ने घोषणा की है अफगानिस्तान को सोवियत सहायता सीमित समय प्रयोजन के लिए सीमित पैमाने पर दी गयी है और उस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा नहीं है। बहरहाल पिछले कुछ महीनों के दौरान जो समाचार मिल रहे हैं यदि उसमें अनिवार्य रूप से रूचि रखने वालों की प्रचार सामग्री को भी यदि निकाल दिया जाए, तो भी वहाँ की स्थिति से यही पता चलता है कि जैसा कि पहले कहा गया था, अफगानिस्तान को दी जाने वाली सोवियत सहायता के समय सीमा में सीमित रहने की अब उतनी आशा नहीं रह गई है।"

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने वह वक्तव्य कब दिया था ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : मास्को से लोटने के तुरंत बाद 17-18 जून, 1980 को मैंने यह वक्तव्य दिया था।

"स्वभाविक ही है वह उन देशों के समान भारत के लिए भी चिंता की बात है, जो इस क्षेत्र में तनाव को कम करना चाहते हैं और सम्बद्ध समस्या का शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं।"

हमने इस समस्या के प्रति वही रुख अपनाया है—इसे एक दो देश के बीच की समस्या न मान कर पूरी क्षेत्र की माना है—हमने मामले को क्षेत्रीय दृष्टि से परखा है–और इसीलिए हम चिंतित हैं।

"अब वह समय आ गया है जब कि हम खुद से यह पूछें कि क्या अफगानिस्तान में भी सहायता के लिए सोवियत संघ की फ्री सेना का रहना उनके लिए आड़ का काम तो नहीं कर रहा या करेगा जो देश को और आस्थीरता लाना चाहते हैं।"

यही बात मेरे पूर्ववर्ती श्री वाजपेयी ने कल कही थी। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि लगभग दो साल पहले वह बात मेरे वक्तव्य में भी शामिल थी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह तो फिर चुरायी हुई बात है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : किसने चुराया ?

"हमें डर है कि उचित समय सीमा के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी और यही कारण है कि हम अनुरोध करते हैं कि सम्भावना के रहते हुए ही सैनिक उपायों के अलावा किन्हीं साधनों से समस्या का समाधान किया जाए। इसीलिए अफगानिस्तान में राजनैतिक समाधान पहले से भी कहीं अधिक अनिवार्य हो गया है।"

इससे अधिक स्पष्ट वक्तव्य की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। शब्दावली भले ही बदली हुई हो किन्तु अर्थ वही होगा। हमें इसी में वस्तुतः विश्वास है, हमें विश्वास है कि

अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों के हटने में ही सभी चिंतित देशों की भरपाई है अफगानिस्तान से उन सैनिकों के हटाये जाने के लिए परिस्थितियां बनाने में हमारा विश्वास है। इसलिए हम एक राजनैतिक समाधान आवश्यक मानते हैं। हम यह भी मानते हैं कि राजनैतिक समाधान के लिए बातचीत आवश्यक है। किसी प्रकार की बातचीत के बिना किसी राजनैतिक समाधान के बारे में कम से कम मैं तो सोच ही नहीं सकता। कुछ वर्गों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सम्बद्ध दलों पक्षों के बिना ही पहले बैठक आयोजित की जाएगी और फिर हम उन्हें बुलाएंगे। यह तो घोड़े के आगे गाड़ी जोतने जैसी बात हुई। यह बात कुछ बनी भी नहीं और इसलिए मामला जहाँ का तहाँ ही रह गया।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या अफगानिस्तान में सेना भेजे जाने की कार्यवाही आप अनुमोदन करते हैं ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : अनुमोदन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रश्न तो यह है कि इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं। यहाँ अनुमोदन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। हम किसी भी देश की धरती पर सैनिकों की उपस्थिति का अनुमोदन नहीं करते हैं। हमने पहले वाक्य में ही यह बात कही थी।

श्री राम जेठमलानी : इसमें क्या अफगानिस्तान भी शामिल है ?

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यदि आप सैनिकों की उपस्थिति का अनुमोदन नहीं करते हैं तो आप सैनिक भेजे जाने पर कैसे सहमत हो सकते हैं ? अतः महोदय मैं फिर से सभा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सम्बद्ध पक्ष नहीं है। बहुत निकट के देश हैं और इसी लिए चिंतित हैं, हम सम्बद्ध पक्षों की परस्पर बातचीत शुरू करने के लिए अभी सम्भव प्रयास कर रहे हैं और हम तो केवल प्रयास ही कर सकते हैं। अनेक कारणों से यह प्रयास सफल नहीं हुए हैं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जिनके लिए प्रयास किया जा रहा है, वे ही तैयार नहीं हैं। इसी बजह से ऐसा नहीं हो पाया है। जब श्री अगाशाही यहां आये थे, उन्होंने मुझे बताया कि अब बातचीत सम्भव होगी क्योंकि अंततः ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव द्वारा भेजे गए विशेष प्रतिनिधियों का स्वागत करना मंजूर कर लिया है और इसीलिए त्रिपक्षीय या द्विपक्षीय बातचीत शुरू की जा सकती है। उसकी संभावना है। मैंने उनकी बात सुनी क्योंकि मेरे अनुरोध पर ही वे मुझे अफगानिस्तान की समस्या के बारे में अद्यतन स्थिति बता रहे थे किन्तु उन्होंने जो जानकारी दी थी, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। अतः मेरे लिए यह कहना कठिन है कि बातचीत शुरू होने के बारे में उन्होंने जो आशावादिता व्यक्त की है वह फलीभूत होगी भी या नहीं। वस्तुतः ऐसी कोई बात ही नहीं है; वस्तुतः में परामर्शदात्री समिति में शामिल अपने मित्रों और अन्य लोगों से पूछ रहा था कि क्या आप इस दिशा में सोच सकते हैं कि इस विषय में क्या कर सकता है। मैं इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी का श्रेय खुद नहीं लेना चाहता हूं, मैं सभी से प्रश्न कर रहा हूं; यह प्रश्न मेरे लिए नहीं सभी के लिए है क्या भारत कुछ कर सकता है।

एक बहुत ही प्रतिभाशाली विचार मेरे सामने व्यक्त किया गया था कि सभी सम्बन्धित पक्षों की बैठक को आप दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव क्यों नहीं करते ? इसके लिए मैंने सविनय उत्तर दिया था कि वे स्थान नहीं खोज रहे हैं, उन्हें इच्छा शक्ति की जरूरत है;

स्थान तो बाद की बात है। इसलिए हमें वास्तव में बहुत से सुझाव, व्यावहारिक सुझाव प्राप्त नहीं हुए जिन पर कोई व्यक्ति पहल कर सके। आप किसी ऐसे मामले में पहल कैसे कर सकते हैं जिसमें आप की पार्टी न हों, किन्तु जिसको लेकर आप चिंतित हों और जो इसमें शामिल हों वे इसकी आवश्यकता महसूस करते नजर न आते हों? कारण चाहे कोई भी हो किन्तु वे बातचीत करने को राजी नहीं लगते। ऐसी परिस्थिति में आप कोई राजनीतिक हल कैसे ढूंढ सकते हैं?

ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है उत्तर हमेशा नकारात्मक ही रहा है। इसलिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी और बातचीत का द्वार खोलना होगा। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हमने सम्बन्धित सभी पक्षों को बता दिया है कि हम स्वयं को उन पर थोपना नहीं चाहते, किन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि वे समझते हों कि भारत किसी हल का पता लगा सकता है तो हम हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। हमने उनसे यही बताया है। वास्तव में मैं समझता भी नहीं भारत इसके आगे कुछ कर सकता है।

श्री राम जेठमलानी : (बम्बई उत्तर पश्चिम) सच्चाई का साथ दें। जरूरत घोर निन्दा करने की है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : (पंसकुरा) क्या मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं? पाकिस्तानी भूमि से बरबक करामल के शासन के विरोधी दस्तों को भेजने और उन्हें शस्त्रों की आपूर्ति के बारे में भारत सरकार की सूचना क्या? यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है और आपने इसका उस व्यक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं किया है।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : यह तो वही बात हुई कि सारी रात तो रामायण का खेल देखा और सुबह उसे पूछा कि "राम और सीता के बीच क्या सम्बन्ध है।" यही सब कुछ इसके बारे में है; यहीं से यह शुरू हुआ। इसी तरह यह प्रश्न बना

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न एक महिला सदस्य का है। आपको इसका फिर से उत्तर देना होगा।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : सदन में यह दिये गये अपने वक्तव्य में मैंने कहा है कि इसका सबूत भारत से नहीं अपितु यह अमरीका की प्रैस और समाचार पत्रों के माध्यम से मिला है। अतः डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी यह मानेंगे कि मैं इन माध्यमों पर अविश्वास नहीं करता।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां। मुझे बताया गया है कि हथियार रामपुर से आये थे। यह भी आप अवश्य जानते होंगे।

श्री पी. वी नरसिंह राव : महोदय, अब मैं दक्षिण-पूर्व एशिया के बारे में संक्षेप में कहूंगा कम्पूचिया प्रश्न पर मैंने इस सदन को बताया। श्री चन्द्रजीत यादव की अध्यक्षता में एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल, जिसमें वर्तमान वाणिज्य मंत्री, श्री शिवराज पाटिल भी एक सदस्य थे—और मैं अन्य सदस्यों के नाम नहीं जानता; श्री गाडगिल भी एक सदस्य थे। इस मण्डल ने कम्पूचिया का दौरा किया था। उन्होंने वियतनाम का दौरा भी किया। वापस आकर उन्होंने कम्पूचिया की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट दी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल था।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : जी हां, इसमें संसद सदस्य थे मैं नहीं जानता कि क्या यह उसे तकनीकी तौर पर संसदीय प्रतिनिधि मण्डल कहा जा सकता है। महोदय, मैं। अपने कथन को ठीक करता हूं। यह संसद सदस्यों का ही प्रतिनिधि मण्डल था न की संसदीय प्रतिनिधि मण्डल।

महोदय, मैं कोई अदालती जांच नहीं कर रहा हूं। मैं एक राजनीतिक विषय और राजनीतिक निर्णय पर बोल रहा हूं। राजनीतिक निर्णय क्यों लिया गया था ? हमें सही दिशा में रहना चाहिए। हमारे संसद सदस्य वापस आये और उन्होंने सबसे मिलकर के ही रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक अधिकारी जिसका राजनीति से कोई वास्ता नहीं जिसे कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा रोम प्रतिनियुक्त किया गया था, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेना का एक रिटायर्ड अधिकारी था कम्पूचिया और वियतनाम गया। वह वहां कई सप्ताह रहा। उसे वहां उस देश की खाद्यान सम्बन्धी जरूरतों का पता लगाने के लिए भेजा गया था क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्यान में दिलचस्पी रखता था। यदि उसे किसी सरकार की सहायता प्राप्त न होती तो वह उस देश में नहीं जा सकता था, वहां प्रत्येक स्थान पर नहीं जा सकता था। वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। वह वहां गया और काफी सप्ताहों के बाद वापस आया। मैं उसे जानता हूं। उसने मुझे एक रिपोर्ट दी जो कि श्री चन्द्रजीत यादव और उनके साथ गये अन्य सदस्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट से मिलती-जुलती थी वास्तव में रिपोर्ट में बताया गया कि हेंग समरिन सरकार का देश के काफी बड़े भाग पर नियंत्रण है। महोदय अब मैं अन्य बातों को एक तरफ रखता हूं। क्या किसी सरकार को मान्यता देने हेतु इतना काफी है कि इसका वहां पर्याप्त नियंत्रण है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है। किन्तु पहले मैं कम्पूचिया के एक औसत नागरिक को अपना लक्ष्य बनाऊंगा। इस सदन में तथा अन्य जगहों पर प्रत्येक ने यह स्वीकार किया है कि पोल-पाट शासन हटना चाहिए और उसको दोबारा सभा में नहीं आना चाहिए। इन दोनों पर सबकी राय एक है। मुझे एक भी सरकार अथवा किसी सरकार का कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि पोल-पार वापस सत्ता में आये। अतः ऐसा न केवल इस देश में, इस सदन में बल्कि सभी जगह पोल-पाट की सत्ता में वापसी का कोई कहीं समर्थन करता नहीं अब बाकी क्या चारा रह जाता है ? यदि यहां कोई सरकार बनती है तो एक आम कम्पूचियन क्या कहेगा ? यह सच है कि हेंग समरिंत सरकार को वियटनाम की फौजी सहायता प्राप्त थी इसे मैं मानता हूं, किन्तु पोल-पोट सरकार के बदले में जिसे कि वह वापस लाना नहीं चाहते उन्हें वही सरकार मिली है। जब तक कि आप एक अच्छी सरकार नहीं पा लेते, जब तक कि कोई राजनीतिक विकल्प नहीं मिलता। क्या कोई और रास्ता है, सिवा इसके कि इस सरकार से संबंध बनाया जाये ? और यही हम कर रहे हैं। यदि आप उस सरकार को मान्यता नहीं देते तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी भी सरकार को मान्यता नहीं देते।

यह स्थिति है। यह स्थिति अन्य बहुत से देशों की भी है। आप उनसे पूछें कि वे किस सरकार को मान्यता देंगे वे चुप हैं। वे हेंग सिमरन सरकार को मान्यता देने पर वे आपकी आलोचना करते हैं। आप उनसे पूछे कि कम्पूचियनों की ओर से संयुक्त राष्ट्र में पोल पाट क्यों बैठा है। कुछ ने उसकी मान्यता रद्द करदी है, किन्तु अभी भी उसे सहन कर रहे हैं। कुछ ने उसकी न तो मान्यता रद्द की है और न ही उसे सहन करते हैं। वे नहीं जानते कि उन्हें क्या

निर्णय लेना चाहिए ! क्या कम्पूचिया पर भारत की भी यही स्थिति जारी रखी जानी चाहिए ? मुझे खेद है कि यह उस सरकार की स्थिति नहीं हो सकती जिसके विचार स्पष्ट हैं। और इसी कारण हमने काफी समय लिया। अब हम कम्पूचिया की सहायता करने की स्थिति में हैं। यदि कम्पूचिया को मान्यता के अतिरिक्त कुछ और चाहिए तो वह सहायता है। हमने उसकी सहायता करने के लिए ही मान्यता दी है वही महानुभाव जो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कम्पूचिया भेजे गये थे अब भारत सरकार की ओर से कम्पूचिया भेजे गये हैं। हमने उसे विभिन्न मंत्रालयों के सदस्यों ने एक उच्च-शक्ति प्राप्त दल के साथ भेजा है। वे सब वहां इकट्ठे गये थे और आज वे सरकार को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कम्पूचिया के लिए क्या किया जाये।

क्या किसी अन्य देश ने ऐसा किया है ? क्या किसी देश ने कम्पूचिया के लोगों के साथ दिली हमदर्दी प्रकट की है या कभी ऐसा सोचा है ? हमने ऐसा किया है; हम यह देखने जा रहे है कि क्या किया जा सकता है। हम वह सब कुछ करेंगे जो कुछ भी श्री जी. वी. के. राव और उसकी समिति शिफारिश करेगी। अतः हमने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है जो कम्पूचिया के लोगों के लिए वास्तव में लाभदायक है; और इस बारे में हमारी आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

हरेक के अपने-अपने विचार हो सकते हैं। किन्तु अन्ततः भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वह व्यवहारिक दृष्टिकोण है और इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे।

प्रारम्भ में कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने इसकी आलोचना की थी; किन्तु मुझे यह कहते हुये हर्ष हो रहा है कि चूंकि कोई विकल्प और नहीं बना, यहां तक कि कम्पूचिया पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलन से भी कोई परिणाम नहीं निकले और न ही निकलेंगे क्योंकि यह एकतरफा सम्मेलन बन गया—डेनमार्क के राजकुमार के बिना हैमलेट जैसे – अन्ततः सभी अब यह महसूस कर रहे हैं कि क्षेत्र के भीतर ही राजनीतिक हल ही एकमात्र उत्तर है।

दुर्भाग्यवश, क्षेत्र के भीतर ही अल्प काल में किसी राजनीतिक हल अथवा राजनीतिक हल के लिए कोई प्रयास करना भी सम्भव नहीं है। कारण स्पष्ट है। मैं विएतनाम गया था। मैं थाइलैंड गया था। वास्तव में मुझे डर है कि इस बारे में कोई एक देश अथवा दोनों ही गलत अर्थ लगा लेंगे। किन्तु ऐसा हुआ कि दोनों ही देशों ने इसका गलत अर्थ नहीं लगाया अपितु इसका स्वागत किया; क्योंकि उनका कहना है ! 'आप शास्त्रों के लिए न सही लेकिन विचारों के अपादान प्रदान के लिए तो कम से कम माध्यम हो सकते हैं।

मैं सबसे पहले विएतनाम गया था। हमने विस्तार से विचार विमर्श किया। वहां से मैं बैंकांक गया और हमने फिर उसी विषय पर विचार विमर्श किया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ—और मैंने प्रैस को भी बताया था—कि दोनों पक्ष में हमारे सुझाव के अनुसार हल के इच्छुक हैं। किन्तु कोई भी पक्ष खुले. स्पष्ट और ठोस रूप से स्वयं मानने को तैयार नहीं है। इसमें समय लगेगा। य केवल दो देशों के बीच का ही मामला नहीं है। कुछ बड़े देश इस सबके पीछे छिपकर कार्य कर रहे हैं। अतः यह पेचीदा मामला बन गया है। जैसा कि यह हमेशा रहा है। इनलिए इसमें समय लगेगा। इस सम्बन्ध में काफी प्रयास करने होंगे। यह भी स्पष्ट था कि मान्यता के प्रश्न पर भारत जैसे देश—जिस पर कि एशियाई देशों का हमसे मतभेद था। उन्होंने

हमें बताया है कि यह वे भारत से आशा करते हैं कि वह उपयुक्त समय पर भूमिका निभाए। वे मानते हैं कि उपयुक्त समय नहीं है, अतः जब भी हमें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा हम वह भूमिका निभाने को तैयार हैं।

चीन के सम्बन्ध में कल एक सुझाव दिया गया था जो तथ्यों पर आधारित नहीं था, अर्थात यह कि चीन से वार्ता के सम्बन्ध में हम पीछे हटने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्पष्ट है कि जब कोई शिष्ट मण्डल किसी देश में जाता है और वापस आ जाता है, तो वहां से दूसरे शिष्ट मण्डल को अगली ही उड़ान द्वारा आ जाने के लिये नहीं कहते। यह मद्रास-दिल्ली एक्प्रैस की तरह नहीं है; एक गाड़ी आती है और दूसरी जाती है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : उसमें भी अब काफी समय लगता है।

श्री पी. वी. नरसिंहाराव : जब कोई शिष्ट मण्डल जाता है और वापस आ जाता है, तो उसके बाद काफी तैयारी करनी होती है। हमें दोनों पक्षों द्वारा कहे गये प्रत्येक शब्द पर विचार करना होता है तथा अगले कदम की सम्भावनाओं को देखना पड़ता है। और यही हम कर रहे हैं; तथा यही वे कर रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि शिकायत गलत जगह से क्यों आती है। चीन ने हमसे यह नहीं क ा है कि अगला कदम उठाने का समय आ गया है। हम उनसे सम्पर्क बनाए हुए हैं। उनकी ओर से कोई शिकायत होने का कोई प्रश्न नहीं है। और अन्ततः यह निर्णय किया जा चुका है कि अगले एक दो महीने में चीन से एक शिष्ट मण्डल आयेगा। यह बिल्कुल न्याय संगत समय है। अतः हमारे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है। हम पीछे हटने के लिए निर्णय नहीं करते। बीस वर्षों से मनमुटाव था। अब जबकि वार्ता शुरू हो गई है, हम इस वार्ता को फलीभूत करने के लिए सभी संभावनाओं का पता लगायेंगे।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) : असहमति नहीं।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री पी. वी. नरसिंहा राव : अपने पड़ोसियों के सम्बन्ध में, मैं नहीं समझता कि मुझे प्रत्येक पड़ोसी के सम्बन्ध में हरके प्रश्न की जाच करनी है। सामान्यतया, सभी देशों से पृथकतः तथा संयुक्त रूप से हमारे सम्बन्धों के बारे में वक्तव्य दिये गये हैं। मैं केवल एक अथवा दो मामलों के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहूंगा जो कल उठाए गए थे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि श्रीलंका में राष्ट्रीय विहीनता के मसले को सुलझाने की आवश्यकता है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि दोनों ही सरकारों का यही दृष्टिकोण है। इस समय सभा को यह बताना संगत होगा कि लगभग 90 प्रतिशत समस्या सुलझा ली गई है। इसमें 17 वर्ष से अधिक समय लग गया है लेकिन कई कारणों से, यह विलम्ब केवल हमारे कारण नहीं हुआ है। हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं, सिवाय यह नोट करने के कि 90 प्रतिशत समस्या सुलझ गई है। हमारे हिसाब से, उन भारतीयों की संख्या जो अभी राष्ट्रीय विहीन हैं, लगभग 1,00,000 (एक लाख) है। दूसरे सदन में एक सदस्य ने कुछ भिन्न आंकड़े बताये हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे आंकड़े अधिक सही हैं। आंकड़े जो भी हो, प्रश्न यह है कि ये आँकड़े नियंत्रण योग्य हैं। हम इस समस्या को सम्बन्धित व्यक्ति की इच्छा के अनुसार सुलझाना चाहते हैं; हम अनिच्छुक व्यक्ति पर कुछ थोपना नहीं चाहेंगे। यदि वह भारत में नहीं आना चाहता तो उसे आने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है। यदि वह भारत में आना चाहता है तो उसे आने से रोकने की जरूरत

नहीं यह सामान्य दृष्टिकोण है जिसे दोनों ही सरकारों ने स्वीकार किया है और अब केवल लोगों की इच्छा मालूम करता रहता है। अतः हम उस आधार पर इस समस्या को सुलझाने की आशा करते हैं और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जहां तक इस समय हमारा अनुमान है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं जिसे दूर न किया जा सकता हो।

जहां तक बंगला देश का सम्बन्ध है, सभा को हाल ही की घटनाओं की जानकारी है। और मुझे विश्वास है कि मुझे किसी प्रकार का सुस्पष्ट वक्तव्य देने के लिये नहीं कहा जाएगा। हम आशा करते हैं कि दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहेंगे, तथा पिछले महीनों के दौरान जो भी प्रगति हुई है वह आगे भी होती रहेगी तथा कुछेक मसलों में हमें आशा है कि हम उपयुक्त समय पर और प्रगति कर सकेंगे। स्वाभाविक है कि हमें ऐसी स्थिति में अधिक सतर्क रहना होगा। लेकिन, समग्रतः, मुझे आशा है कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बने रहेंगे।

अब मैं भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर आता हूं जिसके बारे में चर्चा के दौरान काफी कुछ कहा जा चुका है। यहां भी मैं यथासंभव, कम से कम बोलना चाहूंगा क्योंकि स्थिति को ध्यान में रखते हुए यही उचित मालूम होगा। जो कुछ किया गया है उस पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं है। ऐसा करना आवश्यक नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो कुछ किया गया है, राष्ट्र तथा संसद उससे पूर्णतः सहमत है। अतः मुझे दोबारा उसकी गहराई में नहीं जाना है।

हमने अपना ध्यान इस ओर नहीं देना है कि हम किस समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं; हम अनेक "अनायुद्ध"—समझौतों का इतिहास लिए हुए हैं। कल एक माननीय सदस्य ने उन मामलों पर चर्चा की। अतः हमें उस अनुभव को दोहराने की जरूरत नहीं है। हम 'अनायुद्ध-समझौता' स्थायी सम्बन्धों के रूप में चाहते हैं, जो दोनों देशों के बीच स्थायी सम्बन्धों को दर्शाए, बजाए इसके कि वह दो देशों के बीच भाग एक प्रपत्र हों। इन दोनों के बीच भारी अन्तर है। अतः जैसा कि मैंने अभी गुट-निरपेक्षता के सम्बन्ध में कहा है हमें अनेक मामलों में अपनी शंकाए दूर होंगी। जैसा कि सभा को मालूम है, हमने स्मरण-पत्रों का आदान-प्रदान किया है। अब, हमारे स्मरण-पत्र यह कहते हैं कि हमारे सम्बन्ध शिमला समझौते पर आधारित होंगे। उनका स्मरण-पत्र यह कहता है कि हमारे सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र पर आधारित होंगे। विश्व के अन्य हर देश के साथ हमारे सम्बन्ध सयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र पर आधारित हैं। क्या पाकिस्तान के साथ भी हमारे सम्बन्ध उसी पर आधारित हों अथवा किसी अन्य प्रपत्र पर ? जब हमने अपनी चर्चा में इस मामले को उठाया तो, स्वाभाविकतः, इन दोनों स्मरण-पत्रों में अनेक कारक एक ही जैसे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्होंने हमें कोई बिल्कुल नया प्रपत्र दिया हो। नहीं। प्रश्न बल देने का है। प्रश्न यह है कि आप इन दो देशों के बीच किस बात को उचित और विशेष रूप से संगत समझते हैं। प्रश्न यह है कि आप अपनी नीतियों पर क्या दृष्टिकोण अपनाते हैं। आप एक दूसरे की सदाशयता के प्रति कितना विश्वास पैदा कर सकते हैं और एक दूसरे की नीतियों पर कितनी दृढ़ता से चल सकते हैं। अब, मैं कहता हूं कि मैं किसी भी बाहरी ताकत को अपने देश में अड्डा बनाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं, और पाकिस्तान कहे कि ठीक है, हमसे अड्डे नहीं माँगे गए हैं, हमने अड्डे देने का बचन नहीं दिया है। साथ ही, यह कहना कि कोई देश यह बचन देता है कि वह अड्डे स्थापित नहीं करने देगा, तो उसका

अभिप्राय प्रभुसत्ता को समर्पित कर सकता है हम इस कथन को किस प्रकार से लें ? स्पष्ट है कि भारत अपनी प्रभुसत्ता को समर्पित कर सकता है, पाकिस्तान नहीं यह क्या बात है ? यह एक सरल प्रश्न है लेकिन बड़ा गूढ़ है। इसकी बड़ी सावधानी से जांच करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि गतिरोध हो गया है। नहीं। मैं नहीं कहता कि गतिरोध आ गया है। नहीं। लेकिन जब हमने इन मामलों की जांच की तो हमें मालूम हुआ कि कुछेक ऐसे पहलू हैं जिनकी हमें और अधिक जांच करनी है। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन सूत्रों की जांच की जा सकती है और अन्ततः हम सभी मामलों में एक स्वीकार्य सूत्र का पता लगा सकते हैं। यही हमारा आशावाद था। इसी आशा को लेकर श्री आगा शाही ने भारत से प्रस्थान किया। अतः मैं दोनों पक्षों के विचार सभा के सम्मुख रख रहा हूं, केवल सावधान रहने की जरूरत पर बल देने के लिए, क्योंकि हम ऐसे सम्बन्धों के लिए कार्य कर रहे हैं जो सदा बने रहेंगे, उनपर सदा अमल करना होगा। यह सदा जीवित रखेंगे। अतः सरकार की स्थिति को समझें। आशयों में कोई भिन्नता नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई भी सदस्य वास्तव में महसूस करता है कि सरकार का कोई अन्य आशय अथवा उद्देश्य है। नहीं। प्रश्न है कि आप इसे किस तरह पूरा करते हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है। मैं उचित समय पर यहां सदस्यों को उससे अवगत कराने को तैयार हूं। किसी भी चीज को छुपाने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन हम एक नाजुक चरण में हैं। हमें इसे निपटाने दीजिए। तब हम आपके पास आयेंगे। संसद से छिपाकर कुछ भी नहीं किया जायेगा। श्री भगत कल बोले थे। मैं उन सभी ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। लेकिन मूल कारण ये हैं कि यह एक मंच है जहां कुछ बात करना उचित नहीं, यह एक प्रपत्र है जिसमें प्रथमतः, जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है, रिपोर्ट में वह शामिल नहीं है। जो मुद्दा इस प्रपत्र में शामिल नहीं है उसे पाकिस्तान के प्रयत्न द्वारा शामिल करने की कोशिश की जाए, ऐसा क्यों ? यह किया गया। और फिर अन्त में क्या हुआ ? जब सब कुछ हो चुका था, तो यह स्वीकार किया गया कि इसे हटा दिया जाये। अब, हमें इन बातों की जांच करनी है, यह देखने के लिए कि क्या जो कुछ हम देख रहे हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ है ? और यदि इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, हम जो कुछ देख रहे हैं वही है, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन, हमें इसकी जांच करने दीजिए। हमें इसकी गहराई से जांच करने दीजिए। मैं सभा से बस यही अपील करना चाहता हूं।

कुछ अन्य मामले हैं, जैसे दक्षिण-दक्षिण, आदि जो मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही व्यापक प्रश्न पूछा गया था, जिसकी कम से कम मैं श्री वाजपेयी से आशा नहीं करता था—कि आपको उत्तर-दक्षिण और दक्षिण-दक्षिण से क्या उपलब्धि हुई है ? अब, यदि प्रश्न यह है कि सभा को बताया जाए कि क्या उपलब्धि हुई है तो मैं बताने को तैयार हूं। 1980 में विश्व वार्ता संबंधी विशेष सत्र के असफल रहने के परिणाम स्वरूप, आपको स्मरण होगा कि प्रत्येक का यही विचार था कि विश्व गतिरोध पर पहुंच गया है। उस समय आस्ट्रेलिया के चान्सलर क्रिस्को और मैक्सिको के राष्ट्रपति पोर्टिलो ने कतिपय देशों के शासनाध्यक्षों अथवा राज्याध्यक्षों, जैसा भी मामला हो, की एक बैठक बुलाने की सोची।

हमें विदेश मंत्री कहा गया था; इस प्रकार की बैठक की तैयारी करने के लिए हमने वियना का दो बार दौरा किया था। प्रथम बार इसका काफी विरोध हुआ था, इसके बारे में

काफ़ी संदेह व्यक्त किया गया था। आप क्या करेंगे ? यदि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पर व्यापक रूप से बातचीत नहीं कर सकते हैं तो आप 20, 30 अथवा 40 देशों को यहां एक साथ इकट्ठा होने के लिए एक तरफा रूप से चुन लिया जाने और इसका समाधान ढूंढे जाने की आशा कैसे कर सकते हैं ? हमारे समक्ष ये प्रश्न रखे गए थे।

सच बात तो यह है कि हमारे में से अधिकांश लोग इस सम्पूर्ण विषय के बारे में वास्तव में गम्भीर नहीं थे। लेकिन ऐसा हुआ कि इन दो नेताओं, एक जो विकासशील देशों से था और दूसरा जो विकसित देशों से था, ने यह सुनिश्चित करने का निश्चय कर लिया था कि विकासशील देशों तथा विकसित देशों से इस प्रकार चुने हुए इन देशों के बीच कुछ विचारों का आदान-प्रसान हो, इस बीच, औद्योगिकीकृत देशों का ओटावा शिखर सम्मेलन हुआ था, और उसके तुरन्त बाद जब हम विदेश मन्त्री लोग न्यूयार्क में थे, तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि जब तक हमें ओटावा शिखर सम्मेलन में अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है तब तक अपने राष्ट्राध्यक्षों को कैनमैन जाने के लिए सलाह देने का कोई औचित्य नहीं है।

इसलिए यद्यपि इस प्रस्तावित बैठक से हमें बहुत ज्यादा आशाएं नहीं थी हमने इस बैठक में बड़ी सतर्कता से भाग लिया है हमने यह पाया है कि ओटावा शिखर सम्मेलन की घोषणा में एक मार्ग प्रशस्त हो गया था और हमने यह पाया कि मैनकैन में, जैसा कि प्रारम्भ में प्रस्ताव किया गया था। एक बैठक बुलाने के लिये रास्ता साफ हो गया है। मैन-कैन में हुई बैठक के क्या परिणाम निकले ? जब 23 राष्ट्रों अथवा सरकारों के अध्यक्ष एक साथ बैठते हैं तो उसका क्या परिणाम निकला है ? मानवता के नाम पर वे क्या निर्णय ले सकते थे ? उन्होंने कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे; उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि वे कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन जब आप इस बैठक के बाद तैयार किए गये प्रलेखों की जांच करेंगे तो आप यह पाएंगे कि विचारों के आदान-प्रदान के लिए यह बैठक हुई थी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। मैन-मैन शिखर सम्मेलन में खाने का प्रश्न, कृषि का प्रश्न, ऊर्जा का प्रश्न, ये सभी प्रश्न विकासशील देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उठाए गये और औद्योगिकृत देशों ने इनके प्रति अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी।

क्या आप इसको कम उपलब्धि समझते हैं ? हम उपब्धियां नहीं दिखा सकते; लेकिन विचारों के रूप में, स्वीकृतियों के रूप में, प्रतिक्रियाओं के रूप में यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। उसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस मामले में वास्तव में प्रगति हो रही है विकासशील देशों द्वारा खुद विकासशील देशों की बैठक बुलाया जाना स्वाभाविक ही था। सामूहिक आत्म-निर्भरता के प्रश्न पर, जिसके बारे में हम वर्षों से बातचीत करते आ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं ? क्या किसी विकासशील देश के नेताओं के लिए इस प्रकार की बैठक करने का विचार करना स्वाभाविक नहीं है।

लेकिन जैसा कि इसका नाम बताता है, यह बैठक निर्णय लेने के लिए नहीं की गई थी इसका नाम "नई दिल्ली कन्सलटेशन्स" है। यह कन्सलटेशन्स इस अर्थ में सफल रहे कि इसमें कई निर्णय लिए गये। आपने आई. डी. ए. के बारे में आज प्रातः वित्त मंत्री जी का वक्तव्य सुना है क्या कोई व्यक्ति सामान्य रूप से यह कल्पना कर सकेगा कि ब्रिटेन की सरकार जिसने हाल ही में आई. डी. ए. को अंशदान देना बन्द कर दिया था, अपना अंशदान देना पुनः शुरू

कर देगी और अन्य देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने में भारत के साथ-साथ प्रयास करेगी ? नई दिल्ली कन्सलटेशन्स के परिणामस्वरूप अथवा उन कन्सटेशन्स के अनुसरण में ऐसा हुआ है, क्योंकि उन कन्सलटेशन्स के अनुसरण में हमारी प्रधान मंत्री जी ने इस मामले के बारे में ब्रिटेन की प्रधान मंत्री से बातचीत की थी।

नई दिल्ली कन्सलटेशन्स की इस बैठक में यह विषय भी उठाया गया था, उस पर चर्चा की गई थी तथा उसके बारे में निर्णय लिया गया था।

"इस बात पर सहमति हुई थी कि आई. डी. ए. के बारे में उच्च राजनीतिक स्तर पर पहल की जानी चाहिए।"

मैं श्री पार्थसारथी के विवरण से पढ़ रहा हूं।

"आई. डी. ए. की कार्यक्रम संबन्धी समयावधि में गड़बड़ डालने के लिए किये जाने वाले अंशदान स्तरों में यू. एस. ए. की नकारात्मक प्रवृत्ति तथा प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए।"

इसके अनुसरण में कतिपय अनुवर्ती कार्यवाई की गई थी, यह सफल हुई है और आज हम कह सकते हैं कि समस्त विकासशील देशों के लिये कुछ अच्छी चीज़ हुई है। कटौती बन्द कर दी गई है और हमें इस प्रकार के प्रयास जारी रखने पड़ेंगे। यदि सब कुछ नहीं है, शायद यह अन्तिम बात नहीं है लेकिन जो प्रयास किया गया है वह इतने कम समय में सफल हुआ है और इसलिये, इस प्रकार के कन्सटेशन्स को किसी विशेष बैठक की वास्तविक उपलब्धि अथवा वास्तविक परिणाम के अनुसरण में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में देखी जाने वाली सामान्य प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए।

महोदय, मैं भारत द्वारा अन्य देशों के साथ किये गये आर्थिक सहयोग के बारे में आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहूंगा। इस बात को पहले कई बार सदन के समक्ष लाया गया है, सदन में इसका कई बार उल्लेख किया गया है। तकनीकी तथा पूंजीगत दलों, निवेश मिलकर 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठते हैं जो भारत जैसी स्थिति वाले देश के लिए कम धन राशि नहीं है। मैं बहुत से मुख्य आंकड़े पेश कर सकता था, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत न केवल आर्थिक सहयोग के बारे में ही बात करता रहा है, न केवल नये अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में ही बातचीत कर रहा है बल्कि अपने ही तरीके से हम अन्य विकासशील देशों को तकनीकों तथा आर्थिक क्षेत्र में जितनी सहायता तथा सहयोग प्रदान कर सकते हैं प्रदान कर रहे हैं। हमने कम से कम 55 या 60 या 70 देशों को सहयोग दिया है। हमने सहयोग की ये योजनाएं बनाई हैं कुछ देशों में इसकी गति तेज है लेकिन कुछ अन्य देशों में इसकी गति तेज नहीं है क्योंकि दोनों ओर से विभिन्न अड़चनें पैदा हो रही हैं। इसलिए यह कार्य काफी संतोषजनक है और हम इन प्रयासों को जारी रखेंगे।

बहुत से अन्य मामले हैं जिनके बारे में बातचीत करना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैंने काफी समय लिया है मुझे इस बात का खेद है। पासपोर्टों तथा अन्य मामले उठाये गये हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बता देना चाहूंगा कि पासपोर्ट जारी करने के सभी पहलुओं, विलम्ब अथवा समस्याओं की जांच की जाएगी। हम पिछले 6 या 7 महीनों से बड़ी गहराई से उनकी

जांच कर रहे हैं, कुछ मामले प्रकाश में आये हैं, कुछ सुधारात्मक कार्यवाई की गई है। अब मैं सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों की एक पूर्ण बैठक बुलाऊंगा ताकि मैं उनकी बात सुन सकूं और उनकी कठिनाइयों का पता लगा सकूं और कि इन अनियमितताओं को कम से कम करने के लिये हमारे द्वारा जो उपाय किये जाने की आवश्यकता है वे उपाय किये जा सकें।

विदेशों में रह रहे भारतीयों के बारे में भी प्रश्न उठाए गये हैं यह एक दूसरा प्रश्न है जिसे हल करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी सारी शक्तियां नहीं हैं। हमारे पास जो शक्तियां हैं उनके अन्दर रहकर हम क्या कर सकते हैं ? हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह केवल आग्रह के तौर पर कर सकते हैं। ब्रिटेन में दंगों तथा अन्य बातों का दोनों सदनों में उठाया गया है और जो कुछ सहायता हम कर सकते थे हमने की है और हम यह सहायता करते रहेंगे।

ये कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिनमें वाद-विवाद में चर्चा हुई। मेरा सादर निवेदन है कि विदेशी मामलों के संबन्ध में जो मतैक्य है, जिस पर सब सहमत हैं, उसे पोषित करने, बनाये रखने तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

सरकार की ओर से मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस मतैक्य को बनाए रखने, मजबूत बनाने के लिये हमारे दृष्टिकोण से हमारी शक्तियों के अन्दर जितना संभव होगा उतना करेंगे। धन्यवाद।

मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस ले लें और अनुदान की मांगों को वापस कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से संम्बन्धित अनुदान की मांगों में कटौती करने संबन्धी सभी प्रस्तावों को मतदान के लिए एक साथ रखूंगा, बशर्ते कोई सदस्य यह न चाहता है कि उसके कटौती संबन्धी प्रस्ताव को अलग से रखा जाए।

कटौती प्रस्ताव रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब विदेश मंत्रालय से संबन्धित अनुदान की मांगों को मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

"कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई विदेश मंत्रालय संबन्धी मांग सख्या 31 के संबंध में 31 मार्च 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगें, 1982-83

मांग संख्या	मांग का नाम	16 मार्च, 1982 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रु.	पूंजी रु.	राजस्व रु.	पूंजी रु.
विदेश मंत्रालय					
31.	विदेश मंत्रालय	26,67,41,000	4,71,01,000	133,37,03,000	23,55,06,000

6. 17 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 1 अप्रैल 1982/11 चैत्र, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6